त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 4

गुरूवार, 27 जुलाई, 2000
5 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

PARLIAMENT LIBRARY
No.
14/8/01

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला खंड 8 चौथा सत्र, 2000/1992 (शक)

[अंक 4, गुरूवार, 27 जुलाई, 2000/5 श्रावण, 1922 (शक)]

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61	7-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80	27-87
अतारांकित प्रश्न संख्या 632 से 861	88-377
सभा पटल पर रखे गए पत्र	377-379
राज्य सभा से संदेश	379-380
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन	380-381
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन	381
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
चौसठवां और पैसंठवां प्रतिवेदन	381
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	381
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
बयालीसवां प्रतिवेदन	382
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	382

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज 383-385

कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 385-386

भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा लगाए गए कथित आरोपों के संबंध में सदस्यों द्वारा निवेदन के बारे में 386-396

नियम 377 के अधीन मामले 397-404

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री राज नारायण पासी 397

(दो) दिल्ली में पानी और बिजली की कमी की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री साहिब सिंह 398

(तीन) बिहार में रक्सौल या नरकटियागंज में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल 398

(चार) गोदावरी डेल्टा में बाढ़ रोधी किनारों (फ्लड बैंक) के संरक्षण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्णमराजू 398-399

(पांच) एच.एम.टी. की तुमकुर इकाई को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एस.बसवराज 399-400

(छह) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से इसके नगर निगम में स्थानान्तरित कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 400

(सात) मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कर्नाटक को शैक्षणिक सत्र 2000–2001 से सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा 400-401

(आठ) केरल में विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में रेल यात्रियों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 401-402

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का पमारू से ओंगोल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डी वेंक्टेस्वरलु 402

(दस) उत्तर प्रदेश में फूलपुर स्थित "इफको" इकाई को अर्थक्षम बनाने के लिए इसे गैस आधारित संयंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 402-403

(ग्यारह) तमिलनाडु सरकार को विशेष रूप से तिरूचेंदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या हल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ए. डी. के. जयशीलन 403-404

(बारह) उत्तर प्रदेश में हरदोई में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश 404

लोक सभा

गुरुवार, 27 जुलाई, 2000/5 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल शुरु होगा।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : महोदय, एक अत्यन्त गंभीर मामला है। न्यायपालिका और महान्यायवादी के विरुद्ध अत्यन्त गंभीर आरोप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं जो कि अभी केवल तीन दिन पहले मंत्रिपरिषद का सदस्य था। समाचार पत्रों में यह मामला छपा है। सारा राष्ट्र इसकी चर्चा कर रहा है। वास्तविक स्थिति को अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने दल के नेता हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया : लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिपरिषद के किसी पूर्व सदस्य ने पद छोड़ने के तीन दिन के भीतर न्यायपालिका की आलोचना की हो.... *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।.... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, सभी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि कब प्रश्न काल स्थगित कर दिया जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। अभी प्रश्न काल शुरू होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगा। कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया : यह अत्यन्त महत्त्व का मामला है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में विरोध चल रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले पर अपना वक्तव्य दें। इस मामले पर मंत्रिपरिषद के क्या विचार हैं ? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले पर वक्तव्य अवश्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें। मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैंने सभा के कार्य स्थगन का नोटिस दिया है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी बात सुनें तो इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। यह कालातीत हो गया है क्योंकि आपने पूर्वाह्न 10.00 बजे के बाद नोटिस दिया है। यह केवल कल के लिए वैध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं अपनी बात पूरी करूं ? कृपया मेरी बात सुनें। दूसरा नोटिस भी है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया : यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधानमंत्री को आकर एक वक्तव्य देना चाहिए तथा सभा को विश्वास में लेना चाहिए। यह सब इस तरह नहीं चलते रहना चाहिए।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम सभा का कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। अब प्रश्न काल शुरु होता है। प्रश्न संख्या – 61।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। अब, प्रश्न संख्या–61। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, आप प्रधानमंत्री से कहें कि सभा में आकर इस पर अपना वक्तव्य दें। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक अत्यन्त बुरी परम्परा शुरू करने जा रहे हैं। यह प्रश्न काल है। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें। आज का प्रश्न काल महत्त्वपूर्ण है। प्रथम प्रश्न कारगिल से संबंधित है। प्रत्येक सदस्य इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछना चाहता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि आपकी बात मैं प्रश्नकाल के बाद में सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह मामला केवल संसद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्त्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, प्रश्न काल के बाद में आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नोटिस कालातीत है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : कृपया कारगिल संबंधी प्रश्न के लिए अनुमति प्रदान करें।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। श्री दासमुंशी ने नोटिस दिया है। वह भी कालातीत है। प्रश्न काल के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। अब प्रश्न काल चलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रश्न संख्या 61 शुरू करेंगे। श्री के.पी.सिंह देव।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही सभा के नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। श्री जयपाल रेड्डी, आप अत्यंत सम्मानित वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने नोटिस दिया है लेकिन दस बजे के बाद। यह केवल कल के लिए वैध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। हमें प्रश्न काल को इस तरह व्यर्थ होने नहीं देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब, प्रश्न संख्या–61 शुरू करें। श्री के.पी. सिंह देव।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य कार्यवाही में इस प्रकार बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता हूं कि यह महत्त्वपूर्ण नहीं है; यह महत्त्वपूर्ण है। शून्य काल में आपको अवसर दिया जाएगा। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या – 61 श्री के.पी.सिंह देव।

(व्यवधान)

श्री. के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : प्रश्न संख्या–61। ....*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : सभा–पटल पर एक वक्तव्य रखा जा रहा है। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि आपकी बात मैं प्रश्न काल के बाद सुनूंगा। अब, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप मुख्य सचेतक हैं। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया कुछ देर मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको जानना चाहिए कि इस सभा में आपको कैसे आचरण करना चाहिए। श्री रेड्डी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात को मैं क्वश्चन ऑवर के बाद सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की शुरुआत कर दी है। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अभी ऐलाऊ किया जाए। ....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

इस समय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि मैं आपको शून्य काल में अनुमति दूंगा। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें। कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अपने पक्ष के सदस्यों को अपनी सीट पर जाने को कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बताया कि मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बोलने देंगे ? कृपया अपने स्थान पर जाएं। श्री दासमुंशी, कृपया अपने पक्ष के सदस्यों को नियंत्रित करें। किसी बात की एक सीमा होती है।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

इस समय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

माननीय सदस्यगण, आज का पहला प्रश्न कारगिल के शहीदों से संबंधित है। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। खुदा के लिए ! कृपया व्यवधान न डालें। मैं आपको शून्य काल में अवसर दूंगा। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति प्रदान करूंगा।

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, हम इस मामले को प्रश्न काल के तुरंत बाद उठाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, अब इधर के लोग शान्त हैं और आप इसकी शुरूआत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री के.पी. सिंह देव अपना पूरक प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.पी. सिंह देव द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों अलावा कोई अन्य बात सभा की कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कारगिल शहीदों के परिवारों का पुनर्वास

[अनुवाद]

+

***61. श्री के.पी. सिंह देव :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारगिल आपरेशन के एक वर्ष बाद भी 'कारगिल शहीदों' के प्रभावित बच्चों को सरकार द्वारा दिये गए सरकारी नौकरियों, शिक्षा आदि के बहुत से आश्वासन क्रियान्वित नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और विलम्ब के कारण क्या हैं, और इन सभी वायदों को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) एक विवरण–पत्र सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

कारगिल शहीदों के बच्चों सहित उनके परिवारों को अनेक आर्थिक व अन्य लाभ दिए गए थे।

1. कारगिल सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के पुत्रों को 16 वर्ष की आयु पूरी होने और न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने पर सेना में तत्काल भर्ती करने पर विचार किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 9 व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जा चुका है। यह योजना जारी रहेगी और शहीद कार्मिकों के पुत्र जैसे ही भर्ती के लिए पात्र होंगे उनके मामले पर विचार किया जाएगा।

2. कारगिल सैन्य कार्यवाहियों में शहीद हुए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 500 तेल उत्पाद एजेसियों के सीधे आबंटन के लिए एक विशेष स्कीम की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत शहीद कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों से 425 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 281 मामलों में तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन को स्वीकृति दे दी है। शेष 144 मामलों के संबंध में कार्रवाई चल रही है।

3. बहुत–सी राज्य सरकारों ने घोषणा की थी कि वे कारगिल सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के आश्रितों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे 213 आश्रितों को रोजगार मुहैया करवाया है।

4. शहीद हुए/निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के परिवार से प्रति बच्चा एक लाख रुपए के हिसाब से केवल 2 बच्चों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित रेजिमेंटल सेंटरों को धनराशि उपलब्ध करवाई गई है जिसे फिक्स्ड डिपोजिट में रखा जाएगा, इस फिक्स्ड डिपोजिट से मिलने वाले वार्षिक ब्याज की राशि को उन कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाने पर यह फिक्स्ड डिपोजिट उसे सौंप दी जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा सहित शैक्षिक सहायता भी सेना केन्द्रीय कल्याण कोष द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए कोष के जरिए मुहैया करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकारों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की सरकारों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। केरल और कर्नाटक की सरकारों ने उन्हें शैक्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा की है।

5. नियमानुसार पात्र शहीदों की विधवाओं अथवा निकटतम संबंधी को, प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शहीद कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम वेतन के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान, सेना समूह बीमा लाभों का भुगतान किया जा चुका है। शहीद कार्मिकों के परिवारों को मकान खरीदने/मौजूदा मकान में परिवर्धन करने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से प्रत्येक परिवार को 30,000/– रुपए की राशि का भुगतान भी किया गया है।

श्री के.पी. सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में गहरा आघात लगा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर और सम्मान है, जैसे योग्य एवं सक्षम मंत्री ने.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया टिप्पणी करना बंद करें।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक सहयोगी तथा रक्षा मंत्री के रूप में प्रश्न के उत्तर देने से बचने की कोशिश की है। इस उत्तर का मेरे प्रश्न से कुछ लेना–देना नहीं है .....*(व्यवधान)*। महोदय, क्या मुझे बोलने के लिए सिखाया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने दल के सदस्यों से कहिए।

(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव : अगर उन्हें यह पसंद नहीं है तो वे उसे कुछ भी कह सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आज क्या हो गया है। शुरू से ही ऐसा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव : उत्तर का, प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) से कुछ लेना–देना नहीं है। केन्द्र तथा राज्यों में हर आने–जाने वाली सरकारों के माध्यम से यह कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा ही सशस्त्र बलों तथा उनके कार्मिकों के बारे में चिंतित रहा है तथा इसने उनकी साहस, बहादुरी, अप्रतिम बलिदान, हिम्मत तथा लगन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा ही अनेक घोषणाएं, उद्घोषणाएं की हैं तथा आश्वासन दिया है। यह बहुत ही दुःखद बात है। समाचार पत्र में एक खबर छपी है। इसमें कहा गया है कि "उसके पति की कारगिल में मृत्यु के एक वर्ष बाद भी वह बहुत मुश्किल से बच्चों को स्कूल भेज पा रही है और दो वक्त का खाना जुटा पा रही है।" मेरे द्वारा पूछा गया विशिष्ट प्रश्न यह था।

उत्तर के इन डेढ़ पन्नों में कोई उत्तर नहीं है। केवल थोथी दलीलें हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से कुछ राज्य सरकारों पर तथा कुछ केन्द्र सरकार पर छोड़ दिए गए हैं। यहां तक कि विधवाएं तथा सैनिकों के माता–पिता, जो परिवार के अर्जक सदस्य थे, भी दुःखी हैं। इस बार मीडिया की दिलचस्पी के कारण विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक घोषणाएं की गईं। श्री राम नाईक, कुमारी ममता बनर्जी तथा अन्य मंत्रियों ने शहीदों, उनकी विधवाओं तथा उनके असमर्थ बच्चों के लिए अनेक घोषणाएं कीं तथा छूटों का ऐलान किया।

पूर्व में, कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन एजेंसियों में बहुत बड़ी कमी थी। मैं जानना चाहूंगा कि इन कार्यान्वयन एजेंसियों में क्या सुधार किया गया है तथा वह प्रभावी मशीनरी क्या है जिसके जरिए आप अपनी घोषणाओं, उद्घोषणाओं तथा आश्वासनों को पूरा किए जाने की निगरानी कर रहे हैं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है तथा उन्होंने एक समाचार के बारे में भी उल्लेख किया। समाचार का वह अंश उनके प्रश्न का भाग नहीं था। उनका प्रश्न एक बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें पूछा गया है :

"(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि करगिल आपरेशन के एक वर्ष बाद भी 'करगिल शहीदों के प्रभावित बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए सरकारी नौकरियों, शिक्षा आदि के बहुत–से आश्वासन क्रियान्वित नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और बिलम्ब के कारण क्या हैं और इन सभी वायदों को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?"

महोदय, जहां तक रक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार का सम्बन्ध है, जो भी वादे किए गए थे उनको पूरा कर दिया गया है तथा ये वादे हमें कारगिल युद्ध में लड़ते हुए किसी सैनिक की मृत्यु की सूचना

मिलने के कुछ सप्ताहों के भीतर ही पूरे किए गए थे। अतः माननीय सदस्य का यह कहना कि किसी प्रकार की ढिलाई बरती गई या मैं किसी भी प्रकार की सूचना को छिपाने का प्रयास कर रहा हूं उचित नहीं है।

श्री के. पी. सिंह देव : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपका कहने का आशय यही था, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने उत्तर देने से बचने की कोशिश की है तथा आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने आपको प्रश्न का उत्तर दे दिया है तथा जो कुछ भी किया गया है उनका उल्लेख किया है।

महोदय, ऐसी सूचना है कि तथा मुझे जानकारी है कि समाचार पत्र सूचनाएं इकट्ठे करते रहते हैं तथा निश्चित रूप से ये सूचनाएं हमारे या मंत्रालय, अथवा सेना मुख्यालय के बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित कर दी जाती हैं। एक सूचना समाचार पत्र में आई है जिसका ण साधारण था; कल 26 तारीख को भोपाल में एक विधवा ने मरण अनशन पर जाने का निर्णय किया था। उसका मामला, जैसा कि समाचार पत्रों में आया है यह था कि राज्य सरकार ने उसे 10 लाख रुपये देने का वादा किया था तथा उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए ...*(व्यवधान)* मैं नहीं समझता कि हमें उस विषय पर कुछ बोलना चाहिए जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जब हम कारगिल के शहीदों या कारगिल के वीरों की बात करते हैं तो हमारा मतलब कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों से है। अब कुछ स्तरों पर लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर के अंदर कहीं भी किसी भी स्थिति में मारा जाता है, उसे कारगिल शहीद माना जाना चाहिए। अतः हर जगह लोगों के दिमाग में इन चीजों में से कुछ के बारे में भ्रम है तथा हमारे समक्ष ऐसे मामले आए हैं जिसका संबंध कारगिल या कारगिल युद्ध क्षेत्र से न होकर कश्मीर में अन्यत क्षेत्र से है। उदाहरण के लिए हम भोपाल की इस विशेष घटना को लें। एक ऐसा मामला था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु अखनूर क्षेत्र की मनावर तवी नदी में डूब जाने के कारण हो गई। वह ड्यूटी पर था। अब उसकी विधवा ने सरकार द्वारा घोषित 10 लाख रुपये की मांग की है। सरकार की घोषणा का सम्बंध भी कारगिल के शहीदों से है। यह विशेष मामला भी उसके बाहर है।

इसलिए जहां कहीं ऐसे मामले हैं जिसमें इस बात को लेकर विवाद या कोई समस्या है कि पैसे किसको दिए जाने चाहिए तो इस सम्बन्ध में जहां तक रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र बलों का सम्बन्ध है, हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए हर व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति पर विचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, आपको इस बात की अच्छी जानकारी होगी कि हमने 1996 में, 1971 के युद्ध के 25वें वर्ष के अवसर पर विजय दिवस मनाया था तथा माननीय मंत्री जी उस समय सदन में सदस्य थे। हमने पाया कि बहुत से वादे तथा आश्वासन जो उस समय किए गए थे के कारण दोषपूर्ण कार्यान्वयन मशीनरी तथा अंतिम समय में जब तक सरकार या रक्षा मंत्रालय कुछ घोषणा करता, बहुत से संगठनों के इसमें शामिल हो जाने के कारण पूरे नहीं किए जा सके।

सैनिक, स्वभावतः अपने इज्जत तथा इकबाल, सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति स्वाभिमानी होते हैं और उस स्थिति में और अधिक जब वे और भूतपूर्व सैनिक बन जाते हैं या उनके अपने लोग असमर्थ बन जाते हैं या मारे जाते हैं। चूंकि कई मंत्रालय तथा संगठनों ने कुछ छूटों की घोषणा या उद्घोषणा की है; क्या माननीय मंत्री महोदय भूतपूर्व सैनिक आयोग को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के बारे में विचार करेंगे जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों सम्बंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश की गई है। क्या माननीय मंत्री 'भूतपूर्व सैनिक वित्त विकास निगम' की स्थापना पर भी विचार करेंगे जो उच्च स्तरीय भूतपूर्व सैनिक आयोग की सिफारिशों में से एक है और स्व. राजेश पायलट तथा माननीय जसवंत सिंह जिसके सदस्य थे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए सुझावों पर विचार करूंगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कल कारगिल विजय दिवस मनाया। मुझे खुशी हुई और पूरे राष्ट्र द्वारा इस विचार को पसंद किया गया। लेकिन मुझे और अधिक खुशी होती यदि हम लोगों ने 1947, 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध वीरों के लिए इस प्रकार का उत्सव मनाया होता। हमें युद्ध वीरों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए।

तथापि, मैं अपने प्रश्न पर आना चाहूंगा और जो कारगिल के वीरों को दिए गए विभिन्न वित्तीय पैकेज तथा लाभों के बारे में है। सेना मुख्यालय ने भी इस प्रश्न को उठाया था कि यदि आप कारगिल के वीरों को इतना दे रहे हैं तो आपको उन सैनिकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो इसी प्रकार की परिस्थितियों तथा स्थितियों में मारे गए थे जैसी की स्थितियां कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में थीं। कारगिल के एक शहीद को गैस एजेंसी अथवा पेट्रोल पंप के आबंटन के लाभों के अतिरिक्त 30 लाख या 35 लाख रुपये नकद मिलते हैं। तथापि, कश्मीर में मरने वाले एक सैनिक को 9.5 लाख रुपये मिलते हैं जबकि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मरने वाले को 7.5 लाख रुपये। इस प्रकार की असमानता है। वे सैनिक जो अन्य युद्धों में लड़े थे अभी भी जीवित हैं। आपने

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में काफी धन इकट्ठा किया है। अतः, मेरा पहला प्रश्न है।....

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना था।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मेरे सवाल का पहला भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा देश के अन्य भागों में उपद्रवों के दौरान मारे गए सैनिकों को भी वित्तीय लाभ देकर इस असमानता को दूर करने हेतु सेना मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने पर विचार करेंगें ताकि ये मारे गए सैनिक भी कारगिल ने शहीदों के समान बन सकें ? मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार वित्तीय पैकेज के संदर्भ में 1947, 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध वीरों तथा कारगिल के वीरों के बीच समानता लाने पर विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा प्रश्न है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, मैं इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले देना चाहूंगा। जहां तक कारगिल के युद्ध में लड़ने वाले तथा वीरगति को पाने वाले तथा 1947 से अब तक सभी लड़ने वाले लोगों का सम्बन्ध है, उपलब्ध लाभों के बारे में यह संभव नहीं है जिसका सीधा कारण है कि 1947 से 1992 तक जो कुछ किया गया उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था।

पहले के चार युद्धों में यदि कोई सैनिक शहीद हुआ तो उसके परिवार को पेंशन दी गई बस यह इतना ही भर था। यही इसका अंत था। केवल 90 के दशक में 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में देने पर विचार किया गया। इसमें परिवर्तन किया गया या इसमें तब वृद्धि कर दी गई जब कारगिल युद्ध शुरू हो गया। अतः माननीय सदस्य तथा यह सदन भी समझ सकता है कि जो चीज चार या पांच दशकों में नहीं की जा सकी उसे अंततः हम कैसे कर पायेंगे। इसका कारण है कि इस प्रकार की सहायता देने के लिए हमें कर दाताओं से काफी पैसा वसूल करना पड़ेगा जिस प्रकार की सहायता हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं। इसलिए, मैं संभवतः, माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हो सकता।

मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हम लोगों ने यह पता लगाने के लिए एक जनगणना करायी थी कि ऐसे कितने लोग अभी हमारे बीच हैं जो पिछले युद्ध में लड़े थे तथा हम लोगों ने उन्हें एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया था। हमने इसे खंडों में किया है तथा अगले कुछ सप्ताहों अथवा महीनों में पूरा हो जाएगा।

महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का कथन कि कारगिल के शहीदों को कोई 35.00 लाख रुपये दिए जाते हैं वहीं जो अन्य लोग लड़ते हुए मरते हैं उन्हें केवल 7.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, स्थिति का सही आकलन नहीं है। कारगिल के शहीदों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : मैं राज्य सरकार द्वारा नकद, भूमि आदि के रूप में उनको दिए जाने वाले लाभों के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : चूंकि आपने दोनों का सही आकलन नहीं किया है, अतः मैं इसमें सुधार कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि इससे एक संदेश जाएगा कि 35.00 लाख रुपये दिए जाते हैं और तब बहुत–से लोग दावे करने शुरू कर देंगे। कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। अन्य घातक स्थितियों में जिसमें जवाबी कार्रवाई, विद्रोह तथा अन्य कार्रवाई शामिल है, यह राशि 7.50 लाख रुपये है।

जहां तक अन्य रूपों में भुगतान जैसे बीमा का सम्बंध है सशस्त्र बलों के पास एक केन्द्रीय कल्याण कोष है। कुछ राशि इसमें से भी दी जाती है। यह राशि सबके लिए समान होती है। इस राशि के देने में किसी प्रकार के विभेद करने का सवाल ही नहीं है।

जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, एन. डी. एफ. ने काफी राशि इकट्ठा की। राष्ट्रीय रक्षा कोष को लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा सशस्त्र बल केन्द्रीय कल्याण कोष को लगभग 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह पैसा आम जनता की ओर से मिला। समाचार पत्रों ने पैसा इकट्ठा किया तथा कुछ ने पैसा राष्ट्रीय रक्षा कोष को तथा कुछ ने 'केन्द्रीय कल्याण कोष' को भेजा। कई संगठन हैं जिन्होने पैसा इकट्ठा किया होगा लेकिन इस सम्बंध में किसी भी स्वैच्छिक संगठन को जिसने पैसा इकट्ठा किया है अथवा किसी समाचार पत्र को जिसमें पैसा इकट्ठा किया हो तथा उनके द्वारा इसके उपयोग करने के तरीकों के बारे में हमें भी कहने का प्राधिकार नहीं है। ये उनेक प्रति जवाबदेह है जिन्होंने पैसा दिया है। मैं नहीं समझता कि मंत्रालय उनको किसी भी रूप में प्रभावित करने में सक्षम होगा यद्यपि जब भी कोई हमारे पास आया है तथा उन्हें पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या सशस्त्र बल केन्द्रीय कल्याण कोष में देने के लिए समझाने को कहा है, हमने कोशिश की है।

अतः, जहां तक इन संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले लाभों का सम्बंध है, हम इन्हें किसी केन्द्रीय पूल में नहीं ला सकते तथा प्रत्येक को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन विजय के शहीदों के लिए इस सरकार ने जिस प्रकार

से अभूतपूर्व आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि सम्मान भी दिया है, उसके लिए मैं सैनिकों की तरफ से सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पहली दफा भारत के इतिहास में जो सैनिक शहीद हुआ है, उसके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार उसके पैतृक स्थान पर पूरे मान–सम्मान और मिलिट्री ओनर के साथ हुआ है, इसलिए इस सरकार का मैं सैनिकों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

जहां तक आर्थिक सहयोग का सवाल है, जैसा अभी पूर्व प्रश्नकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश का सहयोग मिला लें तो कुल राशि पच्चीस लाख रुपये से ज्यादा बनती है। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 500 गैस एजेंसी जो दी हैं और गैस एजेंसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करके दिया है जिसमें करीब 20–25 लाख रुपये लगते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने पच्चीस साल फौज में नौकरी की है, मैं जानता हूं कि इन सालों में आप लोगों ने क्या–क्या हमें दिया है। ज्यादा बुलवाने की हमें कोशिश मत कीजिए। हमारे मन में बहुत सारी [illegible] उबल रही हैं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गंभीर प्रश्न है, आराम से सुनिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, आज आर्थिक सहयोग के कारण एक समस्या पैदा हो गई है, मैं इसका विवरण इसलिए दे रहा हूं कि इससे कुछ सामाजिक समस्या पैदा हो गई है। आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त 20–25 लाख रुपये जो गैस एजेंसी के डेवलपमेंट के लिए लगता है, 30 से 35 लाख रुपये पेट्रोलियम आउटलेट के लिए लगता है, यह उसके अलावा है। लगभग 70–80 लाख रुपये के करीब सरकार इस प्रकार एक शहीद के परिवार को दे रही है और इस प्रकार का अर्थिक सहयोग देना बहुत अच्छी बात है जो सरकार उन्हें उत्साहित करने के लिए दे रही है लेकिन इससे कुछ सामाजिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। उन सामाजिक समस्याओं की तरफ मैं माननीयं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो प्रथा है, कायदा–कानून है, नैक्स्ट ऑफ किन को पैसा दिया जाता है और जहां तक मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी है, प्रदेश सरकारों ने उनके माता–पिता के लिए 2500 रुपये पेंशन दी है। एक तरफ 60–70 लाख रुपये का धन है और कई ऐसे मां–बाप हैं जिन्हें सामाजिक स्थिति में बहुत परेशानी है और कहीं ऐसी शादी हुई है कि तीन महीने में ही, छः महीने में ही पति शहीद हो गया है और माता–पिता के ऊपर उसका बोझ आ पड़ा है। इसी तरह की सामाजिक परेशानी पैदा हो गई है। एक तरफ धन का दुरुपयोग करने की, जैसे समाज के अंदर प्रवृत्ति है कि बहुत सारे रिश्तेदार तथा दूसरे लोग दुःखी गरीब विधवा के धन का दुरुपयोग कर लेते हैं। ...*(व्यवधान)* जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तो उसका हल कैसे होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब को भी मालूम है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : दूसरी समस्याएं जो धन के बारे में पैदा हो गई हैं। वह ये हैं कि महिला को जो पैसा मिलता है, वह उसे कैश में मिल रहा है और उसे पैसे को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अपने क्षेत्र में कोशिश की थी कि उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दिया जाये, लेकिन ऐसी सरकारी व्यवस्था नहीं है और इसलिए वह धन भी बहुत जल्दी चार–पांच साल में खत्म हो जाएगा और इन महिलाओं के सामने फिर से समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए मैं सरकार से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात यह है कि नैक्स्ट ऑफ किन की जो व्यवस्था है, मेरे पास कई माता–पिता के पत्र आए हैं और मैंने एक पत्र मंत्री जी को भी लिखा है कि नैक्स्ट ऑफ किन की व्यवस्था में क्या आप इस प्रकार का कोई परिवर्तन करेंगे ताकि जो अधिकृत रूप से सरकारी कायदे–कानून के अंदर पत्नी या नैक्स्ट ऑफ किन के अलावा जो अन्य शहीद के परिवार के लोग हैं, जो माता–पिता हैं, जो उस पर निर्भर हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था आप करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि उन्हें जो धन दिया जाता है, क्या आप रेजीमेंटल सेंटर्स के माध्यम से अधिकृत व्यवस्था करेंगे ताकि वह पैसा फिक्सड डिपॉजिट में दिया जाए और तीन साल, पांच साल या सात साल बाद उन्हें उपलब्ध हो ताकि उस पैसे का दुरुपयोग न हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक माता–पिता का सवाल है, यह प्रश्न कारगिल के तत्काल बाद हमारे सामने जरूर उत्पन्न हुआ चूंकि जैसे ही नैक्स्ट ऑफ दि किन जिसमें आम तौर पर पत्नी और बच्चे का ही मामला आता था लेकिन कई जगहों पर माता–पिता का भी मामला युद्ध के तत्काल बाद हमारे सामने आया था।

जिस शहीद की शादी न हुई हो, जैसे ही यह पैसा जाने लगा, तो यह समस्या शहीदों के मां–बाप की ओर से सामने लाई गई। ऐसे परिवारों को पहले एक लाख 20 हजार रुपए देने का फैसला हुआ था। जब यह समस्या सामने आई, तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह पैसा ऐसे परिवारों के नाम से रैजिमेंडल सेंटर्स में रखा जाए और उसका ब्याज हर महीने उनको दिया जाए। बाद में यह महसूस किया गया कि एक लाख 20 हजार रुपया की राशि कम है और इस राशि को बढ़ाना चाहिए। यह निर्णय पिछले महीने लिया गया कि यह राशि एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी जाए। इस प्रकार ऐसे परिवारों के मां–बाप के लिए जो व्यवस्था संभव थी, वह व्यवस्था की गई।

जहां तक पैसे का सही इस्तेमाल हो, दुरुपयोग न हो, का प्रश्न है, हम जानते हैं कि पैसे उनको नकद नहीं दिए जाते हैं, चैक के माध्यम से दिए जाते हैं और पैसे बैंक में ही जाते हैं।....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : पैसे बैंक में सीधे जाते हैं, उसको वे ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, यह नकद जैसा ही है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : मैंने बात मान ली, लेकिन पैसे कैसे खर्च करें, इस बारे में तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कुछ निर्धारित कर पाएगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मंत्री जी, मैं खर्च करने की बात नहीं कह रहा हूं।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है, जो धनराशि आप भेज रहे हैं, उसका एक अंश फिक्स–डिपाजिट में रखने की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय से हो।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं वही कहने वाला था। आर्म्ड फोर्सेस वाइव्स वैलफेयर एसोसिएशन की शाखायें देश में हर स्तर पर हैं। शहीदों के परिवारों को जो भी पैसा जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो, उसमें किसी प्रकार की हरकत न हो और जो भी समस्यायें हैं, उन समस्याओं का निदान किस तरह से किया जाए, इस संस्था के द्वारा उन्हें पैसा देने और उस पर निगरानी रखने का कार्य हो रहा है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : सरकार क्या कर रही है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : सरकार इस मामले में अधिकृत तौर पर कोई कदम उठा सकती है, यह बात मुझे नहीं जंचती है। आपके हाथ में आए हुए पैसे को, आपके हक के या जो भी कहिए, उस पैसे को कैसे खर्च करें, इस बारे में दूसरे लोग कुछ कहें या सरकार कहे, यह बात कोई स्वीकार नहीं करेगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन लोग कारगिल युद्ध में शहीद हुए। मंत्री जी ने बतलाया है कि इस बारे में जल्दी–जल्दी काम किया गया है। एक जवान की तरुण पत्नी थी, सरकार की अनुकम्पा से उसे नौकरी भी मिली और पैसा भी मिला। लेकिन एक शिकायत यह सामने आई है कि तरुण पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया जिससे शहीद के मां–बाप भूखों मर गए। इस तरह की शिकायत क्या मंत्री महोदय के पास आई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तरह की शिकायतों के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे परिवारों के मां–बाप के लिए जो एक लाख 20 हजार रुपए की राशि थी, उसे अब दो लाख रुपए कर दिया गया है। रैजिमेंटल यूनिट्स में वह पैसा जा रहा है और वहां से उन परिवारों को हर महीने ब्याज पहुंचाने का इन्तजाम हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कारगिल के शहीदों की मदद में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को हम सभी स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जो उन्होंने किया वह काफी नहीं है।

क्या मैं माननीय रक्षा मंत्री से जान सकता हूं कि हाल के घटना क्रम, कारगिल से लेकर सीमा पर झड़पों के आलोक में क्या वे सभी नॉन–कमीशन ऑफिसरों, जूनियर कमीशन ऑफिसरों तथा कमीशन ऑफिसरों, जिन्होंने कार्य या आतंकवादियों या घुसपैठियों के विरुद्ध करवाई के रूप में देश की सुरक्षा की तथा अपनी जान गंवाई – को वित्तीय सहायता देने के मामले में एक समान समझते हैं ? मेजर टंडन एक ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने ठीक एक महीना पूर्व बादामीबाग में अपनी जान गंवायी।

इस बार यह कारगिल का युद्ध हो सकता है। लेकिन जब कोई कश्मीर की सीमाओं की रक्षा करता है चाहे वह हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ही क्यों न हो और अपनी जान गंवा देता है तो भी वह एक शहीद ही है।

अतः, क्या मंत्री महोदय उन लोगों को भी वित्तीय सहायता देने के सम्बंध में विचार करेंगे ?

वित्त मंत्रालय से विचार–विमर्श के बाद क्या आप इन परिवारों खासकर सैनिकों तथा नॉन–कमीशन ऑफिसरों जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने घरों को लौटते हैं, के उचित पुनर्वास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम पर विचार करेंगे ? उनका परिवार विलाप करने लगता है जब वे युद्ध के दौरान मर जाते हैं। अतः वित्त मंत्री तथा राज्य के मुख्य मंत्रियों से विचार–विमर्श करके उन परिवारों को नौकरी या कुछ भूमि या सहायता उपलब्ध कराकर उनके लिए पूर्ण पुनर्वास पैकेज पर विचार करेंगे ताकि उन लोगों के लिए जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं एक स्थायी नीति पर जोर दिया जा सके तथा उन्हें राष्ट्र का समर्थन मिल सके।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : माननीय सदस्य द्वारा दो सुझाव दिए गए हैं। मैं दोनों सुझावों पर उचित ध्यान दूंगा।

श्री के. येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले आपसे मेरा एक अनुरोध है।

कल हम लोगों ने 'कारगिल विजय दिवस' मनाया। यह प्रश्न काल भी 'कारगिल के बहादुरों को समर्पित हो ताकि अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछ सकें।

कारगिल युद्ध से संबद्ध अपने अनुभवों को मैं बांटना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र के एक गांव के करीब 30 लोग सेना में काम करते हैं। वे लोग छुट्टी पर चले गए थे। गांव में एक संवाद पहुंचा कि आप तत्काल कैन्टोनमेंट पहुंचे तथा कार्यभार ग्रहण करें। इन तीस लोगों के माता–पिता रो रहे थे। तत्काल हजारों लोग इकट्ठा हो गए तथा उन अभिभावकों को सांत्वना दी तथा उनसे अपने बच्चों को कैन्टोनमेंट भेजने की सलाह दी।

पूरी कहानी समाचार पत्र में छपी थी। मैंने उस गांव का दौरा किया। उस गांव की स्थिति खराब है तथा वहां कोई संचार सुविधा नहीं है। यद्यपि ये तीस लोग देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके गांव की न्यूनतम आवश्यकता की भी पर्ति नहीं हो पाई है। मैंने उस गांव का दौरा किया संचार सुविधा ...त करने के लिए 10 लाख रुपये की तत्काल स्वीकृति दी। मैं ...क माध्यम से रक्षा मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वे रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय यहां तक की शहरी विकास मंत्रालय से भी विचार–विमर्श करके कारगिल के शहीदों के गांवों को आदर्श गांवों के रूप में मान्यता दें। हमें उनके लिए पैसा भेजना चाहिए। उस गांव का विकास उस कारगिल के शहीदों के नाम से हो जो इस युद्ध में मारे गए हैं। यही मेरा सुझाव है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : यह अच्छा सुझाव है।

श्री के. येरननायडू : क्या माननीय मंत्री महोदय कोई योजना बनाने के लिए तैयार हैं ?.....*(व्यवधान)*। सभी लोग कारगिल के शहीदों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : यह एक सुझाव है जिसे मैं निश्चित रूप से ग्रामीण विकास मंत्री को भेजूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामीण विकास के लिए यह एक अच्छा सुझाव है। इसे आप भेजें।

[हिन्दी]

डॉ. जसवंतसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कारगिल में शहीद हुए, उन्हें मंत्री जी शहीद मानते हैं या नहीं मानते। यदि उन्हें शहीद मानते हैं तो उन्हें वे सब सुविधाएं क्यों नहीं दी गईं, जो सेना के जवानों को दी गई हैं। मैं इसका स्पष्ट जवाब मंत्री जी से चाहता हूं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : देश के लिए जो भी मरता है, उसे शहीद माना जाता है, इसलिए माननीय सदस्य को इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पैरा–मिलिट्री फोर्सेज़ की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। मैं उसे पर बोलने के लिए न कुछ अधिकार रखता हूं और न मेरे पास कोई जानकारी है।

डॉ. जसवंतसिंह यादव : मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें शहीद मानते हैं या नहीं मानते हैं ?....*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : हां, मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर आपने एक टिप्पणी की थी कि मैं केवल बड़े–बड़े लोगों को बुला रहा हूं। मैंने श्री हरिशंकर महाले को बुलाया। वे अपनी पार्टी के अकेले प्रतिनिधि हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मुझे दो–तीन दिन के बाद मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनके समान हैं। यह आपके सूचनार्थ है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मई से 26 जुलाई, 1999 तक कारगिल युद्ध की अवधि मानी गयी है।

मैं मंत्रालय द्वारा दिए गए लाभों को दो भागों में बांटता हूं। एक का सम्बंध सेना से है। ये कुछ खास क्षेत्र तक सीमित है। उन लोगों जिन्होंने इस अवधि के दौरान तथा उस क्षेत्र विशेष में या उसके आस–पास अपनी जान गंवायी है, को छोड़ दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस लाभ को उन लोगों तक पहुंचाने पर विचार करेंगे जो इस अवधि के दौरान छूट गए हैं ? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है। लद्दाख के लोगों ने नियमित सेना में नहीं होते हुए भी हमारी मदद की है। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। कुछ लोग तो युद्ध के दौरान मर भी गए हैं। वे असैनिक थे। क्या माननीय मंत्री लाभ का विस्तार उन लोगों तक करने पर भी विचार करेंगे ? मैं लद्दाख कोर एसोसियेशन को दर्जा देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री से तीसरा प्रश्न जिसे मैं पूछना चाहूंगा, यह है। उसी कारगिल युद्ध में कंगूरा का इस्तेमाल किया गया था जिसका विकास डी.आर.डी.ओ. पूना द्वारा किया गया था। इसका उपयोग असैनिकों द्वारा किया गया था। उनको सम्मानित किए जाने के अनुरोध से सम्बंधित एक मामला माननीय मंत्री महोदय के समक्ष लम्बित है।

क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री उन्हें भी सम्मानित करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : मुझे नहीं मालूम कि कौन–सा मामला मेरे पास लम्बित है। यदि माननीय सदस्य इस विषय की विशिष्ट जानकारी मुझे देंगे तो मैं अवश्य इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : ठीक है। मैं आपको डी.आर.डी.ओ. लोगों के सम्बंध में जानकारी दूंगा।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : ठीक है।

महोदय, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। जो कोई भी कार्यवाही में शामिल रहे उन्हें सम्मिलित किया गया और किसी को भी छोड़ा नहीं गया परन्तु जो लोग युद्ध में मारे गए और बाहर मारे गए उनकी पहचान में एक अन्तर है। दूसरे शब्दों में कुछ लोग शत्रु के विरुद्ध युद्ध में मारे गए और कुछ अन्य थे जो मारे गए परन्तु वह शत्रु के साथ मुकाबला करते हुए नहीं। इसमें एक अन्तर रखा गया है जिसे स्वीकार किया गया है, अतः आज मेरे लिए इस मुद्दे पर कुछ टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं उन सभी के बारे में कह रहा हूं जो 15 मई और 26 जुलाई के बीच कारगिल में और उसके आस–पास मारे गए। क्या मंत्री महोदय उन्हें कुछ लाभ देने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : मैं यही बात कर रहा हूं। "कारगिल में और उसके आसपास" एक नहीं हो सकता।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : वह भी युद्ध था। युद्ध केवल कारगिल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हो सकता।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : जो युद्ध क्षेत्र में आगे थे, जो ऊंचाईयों में थे और जो मुठभेड़ में मारे गए सभी एक ही वर्ग के हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : कोई युद्ध को केवल कारगिल तक सीमित नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया बैठ जाइए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : उन पहाड़ियों के ऊपर और युद्ध क्षेत्र में जो मुठभेड़ में मारे गए उन्हें 'क' श्रेणी वगीकृत किया गया। ऐसा नहीं है कि शेष लोगों को छोड़ दिया गया है परन्तु जो लाभ दिये गए उनमें थोड़ा अन्तर है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : जहां तक लद्दाखी नागरिकों का प्रश्न है जिसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वे बोझा ढोने वाले हैं। जब ऐसे बोझा ढोने वाले लगाए जाते थे, उन्हें धन दिया जाता था। बोझा ढोने वाले विशिष्ट परिस्थितियों में ही लगाए जाते हैं। उन्हें वेतन दिया जाता था और जो मारे गए उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया है। हम भी उन जवान लोगों को नियुक्त करने का विशेष प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान बोझा ढोने वालों के रूप में काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं महिला सदस्य डॉ. वी. सरोजा को बुलाता हूं।

डॉ. वी. सरोजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल शहीदों की विधवाओं के लिए दिये गए वित्तीय पैकेज और पुनर्वास उपायों के अतिरिक्त क्या सरकार सभी राज्य सरकारों को निदेश देगी कि वे न केवल कारगिल विधवाओं अपितु रक्षा कार्मिकों के बच्चों और सीमा सुरक्षा बल तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने के लिए शैक्षिक संस्थान शुरू करें ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, जहां तक युद्ध में शहीद हुए लोगों का सम्बंध है, राज्य सरकारों ने खुद ही पहल की है। मैं ऐसे राज्यों की पूरी सूची पढ़ना नहीं चाहता हूं परन्तु ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पहल भी की है और वह किए जाने योग्य सभी काम यथा शिक्षा प्रदान करना, छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाएं देने जैसे सभी काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के स्तर पर केन्द्र सरकार भी उनेक बच्चों को शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। दो बच्चों वाले परिवार के लिए दो लाख रुपये रख दिये गए हैं – एक लाख रुपया प्रत्येक बच्चे के नाम। वे रेजीमेंट के साथ हैं। इस धन पर मिलने वाला ब्याज बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है रेजीमेंट के पास रखा धन लड़की को अठारह वर्ष की हो जाने पर और लड़के को 21 वर्ष का हो जाने पर दिया जाता है। अतः अनेक स्तरों पर केन्द्र और राज्य सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने मौखिक उत्तर में स्वीकार किया है कि कई संस्थाओं और राज्य सरकारों ने कारगिल के शहीदों के परिवार वालों की सहायता के लिए धनराशि इकट्ठी की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग आठ करोड़ रुपया कारगिल के शहीदों के परिवार वालों की सहायता के लिए इकट्ठा किया था लेकिन वहां की सरकार ने केवल एक करोड़ साठ लाख रुपए शहीदों के परिवार वालों को बांटे। बाकी पैसा कहां गया, उसका आज तक पता नहीं चला। मैंने

इस सदन में भी यह मामला उठाया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे नियम, प्रक्रिया और कायदे कानून बनाकर कुछ सुनिश्चित करेगी ताकि कारगिल के शहीदों के नाम पर जो धनराशि इकट्ठी की गई है, वह उसी काम पर खर्च की जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। पैसा शहीदों के परिवार वालों को बांटा गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : असम्बद्ध मामले यहां नहीं लाये जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता की भावनाओं और विश्वास का सवाल है। शहीदों के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा उसी काम के लिए बांटा जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करेगी ?...*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाया है और वह इस सदन के सदस्य हो है। इसलिए इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोई आरोप नहीं लाये जाने चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है और अब वह स्थिति स्पष्ट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि हम राज्यों को यह नहीं बता सकते कि उन्हें धन कैसे खर्च करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री संतोष मोहन देव : प्रारम्भ में, मैं आपको कारगिल युद्ध पर पूरा प्रश्न काल ठीक से चलाने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल था। पैसा शहीदों के नाम पर इकट्ठा किया गया था और वह उसी काम पर खर्च हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी डिटेल्स दे दी है।

श्री शिवराजसिंह चौहान : वह मेरी समझ में नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका विवरण दिया था कि इसमें क्या–क्या कॉलैक्शन्स हुई और उसका कैसे वितरण होता है – उन्होंने इसका पहले उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में नहीं होंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्नकाल है। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं, कृपया इस तरह हस्तक्षेप मत करें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने आठ करोड़ रुपए इकट्ठे किए लेकिन केवल एक करोड़ साठ लाख रुपए शहीदों के परिवार वालों को बांटे गए। बाकी पैसा कहां गया, उसका पता नहीं लगा। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, मैंने आपको मौका दिया है। यह शून्य काल नहीं है। अन्य अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता की भावनाओं और विश्वास का सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संतोष मोहन देव : मै श्री जार्ज फर्नान्डीज को बहुत ही स्पष्ट उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं परन्तु मैं इस बात पर उनसे सहमत नहीं हो सकता कि उन सैनिक लोगों को मात्र एक लाख या दो लाख रुपया दिया जाए जो देश के भिन्न–भिन्न भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं विशेषकर आसाम और त्रिपुरा के इलाकों में। हम उन्हीं की सहायता से जिन्दा रह पा रहे हैं। यद्यपि वो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी उनको बिना बात कलंकित किया जाता है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं। सरकार का उनके प्रति जो रवैया इस समय है उससे अधिक उदार होना चाहिए यह मेरा सुझाव है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : क्या मैं यह बता सकता हूं कि एक सिपाही को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 7,50,000 है एक लाख या दो लाख नहीं। माननीय सदस्य को समुचित सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल में जो जवान शहीद हुये, उन्होंने अपने देश के लिये बहुत बड़ा काम किया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि शहीदों के परिवारों के लिये जो राशि जमा की गई है, उसमें बहुत हेरा–फेरी हुई है। शहीदों के परिवार को जो 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है, उस राशि से आज की महंगाई में कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने देश के लिये इतना बड़ा बलिदान दिया, अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता और पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ते तो अपनी हालत बुरी होती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहीद हुये हैं, उनके परिवार वालों को दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाये – क्या रक्षा मंत्री या प्रधानमत्री इस पर विचार करने वाले हैं ? इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार के पास शहीदों के परिवार वालों के लिये पैसा है, मुझे जानकारी है, इसलिये यह राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपया होनी चाहिये।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिये जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर संसद बजट में राशि बढ़ाकर दे तो फिर यह संभव हो सकता है। इस काम के लिये संसद यदि राशि बढ़ाकर दे तो हम देने के लिये तैयार हैं, फिर कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि जो पैसा जुटाया गया है, उसमें हेरा–फेरी हुई है, यह गैर–जिम्मेदाराना बयान है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। कारगिल के हीरोज़ पर देश को गर्व है लेकिन आज भी सीमा पर हमले हो रहे हैं जिसमें रोज़ाना हमारे जवान मारे जा रहे हैं। इन्दिरा गांधी एअरपोर्ट पर एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया गया है जहां रोज 10–12 शव जवानों के आज भी आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और उसके साथ–साथ राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देता हूं कि कारगिल हीरोज़ के लिये सबने पूरी तरह से सहयोग दिया लेकिन दुख की बात है कि आज भी सीमा पर रोजाना हमले हो रहे हैं और जवान मारे जा रहे हैं। पेट्रोलियम और रेल मंत्रालय ने जवानों के लिये काफी योगदान दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो जवान रोज मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों की सहायता के लिये क्या रक्षा मंत्रालय इन मंत्रालयों के सहयोग से, स्थायी रूप से कोई योजना बनाने पर विचार करेगा ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : उपाध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य कोई ठोस सुझाव दें तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने रोज 10–12 शवों के आने के बारे में कहा, उसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री कान्ति सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष जी, सीमा पर जो रोज हमले हो रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, जहां हमले हो रहे हैं, उनका वहां जवाब दिया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार बताया कि कारगिल के शहीदों के परिवारों को उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने जो जवाब भेजा है उसके अनुसार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकार ने कारगिल के नाम पर जो पैसा इकठ्ठा किया, उसका वितरण उन्होंने किस प्रकार किया है, क्या यह डिटेल मांगने का हमें राइट है या नहीं। कृपया मंत्री जी इस बारे में भी बतायें।...*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकारों के काम के बारे में अगर हमें उनसे अनौपचारिक ढंग से बात करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक ढंग से बात करना हमारे लिए मुश्किल है। चूंकि राज्य सरकारें अपने मंत्रिमंडल और सरकारी स्तर पर क्या फैसला लेती हैं, वे उस पर किस तरह से अमल करती हैं, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रक्षा मंत्रालय को नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों की सफाई

***62. श्री मानसिंह पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से रेलवे स्टेशन गंदे रहते हैं तथा वहां आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी लापरवाही के मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सफाई की स्थिति में सुधार करने और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) स्टेशन की कोटि, जो स्टेशन पर आने–जाने वाले यात्रियों की संख्या और आमदनी पर निर्भर करती है, के आधार पर मूल सुविधाएं (न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं) मुहैया कराई जाती हैं। समय–समय पर यह समीक्षा की जाती है कि सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है। ये सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध हैं, फिर भी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं में होने वाली किसी भी कमी को तत्काल दूर कर दिया जाता है। यद्यपि स्टेशनों की नियमित रूप से सफाई की जाती है, फिर भी कुछ स्टेशनों पर सफाई संतोषजनक न होने के मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) से (ङ) रेलवे स्टेशनों को साफ रखने की जिम्मेदारी स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक और सफाई कर्मचारियों की होती है। यात्री सुविधाओं के अनुरक्षण की जिम्मेदारी इंजीनियरी एवं बिजली विभाग के अधिकारियों की होती है। इसके अलावा, अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित जांच भी की जाती है और सुधार के लिए यथोचित कार्रवाई की जाती है। यही व्यवस्था अब भी जारी है।

(च) सफाई में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें कुछ स्टेशनों पर "भुगतान करके उपयोग करें" योजना चलाना, मशीनों द्वारा सफाई कार्य पर जोर देना, धुलाई की व्यवस्था करना, कचरे के अतिरिक्त डिब्बे रखवाना, नालियों की मरम्मत करवाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं जिनमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं। यात्री सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार के लिए वर्ष 2000–2001 में 200 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष से 53.85% अधिक है और इस शीर्ष के अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक आबंटन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

***63. डॉ. सी. कृष्णन :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के नाम क्या हैं और इस समय उनमें राज्य–वार तथा मिल–वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन मिलों द्वारा मिल–वार कितना लाभ अर्जित किया गया और कितनी हानि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार रुग्ण अथवा बंद घोषित की गई मिलों के नाम क्या हैं;

(घ) रुग्ण मिलों को बंद किए जाने के कारण कितने कामगार प्रभावित हुए हैं और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया और कितनों ने इसे अपनाया एवं उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार/मिल–वार इस पर कितना धन व्यय हुआ;

(च) वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में क्या–क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(छ) बंद मिलों को पुनः चालू करने और रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है और मिलवार इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 30.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी. के अधीन 119 वस्त्र मिलें हैं और इनमें 82,213 कर्मचारी कार्यरत हैं। 30.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार "नामावली" में कर्मचारियों के राज्यवार और मिलवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) सहायक निगम (और न कि मिलें) कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं और इसलिए सहायक निगमों के लिए लेखा परीक्षित तुलन–पत्र बनाये जाते हैं। तथापि, मिलें लाभ/हानि संबंधी विवरण–पत्र बनाती हैं। वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान निवल लाभ/हानि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) एन.टी.सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 अर्थात् एन.टी.सी. (एस. एम.) लि., एन.टी.सी. (एम.एन.) लि., एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) लि. एन.टी.सी. (डी.पी. एण्ड आर.) लि., एन.टी.सी. (यू.पी.) लि., एन.टी.सी. (गुजरात) लि., एन.टी.सी. (एम.पी.) लि. और एन.टी.सी. (डब्ल्यू. बी.ए.बी. एण्ड ओ.) लि. के मामले वर्ष 1992–94 के दौरान बी. आई. एफ.आर. को भेजे गए थे, जिसने उन्हें रुग्ण घोषित किया है। एन.टी.सी. की केवल 1 मिल अर्थात् एन.टी.सी. (डी.पी. एण्ड आर.) लि. की एकक, अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध दायर की गई जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार 31.1.1997 से बंद कर दिया गया है।

(घ) माननीय न्यायालय के निदेश के अनुसार मिल के बंद होने से प्रभावित अजुध्या टेक्सटाइल मिल के 851 कमचारियों को पर्याप्त मुआवजा अदा किया गया है।

(ङ) राज्य–वार और मिल–वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) लोक उद्यम विभाग ने 5.5.2000 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में संशोधन किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के संबद्ध उद्धरण संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(छ) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में बंद की गई अजुध्या टेक्सटाइल मिल को छोड़कर एन.टी.सी. की कोई मिल बंद नहीं है। तथापि, प्रचालन के अर्थक्षम न होने के कारण कुछ मिलों में उत्पादन के क्रियाकलाप बंद हैं। सरकार इन मिलों के कर्मचारियों के वेतन/मजदूरियों का भुगतान करने के लिए एन.टी.सी. (धारक कंपनी) को निधियां जारी कर रही है।

सरकार अधिकतम संख्या में अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार के लिए एन.टी.सी. मिलों के लिए अपने दृष्टिकोण को अंतिम रूप दे रही है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण-I

30.6.2000 की स्थिति अनुसार नामावली पर राज्यवार, मिलवार कर्मचारी कमचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण–पत्र

एन.टी.सी.

क्रम सं.	मिलों का नाम	30.6.2000 की स्थिति अनुसार कर्मचारियों की संख्या (अनंतिम)
1	2	3
एन.टी.सी. (डीपीआर) लि.		
पंजाब		
1	दयालबाग स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	540
2	खरर टैक्सटाइल मिल्स	808
3	पानीपत वूलन मिल्स	683
4	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	634
	उपयोग	2665
राजस्थान		
5	एडवार्ड मिल्स	
6	महालक्ष्मी मिल्स	442
7	श्री विजय कॉटन मिल्स	532
8	उदयपुर काटन मिल्स	535
	उप–योग	1836
	उप–योग एनटीसी (डीपीएंडआर)	4501
एनटीसी (म.प्र.) लि.		
9	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	1389
10	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	1165
11	हीरा मिल्स	991
12	इंदौर मालवा युनाइटेड मिल्स	1988
13	कल्याणमल मिल्स	1739
14	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	902
15	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	702
	उप–योग	8876

1	2	3
	एनटीसी (उ.प्र.) लि.	
16	[illegible] मिल्स	1054
[illegible]	[illegible]जली काटन मिल्स	198
	[illegible]क्ष्मीरतन काटन मिल्स	1277
	[illegible]र्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	839
20	मुंइर मिल्स	1358
21	न्यू विक्टोरिया मिल्स	1416
22	रायबरेली टैक्सआइल मिल्स	345
23	श्री विक्रम काटन मिल्स	555
24	स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ	679
	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	1357
26	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	1353
	उप–योग	10431
	एनटीसी (साउथ महाराष्ट्र) लि.	
27	[illegible] टैक्सटाइल मिल्स	936
28	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	233
29	वरसी टैक्सटाइल मिल्स	389
30	भारत टैक्सटाइल मिल्स	959
31	चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स	979
32	धुले टैक्सटाइल मिल्स	897
33	दिग्विजय टैक्टाइल मिल्स	1052
34	एलफिस्टर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	828
35	फिनले मिल्स	1445
36	गोल्ड मोहर मिल्स	1154
37	जू[illegible] टैक्सटाइल मिल्स	881
38	मुंबई टैक्सटाइल मिल्स	922
39	नांदेढ़ टैक्सटाइल मिल्स	699
40	न्यू सिटी आफ बोम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	1262
41	न्यू हिंद टैक्सटाइल मिल्स	997
42	पोद्दार प्रोसेसर्स	496
43	श्री मधुसूदन मिल्स	662
	उप–योग	14791
	एनटीसी (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	
44	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	1598
45	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2	940
46 & 47	इंडिया यूनाइटेड मिल्स 3 व 4	1438
48	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	753
49	इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाईवर्क्स	474
50	जाम मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स	796
51,52,53	कोहिनूर मिल्स नं. 1, 2 तथा 3	805
54	पोद्दार मिल्स	1130
55	मार्डन मिल्स	1471
56	आर.बी.बी.ए. मिल्स	955
57	आर.एस.आर.जी. मिल्स	664
58	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	587
59	श्री सीताराम मिल्स	406
60	टाटा मिल्स	1514
61	विदर्भ मिल्स	566
	उप–योग	14097
	कुल महाराष्ट्र	28888
	एनटीसी (गुजरात) लि.	
62	अहमदाबाद जूपीटर टैक्सटाइल मिल्स	1095

1	2	3
63	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स	1246
64	माढ़ी टैक्सटाइल मिल्स	805
65	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	1194
66	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	801
67	न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स	854
68	पेटलड टैक्सटाइल मिल्स	394
69	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	320
70 & 71	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स 1 व 2	1371
72	वीरंगम टैक्सटाइल मिल्स	811
	उपयोग	8891
एन.टी.सी.(एपीकेकेएम) लि.		
आंध्र प्रदेश		
73	अदनी काटन मिल्स	118
74	अनंतपुर काटन मिल्स	299
75	आजमजाही मिल्स	539
76	नटराज स्पिनिंग मिल्स	73
77	नेठा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	143
78	तिरूपति काटन मिल्स	97
	उप–योग	1269
कर्नाटक	**मिनर्वा में शामिल**	
79	एमएसके मिल्स	780
80	मिनर्वा मिल्स	2099
81	मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	
82	श्री यालम्मा काटन मिल्स	322
	उप–योग	3201
केरल		
83	अलगप्पा टैक्सटाइल मिल्स	890

1	2	3
84	केन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कैन	445
85	केरला लक्ष्मी मिल्स	608
86	पार्वती मिल्स	1045
87	विजय मोहनी मिल्स	399
	उप–योग	3387
पांडिचेरी		
88	केन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स माहे	531
	उप–योग	8388
एपीकेकेएंड एम		
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि.		
तमिलनाडु		
89	बलरामवर्मा टैक्सटाइल मिल्स	318
90	कम्बोडिया मिल्स	651
91	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स	712
92	कृष्णा बेनी टैक्सटाइल मिल्स	311
93	ओमपराशक्ति मिल्स	431
94	पंकज मिल्स	508
95	पायोनियर स्पिनर्स मिल्स	344
96	श्री रंगविलास स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	685
97	सोमसुन्दरम मिल्स	690
98	कालेश्वरर मिल्स "बी" यूनिट	517
	उप–योग	5167
एनटीसी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) लि.		
असम		
99	एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज	266
बिहार		
100	बिहार कोआपरेटिव वीवर्स स्पिनिंग मिल्स	201

1	2	3
101	गया काटन एंड जूट मिल्स	508
	उप–योग	709
उड़ीसा		
102	उड़ीसा काटन मिल्स	406
पश्चिम बंगाल		
103	आरती काटन मिल्स	184
104	बंगाश्री काटन मिल्स	175
105	बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स नं. 1	338
106	बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स नं. 2	141
107	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	404
108	मनिन्द्रा बीटी मिल्स	237
109	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	225
110	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स	157
111	रामपुरिया काटन मिल्स	376
112	सेंट्रल काटन मिल्स	532
113	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	468
114	सोघपुर काटन मिल्स	212
	उप–योग	3449
	सहायक निगम (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) कुल	4790
एनटीसी (होल्डिंग कंपनी)		
पांडिचेरी		
115	स्वदेशी काटन मिल्स	469
116	श्री भारती मिल्स	505
	उप–योग	974
कोयम्बटूर		
117	श्री शारदा मिल्स	403
118	कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	585
119	कालेश्वरर मिल्स "ए" यूनिट	319
	उप–योग	1307
	उप–योग होल्डिंग कंपनी	2281
	कुल योग	82213

विवरण-II

राज्य–वार, मिल–वार, निवल लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण–पत्र 1997–98, 1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान एन टी सी

रु. करोड़ में

क्रम सं.	मिलों का नाम	लाभ/हानि		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
		24	25	
एनटीसी (डीपीआर) लि.				
पंजाब				
1.	दयालबाग स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	–4.28	–5.40	–6.01
2.	खरर टैक्सटाइल मिल्स	–1.84	–3.89	–5.03

1	2	3	4	5
3.	पानीपत वूलन मिल्स	–4.67	–7.3	–7.67
4.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	–2.24	– 4.66	– 4.57
राजस्थान				
5.	एडवर्ड मिल्स	–3.46	–4.99	–5.14
6.	महालक्ष्मी मिल्स	–3.07	–4.3	–4.82
7.	श्री विजय काटन मिल्स	–2.9	–3.74	–3.81
8.	उदयपुर काटन मिल्स	–2.12	–3.81	–4.24
एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.				
9.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	–13.34	–16.34	–20.36
10.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	–9.9	–11	–13.05
11.	हीरा मिल्स	–10.74	–10.02	–10.89
12.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	–13.51	–15.35	–18.47
13.	कल्याणमल मिल्स	–12.57	–13.71	–16.1
14.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	–8.65	–10.86	–12.5
15.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	–7.83	–8.84	–10.35
एन टी सी (उ. प्र.) लि.				
16.	एथर्टन मिल्स	–8.81	–10.4	–11.55
17.	बिजली काटन मिल्स	–2.5	–2.66	–4.34
18.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	–12.23	–13.71	–16.12
19.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	–6.89	–7.33	–7.79
20.	माईर मिल्स	–17.64	–16.3	–18.4
21.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	–15.6	–17.54	–18.93
22.	रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स	–2.37	–3.25	–5.61
23.	श्री विक्रम काटन मिल्स	–3.01	–4.15	–4.4
24.	स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ	–3.17	–4.27	–4.89
25.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	–17.89	–19.72	–22.47
26.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	–11.11	–14.95	–19.91

1	2	3	4	5
एन टी सी (साउथ महाराष्ट्र) लि.				
27.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	-8.12	-9.79	-12.64
28.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	-1.57	-2.82	-2.44
29.	बरसी टैक्सटाइल मिल्स	-0.41	-1.33	-1.4
30.	भारत टैक्सटाइल मिल्स	-8.86	-10.93	-12.03
31.	चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स	-3.23	-5.19	-5.45
32.	धुले टैक्सटाइल मिल्स	-6.08	-7.93	-6.99
33.	दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स	-14.13	-16.86	-15.77
34.	एल्फिशटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	-9.09	-10.08	-11.42
35.	फिनले मिल्स	-10.34	-13.73	-15.09
36.	गोल्डमोहर मिल्स	-8.59	-9.76	-10.01
37.	जूपीटर टैसटाइल मिल्स	-11.8	-13.92	-16.23
38.	मुंबई टैक्सटाइल मिल्स	-10.32	-13.07	-14.74
39.	नादेड़ टैक्सटाइल मिल्स	-5.99	-7.28	-6.75
40.	न्यू सिटी आफ बोम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	-7.97	-11.55	-11.21
41.	न्यू हिंद टैक्सटाइल मिल्स	-11.8	-13.26	-15.35
42.	पोद्दार प्रोसेसर्स	-7.35	-6.71	-7.9
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	-5.78	-7.01	-8.02
एन.टी.सी. (महाराष्ट्र नार्थ) लि.				
44.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	-18.2	-19.48	-20.5
45.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2	-10.7	-13.45	-13.78
46 & 47	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 3 व 4	-15.29	-21.07	-22.14
48.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	-8.44	-10.94	-11.73
49.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स, डाई वर्क्स	-7.55	-8.66	-9.57
50.	जाम मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स	-7.02	-9.16	-9.09
51, 52, 53	कोहिनूर मिल्स नं. 1, 2 व 3	-22.91	-13.51	-13.96
54.	पोद्दार मिल्स	-8.91	-12.96	-11.01

1	2	3	4	5
55.	माडल मिल्स	15.58	–18.44	–21.73
56.	आर बी बी ए मिल्स	–5.13	–7.29	–8.59
57.	आर एस आर जी मिल्स	–5.34	–6.3	–6.6
58.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	–3.93	–4.57	–4.67
59.	श्री सीताराम मिल्स	–7.38	–9.53	–6.6
60.	टाटा मिल्स	–12.23	–18.15	–16.55
61.	विघर्वा मिल्स	–6.72	–6.37	–6.62
एन टी सी (गुजरात) लि.				
62.	अहमदाबाद जूपीटर टैक्सटाइल मिल्स	–10.48	–12.56	–15.22
63.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स	–9.88	–12.49	–14.8
64.	हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स	–7.33	–8.33	–10.99
65.	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	–13.14	–14.97	–18.19
66.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	–7.83	–9.55	–11.95
67.	न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स	–8.59	–10.01	–11.85
68.	पेटलेड टैक्सटाइल मिल्स	–4.23	–5.1	–5.99
69.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	–3.05	–3.49	–4.3
70 & 71	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं. 1 व 2	–11.69	–15.22	–17.3
72.	वीरंगम टैक्सटाइल मिल्स	–6.61	–7.96	–9.38
एन टी सी (एपीकेकेएंड एम) लि.				
आंध्र प्रदेश				
73.	अदोनी काटन मिल्स	–1.5	–1.44	–1.6
74.	अनंतपुर काटन टैक्सटाइल मिल्स	–4.32	–3.77	–4.2
75.	आजमजाही मिल्स	–5.63	–7.32	–8.49
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	–3.25	–3.58	–4
77.	नेथा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	–1.72	–1.77	–2.2
78.	तिरूपति काटन मिल्स	–3.3	–2.99	–3.85

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
79.	एम.एस.के. मिल्स	-7.12	-9.51	-10.34
80.	मिनर्वा मिल्स	-9.1	-11.61	-13.27
81.	मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स	-5.63	-7.33	-8.41
82.	श्री यलम्मा काटन मिल्स	-3.7	-4.24	-4.9
केरल				
83.	अलगप्पा काटन मिल्स	-2.5	-4.43	-3.74
84.	केन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, केन	-0.76	-0.58	-0.92
85.	केरल लक्ष्मी मिल्स	-2.19	-3.09	-2.29
86.	पार्वती मिल्स	-7.89	-10.25	-9.25
87.	विजय मोहनी मिल्स	-1.72	-2.73	-3.07
पांडिचेरी				
88.	कानपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स माहे	-1.83	-1.82	-1.19
एन टी सी (टी एंड पी) तमिलनाडु				
तमिलनाडु				
89.	बलरामवर्मा टैक्सटाइल मिल्स	-1.51	-2.58	-1.78
90.	कम्बोडिया मिल्स	0.03	-3.6	-3.59
91.	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स	-0.52	-3.49	-3.43
92.	कृष्णाबेनी टैक्सटाइल मिल्स	-1.23	-3	-3.23
93.	ओमपराशक्ति मिल्स	-1.08	-2.74	-1.97
94.	पंकज मिल्स	-0.1	-2.57	-2.94
95.	पायोनियर स्पिनर्स मिल्स	0.32	-1.37	-1.39
96.	श्री रंगाबिलास स्पि.एंड़ विविंग मिल्स	0.1	-2.6	-2.4
97.	सोमासुन्दरम मिल्स	-1.64	-4.13	-3.3
98.	कालेश्वरर मिल्स "बी" यूनिट	0.18	-1.89	-1.61

1	2	3	4	5
एन टी सी (डब्लयू बी ए बी एंड ओ) लि.				
असम				
99.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	–6.13	–4.26	–3.42
बिहार				
100.	बिहार कोआपरेटिव वीवर्स सिपनिंग मिल्स	–3.23	–3.39	–4.58
101.	गया काटन एंड जूट मिल्स	–4.91	–5.4	–6.77
उड़ीसा				
102.	उड़ीसा काटन मिल्स	–5.98	–3.87	–5.24
पश्चिम बंगाल				
103.	आरती काटन मिल्स	–4.78	–3.42	–4.13
104.	बंगाश्री काटन मिल्स	–2.76	–3.04	–3.85
105.	बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स नं. 1	–9.28	–6.6	–6.85
106.	बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स नं. 2	–2.26	–1.78	–2.46
107.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	–7.31	–7.94	–8.51
108.	मनिन्द्रा बी टी मिल्स	–5.12	–4.94	–5.92
109.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	–2.8	–3.06	–3.59
110.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	–6.18	–4.82	–4.79
111.	रामपुरिया काटन मिल्स	–8.61	–8.12	–8.57
112.	सेंट्रल काटन मिल्स	–9.97	–10.55	–11.65
113.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	–6.93	–8.16	–9.21
114.	सोदेपुर काटन मिल्स	–3.07	–2.66	–3.13
एनटीसी (होल्डिंग कंपनी)				
पांडिचेरी				
115.	स्वदेशी काटन मिल्स	–7.33	–6.98	–5.85
116.	श्री भारती मिल्स	–8.89	–6.95	–5.78
कोयम्बटूर				
117.	श्री शारदा मिल्स	–4.21	–6.41	–5.03
118.	कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	–13.17	–12.48	–11.4
119.	कालेश्वरर मिल्स "ए" यूनिट	–6.52	–9.08	–9.91

विवरण-III

राष्ट्रीय वस्त्र निगम

दिनांक 1.4.97 से 31.3.2000 तक वी आर एस के लिए निधियों का उपयोग

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	मिल का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		कर्मचारियों की सं.	राशि	कर्मचारियों की सं.	राशि	कर्मचारियों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
एनटीसी (एपीकेकेएम)							
क.	**आन्ध्र प्रदेश**						
1.	अदोनी मिल्स	11	15.92	0	0.44	3	5.62
2.	अनंतपुर मिल्स	164	161.33	4	5.96	8	11.74
3.	अजजाही	79	57.61	19	30.82	86	126.01
4.	नटराज	19	15.93	0	0	10	10.93
5.	नेथा मिल्स	53	65.02	10	18.1	2	7.65
6.	त्रिरूपति मिल्स	58	90.33	1	1.67	4	18.02
	उपयोग –क	384	406.14	34	56.99	113	179.97
ख.	**कर्नाटक**						
7.	मिनर्वा मिल्स	71	74.1	101	134.35	86	127.57
8.	एम एस के मिल्स	36	42.88	43	54.95	71	89.95
9.	मैसूर मिल्स	24	25.98	29	33.53	22	29.36
10.	श्री येलम्मा	19	20.07	2	5.8	4	4.56
	उप–योग–ख	150	163.03	175	228.63	183	251.44
ग	**केरल**						
11.	अलगप्पा मिल्स	0	0	0	0	0	0
12.	कन्नौर स्पि. मिल्स	0	0	0	0	0	0
13.	केरल लक्ष्मी मिल्स	0	0	0	0	0	0
14.	परवाथी मिल्स	0	0	0	0	0	0
15.	विजय मोहिनी मिल्स	0	0	0	0	23	42.72
	उप–योग–ग	0	0.00	0	0.00	23	42.72

1	2	3	4	5	6	7	8
घ.	**पाण्डिचेरी**						
16.	माहे मिल्स	0	0	0	0	0	0
ङ	एचओ/आर एम डी	8	37.33	25	61.12	31	80.91
	कुल (क+ख+ग+घ)	542	606.50	234	346.74	350	555.04
एनटीसी (डीपीआर)							
ख	**पंजाब**						
17.	खरर टेक्स. मिल्स	0	0	0	0	1	8.65
18.	सूरज टेक्सटाईल मिल्स	1	2.26	1	0.75	12	10.06
19.	दयालबाग मिल्स	36	24.5	5	9.83	1	1.32
20.	पानीपत बुलन	37	24.84	32	29.62	31	38.35
	उप–योग–ख	74	51.60	38	40.20	45	58.38
ग.	**राजस्थान**						
21.	श्री बिजय कॉटन	1	1.01	8	11.27	1	1.4
22.	उदयपुर कॉटन मिल्स	0	0	0	0	2	12.99
23.	एडवार्ड मिल्स	27	23.42	41	26.84	56	57.96
24.	महालक्ष्मी	43	42.11	17	28.39	36	43.34
	उप–योग–ग	71	66.54	66	66.50	95	115.69
घ	**एचओ/आर एम डी**	13	21.63	5	14.03	16	64.05
	कुल (क+ख+ग)	158	139.77	109	120.73	156	238.12
एनटीसी (गुजरात)							
25.	अहमदाबाद न्यू टेक्स.	17	20.22	10	26.09	21	38.61
26	अहमदाबाद जुपिटर	13	12.75	6	20.91	16	33.05
27	हिमाद्री टेक्सटाईल मिल्स	12	11.6	13	25.37	29	79.82
28	जहांगीर मिल्स	122	139.15	61	98.2	91	163.11
29	महालक्ष्मी	16	24.57	20	13.01	41	48.62
30	न्यू माणक चौक	43	47.1	27	51.92	55	89.1
31	पेटलाड	27	7.91	11	13.53	6	5.2

1	2	3	4	5	6	7	8
32	राजकोट	17	15.15	5	5.28	9	14.79
33	राजनगर–1	25	28.43	43	70.87	39	65.43
34	रायनगर – 2	0	0	0	9	0	0
35	विरामगाव	20	14.69	35	41.28	23	42.79
	एच ओ/आर एम डी	6	8.44	7	27.27	4	24.88
	कुल	318	330.01	238	402.73	334	605.40
एन टी सी (एम पी)							
36	बंगाल नागपुर मिल्स	79	89.93	12	17.22	106	164.28
37	बुरहानपुर ताप्ती	227	162.4	29	53.2	72	101.83
38	हीरा मिल्स	283	255.82	48	61.11	18	26.08
39	इन्दौर मालवा	170	166.77	37	41.13	102	130.36
40	कल्याणमल	123	105.23	24	28.02	39	47.69
41	न्यू भोपाल मिल्स	1	1.67	6	11.65	35	35.23
42	स्वदेशी इन्दौर	70	67.82	28	31.71	56	87.16
	एचओ/आरएमडी	10	14.12	7	25.83	5	27.95
	कुल	963	863.76	191	269.87	433	620.58
महाराष्ट्र							
एनटीसी (एम एन)							
43	इन्दु मिल्स न. 1	124	216.29	94	173.54	82	149.96
44	इन्दु मिल्स न. 2	17	32.2	70	122.93	42	76.97
45	इन्दु मिल्स न. 3	42	79.74	165	344.36	79	166.08
46	इन्दु मिल्स न. 4	0	0	0	0	0	0
47	इन्दु मिल्स न. 5	22	36.46	45	91.07	22	46.22
48	इन्दु मिल्स न. 6	24	44.35	38	91.69	24	56.37
49	जाम मिल्स	20	24.89	88	157.23	31	65.9
50	कोहिनूर न. 1	45	75.08	81	131.5	80	162.09
51	कोहिनूर न. 2	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
52	कोहिनूर न. 3	0	0	0	0	0	0
53	मॉडल मिल्स	160	181.35	106	149.79	160	245.87
54	पोद्दार मिल्स	47	77.92	187	350.26	50	85.01
55	आर बी बी ए मिल्स	42	41.82	22	31.19	86	125.4
56	आर एस आर जी अकोला	90	92.24	77	76.63	42	54.13
57	सवतरम मिल्स	44	32.69	19	17.48	7	5.13
58	सिताराम मिल्स	27	54.02	102	178.96	19	41.64
59	टाटा मिल्स	45	86.65	78	205.93	34	84.17
60	विदर्भ मिल्स	190	216.5	64	65.69	37	41.16
	एचओ/आर एम डी	1	2.37	3	16.66	4	26.2
	कुल	940	1294.57	1239	2204.91	799	1432.30
एनटीसी (एस एम)							
61	अपोलो मिल्स	40	72.77	27	52.03	62	130.15
62	औरंगाबाद मिल्स	0	0	75	81.65	9	13.78
63	वरषी मिल्स	0	0	0	0	0	0
64	भारत मिल्स	21	30.35	28	40.95	19	32.03
65	चालिसगांव मिल्स	74	61.14	53	58.94	34	36.24
66	धुले मिल्स	140	88.33	183	175.1	32	26.77
67	दिग्विजय मिल्स	111	132.82	180	273.74	93	163.25
68	ईलफिनस्टन मिल्स	52	88.5	42	79.37	32	63.72
69	फिनले मिल्स	53	84.12	154	289.05	107	212.24
70	गोल्ड मोहर मिल्स	52	115.82	23	48.1	37	34.35
71	जुपिटर मिल्स	33	49.63	32	67.77	48	106.46
72	मधुसूदन मिल्स	15	23.6	23	41.31	23	42.83
73	मुम्बई मिल्स	27	32.46	43	68.2	25	36.73
74	ननदेद मिल्स	67	87.5	93	118.73	25	43.8
75	न्यू सिटी मिल्स	90	140.25	137	271.65	53	107.53

1	2	3	4	5	6	7	8
76	न्यू हिंद मिल्स	45	46.22	42	48.01	34	51.81
77	पोददार प्रोसेस	120	185.72	37	71.76	18	37.97
	एचओ./आर एम डी	1	1.97	1	5.25	2	9.96
	कुल	941	1241.20	1173	1791.61	653	1149.62
एन टी सी (टी एन पी)							
तमिलनाडु							
78	मालाराम वर्मा मिल्स	0	0	3	14.57	1	1.7
79	सी एस एण्ड डब्ल्यू	354	474.12	227	302.09	46	65.61
80	कम्बोडिया मिल्स	0	0	2	10.89	1	5.26
	कोयम्बटुर मुरुगन	1	2.47	41	94.69	28	55.89
82	कालीश्वरर –क	82	88.52	64	89.64	94	149.24
83	कालीश्वरर – ख	0	0	5	23.22	0	0
84	कृष्णावेणी मिल्स	0	0	2	14.06	0	0
85	ओमपारसक्थी मिल्स	0	0	2	11.54	1	1.49
86	पंकज मिल्स	0	0	1	5.66	2	3.77
87	पॉयनियर मिल्स	1	1.61	1	4.29	1	3.78
88	सोमसुन्दरम मिल्स	1	7.26	5	17.73	0	0
89	श्री रंगु विलास मिल्स	3	0	3	9.98	3	7.01
	एच ओ/आर एम डी	8	10.5	34	90.09	29	57.38
	कुल	450	584.48	390	688.45	206	351.13
एन टी सी (यू पी)							
90	अथर्टन	114	116.07	96	123.52	39	61.55
91	बिज़ली कॉटन मिल्स	0	0	13	9.34	145	161.39
92	लक्ष्मी रतन मिल्स	155	154.92	82	104.92	70	112.96
93	लॉर्ड कृष्णा	152	122.49	107	124.71	17	23.49
94	मयूर मिल्स	180	169.38	77	85.22	48	55.15
95	न्यू विक्टोरिया	8	3.82	154	189.39	42	59.4
96	रायबरेली मिल्स	0	0	0	0	190	237.97

1	2	3	4	5	6	7	8
97	श्री विक्रम मिल्स	4	2.02	27	34.82	22	21.57
98	स्वदेशी कानपुर	69	311.88	163	268.07	93	183.42
99	स्वदेशी मिल्स, मऊ	188	0	0	0	0	0
100	स्वदेशी नैनी	0	0	69	100.17	296	431.89
	एच ओ/आर एम डी	0	0	1	2.34	2	4.49
	कुल	870	880.58	789	1042.50	964	1353.28
एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ)							
क असम							
101	एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज	310	392.79	1	2.37	1	4.91
ख बिहार							
102	बिहार कोऑपरेटिव	15	22.74	6	7.67	1	1.15
103	गया कॉटन मिल्स	28	35.43	31	42.53	3	11.65
	उप–योग–ख	43	58.17	37	50.20	4	12.80
ग उड़ीसा							
104	उड़ीसा कॉटन मिल्स	235	236.97	22	12.98	40	42.36
घ प. बंगाल							
105	आरती कॉटन मिल्स	172	178.58	1	1.71	16	21.7
106	बंग श्री	11	17.99	0	0	2	2.01
107	बंगाल फाइन – 1	221	262.11	1	1.52	10	18.65
108	बंगाल फाइन – 2	29	45.66	1	1.86	1	1.83
109	बंगाल लक्ष्मी	35	45.06	1	1.75	9	6.74
110	सैन्ट्रल कॉटन	130	164.76	23	43.51	65	110.56
111	ज्योती विविंग	16	18.2	5	8.04	11	16.54
112	लक्ष्मी नारायण	166	173.62	2	1.54	7	8.33
113	मनीद्रा बी.टी.	54	76.03	10	14.46	11	16.04
114	रामपुरिया	58	62.15	52	58.39	49	67.99
115	सौदपोर मिल्स	75	84.49	1	8.18	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
116	श्री महालक्ष्मी	42	61.22	13	20.38	43	94.58
	उप–योग–घ	1009	1189.87	110	161.34	224	364.97
ङ	एच ओ/आर एम डी	13	25.47	1	48.39	25	120.69
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	1610	1903.27	171	275.28	294	545.73
एन टी सी लि.							
क तमिलनाडु							
117	शारदा मिल्स	172	266.37	170	312.25	38	82.25
ख पाण्डिचेरी							
118	श्री भारती	291	434.23	98	166.06	34	69.82
119	स्वदेशी कॉटन	149	221.86	50	93.71	29	65.9
		440	656.09	148	259.77	63	135.72
	एच ओ. स्टॉफ कॉलेज	1	6	1	5.05	8	43.27
	कुल (एन टी सी) धारक को	613	928.24	319	577.07	109	261.24
	कुल योग	7405	8772.38	4853	7719.89	4298	7112.44

विवरण-IV

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन के उद्धरण

पैरा – 3 : ऐसे उद्यम जो कि मामूली लाभ कमाते हैं अथवा घाटे में चल रहे उद्यम, गुजरात राज्य में विद्यमान योजना के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की संशोधित योजना को अपना सकते हैं। इस योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1) मुआवजे में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन और अधिवार्षिता तक छोड़ी गई बकाया सेवा के 25 दिनों के लिए वेतन शामिल होंगे। यह मुआवजा न्यूनतम 25,000 रुपए अथवा 250 दिन के वेतन, इसमें से जो भी अधिक हो, के अध्यधीन होगा। तथापि, यह मुआवजा अधिवार्षिता से पूर्व छोड़ी गई शेष अवधि के लिए प्रचलित स्तर पर कर्मचारियों द्वारा लिये जाने वाले वेतन की राशि से अधिक नहीं होगा।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रयोजन के लिए वेतन में केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता ही शामिल होंगे।

(3) संशोधन आदि के कारण मजदूरियों के बकाया को पात्र राशि का परिकलन करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) बोनस का भुगतान बोनस अधिनियमों के उपबंधों के अधीन होना चाहिए। आकस्मिक अवकाश की नकद राशि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की तारीख तक समानुपातिक रूप से प्राप्त की जा सकती है।

पैरा – 5 : रुग्ण और गैर–अर्थक्षम एककों के लिए भारी उद्योग विभाग के वी.एस.एस. पैकेज को अपनाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप वी.एस.एस. योजना को गुजरात पैटर्न के अनुरूप बनाया जा सकता है और इसे भी उपर्युक्त पैरा–3 के अनुसार लागू किया जा सकता है। तथापि, कर्मचारियों को पेशकश करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर वी.एस.एस. को अपनाना होगा। ऐसा न करने पर वे केवल छंटनी संबंधी मुआवजे के लिए ही पात्र होंगे। वी.एस.एस. के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1) एक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 45 दिनों की परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से

पूर्व छोड़ी गई सेवा के अधिशेष महीनों द्वारा बहुगुणन की गई मासिक परिलब्धियों के समान, इनमें से जो भी कम हो, की अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 30 वर्ष से अनधिक सेवा पूरी की है, अधिकतम 60 (साठ) महीनों के वेतन/मजदूरी का मुआवजा प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह राशि छोड़ी गई अधिशेष सेवा अवधि के लिए (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन/मजदूरी की दर से) उसके वेतन/मजदूरी से अनधिक नहीं होगी।

विद्युत उत्पादन में निजी निवेश

***64. श्री चिंतामन वनगा :**
श्री जय प्रकाश :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क में निजी निवेश आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निजीकरण की नीति के बाद प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक देश के केवल कुछ ही भागों में निजी निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित नीति की घोषणा सरकार द्वारा अक्टूबर, 1991 में की गई थी। विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 22) का अधिनियमन हो जाने के बाद पारेषण के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र का निवेश किया जाना संभव हो गया है। पारेषण को अब एक पृथक व्यापारिक कार्य के रूप में अभिज्ञात किया गया है और केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी अर्थात् पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड) की समग्र देख–रेख और नियंत्रण के अंतर्गत निजी पार्टियां भी पारेषण कारोबार में प्रवेश कर सकती हैं।

(ख) 30.6.2000 की स्थितिनुसार कुल मिलाकर 38133.9 मे.वा. क्षमता के लिए 76 निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/प्रस्ताव तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में प्राप्त हुई है। इनमें से कुल मिलाकर 29362.3 मे.वा. क्षमता के लिए 57 परियोजनाओं को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

(ग) और (घ) अब तक विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र परियोजनाएं आरंभ हो गई है या निर्माणाधीन हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं, जो अब तक चालू हो चुकी हैं, उनकी एक सूची विवरण–I में दी गई है। जिन परियोजनाओं ने निर्माण आरंभ कर दिया है, उनकी एक सूची विवरण-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ और परियोजनाओं, जिनके लिए के. वि. प्रा. की सहमति अपेक्षित नहीं है, भी चालू की गई हैं/इन्होंने निर्माण कार्य आरंभ कर दिया।

जहां तक वितरण क्षेत्र का संबंध है निजी कम्पनियां जैसे कलकत्ता में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, अहमदाबाद में अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी, मुम्बई में टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी और बम्बई सेंब–अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (बीएसईएस) तथा नौएडा में नौएडा पावर कम्पनी पहले से ही प्रचालन कार्य कर रही है। बीएसईएस ने तीन क्षेत्रों की जिम्मेवारी ले ली है जबकि संयुक्त राज्य (यूएस) की मै. एईएस लिमिटेड ने केन्द्रीय क्षेत्र की जिम्मेवारी ग्रहण कर ली है।

विवरण–I

के. वि. प्रा. की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णतः चालू हो चुकी हैं।

क्र. स.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
1.	पगुथन सीसीजीटी (मै. गुजरात पावर जेनरेशन एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड)	654.7
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.)	515.0
3.	बडौदा सीसीजीटी (मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लि.)	167.0
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लिमिटेड)	250.0
महाराष्ट्र		
5.	डाभोल सीसीजीटी –चरण–I (मै. डाभोल पावर कं.)	740

1	2	3
आंध्र प्रदेश		
6.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि.)	216
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड)	208
कर्नाटक		
8.	तोरांगल्लू टीपीएस मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड)	260
तमिलनाडु		
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएपआर वासवी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड)	200
	कुल	3210.70

विवरण-II

केविप्रा की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मै.वा.)	प्रवर्तक
निजी विद्युत परियोजनाएं			
आंध्र प्रदेश			
1.	कोंडापल्ली सीसीजीटी	350	मै. कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन
2.	वेमागिरि सीसीजीटी (नापथा)	492	मै. इस्पात पावर लिमिटेड
बिहार			
3.	जोजोबेरा टीपीपी	240	मै. जमशेदपुर पावर कम्पनी
हिमाचल प्रदेश			
4.	मलाना एचईपी	86	मै. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
5.	बास्पा–2 एचईपी	300	मै. जयप्रकाश हाइड्रो पावर लिमिटेड
मध्य प्रदेश			
6.	महेश्वर एचईपी	400	मै. श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पो. लिमिटेड
महाराष्ट्र			
7.	डाभोल सीसीजीटी चरण–2	1440	मै. डाभोल पावर कंपनी
तमिलनाडु			
8.	पिल्लईपैरूमलनल्लूर सीसीजीटी	330.5	मै. पीपीएन पावर जेनरेटिंग कंपनी
9.	नैवेली टीपीपी	250	मै. एसटी–सीएमएस इलेक्ट्रिक कम्पनी
10	रामयानल्लूर डीजीपीपी	106	मै. बालाजी पावर कार्पोरेशन प्रा.
11.	समलपटटी डीजीपीपी	106	मै. समलपट्टी पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड।
		4101	

सेना की करगिल जैसी नई स्थिति पैदा होने की चेतावनी

*65. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में कश्मीर पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान और पाक–अधिकृत कश्मीर में और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित 123 प्रशिक्षण शिविरों में बड़ी संख्या में उग्रवादियों को कथित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या 2500 उग्रवादी नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार करने की फिराक में हैं;

(घ) क्या ये उग्रवादी मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों और घातक शस्त्रों से लैस हैं;

(ङ) क्या सरकार ने "आर्मी वार्नस ऑफ न्यू करगिल स्ट्राइक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की सत्यता की भी जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) हालांकि यह सभी जानते हैं कि कुछ पाक एजेंसियां आतंकवादी संगठनों को समर्थन और संरक्षण दे रही हैं जो जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु ऐसे कोई संकेत नहीं हैं जिससे यह पता चले कि पाकिस्तान निकट भविष्य में किसी प्रकार की बड़ी आक्रामक कार्रवाई करने वाला है।

ऐसी खबरें हैं कि आतंकवादी, पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 94 प्रशिक्षण शिविरों और अफगानिस्तान के कुछ शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 3000 आतंकवादियों के विविध प्रशिक्षण शिविरों/घुसपैठ कराए जाने के स्थानों में डेरा डालने की खबर है जो जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं।

घुसपैठ करने वाले गिरोहों को मुहैया करायी जाने वाली शस्त्र प्रणालियों का दर्जा भी बढ़ा दिया गया है। इन आतंकवादियों के एसाल्ट राइफल, यूनिवर्सल मशीनगन, रॉकेट लांचरों, प्रक्षेपास्त्र और विस्फोटक उपकरण जैसे अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस होने की खबर है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों की लगातार मानीटरी की जाती है तथा भारत विरोधी तत्त्वों द्वारा किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए समुचित सुरक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय–समय पर सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

आयुध डिपुओं में आग की घटनाओं की जांच

*66. **श्री चन्दनाथ सिंह :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर और आस–पास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को गोलाबारूद डिपो में आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुणे और कानपुर सहित अन्य गोलाबारूद डिपुओं या आयुध डिपुओं में तथा अन्य ऐसी आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं में से प्रत्येक घटना में कितना–कितना नुकसान हुआ;

(घ) इस सम्बन्ध में की गई प्रत्येक जांच के क्या परिणाम निकले और इनमें से प्रत्येक मामले में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इनमें से प्रत्येक घटना में आग से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गोलाबारूद डिपुओं में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) राजस्थान सरकार ने ग्रामवासियों की 39.41 लाख रुपये की निजी संपत्ति का नुकसान आंका है। इस अग्नि कांड में 13 गांवों के 235 परिवार प्रभावित हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों में गोलाबारूद/आयुध डिपुओं में निम्नलिखित दुर्घटनाएं हुई :

	यूनिट	दुर्घटना की तारीख	अनुमानित नुकसान
(1)	दप्पड़	09.10.1997	20 लाख रुपये
(2)	भरतपुर	28.04.2000	393 करोड़ रुपये
(3)	देहू रोड	03.05.2000	शून्य
(4)	कानपुर	28.05.2000	4 करोड़ रुपये

इस संबंध में की गई प्रत्येक जांच के निष्कर्ष और प्रत्येक मामले में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

गोलाबारूद डिपो, भरतपुर में अग्नि कांड में हुए हताहतों को छोड़कर और कहीं कोई भी हताहत नहीं हुआ। भरतपुर में दो हताहतों के परिवारों में से प्रत्येक को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इस दुर्घटना के कारण जख्मी हुए सिविलियनों के बारे में राजस्थान सरकार से ब्यौरा मांगा गया है।

गोलाबारूद डिपो, भरतपुर में हुई अग्निकांड दुर्घटना के पश्चात् रक्षा मंत्री ने डिपो का दौरा किया और वहां स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डिपो में अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और आस-पास के गांवों के लोगों से भी मिले। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने भी उनसे भेंट की। डिपो के अपने दौरे से लौटने के पश्चात् रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया गया कि सेना सभी तरह के गोलाबारूद को दो साल के भीतर समुचित व स्तरीय छतदार भंडारण व्यवस्था में लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गोलाबारूद डिपुओं में भेजा जाएगा जो डिपुओं की संरक्षा और सुरक्षा का निरीक्षण करेंगे तथा भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करेंगे।

विवरण

जांच अदालतों के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत् है :

(1) गोलाबारूद डिपो, दप्पड़

आग लगने का कारण : इस डिपो में आग लगने का सर्वाधिक संभावित कारण यह हो सकता है कि किसी घुसपैठिये द्वारा आग लगा दी गई हो।

अनुवर्ती कार्रवाई : डिपो की सामर्थ्य के भीतर डिपों के अन्दर व बाहर कई कारगर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अतिरिक्त रक्षा सुरक्षा कोर प्लाटून, डॉग यूनिटों, सहायक जनरेटरों, अतिरिक्त ढके हुए स्थान और अग्निशमन ट्रकों को उपलब्ध कराने के लिए मामलों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इन मामलों पर कार्रवाहियां विभिन्न चरणों पर हैं।

(2) गोलाबारूद डिपो, भरतपुर

आग लगने का कारण : गोलाबारूद डिपो, भरतपुर में हुई आग दुर्घटना पर आग के कारणों के बारे में जांच अदालत के निष्कर्ष निर्णायक नहीं हैं और इसमें आग लगने तथा तदुपरांत उसके फैलते जाने का संभावित कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट, उच्च तापमान और तेज हवाओं का चलना माना गया है।

जांच अदालत की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ (1) छतदार अतिरिक्त भंडारण के वास्ते धन का प्रावधान किए जाने की जरूरत, (2) प्रत्येक सुरक्षा चौकी और निगरानी टॉवर के लिए टेलीफोन संचार–प्रबंध की व्यवस्था किए जाने, (3) बिजली के ऊपरी केबलों की वजह से शॉर्ट सर्किट के खतरों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भूमिगत केबल बिछाए जाने, (4) घास हटाने के लिए अतिरिक्त मैकेनिकल और मोटरयुक्त उपस्कर मुहैया करवाए जाने और (5) डिपो में रखे हुए अतिरिक्त गोलाबारूद भंडार को ध्यान में रखते हुए अग्नि–शमन उपकरणों की आवश्यकता का पुनः निर्धारण करने के लिए एक नए बोर्ड का गठन किए जाने की सिफारिश की गई है।

अनुवर्ती कार्रवाई : डिपो के सामर्थ्य के भीतर उसके अन्दर व बाहर सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। रक्षा सुरक्षा कोर प्लाटूनों में वृद्धि करने, अग्निशमन ट्रकों, अग्निशमन कार्मिकों की प्राधिकृत रिक्तियों के भरने पर लगे प्रतिबंध में छूट देने के लिए मामले शुरू कर दिए गए हैं। दक्षिण कमान के जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ ने 9 सेना अफसरों और 6 सिविलियन अफसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

(3) गोलाबारूद डिपो, देहू रोड

आग लगने का कारण : अधिक गर्मी और तेज हवाओं के कारण घास में आग लग गई।

अनुवर्ती कार्रवाई : किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। घास साफ करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए एहतियाती उपाय भी किए गए हैं।

(4) केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर

जांच–अदालत की कार्रवाई चल रही है। आग लगने के कारणों, ठीक–ठीक नुकसान आदि का पता जांच अदालत की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर ही चल पाएगा।

[हिन्दी]

रूस से निवेश के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की योजना

***67. डॉ. अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में रूस द्वारा निवेश करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी, मैसर्स रोजनेफ्ट, भारत में अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी) के क्षेत्र में रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा संभव निवेश का पता लगाने के लिए परस्पर संपर्क में हैं।

रसोई गैस, पेट्रोल आदि की डीलरशिप का आबंटन

***68. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल की फुटकर और थोक डीलरशिप के आबंटन संबंधी कितने मामले राज्य–वार लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या कई वर्षों से ऐसी डीलरशिप के आबंटन के मामले, विशेष रूप से बिहार के, अनेक वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों का कब तक निपटान कर दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) फिलहाल 2873 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, 2101 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल – डीजल पम्प) तथा 392 एस के ओ –एल डी ओ (मिट्टी तेल) डीलरशिपें, डीलर चयन बोर्डों (डी.च.बो) द्वारा साक्षात्कारों के माध्यम से चयन के लिए लम्बित हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

1999 के आम चुनावों की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता के लागू किए जाने व बाद में इन बोर्डों को भंग कर दिए जाने के कारण डीलर चयन बोर्डों के काम न करने की वजह से कुछ स्थानों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन नहीं किया जा सका। अब 57 नए डीलर चयन बोर्डो का गठन किया जा चुका है जिसमें डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के शीघ्र चयन के लिए बिहार हेतु 7 बोर्ड सम्मिलित हैं। चयन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है तथा इस चरण पर लम्बित स्थानों के लिए चयन पूरा कर लिए जाने की निश्चित समय सीमा बता पाना सम्भव नहीं होगा।

विवरण

आबंटन के लिए लंबित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्य-वार संख्या तथा डीलर चयन बोर्डों (डी.च.बो.) की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन के लिए लंबित स्थानों की संख्या			योग	डी.च.बो. की संख्या
		आर ओ डीलरशिपें	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें	एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपें		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	156	197	3	356	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	7	1	11	1*
3.	असम	21	59	7	87	1
4.	बिहार	276	190	59	525	7
5.	दिल्ली	14	15	19	48	1
6.	गोवा	16	28	1	45	1
7.	गुजरात	74	163	8	245	2

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	66	78	4	148	3
9.	हिमाचल प्रदेश	28	23	2	53	1
10.	जम्मू और कश्मीर	25	16	3	44	1
11.	कर्नाटक	50	106	8	164	2
12.	केरल	39	121	11	171	2
13.	मध्य प्रदेश	150	333	23	506	4
14.	महाराष्ट्र	212	305	66	583	4
15.	मणिपुर	4	11	2	17	*
16.	मेघालय	3	7	1	11	*
17.	मिजोरम	1	6	0	7	*
18.	नागालैंड	5	6	0	11	*
19.	उड़ीसा	64	53	17	134	2
20.	पंजाब	69	98	9	176	2
21.	राजस्थान	196	151	23	370	3
22.	सिक्किम	2	0	0	2	@
23.	तमिलनाडु	93	193	13	299	4
24.	त्रिपुरा	0	12	0	12	*
25.	उत्तर प्रदेश	463	568	95	1126	10
26.	पश्चिम बंगाल	64	113	13	190	2
27.	अंडमान और निकोबार	2	6	3	11	@@
28.	चंडीगढ़	2	5	1	8	**
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	#
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	#
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	##
32.	पांडिचेरी	3	3	0	6	###
	योग	2101	2878	392	5366	57

* डीलर चयन बोर्ड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय के अंतर्गत शामिल।

@ सिक्किम, डीलर चयन बोर्ड, सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल से संबद्ध।

@@ अंडमान एवं निकोबार द्वीप, डीलर चयन बोर्ड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से संबद्ध।

** चंडीगढ डीलर चयन बोर्ड, पंजाब–II से संबद्ध।

पांडिचेरी डीलर चयन बोर्ड, चेन्नई–I, तमिलनाडु से संबद्ध।

लक्षद्वीप केरल से संबंधित डीलर चयन बोर्डों से संबद्ध।

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव गुजरात से संबंधित डीलर चयन बोर्डों से संबद्ध।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं के लिए अपीलीय अधिकरण

***69. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोर्ट मार्शल के निर्णयों को चुनौती देने वाले मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक सशस्त्र सेना अपीलीय अधिकरण बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विधि आयोग की 169वीं रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में इसकी मुख्य सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय प्रस्तावित अधिकरण के स्वरूप को अंतिम रूप देने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) विधि आयोग की सिफारिशों की सरकार ने जांच कर ली है और कोर्ट मार्शल के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए तथा सशस्त्र सेना कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में न्याय–निर्णयन के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण गठित किए जाने पर सरकार सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है।

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

***70. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
डॉ. जसवंत सिंह यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में और विशेष रूप से राजधानी में पेट्रोल पम्प मालिक तेल कम्पनियों की मिलीभगत से पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिलावटयुक्त पेट्रोल बेचने में अब तक लिप्त पाए गए पेट्रोल पम्पा की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक राज्य–वार कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों की तेल कंपनियों के साथ सांठ-गांठ तोड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) सरकार को राजधानी सहित देश भर में पेट्रोल और डीजल की मिलावट में संलिप्त होने वाले पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ तेल कंपनियों की कथित मिलीभगत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों की रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त तेल कंपनियों द्वारा अपने आप और सरकारी निर्देशों के अंतर्गत भी समय-समय पर विशेष अभियान कदाचारों की रोकथाम करने के लिए चलाए जाते हैं। इसके अलावा मिलावट की रोकथाम करने के लिए मिट्टी तेल (पी डी एस) को नीला रंगने, परफरल डोपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करने जैसे विभिन्न उपाय भी तेल कंपनियों द्वारा किए जाते हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण के परिणाम, पता लगी अनियमितताएं और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर किए गए निरीक्षणों के परिणाम तथा पता लगाई गई अनियमितताएं/कदाचार

	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
	1	2	3	4
किए गए निरीक्षणों की संख्या	82834	76734	71824	80613
पता लगाई गई अनियमितताएं/कदाचार				
1. भण्डार में विसंगति	85	75	45	101

		1	2	3	4
2.	संदेहास्पद उत्पाद मिलावट	146	185	255	442
3.	अधिक राशि लेना	18	16	7	2
4.	अनधिकृत बिक्री	3	6	6	6
5.	कम सुपुर्दगी	221	232	167	272
6.	अन्य	207	163	85	63
	योग	680	677	565	886
की गई कार्रवाई					
1.	समाप्ति	0	1	3	1
2.	बिक्री तथा आपूर्ति का निलंबन	373	435	366	563
3.	स्पष्टीकरण मांगा गया/कारण बताओ नोटिस या चेतावनी पत्र जारी किए गए	247	204	121	297
4.	जुर्माना लगाया गया	50	35	123	0
	योग	670	675	613	861

निवेशकों के हितों की रक्षा

***71. श्री पी.एस.गढ़वी :**
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जनता से धन संग्रह करने/धन जुटाने वाली कई हजार कम्पनियां गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ग) गत पांच वर्ष में कौन–कौन सी कम्पनियां अपने शेयर–धारकों को लाभांश का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(घ) निवेशकों के हितों की किस तरह रक्षा करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी धोखेबाज कम्पनियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) प्राथमिक पूंजीगत बाजार का प्रशासन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1972 द्वारा शासित होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सीधे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। यह सही नहीं है कि हजारों कम्पनियां सार्वजनिक इश्यू द्वारा जनता से धन संग्रह करने/धन जुटाने के बाद लुप्त हो गई हैं। वस्तुतः 142 चूक कम्पनियों की लुप्त कम्पनियों के रूप में पहचान की गई थी, इनमें से कम्पनी कार्य विभाग (डी सी ए) ने 24 ऐसी कम्पनियों की पहचान की है जिनका कोई पता नहीं है (सूची विवरण के रूप में संलग्न)। कम्पनी कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ कर दिए गए हैं। उनको इन कम्पनियों को प्रादेशिक आर्थिक गुप्तचर एजेंसियों को भेजने के अनुदेश भी दे दिए गए हैं। 24 कम्पनियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें भी दायर की गई हैं। कम्पनी कार्य विभाग ने निवेशक संरक्षण अधिनियम (जहां कहीं लागू होता है) और या भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत उपर्युक्त 24 कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को भी लिखा है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध के अनुसार कम्पनियों के द्वारा शेयर धारकों को प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए, ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक निधि की स्थापना करने के लिए जिसे "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" कहा जाएगा, कम्पनी संशोधन अधिनियम, 1999 में एक नई धारा 205ग जोड़ी गई है और निधि के लिए नियमों और निधि प्रशासन को अधिसूचित करने हेतु एक समिति गठित की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां, क्षेत्रीय संगठनों को इन 24 कम्पनियों के विरुद्ध जिनका पता नहीं चल रहा है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अन्तर्गत समापन याचिकाएं दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

लुप्त हो रही कम्पनियों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1	2
गुजरात	
1.	भावना स्टील कास्ट लि.
2.	टाप लाइन शूज लि.
3.	गुजरात बोनन्जा आटो
तमिलनाडु	
4.	ग्लोबल ब्लूम्स (इंडिया) लि.
5.	नवाकराई स्पीनर्स लि.
6.	पप्पीलोन एक्सपोर्ट्स लि.
7.	श्याम प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स लि.
8.	अमिगो एक्सपोर्ट्स लि.
दिल्ली	
9.	आई सी पी सिक्यूरिटिज लि.
10.	लक्ष्य सिक्यूरिटिज एंट क्रेडिट होल्डिंग्स लि.
11.	स्टार इलैक्ट्रोनिकस लि.
12.	स्टार एग्जिम लि.
13.	कल्याणी फाइनेन्स लि.
14.	जेड इन्वेस्टमेंट्स लि.
15.	बिग स्टार फिल्म्स लि. पूर्वनाम मूनहोल्डिंग्स एंड क्रेडिट लि.
16.	हाटरोन नेटवर्क्स लि.
उड़ीसा	
17.	उड़ीसा लुमीनेरीज लि.
18.	यूनिवर्सल वीटा हालीमेंट लिमिटेड
मध्य प्रदेश	
19.	जनक इन्टरमेडियरिज लि.
20.	राजाधिराज एण्ड लि.
21.	हाई–टेक ड्रग्स लि.
22.	मध्यवर्त इक्सायल लि.
23.	स्टर्लिंग काल्क्स एंड ब्रीक्स लि.
24.	टोटल एक्सपोर्ट्स लि.

आयातित डिनेचरड अल्कोहल को मुक्त रूप से लाना ले जाना

*72. **श्री अन्नासाहेब एम.के.पाटील** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में आयातित डिनेचरड अल्कोहल को मुक्त रूप से लाने ले जाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों का क्या दृष्टिकोण है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) अखिल भारतीय अल्कोहल आधारित उद्योग विकास संघ द्वारा आयातित या देश में उत्पादित डिनेचरड अल्कोहल को अंतर्राज्य मुक्त लाने ले जाने के लिए मांग की गई थी। इस मामले पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के अधिकारियों

के साथ विचार–विमर्श किया गया था। अल्कोहल को मुक्त रूप से लाना ले जाना राज्यों द्वारा व्यवहार्य नहीं माना गया था क्योंकि अल्कोहल की भिन्न–भिन्न कीमतों के कारण, जो अन्य नीतियों जैसे गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित होने के कारण हैं, स्थानीय इकाइयों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

[हिन्दी]

सड़क मार्ग से डीजल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर रोक

*73. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क मार्ग से डीजल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेल मार्ग से डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में रेल वैगन उपलब्ध कराए हैं,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कुछ राज्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) मंत्रालय द्वारा तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य सीमाओं पर सड़क मार्ग द्वारा डीजल सहित सारे पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति रोकने का निदेश दिया गया है क्योंकि कुछ ग्राहकों द्वारा बिक्री कर का अपवंचन किए जाने के विषय में आरोप लगाया जा रहा था।

मंत्रालय तथा तेल कंपनियों को विभिन्न उद्योगों, औद्योगिक/वाणिज्यिक परिसंघों/संघों तथा भारत सरकार के कुछ विभागों से अभ्यावेदन मिले थे। सरकार ने अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वास्तविक ग्राहकों को अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग आपूर्तियां आरम्भ करने का निदेश दिया गया है जिनमें अन्यों के साथ–साथ निर्यातोन्मुखी इकाइयां, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के ग्राहक जहां तेल कम्पनियों की कोई भण्डारण सुविधाएं नहीं हैं तथा ऐसे ग्राहकों को साथ के राज्यों से समीपवर्ती डिपो से आपूर्ति की जाती है, सम्मिलित है। इसके अलावा रेलवे, प्रतिरक्षा तथा इस्पात, कोयला, विद्युत आदि सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे सरकारों उपभोक्ताओं तथा समझौता ज्ञापन/करार ग्राहकों को उपर्युक्त प्रतिबन्धों से छूट दी गई है। डीजल के प्रत्यक्ष ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रेलवे वैगन उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्त्र समझौता

*74. **श्री जी. जे. जावीया** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में किसी वस्त्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू वस्त्र उद्योग हेतु इसके क्या निहितार्थ हैं और आयात प्रतियोगिता का सामना करने के लिए इसकी क्षमता क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

हस्तशिल्प का विकास

*75. **श्री पी. डी. एलानगोवन :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में हस्तशिल्प तथा वस्त्रों के विकास की योजनाओं के लिए राज्य–वार कितनी–कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारों द्वारा ऐसी योजनाओं पर राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) चन्दन की लकड़ी, रोज–वुड तथा हाथी दांत से बने उत्पादों के संबंध में हस्तशिल्प क्षेत्र को जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) घरेलू व्यापार तथा निर्यात हेतु चन्दन की लकड़ी के हस्तशिल्पों की संख्या सहित राज्य–वार कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य कितना था; और

(ङ) हस्तशिल्प और वस्त्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और कुशल व अकुशल शिल्पकारों तथा कामगारों को क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की गईं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) हस्तशिल्प एवं वस्त्रों के विकास के लिए योजनाओं पर राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता तथापि राज्य सरकार/राज्य निगम/शीर्ष समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों आदि से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चन्दन की लकड़ी, रोजवुड तथा हाथी दांत से बने उत्पादों के संबंध में हस्तशिल्प क्षेत्र को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, परिष्कृत हस्तशिल्प उत्पादों एवं परिष्कृत मशीन उत्पादों को छोड़कर किसी भी रूप में चन्दन की लकड़ी का निर्यात वर्जित है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत हाथी दांत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(घ) हस्तशिल्प एक असंगठित क्षेत्र होने के कारण, चन्दन की लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन एवं देश में इसके आन्तरिक व्यापार के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। काष्ठ की प्रजाति–वार एवं राज्य–वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों में, चन्दन की लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुओं सहित, काष्ठ हस्तशिल्पों के निर्यात आंकड़े निम्न प्रकार है :

क्रमांक	वर्ष	निर्यात आंकड़ें (करोड़ रुपये में)
1	1997–98	212.82
2	1998–99	286.64
3	1999–2000	348.95 (अनंतिम)
4	2000–2001	59.62 (अनंतिम)

(ङ) हस्तशिल्प एवं वस्त्रों के विकास के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं, प्रशिक्षण के जरिए कौशल संवर्धन, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मूल्य संवर्धन सेवा प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र, परियोजना पैकेज स्कीम के जरिए एकीकृत हथकरघा विकास, अनुसंधान एवं विकास, आसूचना प्रौद्योगिकी लागू करना, प्रदर्शनी एवं प्रचार एम्पोरियमों की स्थापना से व्यापक विपणन अवसर प्रदान करना तथा बाजार एवं मेले आयोजित करना। हस्तशिल्प एवं वस्त्र क्षेत्रों को विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों, बुनकर सेवा केन्द्रों, विद्युत करघा सेवा केन्द्रों, वस्त्र अनुसंधान संस्थाओं आदि की स्थापना की गई है।

सरकार ने वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी संवर्धन एवं इसकी प्रतियोगितात्मक एवं दीर्घावधि व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए समय पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक ब्याज दरों पर पर्याप्त पूंजी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन निधि योजना प्रारम्भ की है।

सरकार वर्कशेड एवं वर्कशेड–सह–आवास योजनाओं, समूह बीमा योजना, हथकरघा बुनकरों के लिए मितव्ययिता निधि योजना, वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पियों एवं बुनकरों को पेंशन की योजना के माध्यम से कारीगरों, बुनकरों एवं कामगारों आदि को विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं।

गरीबों की पहुंच के भीतर और कम खर्च पर न्याय उपलब्ध होना

***76. श्री रामदास आठवले** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दलित, पिछड़े और गरीब लोगों की पहुंच के भीतर और कम खर्च पर न्याय उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार दलित, पिछड़े वर्ग और निर्धन लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए गंभीर रूप से चिंतित है। इस संबंध में, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि सहजतः सुलभ विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना और विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों को कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

लोक अदालतें आग्रही और सुलहकारी अभिगम के द्वारा आनुकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र साबित हुई हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का प्रवर्तन भी न्याय को कम खर्चीला बनाने की दिशा में, एक अग्रवर्ती कदम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के आधार पर, 1995–96 से 1998–99 तक 35,061 लोक अदालतें आयोजित की गईं और ऐसी अदालतों में 36,32,887 मामले निपटाए गए। 31 दिसम्बर, 1999 तक, न्यायालय में लगभग 24.25. लाख लोगों को विधिक सहायता/सलाह दी गई।

(ग) से (ङ) दलित, पिछड़े वर्ग और निर्धन लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के संबंध में, विभिन्न सामाजिक संगठनों या लोगों के प्रतिनिधियों से समय–समय पर अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के भारसाधक विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को भेजे गए अभ्यावेदनों के बारे में, न्याय विभाग में केन्द्रीयकृत जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, व्यक्तियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों या लोगों के प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

कच्चे तेल के आयात में वृद्धि

*77. **श्री ए. कृष्णास्वामी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कच्चे तेल के आयात का वर्तमान 55 प्रतिशत स्तर बढ़कर 65 से 70 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश का तेल भंडार लगभग 730 मिलियन टन पर स्थिर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार तेल का आयात 1999–2000 में 69 प्रतिशत से बढ़कर 2001–2002 में 70 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है। ऐसा स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के अनुरूप न होने के कारण है।

(ग) से (ङ) 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार कच्चे तेल के शेष वसूली योग्य भंडार 590 मिलियन मीट्रिक टन थे।

अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न सम्मिलित हैं :

(1) देश में अन्वेषण कार्यों में तेजी लाने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) की घोषणा। इस नीति में राजकोषीय तथा संविदात्मक छूटों का प्रावधान है तथा निजी निवेशकों व राष्ट्रीय तेल कम्पनियों दोनों के लिए समान कार्य अवसरों का प्रावधान है।

(2) अन्वेषण तथा विकास कार्यों में निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करना।

(3) उत्पादनरत बेसिनों में निकासी घटक में सुधार।

(4) विद्यमान बेसिनों में अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना तथा पूर्व व पश्चिम तट के गहन जल सहित गैर अन्वेषित क्षेत्रों में इनका विस्तार।

(5) कोल बेड मिथेन तथा गैस हाइड्रेटों जैसे वैकल्पिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन को बढ़ावा देना।

उर्वरक उद्योग संबंधी कृतिक बल

*78. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग संबंधी एक उच्च स्तरीय कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल के उद्देश्य क्या हैं और उसमें शामिल सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उदारीकरण संबंधी नीति और विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौतों के परिणामस्वरूप घरेलू उर्वरक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू उर्वरक उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी. हां। कृतिक बल गठित करने का उद्देश्य अध्ययन करके 'यूरिया' जो कि एक असीम मद है और जिस पर से 1.4.2001 तक मात्रा संबंधी प्रतिबंधों का समाप्त किया जाना है, की सीमा दर की अनुशंसा करना है। यह कृतिक बल डीएपी की सीमा दर का भी अध्ययन करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसमें संशोधन की अनुशंसा करेगा। कृतिक बल का गठन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उर्वरक क्षेत्र में उदारीकरण की शुरुआत 1992–93 में हुई जब पोटाशिक और फास्फेटिक उर्वरक नियंत्रणमुक्त

थे और उनके आयात असारणीबद्ध थे। तब से कई अन्य उर्वरकों पर से मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और इसकी वजह से स्वदेशी उर्वरक उद्योग पर अभी तक किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं मिली है। यूरिया पर से मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने में बड़ी दिक्कतें आऐंगी क्योंकि यह एक नियंत्रित उर्वरक है और वर्तमान में इसके आयात सरकारी खाते में किए जाते हैं। कृतिक बल मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का अध्ययन करेगा और इसकी अनुशंसा एक स्वदेशी उद्योग को संरक्षण के लिए शुल्क लगाने जैसी अगली कार्रवाई का आधार बनेगी। यह कृतिक बल डीएपी के लिए सीमा दर का अध्ययन भी करेगा जो इस समय 5% है और परिवर्तनों, यदि कोई हो, की अनुशंसा करेगा।

विवरण

उर्वरक क्षेत्र के संबंध में डब्ल्यू टी ओ मामलों से संबंधित कृतिक का गठन

1. श्री ए.वी.गोकाक, सचिव, उर्वरक विभाग—अध्यक्ष
2. डॉ. वी. एस. शेषाद्रि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
3. श्री शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
4. श्री आर.के.वैश, संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
5. श्री अनवरूल हुडा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान हेतु भारतीय परिषद
6. श्री तरूण दास, महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई)
7. श्री बिवेक देबराय, निदेशक (अनुसंधान), राजीव गांधी फाउंडेशन
8. श्री यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको
9. श्री पी.वी.भिंडे,प्रबंध निदेशक, गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड।
10. श्री प्रताप नारायण, महानिदेशक, भारतीय उर्वरक संघ
11. श्री संजय दास, संयुक्त आयुक्त, उर्वरक विभाग

मुम्बई में शुष्क गोदी का ढह जाना

*79. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित नौसेना गोदी में निर्माणाधीन शुष्क—गोदी जून, 2000 में ढह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उक्त मामले की उच्च—स्तरीय जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या उक्त दुर्घटना के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) मुंबई में निर्माणाधीन शुष्क गोदी सुविधा की उत्तरी दिशा की दीवार का एक हिस्सा 7 जून, 2000 को उस समय गिर गया जब वहां से पानी निकाला जा रहा था। इस घटना में संविदाकार के चार कर्मचारी और सेना इंजीनियर सेवा का एक कनिष्ठ अभियंता मारे गए थे। नौसेना मुख्यालय ने सेवारत रियर एडमिरल की अध्यक्षता में निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिए जांच अदालत का गठन किया है :—

1. जिन कारणों से नार्थ फिटिंग आउट बर्थ गिरी उनकी जांच करना।
2. ढांचे के डिजाइन के पक्केपन में कमियों, यदि कोई हो, परामर्शी सेवाओं, पर्यवेक्षण तथा गुणता नियंत्रण की पर्याप्तता का निर्धारण और जांच करना।
3. संविदाकार द्वारा प्रयुक्त कार्य प्रणाली, निर्माण प्रक्रिया, उपस्कर तथा साम्रगी की अपर्याप्तता की जांच करना।
4. जान—माल के नुकसान का निर्धारण करना।
5. नार्थ फिटिंग आउट बर्थ के गिर जाने के कारण हुए विलंब का जायजा लेना।
6. निम्नलिखित पहलुओं पर सिफारिशें करना :
   (क) कार्य पुनः शुरू करना।
   (ख) सिविल निर्माण—कार्य समाप्त होने तक अधिप्राप्त उपस्करों का संरक्षण और अन्य संगत पहलू।

(ग) शेष ढांचों के पक्केपन तथा सुरक्षा का पता लगाना।

7. चूकों और दीवार गिर जाने के दोष के कारकों की सिफारिश करना।

जांच बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2000 के अंत तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है। इस मामले पर अगली कार्रवाई जांच बोर्ड के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।

बुलेट ट्रेन चलाया जाना

*80. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 350 कि.मी. प्रति घण्टा की संभावित रफ्तार से चलने वाली उच्च गति की "बुलेट ट्रेन" जापान से लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रेलपथों पर और यहां की परिस्थितियों में इन उच्च गति वाली रेलगाड़ियों को चलाने की व्यवहार्यता की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को अन्य देशों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 2000–2001 के रेलवे बजट में यह उल्लेख किया गया है कि तेज रफ्तार के मार्गों के चयन के लिए आवश्यक अध्ययन शुरू किए जाएंगे। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) जापान रेलवे ईस्ट, जो कि यात्रियों के परिवहन की तेज रफ्तार वाली प्रमुख रेलवे है, तथा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन (यू आई सी) के साथ भारतीय रेल के लिए तेज रफ्तार वाली रेल लाइनों के निर्माण में सहयोग के संबंध में प्रारंभिक विचार–विमर्श किया गया था और उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। चूंकि इस मामले में भारी निवेश की आवश्यकता होगी, इसलिए किसी भी ठोस निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत विचार–विमर्श की आवश्यकता होगी।

चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता

632. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 2000 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप देने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) माननीय सदस्य द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई ऐसा समाचार सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा सम्पदा अधिकारियों का तबादला

633. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्पदा महानिदेशालय के 36 अधिकारियों के तबादले के हाल के निर्णय से विवाद उत्पन्न हो गया है और उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि आदेश किसी पद्धति या नीति का पालन नहीं करते जैसा कि दिनांक 14 जून, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उन अधिकारियों का तबादला उनको परेशान करने के हथियार के रूप में नहीं किया गया है जो अपनी ड्यूटी नियमों, विनियमों, विधियों और जनहित के अनुकूल करने का साहस करते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार हाल ही में रक्षा संपदा महानिदेशालय के 36 अधिकारी स्थानांतरित किए गए थे। सभी स्थानांतरण, अधिकारियों के कैरियर प्रोफाइल तथा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए जनहित में किए जाते हैं।

अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा गोपनीय भारतीय रक्षा आंकड़ों का जारी किया जाना

634. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 2000 को न्यूयार्क में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हैदराबाद में कंचनबाग स्थित भारतीय रक्षा अनुसंधान परिसर से संबंधित फोटो और आंकड़ों को जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये गोपनीय फोटो कैसे प्राप्त हुए; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) दिनांक 18 मई, 2000 को एशियन एज (नई दिल्ली) तथा दक्कन क्रोनिकल (हैदराबाद) में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिक संघ ने हैदराबाद परिसर में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के कॉम्पलेक्स की एक सेटेलाइट इमेज के तीन चित्र जारी किए हैं।

(ख) समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के अनुसार ये सेटेलाइट इमेज अमेरिकी वैज्ञानिक संघ ने डेनवेर, कोलाराडो (संयुक्त राज्य अमरीका) में स्थित एक हवाई फोटो तथा मानचित्रण सेवा कम्पनी स्पेस इमेजिंग से प्राप्त किए हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के 1967 के बाह्य अंतरिक्ष समझौते के अनुसार, बाह्य अंतरिक्ष का राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए देशों का यह आपत्ति करने का कोई आधार नहीं है कि बाह्य अंतरिक्ष से उनका फोटो लिया जा रहा है। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1986 में पारित कानूनी सिद्धान्तों में देशों को गैर–भेदभाव पूर्ण आधार पर तथा उपयुक्त लागत शर्तों पर अंतरिक्ष आंकड़े प्राप्त करने के लिए अधिकार का प्रावधान है।

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में संशोधन

635. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम में संशोधन करने का सरकार ने अनुरोध किया है ताकि शादी–शुदा ईसाई महिला के साथ तलाक लेते वक्त भेदभाव न हो;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विधि आयोग की क्या सिफारिशें हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में ईसाई समुदाय के साथ विचार–विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां। भारत के विधि आयोग ने भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 के संबंध में अनेक रिपोर्टें दी हैं। 164वीं रिपोर्ट, जो अंतिम रिपोर्ट है, नवम्बर, 1998 में दी गई थी।

(ख) विधि आयोग ने विवाह–विच्छेद चाहने वाली क्रिश्चियन महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने के लिए धारा 10 के संशोधन की और साथ ही भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 17 और धारा 20 का संशोधन करने की सिफारिश की है जिनमें क्रमशः विवाह–विच्छेद की डिक्री/विवाह की अकृतता की डिक्री की संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी अपेक्षित है।

(ग) इस विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) सरकार ने 28 अप्रैल, 2000 को हुए अधिवेशन में चर्च के प्रमुख नेताओं, क्रिश्चियन समुदाय के संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श किया है।

(ङ) भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 में लाए जाने वाले संसोधनों के संबंध में, सहमति होती जा रही है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाएं

636. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दिनों निजी क्षेत्र में बहुत सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, फिर भी 1992 से विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावों को मंजूरी देते समय विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए कोई समय सीमा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी क्षेत्र में ताप और पन बिजली की कुल कितनी विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 30.6.2000 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुल 57 निजी विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 9 परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता लगभग 3200 मे.वा. है को चालू किया जा चुका है। 11 परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता 4100 मे.वा. है, निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां। समय–समय पर विभिन्न समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें नीचे बताया गया है :–

(i) के.वि.प्रा. से परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन माध्यम से "सिद्धांत रूप में स्वीकृति" प्राप्त करने के मामले में।

(ii) के.वि.प्रा. के समक्ष समझौता ज्ञापन के जरिए तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में।

(iii) उन परियोजनाओं द्वारा जिन्हें तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति मिल गई, स्थिर वित्तीय पैकेज की प्रस्तुति एवं वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए।

(iv) वित्तीय समापन एवं ईंधन आपूर्ति समझौता प्राप्त करने के लिए (ईंधन लिंकेज प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा निर्धारित)

(v) विद्युत संयंत्रों के विभिन्न यूनिटों को चालू करने के लिए उन परियोजनाओं के संबंध में जिन्हें तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति मिल चुकी है, समय–सीमा के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ङ) के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदत्त कुल 57 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं में से 5 जल विद्युत परियोजनाएं एवं 52 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं।

रूस से "लेजर गाइडिड शैल्स" की खरीद

637. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से "लेजर गाइडिड क्रस्नोपॉल शैल्स" की खरीद के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन "शैल्स" के परीक्षण में कैसे परिणाम सामने आए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लगभग 151 करोड़ रुपए मूल्य के लेजर निर्देशित क्रस्नोपॉल शैल्स के 1000 राउंड तथा 10 लेजर डिजिगनेटर एवं रेंज फाइंडर्स खरीदे गए हैं तथा मरुस्थली और पर्वतीय भू–भागों में शैल्स के सफल परीक्षण मूल्यांकन के बाद सेना ने उन्हें प्राप्त कर लिया है।

जल विद्युत क्षमता का सर्वेक्षण

638. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विद्युत क्षमता की संभाव्यता हेतु सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार नवीनतम जल विद्युत संभाव्यता कितनी है;

(ग) जल विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने/उनमें उत्पादन करने के लिए स्रोतों का किस हद तक दोहन किया गया है;

(घ) चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है और प्रत्येक योजना में प्रति इकाई लागत क्या है;

(ङ) क्या अन्य स्रोतों का दोहन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) क्या इस उद्देश्य के लिए निजी निवेशकों को आकर्षित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों सहित निजी निवेशकों के लिए भावी संभावनाएं क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से *(ग)* केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा 1978–87 के दौरान देश में किए गए जल विद्युत शक्यता के अनुसार देश में मध्यम/वृहद स्कीमों की जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 84,044 मे.वा. आंकी गई। 1.7.2000 की स्थितिनुसार 60% संयंत्र भार अनुपात पर 13635.10 मे.वा. की जल विद्युत स्कीम शक्यता विकसित कर ली गई है। तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) प्रत्येक स्वीकृत/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के लिए अद्यतन अनुमानित लागत तथा प्रति मे.वा. लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) नौवीं योजना के लिए 9819.7 मे.वा. की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि निर्धारित की गई थी।

(च) और (छ) देश में अप्रयुक्त जल विद्युत शक्यता को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 1998 में जल विद्युत विकास नीति की घोषणा की जिससे इस क्षेत्र में अधिकाधिक निजी उद्यमियों की भागीदारी बढ़े एवं इससे वृहद् निवेश के लिए उचित वित्तीय प्रशासनिक एवं कानूनी माहौल तैयार किया जा सके। आज की तारीख में 13 जल विद्युत परियोजनाओं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 4328 मे.वा. है, को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी गई है। परिणामस्वरूप 5 जल विद्युत परियोजनाओं नामशः महेश्वर (400 मे.वा.), बास्पा–2(300 मे.वा.), विष्णुप्रयाग (400 मे.वा.), मलाना (86 मे.वा.) एवं श्रीनगर (330 मे.वा.) को के.वि.प्रा. ने तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जल विद्युत विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत निजी निवेश के भविष्य की संभावनाएं आशाजनक हैं।

विवरण-I

जल विद्युत शक्यता विकास का ब्यौरा (राज्य–वार)

राज्य/क्षेत्र	विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात (मे.वा)	60% संयत्र अनुपात	% विकसित
1	2	3	4
उत्तरी			
जम्मू एवं कश्मीर	7487.00	501.83	6.70
हिमाचल प्रदेश	11647.00	2007.07	17.29
पंजाब	922.00	454.67	49.31
हरियाणा	64.00	51.67	80.73
राजस्थान	291.00	192.67	66.21
उत्तर प्रदेश	9744.00	1145.33	11.75
उप जोड़ (उ. क्षे.)	30155.00	4353.23	14.44
पश्चिमी			
मध्य प्रदेश	2774.00	587.83	21.19
गुजरात	409.00	138.67	33.90
महाराष्ट्र	2460.00	1118.83	45.48
गोवा	36.00	0.00	0.00
उप जोड़ (प. क्षे.)	5679.00	1845.33	32.49
दक्षिणी			
आन्ध्र प्रदेश	2909.00	1402.25	48.20
कर्नाटक	4347.00	2204.50	50.71
केरल	2301.00	1125.50	48.91
तमिलनाडु	1206.00	946.50	78.48
उप जोड़ (द. क्षे.)	10763.00	5678.75	52.76
पूर्वी			
बिहार	538.00	119.95	22.30
उड़ीसा	1983.00	1100.50	55.50
प. बंगाल	1786.00	91.33	5.11
सिक्किम	1283.00	57.50	4.48
उप जोड़ (पू. क्षे.)	5590.00	1369.28	24.50
उत्तरी पूर्वी			
मेघालय	1070.00	121.67	11.37
त्रिपुरा	9.00	8.50	94.44
मणिपुर	1176.00	73.17	6.22
असम	351.00	111.67	31.81
नागालैंड	1040.00	56.00	5.38
अरुणाचल प्रदेश	26756.00	16.50	0.06
मिजोरम	1455.00	1.00	0.07
उप जोड़ (उ. पू. क्षे.)	31857.00	388.50	1.22
अखिल भारत	84044.00	13635.10	16.22

विवरण-II

स्वीकृत/चालू जल विद्युत स्कीमें

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (स. × मे. वा) मे.वा)	वाणिज्यिक अनुसूची	अद्यतन अनुमानित लागत	लागत मे.वा.
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	नाथ्पा झाकरी		1500.00	2001–02	7666.31	5.11
2.	दलस्ती (एनएचपीसी)		390.00	2001–02	3559.77	9.13
3.	चमेरा चरण II (एनएचपीसी)		300.00	2004–05	1684.02	5.61

1	2 3	4	5	6	7
4.	टिहरी चरण II (टीएचडीसी)	1000.00	2001–03	5219.69	5.22
5.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	400.00	2005–06	1301.56	3.25
6.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	280.00	2004–05	601.98	2.15
7.	कोल कारो (एनएचपीसी)	910.00	शुरू होने से 8 वर्ष	2368.41	3.34
8.	रंगनदी (नीपको)	405.00	2001–02	1479.63	3.65
9.	तुरियल (नीपको)	60.00	2005–07	448.19	7.47
10.	कोप्ली चरण–II (नीपको)	25.00	2001–02 अनंतिम	76.09	3.04
11.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी)	90.00	2006–07	578.62	6.43
12.	तीस्ता चरण–I (एनएचपीसी)	510.00	2006–07	2198.04	4.31
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)	5670.00			
	ज्य क्षेत्र				
	उत्तरी क्षेत्र				
13.	दादुपुर	6.00	10वीं योजना	7.41	1.24
14.	डब्ल्यूवाईसी	14.00	9वीं योजना के परे	70.00	5.00
15.	घोनवी	22.50	2000–2001	94.64	4.21
16.	लारजी	126.00	10वीं योजना	796.98	6.33
17.	उहल–III	100.00	10वीं योजना	644.80	6.45
18.	अपर सिन्ध–II	70.00	1999–01	391.50	5.59
18(ख)	अपर सिन्ध–II विस्तार	35.00	2000–01	42.27	1.21
19.	किशन गंगा	330.00	11वीं योजना	3000.00	9.09
20.	सेवा चरण–III	9.00	2000–01	60.00	6.67
21.	चेन्नई चरण–III	7.50	1999–01	46.23	6.16
22.	रणजित सागर	600.00	2000–01	3433.00	5.72
23.	शाहपुरकंडी	168.00	10वीं योजना	1419.00	
24.	लखवर व्यासी	420.00	10वीं योजना	1446.00	
25.	मेनरी भाली–II	304.00	2003–04	1249.18	4.11
26.	कटापठार	19.00	2005–06	27.58	1.45
27.	जाखम	5.00	10वीं योजना	43.00	8.60
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)	2236.00			

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम क्षेत्र						
28.	सरदार सरोवर		1450.	2001–2004	3248.77	2.24
29.	बाणसागर बांध चरण II व III		90	2001–2002	895.44	2.21
30.	बाणसागर बांध फेस IV		20	2001–2002 (अनंन्तिम)	80.93	4.05
31.	इन्दिरा सागर		1000	10वीं योजना	2325.70	2.33
32.	घाटघर पीएसएस		250	2004–2005	830.00	3.32
33.	भिव पुरी पीएसएस		90	9वीं योजना से आगे	89.87	1.00
	कुल (पश्चिम क्षेत्र)		2900.00			
दक्षिण क्षेत्र						
34.	श्रीसैलम एलबीपीएच		900	2000–2002	2324.55	2.58
35.	बृन्दावन		12	2001–2002	51.24	4.27
36.	सरापदी		90	2002–2003 अनन्तिम	369.45	4.11
37.	शरावती टेल रेस		240	2001–2002	408.57	1.70
38.	मालनखेरा		10.50	2002–2003	41.57	3.96
39.	कुटयाडी टेल रेस		3.75	10वीं योजना	13.38	3.57
40.	कुटयाडी विस्तार		50	2001–2002	113.71	2.27
41.	पाइकोरा अल्टीमेट		150	10वीं योजना	373.06	2.49
42.	कालपोंग		5.20	2001–2002 (अनन्तिम)	49.37	9.49
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र) :		1461.45			
पूर्वी क्षेत्र						
43.	चाण्डिल		8	2001–2002	32.49	4.06
44.	नॉर्थ कोयल		24	2001–2002	47.34	1.97
45.	अपर इन्द्रावती		600	1999–2001	875.42	1.46
46.	पोत्तेरू		6	2001–2002	18.83	3.14

1	2	3	4	5	6	7
47.	बालीमेला विस्तार		150	2004–2005	229.50	1.53
48.	बालीमेला बांध टी		60	10वीं योजना	69.30	1.18
49.	राम्मम चरण I		36	10वीं योजना	176.59	4.91
50.	पुरुलिया पीएसएस		900	2004–2006	3188.90	3.54
51.	रोलीप–I		9	2003–2004	45.00	5.00
	कुल (पूर्वी क्षेत्र) :		1793.00			
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
52.	कारबी लांगपी (लोअर बोरपानी)		100	2003–2004	288.37	2.88
53.	धनश्री		20	2002–2003	78.63	3.93
	लिमि–रो		24	2001–2002	186.59	7.77
	कुल (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र :		144.00			
	कुल (राज्य क्षेत्र :		8534.45			
निजी क्षेत्र						
55.	बासपा चरण II		300	2001–2002	949.23	3.16
56.	मलाला		86	10वीं योजना	341.91	3.98
57.	विष्णु प्रयाग		400	10वीं योजना	1614.66	4.04
58.	श्रीनगर		330	2005–2006	1699.12	5.15
59.	महेश्वर		400	2003–2005	1673.00	4.18
60.	बोधाघानकट्टू		16	2001–2002	35.65	2.23
	कुल (निजी क्षेत्र)		1532.00			
	कुल (अखिल भारत)		15736.45			

[हिन्दी]

छावनी परिषदों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

639. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी परिषदों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ख) बोर्डों की बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों और विधायकों को आमंत्रित नहीं करने और सक्रिय भागीदारी से उन्हें वंचित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस विसंगति को दूर करने हेतु कोई योजना है;

(घ) संबंधित राज्य सरकारों को छावनी परिषदों का प्रबंधन नहीं सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा छावनी परिषदों को विकास और निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु किस आधार पर अनुदान दिया जाता है और इसके लिए अनुदान स्वीकृत हेतु क्या मानदण्ड हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) छावनी अधिनियम, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत छावनी बोर्डों का गठन किया गया है, में संसद सदस्यों तथा विधायकों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान नहीं है। जब भी छावनी अधिनियम में संशोधन होगा, उस समय मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(ङ) घाटे में रहने वाली छावनी बोर्डों को उनके बजट में संतुलन बनाए रखने के लिए साधारण अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा विकास कार्यों के लिए अपने स्रोतों से धन न जुटा पाने की स्थिति में विशेष अनुदान सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

मुनशिरहाट-अमटा रेल लाइन का निर्माण

640. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण–पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर डिविजन में मुनशिरहाट–अमटा बड़ी लाइन के निर्माण हेतु कार्रवाई आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुनशिरहाट–अमटा रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। बड़गछिया से मुंशीरहाट तक नई लाइन हिस्सा हवड़ा–अमटा परियोजना के प्रथम चरण के रूप में 22–7–2000 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) मुंशीरहाट से अमटा तक दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। भूमि के उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आने वाले वर्षों में कार्य को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी।

देश में प्रमुख ईंधन सामग्रियों की आवश्यकता

641. श्री साहिब सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस, नाफ्था, मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल, ए टी एफ, हाई स्पीड डीजल और सल्फर जैसी प्रमुख ईंधन सामग्री की वर्तमान आवश्यकता क्या है; और

(ख) अगले पांच और दस वर्षों के दौरान उक्त पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जानकारी विवरण–I में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

प्रमुख पेट्रोलियम ईंधनों की खपत

(आंकड़े एम एम टी में)

प्रमुख पेट्रो. ईंधन	1999–2000 में खपत (अनन्तिम)			अप्रैल–मई, 2000 में खपत (अनन्तिम)		
	सा.क्षे.उ. बिक्री	निजी पक्षकारों द्वारा आयात*	योग	सा.क्षे.उ. बिक्री	निजी पक्षकारों द्वारा आयात*	योग
1	2	3	4	5	6	7
एल पी जी	5.90	0.39	6.29	0.96	0.07	1.03
नाफ्था	8.00	2.83	10.83	1.30	0.37	1.67
मोटर स्पिरिट	5.93	0.00	5.93	1.08	0.00	1.08
केरोसीन	10.73	1.17	11.90	1.77	0.08	1.85

1	2	3	4	5	6	7
ए टी एफ	2.19	0.00	2.19	0.38	0.00	0.38
एच एस डी	39.26	0.01	39.27	6.90	0.00	6.90
सल्फर		आंकड़े नहीं रखे जाते			आंकड़े नहीं रखे जाते	

टिप्पणी : निजी बिक्री आंकड़े उद्योग के आकलन के अनुसार हैं।

* समूह की कंपनियों को किए गए अंतरण शामिल हैं।

विवरण-II

*पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग**

(आंकड़े एम एम टी में)

उत्पाद	2002	2007	2012
एल पी जी	7	10	13
नेप्था	7	10	15
नाफ्था/एन जी एल	12	16	19
योग हल्के	27	36	47
ए टी एफ	2	3	3
एस के ओ	13	15	16
एच एस डी	47	69	99
योग मध्यम	65	89	120
ल्यूब	1	1	2
एफ ओ/एल एस एच एस	14	17	21
बिटूमन	3	4	4
योग भारी	19	23	28
योग	111	148	195

* गैस घाटे की पूर्ति करने के लिए मांग के बिना पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग।

स्रोत : हाइड्रोकार्बन झलक – 2025 के उपदल की रिपोर्ट।

[हिन्दी]

रक्षा सामग्री की आपूर्ति हेतु असैनिक ट्रकों का उपयोग

642. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय आयुध डिपो में रक्षा सामग्री हेतु रेल माल डिब्बों के बजाय असैनिक ट्रकों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में की गई जांच का क्या निष्कर्ष रहा ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) केन्द्रीय आयुध डिपो द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति हेतु रेल माल डिब्बों और किराए पर लिए गए सिविल वाहनों–दोनों को लगाया गया है।

(ख) रेल पूर्ण रैकों को ही स्वीकार करती है, जिसके फलस्वरूप अल्प मात्रा में सामान की ढुलाई के लिए करार पर लिए गए सिविल वाहनों की मदद लेना आवश्यक हो जाता है। जिन क्षेत्रों में रेल सुविधा नहीं है और सामान की शीघ्र आवश्यकता है, वहां भी सामान किराए के सिविल वाहनों द्वारा भेजा जाता है।

(ग) कुछ शिकायतें मिलने पर केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर में किराए पर सिविल ट्रकों के लिए जाने के संबंध में एक जांच अदालत बिठाई गई थी। जांच कार्य अब पूरा हो चुका है। जांच अदालत के निष्कर्ष के आधार पर ठेके देने में अनियमितताएं बरतने के लिए जिम्मेदार पाए गए सेना के तीन अधिकारियों और एक असैनिक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

पेद्दापल्ली-करीम नगर रेल मार्ग

643. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विशेषज्ञों के एक दल ने नए बिछाए गए पेद्दापल्ली–करीम नगर रेल मार्ग का 22 मई, 2000 को निरीक्षण करके निर्माण के मानकों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए यात्री गाड़ी हेतु स्वीकृति देने से मना कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्ग मालगाड़ी चलाने लायक भी नहीं था;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल की मुख्य टिप्पणियां क्या थीं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठता।

"बोल्ट स्कीम" शुरू करना

644. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग "बोल्ट स्कीम" (निर्माण, प्रचालन, पट्टे और स्थानांतरण) को शुरू करके निजी क्षेत्र को उसमें शामिल करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव से कर्मचारी फालतू हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ की गई आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में 1994 के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा निर्माण–स्वामित्व पट्टा–हस्तांतरण (बोल्ट), योजना आरंभ की गई थी। इसका मूल उद्देश्य सरकार के योजनागत संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना था। वर्तमान बोल्ट योजना के अंतर्गत निजी निर्माताओं/प्रोत्साहकों को टर्नकी आधार पर परियोजना तैयार करनी होती है और परियोजना के समापन के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करना भी उनसे अपेक्षित होता है। परियोजना के पूरा हो जाने पर रेलवे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए एजेंसी को पट्टा प्रभारों का भुगतान करती है। पट्टा अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियां रेलों के एक नामिति को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। बोल्ट योजना के अंतर्गत परियोजना के निष्पादन के लिए एजेंसी का चयन खुली बोली आमंत्रित करने के बाद किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चलती हुई रेलगाड़ियों से कूड़ा-कचरा फेंका जाना

645. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ियों पर कार्यरत रेलवे खानपान सेवाकर्मी बची–खुची खाने की वस्तुओं और पानी की बोतलों/केसरोल सहित पूरा कूड़ा–कचरा चलती गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को रोकने और रेल मार्गों को स्वच्छ रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नामित स्टेशनों पर सवारी डिब्बों और पैंट्री कारों से खानपान संबंधी कूड़ाकरकट एकत्रित करने के लिए रेलवे ने यथोचित व्यवस्था की है, जहां इसे नष्ट करने की पर्याप्त सेवाएं मौजूद हैं। रेलपथ पर कूड़ा डालने वाले लाइसेंसधारकों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

शोरूवण्णूर-मंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण

646. श्री टी. गोविन्दन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोरूवण्णूर–मंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण संबंधी कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य में अब तक क्षेत्र–वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) दोहरीकरण संबंधी उक्त कार्य क्षेत्र–वार कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) स्थिति निम्नानुसार है :

शोरुवण्णूर-कालीकट क्षेत्र

प्रारंभ में यह परियोजना कुट्टीपुरम एवं कालीकट के बीच दोहरीकरण के लिए स्वीकृत की गई थी। तत्पश्चात् यह दोहरीकरण परियोजना शोरुवण्णूर तक स्वीकृत की गयी थी। कुट्टीपुरम–कालीकट खंड में बड़े और छोटे पुलों के निर्माण/विस्तार का कार्य प्रगति पर

है। 31.3.2000 तक 17.03 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2000–01 के लिए 25 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। शोरुवण्णूर–कालीकट खंड को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि 31.12.2003 है।

कालीकट-मंगलौर क्षेत्र

कालीकट–मंगलौर क्षेत्र में निम्नलिखित खंड पूरे हो गए हैं :

1. कालीकट–वेस्ट हिल्स
2. वेस्ट हिल्स–ईलाथूर
3. क्यूलंदी–तिक्कोरी
4. उल्लाल–नेगावती
5. कासरगोड–कुंबला–उप्पाला
6. पाय्यनगड़ी–पायानूर–चारावतूर

31.3.2000 तक 234.83 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। –01 के लिए 97.10 करोड़ रुपए परिव्यय किया गया है। पूरा की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।

गया रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं

647. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने गया रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गया स्टेशन पर वर्तमान यात्री व माल यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

फिलहाल गया स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला न्यायालयों का विशाखीकरण

648. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री जिला न्यायालयों के विशाखीकरण के बारे में 13 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1988 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जिला न्यायालयों के विशाखीकरण संबंधी औपचारिकताएं तैयार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों का विशाखीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) जिन स्थानों पर इन न्यायालयों को स्थापित किया जाना है, उनकी पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जिला न्यायालयों में अधीनस्थ कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया क्या है तथा कर्मचारियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग अथवा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) अधीनस्थ न्यायालयों में श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में जिला न्यायालयों के द्विशाखीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और दिल्ली जुडिशियल सर्विस एशोसिएशन (रजिस्टर्ड) बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 01–05–2000 के निर्णय में, नियत समय–सीमा के अनुसार, 16 अगस्त, 2000 तक उसके कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार ने, दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायालय भवनों के सन्निर्माण के लिए मैरो रोड, रोहिणी, साकेत और द्वारका में स्थानों की पहचान कर ली है।

(ङ) से (छ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार/दिल्ली उच्च न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

649. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिले–वार कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.12.1999 को स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी वितरकों के पास पंजीकृत कुल प्रतीक्षा सूची लगभग 4.82 लाख की थी। कलैण्डर वर्ष 2000 के दौरान सरकार की योजना 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है जिसके फलस्वरूप देश भर में 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार एल पी जी वितरकों के पास मौजूद प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

काकीनाडा अमलपुरम-राजोल-नरसापुर रेल लाइन का निर्माण

650. **श्री कृष्णमराजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा–कोटिपल्ली–अमलपुरम–राजोल–नरसापुर रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना हेतु बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। ये रेलवे बजट में सम्मिलित दो परियोजनाएं हैं, एक काकीनाड़ा से कोटिपल्ली और दूसरी कोटिपल्ली से नरसापुर बरास्ता अमलापुरम और राजौले।

(ख) इन परियोजनाओं के लिए 2000–01 के बजट में परिव्यय का प्रावधान निम्नानुसार है :

(i) काकीनाड़ा–कोटिपल्ली–1.00 करोड़ रुपए

(ii) कोटिपल्ली–नरसापुर–1.00 करोड़ रुपए

(ग) (i) काकीनाडा–कोटिपल्ली लाइन के पुर्नस्थापन का कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां जिनके लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है, प्राप्त होने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने भी उखाड़ी गई लाइन द्वारा विनिर्मुक्ति भूमि के बदले भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(ii) कोटिपल्ली–नरसापुर नई लाइन का कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् 2000–01 के बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। इसके पश्चात् भूमि अधिग्रहण किय जाएगा और भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा।

इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कालका-शिमला मार्ग पर ट्वाय ट्रेन

651. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका–शिमला मार्ग पर चलने वाली ट्वाय ट्रेन घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह लाभ में चले, इसके लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कालका–शिमला खंड पर कम आमदनी मुख्यतः गाड़ी परिचालन के सीमित घंटों गाड़ियों की निम्न वहन क्षमता और सड़क यातायात परिवहन की तुलना में किराए अधिक होने के कारण हुई है।

(ग) इस खंड पर पर्यटक यातायात को आकर्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण सेवाओं को शुरू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ी, पार्टी बुकिंग के लिए शिवालिक पैलेस टूरिस्ट कोच, शिवालिक क्वीन टूरिस्ट कोच और हिमाचल प्रदेश पर्यटक विकास निगम के सहयोग से गर्मियों के दौरान दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली एक विशेष टूरिस्ट पैकेज शामिल है।

ओक्टेन एवियेशन फ्यूल के मूल्य में वृद्धि

652. **श्री अशोक अर्गल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 100 ओक्टेन एविएशन फ्यूल में किये गये मूल्य में वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इन्हें किन–किन तिथियों पर किया गया;

(ख) मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 100 आक्टेन उड्डयन ईंधन (उड्डयन गैसोलीन) में की गई मूल्य वृद्धि का तारीखों सहित ब्यौरा निम्नानुसार है :

तारीख	रुपए/कि.ली.
2.7.1996 (एम आई स्थल पर)	12584.77
1.4.1998 (बज बज स्थल पर)	15216.36
10.12.1998 (मंगलौर स्थल पर)	31900.00
24.9.1999 (मंगलौर स्थल पर)	43600.00
10.1.2000 (मंगलौर स्थल पर)	45850.00

उपर्युक्त मूल्य भाड़े, बिक्री कर और स्थानीय उद्ग्रहणों के अलावा हैं।

(ख) मूल्य में वृद्धि करने का प्रमुख कारण उड्डयन गैसोलीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि रही है।

(ग) और (घ) 1.4.1998 से उड्डयन गैसोलीन को नियंत्रणमुक्त उत्पाद बना दिया गया है तथा तेल कंपनियां इसका मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

पारेषण में विद्युत की हानि को रोकना

653. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी राज्यों में पारेषण चरणों में बढ़ रही विद्युत की हानि के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारेषण में विद्युत की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। विद्युत चोरी की वजह से विभिन्न राज्य सरकारों को हो रहे घाटे का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1997–98 के लिए संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा आंकलित कुल पारेषण एवं वितरण हानियां जिसमें तकनीकी कारणों की वजह से हुई हानियां तथा खाते में नहीं ली गई हानियां शामिल हैं, नीचे दी गई हैं :

क्र.सं.	राज्य	1997–98
1.	आंध्र प्रदेश	32.14
2.	कर्नाटक	19.31
3.	केरल	18.73
4.	तमिलनाडु	17.29
5.	लक्षद्वीप	15.70
6.	पाण्डिचेरी	13.56

विद्युत की चोरी को पहले से ही भारतीय बिजली अधिनियम 1910 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित किया जा चुका है जिसमें 3 वर्ष तक की कठोर सजा अथवा 10000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों शामिल हैं।

हालांकि, विद्युत का वितरण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है और विद्युत की चोरी को रोकने तथा अवैध कनैक्शनों को हटाने से संबंधित कार्य उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रचालनाधीन विद्युत यूटिलिटियों द्वारा करना होता है।

पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने और ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) संख्या अंकित सीलों के साथ सील किए गए टैम्पर प्रुफ मीटर बॉक्सों के भीतर मीटरों की स्थापना।

(ii) बिजली की चोरी रोकने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना और अचानक छापे मारना।

(iii) बिजली की चोरी में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना।

26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि ऊर्जा लेखा परीक्षा, 100% मीटरिंग, बिजली की चोरी में कमी तथा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन के द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाई जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एन.बी.एफ.सी.) के विरुद्ध मामले

654. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कम्पनी ला बोर्ड की कितनी शाखायें कार्य कर रही हैं;

(ख) देशभर में कम्पनी ला बोर्ड के पास गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अदायगी न किए जाने के कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार ने और अधिक तथा सरल कानूनी तंत्र उपलब्ध कराके इस न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्रता लाने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कितने जमाकर्ता जमाराशि का भुगतान वापिस पाने पर कम्पनी ला बोर्ड के पास आए; और

(च) क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां संशोधित अदायगी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विफल रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जमाकर्ताओं की संख्या कितनी है तथा इसमें कितनी राशि लगी है;

(ज) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने लघु बचतकर्ताओं की मदद के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु इस मुद्दे को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) नई दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त, कम्पनी विधि बोर्ड की 4 क्षेत्रीय पीठें प्रत्येक नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता में हैं।

(ख) से (झ) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियां (एन बी एफ सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। जहां जमाराशि का पुनर्भुगतान करने में एन बी एफ सी द्वारा चूक की जाती है वहां कम्पनी विधि बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45 क्यू ए के अन्तर्गत आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई हैं। कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों की गैर अनुपालना के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58 ई के अन्तर्गत एन बी एफ सी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के मामलों के ब्यौरे जहां जमाराशि का पुनर्भुगतान करने में चूक की गई है, एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

पुनर्वास कार्यक्रम

655. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने घाटकोपर के समीप पक्की इमारतों में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे 145 परिवारों के पुनर्वास कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है;

(ख) क्या इन परिवारों को कुर्ला और थाणे के बीच दो नई रेल लाइनें बिछाने के कारण अन्यत्र हटाना पड़ेगा;

(ग) क्या इन सभी इमारतों का निर्माण 40 वर्ष पूर्व सभी आवश्यक अनुमति लेने के बाद वैधानिक रूप से किया गया था;

(घ) क्या स्थानीय जन प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों ने रेलवे को अभ्यावेदन देकर कहा है कि उन्हें वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए जिसमें उतनी ही जगह हो जितनी कि उनके मौजूदा मकानों में है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय अनधिकृत अतिक्रमणकर्ताओं और वैधानिक अधिभोक्ताओं/भू–स्वामियों के बीच अंतर किया जाएगा; और

(घ) पुनर्वास हेतु रेलवे की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एम यू टी पी परियोजनाओं के लिए सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी) का पुनर्वास जिसमें उल्लिखित 145 परिवार भी शमिल हैं, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम एम आर डी ए) के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित परियोजना निगरानी कक्ष (पी.एम.यू.) द्वारा किया जाना है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) वैकल्पिक आवास मुहैया कराने के लिए अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं।

(ङ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास एम.यू.पी.टी. परियोजनाओं के लिए बनाई गई महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत परियोजना निगरानी कक्ष के द्वारा और रेल मंत्रालय की सहमति से किया जाएगा। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिकारियों द्वारा इंगित अग्रिम क्षतिपूर्ति पहले ही जमा कर दी है और प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है। अभ्यावेदनकर्ताओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए परियोजना निगरानी कक्ष में संबद्ध अधिकारियों से मिलने को कहा गया है।

(च) एम यू टी पी परियोजनाओं के लिए लागू महाराष्ट्र सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की शर्तों के अनुसार पुनर्वास नियोजित किया जा रहा है।

(छ) हाउसिंग राज्य का विषय है। रेलवे के पास रेलवे में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के पुनर्वास की कोई ...ति नहीं है। अनधिकृत निर्माण को सार्वजनिक परिसर (सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की व्यवस्था के अनुसार हमेशा निपटाया जाता रहा है। बहरहाल, रेलें कुछेक आपवादिक मामले के रूप में उनके द्वारा इन परियोजनाओं की लागत की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसरण में एम यू टी पी–II के सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की लागत में भागीदारी से सहमत हुई है।

आई. ओ. सी. और फ्रांसीसी तेल कम्पनी द्वारा तेल अनुसंधान गतिविधियां

656. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन और फ्रांसीसी तेल कम्पनी ई. एल. एफ. ने भारत में संयुक्त अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाने हेतु सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में शुरू की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों तेल कंपनियां ईंधन और डीजल के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थों (एडिटिव्स) के विपणन हेतु सहमत हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा मैसर्स ई. एल. एफ. फ्रांस के बीच 21.9.1999 को अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं व डीजल ईंधन योगजों का परीक्षण विपणन सितम्बर, 1999 से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लिए कोई विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम परिकल्पित नहीं है।

[हिन्दी]

ब्लाक स्तर पर रसोई गैस विक्रय केन्द्र

657. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लाक स्तर पर रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोलने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार का देश के प्रत्येक प्रखंड में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

658. **श्रीमती हेम्ब्रम गमांग :** क्या **रेल मंत्री** उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाओं के बारे में 16 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। लोक सभा में दिनांक 16.03.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 3258 के उत्तर में आश्वासन दिया गया था, जो पहले ही 13.06.2000 को पूरा कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आवश्यकतानुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धन की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

जीवन-रक्षक औषधियों का अधिक मूल्यों पर बेचा जाना

659. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों पर कर छूट देने या कमी करने के बावजूद भी औषध विक्रेताओं द्वारा मरीजों को पुराने मूल्यों पर इन औषधियों को बेचे जाने के संबंध में मिली शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने जीवन–रक्षक औषधियों के मूल्य तथा कर निर्धारित करने के पश्चात् इन औषधियों पर बिक्री मूल्य छापने का निर्णय लिया था; और

(घ) यदि हां, तो किन–किन औषधियों को जीवन–रक्षक औषधियों की श्रेणी में शामिल किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचीबद्ध औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित/संशोधित करता है, जो औषधों में जीवन–रक्षक औषधों या अन्य औषधों के रूप में विभेद नहीं करता है। कर से छूट या कर में शिथिलता के बाद भी केमिस्टों द्वारा पुराने मूल्यों पर दवाइयों को बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत इस प्राधिकरण को नहीं मिली है।

[अनुवाद]

मतदाताओं को पहचान पत्र

660. **श्री राशिद अलवी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निर्धारित पहचान पत्र देश के सभा मतदाताओं को जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक इस कार्य पर कितना व्यय किया जा चुका है और कितना व्यय संभावित है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण और फोटो पहचान पत्रों को तैयार करने की प्रक्रियाएं अनवरत और निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। सभी मतदाताओं को किसी नियत समय बिन्दु पर पहचान पत्र जारी करने की स्कीम के अंतर्गत लाना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि देश के पात्र निर्वाचकों के 62 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 38 करोड़ मतदाताओं को अब तक फोटो पहचान पत्र दिए जा चुके हैं। इस स्कीम का विस्तार अभी तक जम्मू–कश्मीर राज्य पर नहीं हुआ है। इस संबंध में, असम और मिजोरम में भी अभी तक यह कार्य आरंभ नहीं किया गया है जबकि इन राज्यों में यह कार्यक्रम विस्तारित किया जा चुका है।

(ग) 1994–95 और 1999–2000 के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्वाचकों के फोटो पहचान पत्रों की स्कीम संबंधी व्यय के लिए विनिर्दिष्ट रूप से 419,45,61,710/- रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि चूंकि यह स्कीम प्रत्यक्षतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और केन्द्रीय सरकार की भूमिका उनको उनके अंश (50 : 50 के आधार पर), जब कभी भी उनके द्वारा इसका दावा किया जाता है, की प्रतिपूर्ति करने तक सीमित है। इसलिए, इस संबंध में, संभावित व्यय का पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

टिहरी बांध परियोजना

661. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में अब

तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बांध के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी विवरण क्या हैं;

(ङ) मूल लागत अनुमान क्या था और अब तक स्थिति वार कितनी लागत वृद्धि हुई है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे. वा.) का क्रियान्वयन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा किया जा रहा है। निर्माण गतिविधियों दिसम्बर, 2002 में पूरा करने की निर्धारित तिथि के अनुसार पूरे जोरों मुख्य बांध को अब अधिकतम गहरे नींव स्तर से लगभग नीटर की औसतन ऊंचाई तक उठा लिया गया है। सभी चार विपथन सुरंगों को पूरा कर लिया गया है और ये प्रचालनाधीन हैं। नदी को दो दायां तटीय विपथन सुरंगों के जरिए दो विपथन सुरंगों के जरिए विपथन किया गया है। दाएं तटीय शाफ्ट स्पिलवे, पहुंच सुरंग और शूट स्पिलवे का नियंत्रण ढांचा तथा इंटरमिडिएट लेवल आउटलेट के लिए भूमिगत खुदाई पूरी कर ली गई है और कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर है। विद्युत गृह परिसर का कार्य भी संतोषजनक रूप में कार्य कर रहा है। मुख्य विद्युत उत्पादक संयंत्र और उपस्कर के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं और रूस तथा उक्रेन से आपूर्तियां भी आरंभ हो गई हैं।

(घ) टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम का दो चरणों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में टिहरी शहर के 5291 शहरी परिवारों और 28 गांवों के पूर्णतः प्रभावित ग्रामीण परिवार, जिनका पुनर्स्थापन करना है, और 3998 आंशिक रूप से प्रभावित परिवार, जिन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा, शामिल हैं। ग्रामीण पुनर्वास का प्रथम चरण व्यावहारिक तौर पर पूरा कर लिया गया है जबकि दूसरे चरण में पुनर्वासित किए जाने वाले परिवारों का पुनर्वास कार्य प्रगति पर है। शहरी पुनर्वास के मामले में पात्र प्रभावित परिवारों को भूखण्ड/फ्लैट/दुकान आबंटित कर दिए गए हैं और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) परियोजना की 427.74 करोड़ रुपये की आईडीसी समेत 2963.56 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 का मूल्य स्तर) अनुमोदित लागत अनुमान की तुलना में अगस्त, 1999 के मूल्य स्तर पर परियोजना की संशोधित लागत अनुमान 470.95 करोड़ रुपये की आईडीसी समेत 5690.64 करोड़ रुपये बैठती है। लागत अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः मूल्य अभिवृद्धि पुनर्वास एवं पर्यावरणीय लागत में वृद्धि के कारण तथा कुल तकनीकी–पहलुओं के कारण हुई है।

(च) परियोजना की प्रत्येक 250 मे. वा. वाली सभी चार यूनिटों को दिसम्बर, 2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बीना में भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड

662. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, बीना (मध्य प्रदेश) का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या ओमान सरकार अपने वायदे से मुकर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त तेलशोधक कारखाने की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) रिफाइनरी परियोजना हेतु क्रूड आयात सुविधाओं के लिए कुछ एक पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब के कारण ओमान ऑयल कंपनी (ओ ऑ कं) ने परियोजना के अंतर्गत अपने निवेश की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को परियोजना कार्यान्वयन आरम्भ होने की तारीख से 48 माह के अंतर्गत पूरा कर लिए जाने की आशा है।

गुजरात के विद्युत संयत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

663. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तरी गुजरात के विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता 770 मे.वा. से बढ़ा दी गई है जैसा कि नीचे इंगित है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम/ यूनिट सं.	राज्य/संगठन	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की तिथि
1.	पगुथन एसटी	गुजरात/गुजरात टोरेंट	250	13.10.98
2.	वनाकबोरी टीपीएस यू–7	गुजरात/जीईबी	210	31.12.98
3.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी यू–1	गुजरात/जीआईपीसीएल	125	16.01.2000
	यू–2		125	6.11.99
4.	कदाना जल विद्युत परियोजना विस्तार यू–2	गुजरात/जीईबी	60	27.5.98
	कुल		770	

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूसी प्रक्षेपास्त्रों की खरीद

664. श्री जयपाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और नेवी की सेवा से सी ईगल्स पोत विध्वंसकों को हटा लेने के बाद भारत सरकार इस प्रक्षेपास्त्र के स्थान पर रूसी प्रक्षेपास्त्रों की खरीद करने के बारे में अब बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों प्रक्षेपास्त्रों के विनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार इन प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी (अनुरक्षण) के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने रक्षा कार्मिकों को वहां भेजने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) ब्रिटेन से प्राप्त सी ईगल प्रक्षेपास्त्र अभी भी नौसेना की माल–सूची में मौजूद हैं। तथापि, नौसेना ने अपनी संक्रियात्मक और मारक क्षमता बेहतर बनाने के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति करने के लिए रूस से संपर्क किया है। क्रय संविदा में अन्य बातों के साथ–साथ रूस से अभी प्राप्त किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के अनुरक्षण में नौसेना के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का पहलू शामिल किया जाएगा।

अमरीका में परेड में भारतीय नौसेना पोत का भाग लेना

665. श्री तूफानी सरोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका में आयोजित पोतों की परेड में भारतीय नौसेना पोत "मैसूर" निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक को भाग लेने के लिए भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इससे क्या उद्देश्य प्राप्त हुए ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के नियंत्रण पर भारतीय नौसेना पोत "मैसूर" को 4 जुलाई, 2000 को न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौसेना पुनरीक्षण में भाग लेने के लिए भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत सहित 14 देशों से वहां पर आए युद्धपोतों को देखा। नौसेना का पोत "मैसूर" भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां से वापसी की अपनी यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले विविध यूरोपीय बंदरगाहों से गुजरेगा और इन देशों की नौसेनाओं के साथ मार्ग अभ्यास करेगा। पोत की इन देशों की यात्रा से भारत की समुद्री विरासत के प्रदर्शन के साथ–साथ इन देशों की नौसेना से नौसेना के बीच सहयोग बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

गंगा नदी पर पुल का निर्माण

666. श्री राजीव प्रताप रूड़ी : क्या रेल मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर एक रेल पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक निर्माण कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पटना और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा विस्तृत जांच तथा अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंथान संस्थान, रूड़की द्वारा मॉडल अध्ययन किए जा रहे हैं तथा उनके पूरा होने के बाद पुल के संरेखण तथा विन्यास को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पुल के अभिकल्प संरेखण को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद लागत नों को तैयार किया जाएगा तथा अपेक्षित स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन स्वीकृतियों के प्राप्त होने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा।

करगिल संघर्ष के योद्धाओं को वीरता सम्मान

667. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करगिल की लड़ाई में योद्धाओं को कुल कितने वीरता सम्मान दिए गए और इन्हें प्राप्त करने वाले योद्धाओं का पूर्ण विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अब तक 300 वीरता पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं.	रैंक का नाम
1	2
परमवीर चक्र	
1.	आई सी–57556 कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जे. एण्ड के. राइफल्स (मरणोपरांत)
2.	आई सी–56959 लेफ्टि. मनोज पांडे, 1/11 जी आर (मरणोपरांत)
3.	13760533 राइफलमैन संजय कुमार, 13 जे एंड के राइफल्स
4.	2690572 ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स
महावीर चक्र	
1.	आईसी–45952 मेजर सोनम वांगचुक, लद्दाख स्काउट्स (आईडब्ल्यू)
2.	आईसी–51152 मेजर विवेक गुप्ता, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
3.	आईसी–52574 मेजर राजेश सिंह अधिकारी, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
4.	आईसी–55072 मेजर पदमपाणि आचार्य, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
5.	आईसी–57111 कैप्टन अनुज नैय्यर, 17 जाट (मरणोपरांत)
6.	आईसी–58396 कैप्टन नीकझाकुवो केनगुरुस, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
7.	एसएस–37111 लेफ्टि. कीसिंग क्लिफर्ड नोनग्रुम, 12 जे एंड के लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)
8.	एसएस–37691 लेफ्टि. बलवान सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स
9.	2883178 नायक दिगेन्द्र कुमार, 2 राजपूताना राइफल्स
वीर चक्र	
1.	आईसी–35204 कर्नल उमेश सिंह बावा, 17 जाट
2.	आईसी–37020 कर्नल ललित राय, 1/11 जीआर
3.	आईसी–38662 कर्नल एम.बी. रविन्द्रनाथ, 2 राजपूताना राइफल्स
4.	आईसी–39584 लेफ्टि कर्नल आर विश्वनाथन, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
5.	आईसी–40500 लेफ्टि कर्नल योगेश कुमार जोशी, 13 जे एंड के राइफल्स
6.	आईसी–43258 मेजर एस विजय भास्कर, 13 जे एंड के राइफल्स
7.	आईसी–44616 मेजर दीपक रामपाल, 17 जाट

1	2
8.	आईसी–47825 मेजर विकास वोहरा, 13 जे एंड के राइफल्स
9.	आईसी–48654 मेजर अमरिंदर सिंह कसाना, 41 फील्ड रेजिमेंट
10.	आईसी–52837 मेजर राजेश साह, 18 गढ़वाल राइफल्स
11.	आईसी–53595 मेजर मोहित सक्सेना, 2 राजपूताना राइफल्स
12	एसएस–36288 मेजर एम सरवानन, 1, बिहार (मरणोपरांत)
13.	आईसी–53264 कैप्टन श्यामल सिन्हा कुमाऊ, एच ए डब्ल्यू एस 27 राजपूत
14.	आईसी–54065 कैप्टन अमोल कालिया, 12 जे एंड के लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)
15.	आईसी–57021 कैप्टन सचिन अन्नाराव निम्बलकर, 18 ग्रेनेडियर्स
16.	आईसी–57027 कैप्टन संजीव सिंह, एएससी, 13 जे एंड के राइफल्स
17.	आईसी–57260 कैप्टन हनीफुद्दीन, 11 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
18.	आईसी–58154 कैप्टन सुमीत राय, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
19.	आईसी–58278 कैप्टन विजयंत थापर, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
20.	आईसी–58564 मारीघ्योदन वीटिल सूरज, 18 गढ़वाल राइफल्स
21.	एसएस–36261 कैप्टन जिन्टू गोगोई, 17 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
22.	एमएम–37033 कैप्टन आर. जेरी प्रेम राज, 158 मीडिया रेजिमेंट (मरणोपरांत)
23.	जेसी–183573 सूबेदार छेरिंग स्टोबडन, लद्दाख स्काउट्स (आई डब्ल्यू)
24.	जेसी–203851 सूबेदार बहादुर सिंह, 12 जे. एंड के लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)
25.	जेसी 221082 सूबेदार लोबजंग छोटक, लद्दाख स्काउट्स (आईडब्ल्यू) (मरणोपरांत)

1	2
26.	जेसी–448357 सूबेदार रणधीर सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
27.	जेसी–468356 सूबेदार भंवर लाल, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
28.	जेसी–578216 सूबेदार रघुनाथ सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
29.	जेसी–468659 नायब सूबेदार मंगेज सिंह, 11 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
30.	जेसी–498695 नायब सूबेदार करनैल सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
31.	2874399 कंपनी हवलदार मेजर यशवीर सिंह, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
32.	2669264 हवलदार उधम सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
33.	2670242 हवलदार मदन लाल, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
34.	2874737 हवलदार सुलतान सिंह नरवारिया 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
35.	3169696 हवलदार कुमार सिंह 17 जाट (मरणोपरांत)
36.	3172590 हवलदार सीस राम गिल, 8 जाट (मरणोपरांत)
37.	4180458 हवलदार जोगिंदर सिंह, कुमाऊं, 27 राजपूत
38.	9923125 हवलदार सेवांग रिगजिन, लद्दाख स्काउट्स (आई डब्ल्यू) (मरणोपरांत)
39.	8031499 लांस/हवलदार राम कुमार, 18 ग्रेनेडेडियर्स (मरणोपरांत)
40.	4067027 नायक कश्मीर सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
41.	4268024 नायक गणेश प्रसाद यादव, 1 बिहार (मरणोपरांत)
42.	13745002 नायक देव प्रकाश, 13 जे एंड के राइफल्स
43.	9094874 लांस नायक जीएच मोहम्मद खान, 12 जे एंड के लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरात)
44.	14701938 लांस नायक खुशीमन गुरूंग, 1 नागा
45.	3392872 सिपाही सतपाल सिंह, 8 सिख
46.	9924604 सिपाही शेरिंग दोरजी, लद्दाख स्काउट्स (आई डब्ल्यु)

1	2
47.	14702837 सिपाही के अशुली, 1 नागा (मरणोपरांत)
48.	2892944 राइफलमैन जय राम सिंह, 2 राजपूताना राइफल्स
49.	4075503 राइफलमैन अनुसूइया प्रसाद, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
50.	4075870 राइफलमैन कुलदीप सिंह, 18 गढवाल राइफल्स (मरणोपरांत)
51.	13758323 राइफलमैन श्याम सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स (मरणोपरांत)
52.	13759408 राइफलमैन मेहर सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
53.	15119305 ग्रेनेडियर संजीव गोपाला पिल्लै, आर्टी, 4 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
54.	विंग कमांडर अनिल कुमार सिन्हा (16074), फ्लाइंग पायलट
55.	स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा (17864) फ्लांइग पायलट (मरणोपरांत)

सेना मेडल बार (वीरता)

1.	आईसी–34600 कर्नल समीर कुमार चकवती, एससी, एसएम, 18 गढवाल राइफल्स

सेना मेडल (वीरता)

1.	आईसी–25068 कर्नल देवेन्द्र सिंह यादव, आर्मी एवीएन 663 आर एंड ओ स्क्वैड्रन
2.	आईसी–34423 कर्नल आलोक देव, आर्टी, 197 फील्ड रेजिमेंट
3.	आईसी–36955 कर्नल प्रभात रंजन, आर्टी, 108 मीडियम् रेजिमेंट
4.	आईसी–37050 लेफ्टि कर्नल गिरीश कुमार मेंदीरत्ता, आर्टी 1889 लाइट रेजिमेंट
5.	आईसी–39611 मेजर सुरेश कुमार जोशी, 18 गढ़वाल राइफल्स
6.	आईसी–41803 एम्ब्रोज जेवियर अमलराज, आर्टी, 108 मीडियम रेजिमेंट
7.	आईसी–47298 मेजर रविंद सिंह, 8 सिख
8.	आईसी–50074 मेजर गुरजीत सिंह, पजांब, 5 विकास
9.	आईसी–50587 मेजर गुरप्रीत सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
10.	आईसी–51498 मेजर अमिताभ रॉय, आर्टी, 8 सिख
11.	आईसी–53288 मेजर नवदीप सिंह चीमा, 27 राजपूत
12.	एसएस–36635 मेजर अजय सिंह जसरोतिया 13 जे एंड के राइफल्स (मरणोपरांत)
13.	एसएस–36699 मेजर जॉय दासगुप्ता, 18 ग्रेनेडियर्स
14.	आईसी–46723 कैप्टन हरबीर सिंह, सिख एलआई, 5 विकास
15.	आईसी–50475 कैप्टन गणेश भट्ट, आर्टी, 1889 लाइट रेजिमेंट
16.	आईसी–50609 कैप्टन कामथ प्रशांत नारायन, 1889 लाइट रेजिमेंट
17.	आईसी–54099 कैप्टन मृदुल कुमार सिंह, आर्टी, 197 फील्ड रेजिमेंट
18.	आईसी–54362 कैप्टन पी वी विक्रम, आर्टी 141 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
19.	आईसी–58579 कैप्टन नवीन अनाबेरु नागप्पा, ईएमई, 13 जे एंड के राइफल्स
20.	एसएस–36929 कैप्टन साजू चेरियन, आर्टी, 307 मीडियम रेजिमेंट
21.	एसएस–36937 कैप्टन अमित शर्मा, 197 फील्ड रेजिमेंट
22.	एमआर–7029 कैप्टन सोमनाथ बसु, एएमसी, 408 फील्ड एएमबी
23.	आईसी–57422 लेफ्टि. संजय बरशिलिया, आर्टी, 286 मीडियम रेजिमेंट
24.	आईसी–58420 लेफ्टि. परवीन तोमर, एएससी, 2 राजपूताना राइफल्स
25.	आईसी–58520 लेफ्टि. राकेश कुमार सहरावत 8 सिख
26.	एसएस–37818 लेफ्टि. कनद भट्टाचार्य, एओसी, 8 सिख (मरणोपरांत)
27.	जेसी–155752 सूबेदार ए हेनी माओ, 1 नागा

1	2
28.	जेसी–212589 सूबेदार सुमेर सिंह राठौर, 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
29.	जेसी–220978 सूबेदार जोगिंदर सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
30.	जेसी–488240 सूबेदार सुरेन्द्र, 18 गढ़वाल राइफल्स
31.	जेसी–578244 सूबेदार रोमेश चंद, 13 जे एंड के राइफल्स
32.	जेसी–448592 नायब सूबेदार चंदा जाट, 18 ग्रेनेडियर्स
33.	जेसी–448733 नायब सूबेदार लाल सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
34.	जेसी–468641 नायब सूबेदार सुनायक सिंह, 2 राजपूताना राइफल्स
35.	जेसी–588008 टुंडप दोरजी, लद्दाख स्काउट्स (आई डब्ल्यु)
36.	2871708 हवलदार श्री भगवान, 2 राजपूताना राइफल्स
37.	2876486 हवलदार रणबीर सिंह, 2 राजपूताना राइफल्स
38.	2877691 हवलदार सरमन सिंह, सैंगा 2 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
39.	3169828 हवलदार हरि ओम, 17 जाट (मरणोपरांत)
40.	9922696 हवलदार गुलाम कादिर, लद्दाख स्काउट्स (आईडब्ल्यु)
41.	14700648 हवलदार टाम बहादुर छेतरी 1 नागा (मरणोपरांत)
42.	2675828 लांस हवलदार रमेश चंद्र, 18 ग्रेनेडियर्स
43.	2679002 नायक निर्मल सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स
44.	2681582 नायक समुंदर सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
45.	2681935 नायक रवि करण सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
46.	2882280 नायक करनबीर, 2 राजपूताना राइफल्स
47.	3172785 नायक बलवान सिंह, 17 जाट (मरणोपरांत)
48.	3388978 नायक बहादुर सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
49.	3389457 नायक रंजीत सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
50.	4061290 नायक जगत सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
51.	9923077 नायक ताशी नुरबू, लद्दाख स्काउट्स (आईडब्ल्यु)
52.	13744950 नायक मोहन लाल, 13 जे एंड के राइफल्स
53.	13746128 नायक स्वर्ण सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
54.	2681263 लांस नायक राजेन्द्र कुमार यादव, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
55.	2682054 लांस नायक शक्ति सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स
56.	2883917 लांस नायक नारायण सिंह, 2 राजस्थान राइफल्स
57	2988446 लांस नायक भगवान सिंह, 27 राजपूत (मरणोपरांत)
58.	4265919 लांस नायक किशन सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
59.	4266649 लांस नायक सुरमन सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
60.	13752268 लांस नायक सरवन सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
61.	13752567 लांस नायक कोशल कुमार शर्मा, 13 जे एंड के राइफल्स
62.	13753150 लांस नायक हरिश पाल 13 जे एंड के राइफल्स (मरणोपरांत)
63.	2996629 सिपाही भंवर सिंह इंदा, 27 राजपुत (मरणोपरांत)
64.	3188347 सिपाही सुरेन्द्र, 17 जाट (मरणोपरांत)
65.	3188797 सिपाही पूना राम, 17 जाट
66.	3396374 सिपाही मेजर सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
67.	3183340 राइफलमैन नरपाल सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
68.	4071232 राइफलमैन डबल सिंह, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
69.	13760079 राइफलमैन नतिंदर सिंह, 13 जे एंड के राइफल्स
70.	13760244 राइफलमैन अजय पठानिया, 13 जे एंड के राइफल्स
71.	13761917 राइफलमैन सुनील कुमार, 13 जे एंड के राइफल्स
72.	13762125 राइफलमैन केवल कुमार, 13 जे एंड के राइफल्स

1	2

73. 2783467 ग्रेनेडियर मनीष कुमार, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

74. 2683639 ग्रेनेडियर कल्याण सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स

75. 2683738 ग्रेनेडियर प्रवीण कुमार, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

76. 2686890 ग्रेनेडियर राज कुमार, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

77. 2689961 ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

78. 2690089 ग्रेनेडियर दलीप सिंह, 18 ग्रेनेडियर्स

79. 14404805 गनर जगदीश प्रसाद गुप्ता, 286 मेडिकल रेजिमेंट

80. 15312696 सैपर एम जयावेलु, 2 इंजीनियर रेजिमेंट (मरणोपरांत)

81. 15398246 सिगनलमैन विनोद कुमार, 8 एमडीएसआर (मरणोपरांत)

82. 57867 कंपनी लीडर छोम्बि, 5 विकास

83. 61614 असिस्टेंट लीडर तशी फोन्त्सोक, 5 विकास

वायुसेना मेडल (वीरता)

1. ग्रुप कैप्टन सतीश पाल सिंह (13770) फ्लाइंग पायलट

2. विंग कमांडर रघुनाथ नांबियार (16378) फ्लाइंग पायलट

3. स्क्वाड्न लीडर राजीव पुंडीर (17143) फ्लाइंग पायलट (मरणोपरांत)

4. स्क्वाड्रन लीडर मोहन राव (17343) फ्लाइंग पायलट

5. स्क्वाड्रन लीडर विश्वास गौड़ (17361)

6. स्क्वाड्रन लीडर संजय भटनागर (17363) फ्लाइंग पायलट

7. स्क्वाड्रन लीडर गुरचरण सिंह बेदी (17448) फ्लाइंग पायलट

8. स्क्वाड्रन लीडर दिलीप कुमार पटनायक (17464) फ्लाइंग पायलट

9. स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार श्रीवास्तव, युसेमे (17471)

10. स्क्वाड्रन लीडर आलोक चौधरी (18271) फ्लाइंग पायलट

11. स्क्वाड्रन लीडर नरेन्द्र सिंह वर्मा (18298) फ्लाइंग पायलट

12. स्क्वाड्रन लीडर अमनजीत सिंह हीर (19521) फ्लाइंग पायलट

1	2

13. स्क्वाड्रन लीडर नितिश कुमार (19898) फ्लाइंग पायलट

14. स्क्वाड्रन लीडर हरेन्द्रपाल सिंह (20477) फ्लाइंग पायलट

15. फ्लाइट लेफ्टि. श्रीपद टोकेकर (21815) फ्लाइंग पायलट

16. फ्लाइट लेफ्टि. राजेश वालिया (21858) फ्लाइंग पायलट

17. फ्लाइट लेफ्टि. आशिष गुप्ता (22121) फ्लाइंग पायलट

18. फ्लाइट लेफ्टि. सुब्रमणियम मुहिलन (22739) फ्लांइग पायलट (मरणोपरांत)

19. फ्लाइट लेफ्टि. गौरव छिब्बर (22926) फ्लाइंग पायलट (मरणोपरांत)

20. फ्लाइट लेफ्टि. कम्बपत्ति नचिकेता (22930) फ्लाइंग पायलट

21. फ्लाइंग ऑफिसर राजपाल सिंह धालीवाल (23535) फ्लाइंग पायलट

22. 668396 डब्ल्यु ओ कृष्ण सिंह ढिल्लो फ्लाइट इंजीनियर

23. 695490 सार्जेंट पसादपिल्ला वैंकट नारायण रवि, फ्लाइट गनर (मरणोपरांत)

24. 729917 सार्जेंट साहू किशोर, फ्लाइट इंजीनियर (मरणोपरांत)

विवरण-II

कारगिल संघर्ष के लिए 26 जनवरी, 2000 को दिए गए वीरता पुरस्कारों के विजेताओं का ब्यौरा

क्रम सं.	रैंक और नाम
1	2

महावीर चक्र

01. 14702937 सिपाही इमलियाकुम आओ,-2 नागा

वीर चक्र

01. मेजर प्रभुनाथ प्रसाद (आईसी–36610), एसएम, आर्मी एविऐशन, 32 आर एंड ओ फ्लाइट

02. मेजर के पी आर हरि (आईसी–40798), 1 बिहार

03. मेजर गौतम शशिकुमार खोत (आईसी–47707), आर्मी एविऐशन 23 आर एंड ओ फ्लाइट

1	2
04.	कैप्टन बालेयदा मुथन्ना करियप्पा (आईसी–54977), 5 पैरा
05.	कैप्टन शशि भूषण घिल्डियाल (आईसी–56633), आर्टिलरी, 315 फील्ड रेजिमेंट
06.	कैप्टन रूपेश प्रधान (आईसी–57301), 2 इंजीनियर रेजिमेंट
07.	लेफ्टि. प्रवीण कुमार (आईसी–57455), 14 सिख
08.	लेफ्टि. दीपांकर कपूर सिंह सहरावत (आईसी–57502), 2 नागा
09.	जेसी–208096 सूबेदार निर्मल सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
10.	जेसी–226210 नायब सूबेदार ताशी छेपल, आई डब्ल्यू, लद्दाख स्काउट्स
11.	9085536 हवलदार सतीश चंद्र, 12 जम्मू–कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
12.	9415981 हवलदार भीम बहादुर दीवान, 1/11 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)
13.	4268525 नायक शत्रुघ्न सिंह, 1 बिहार
14.	5045510 नायक बृज मोहन सिंह, 9 पैरा (एसएफ) (मरणोपरांत)
15.	13618411 नायक कौशल यादव, 9 पैरा (एफ एस) (मरणोपरांत)
16.	9418968 लांस नायक ज्ञानेन्द्र कुमार राय, 1/11 गोरखा राइफल्स
17.	9924742 सिपाही सेवांग मोरूप, के डब्ल्यू, लद्दाख स्काउट्स

सेना मेडल (वीरता)

1.	बिग्रेडियर चन्द्र मोहन नायर (आई सी–23870), आर्टिलरी, 3 आर्टी, ब्रिगेड
2.	कर्नल सुरेन्द्र पाल सिंह (आई सी–30519), आर्मी एवियेशन, 666 आर एण्ड ओ स्क्वाड्रन
3.	कर्नल रवीन्द्र कुमार सभरवाल (आई सी–34858), आर्टिलरी, 831 लाइट रेजिमेंट
4.	कर्नल अरुण कुमार मिश्र (आई सी–31715), आर्टिलरी, 158 मीडियम रेजिमेंट
5.	कर्नल दयानंद यादव (आई सी–33810), आर्टीलरी, 4 फील्ड रेजिमेंट
6.	लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेन्द्र सिंह भालोठिया (आई सी–37581), 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री
7.	मेजर योगन्द्र मुखिया (आई सी–40080), आर्मी एवियेशन, 3 आर एण्ड ओ फ्लाइट
8.	मेजर चन्द्र भूषण द्विवेदी (आई सी–40468), आर्टिलरी, 315 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
9.	मेजर धीरेन्द्र फौजदार (आई सी–41143), आर्टिलरी, 244 हैवी मोर्टार रेजिमेंट
10.	मेजर संजीव दत्त (आई सी–43376), 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री
11.	मेजर ओम प्रकाश यादव (आई सी–44862), 603 ई एम ई बटालियन
12.	मेजर अनिल जोशी (आई सी–45210), जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, के डब्ल्यु लद्दाख स्काउट्स
13.	मेजर गुरप्रीत सिंह (आई सी–48957), आर्टिलरी, 15 फील्ड रेजिमेंट
14.	मेजर राहुल ओहरी (आई सी–51962), आर्टिलरी, 15 फील्ड रेजिमेंट
15.	मेजर नितिन बसंत पुन्डे (आई सी–52516), आर्टिलरी, 139 मीडियम रेजिमेंट
16.	कैप्टन टी राजागोपाल (आई सी 49271), आर्मी एवियेशन, 32 आर एण्ड ओ फ्लाइट
17.	कैप्टन सलीम वदीउज्जमां शेख (आई सी 49627) आर्मी एवियेशन, 7 आर एण्ड ओ फ्लाइट
18.	कैप्टन सतेन्द्र सिंह (आई सी–50032), आर्मी एवियेशन, 663 आर एण्ड ओ स्क्वाड्रन
19.	कैप्टन रोहित राजपाल (आई सी–50889), आर्मी एवियेशन, 33 आर एण्ड ओ फ्लाइट

1	2
20.	कैप्टन राकेश तिवारी (आई सी–53200), आर्टिलरी, 15 फील्ड रेजिमेंट
21.	*कैप्टन एम.ए. राजमन्नार (आई सी–53765), आर्टिलरी,* 301 लाइट रेजिमेंट
22.	कैप्टन राजेश भनोट (आई सी–54552), 17 गढ़वाल राइफल्स
23.	कैप्टन नरेश कुमार बिश्नोई (आई सी–54838), कवचित, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स
24.	कैप्टन अनिरुद्ध चौहान (आई सी–57146), 11 राजपूताना राइफल्स
25.	कैप्टन अमित औल (एस एस 37087), 3/3 गोरखा राइफल
26.	कैप्टन हरकमल अटवाल (एस एस 37246), 13 कुमाऊँ
	कैप्टन विजय कुमार (एम एस 13250), सेना चिकित्सा कोर, 1 नागा
28.	कैप्टन विशाल वीर शर्मा (एम एस 13268) सेना चिकित्सा कोर, 17 जाट
29.	कैप्टन राजेश डब्ल्यू अधाउ (एम एस 13334), सेना चिकित्सा कोर, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स
30.	लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार (आई सी–57837), 5 पैरा
31.	लेफ्टिनेंट सच्चिदानंद पांडे (आई सी–58064), 4 फील्ड रेजिमेंट
32.	लेफ्टिनेंट प्रदीप्ता दत्ता (आई सी–58495), एयर डिफेंस आर्टिलरी, 130 एयर डिफेंस रेजिमेंट
33.	लेफ्टिनेंट राजेश विनोद कुलकर्णी (एस एस 37215), 108 इंजीनियर्स रेजिमेंट
34.	जे सी 177421 सूबेदार डी चिन्नारायण, 2 इंजीनियर्स रेजिमेंट
35.	जे सी 183574 सूबेदार शेरिंग फुनचुक, आई डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स
36.	जे सी 190557 सूबेदार ऊधम सिंह, आर्टिलरी, 244 हैवी मोर्टार रेजिमेंट

1	2
37.	जे सी 203567 सूबेदार भंवर सिंह, आर्टिलरी, 1889 लाइट रेजिमेंट (मरणोपरान्त)
38.	*जे सी 256861 सूबेदार पदमनाभ आर्टिलरी 15 फील्ड* रेजिमेंट
39.	जे सी 256870 सूबेदार ए अंगामुत्थु, आर्टिलरी 108 मीडियम रेजिमेंट
40.	जे सी 568141 सूबेदार सतनाम सिंह 9 महार
41.	जे सी 348563 नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह, 108 इंजीनियर्स रेजिमेंट
42.	जे सी 498686 नायब सूबेदार रवैल सिंह 8 सिख (मरणोपरांत)
43.	जे सी 588016 नायब सूबेदार ताशी नामग्याल, के. डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स
44.	जे सी 588031 नायब सूबेदार अंगचोक दोरजी के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
45.	जे सी 680275 नायब सूबेदार प्रेम सिंह आर्मी सर्विस कोर, 899 ए टी कंपनी
46.	14378686 बी एच एम भूपेन्द्र प्रसाद सिंह, एयर डिफेंस आर्टिलरी, 326 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट
47.	14558045 एच एम टी महाबीर, ई एम ई, 835 फील्ड वर्कशाप कंपनी
48.	2874293 हवलदार कान सिंह, 11 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)
49.	3170559 हवलदार महावीर सिंह, 17 जाट (मरणोपरांत)
50.	3381908 हवलदार सुखवंत सिंह, 8 सिख
51.	3986617 हवलदार डोला राम, 1 पैरा (एस एफ) (मरणोपरांत)
52.	4257831 हवलदार रतन कुमार सिंह, 1 बिहार (मरणोपरांत)
53.	9418000 हवलदार ज्ञान बहादुर तमांग, 1/11 गोरखा राइफल्स

1	2
54.	9084546 हवलदार गुरविन्दर सिंह, 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री
55.	13613757 हवलदार मोहन सिंह राजपूत, 5 पैरा (मरणोपरांत)
56.	13614629 हवलदार रवीन्द्र कुमार, 5 पैरा
57.	13615135 हवलदार युद्धवीर सिंह, 5 पैरा
58.	14700666 हवलदार सूरत सिंह पवार, 2 नागा
59.	14701424 हवलदार रेखू यिमचुंगर, 2 नागा (मरणोपरांत)
60.	9086338 लांस हवलदार सोनावोल्लाह खां, 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री
61.	2682993 नायक आबिद खान, 22 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
62.	2683225 नायक जाकिर हुसैन, 22 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
63.	3384443 नायक रघुवीर सिंह, 14 सिख
64.	3992362 नायक अश्वनी कुमार, 9 पैरा (एस एफ) (मरणोपरांत)
65.	4066198 नायक शिव सिंह, 17 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
66.	9087158 नायक चितन परसाद दहल 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (मरणोपरांत)
67.	9922588 नायक फुंचोक अंगडस, आई डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
68.	13616004 नायक गंगा राम, 10 पैरा (एस एफ)
69.	13620699 नायक सुरेन्द्र सिंह शेखावत, 10 पैरा (एस एफ) (मरणोपरांत)
70.	13620980 नायक विजय पाल सिंह, 10 पैरा (एस एफ) (मरणोपरांत)
71.	13621169 नायक अनिल सिंह, 9 पैरा (एस एफ) (मरणोपरांत)
72.	14372787 नायक यशवंत दुरगप्पा कोलकर, आर्टिलरी 255 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
73.	14701222 नायक हरि बहादुर घाले, 2 नागा (मरणोपरांत)
74.	298864 लांस नायक पहल सिंह, 27 राजपूत
75.	4070288 लांस नायक देवेन्द्र प्रसाद, 17 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरांत)
76.	4264069 लांस नायक विद्यानंद सिंह, 1 बिहार (मरणोपरांत)
77.	6925194 लांस नायक जनबीर सिंह, ए ओ सी 603 ई एम ई बटालियन
78.	6932439 लांस नायक खैरनार एकनाथ चेतराम, सिग्नल्स 8, माऊंटेन डिवी, सिग्नल्स रेजिमेंट (मरणोपरांत)
79.	14390387 लांस नायक चंदन सिंह, एयर डिफेंस आर्टिलरी, 326 लाइट एयर डिवा. आर्टीलरी रेजिमेंट (मरणोपरांत)
80.	14498846 लांस नायक पीके संतोष कुमार, आर्टिलरी, 93 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
81.	14702709 लांस नायक मोहन सिंह, 2 नागा (मरणोपरांत)
82.	15116577 लांस नायक मुकेश कुमार, आर्टिलरी, 1889 लाइट रेजिमेंट (मरणोपरांत)
83.	3399929 सिपाही गुरदीप सिंह, 8 सिख (मरणोपरांत)
84.	4268338 सिपाही हरदेव प्रसाद, 1 बिहार (मरणोपरांत)
85.	4274877 सिपाही निनामा शैलेष कुमार कवाजी, 1 बिहार (मरणोपरांत)
86.	4275292 सिपाही शिव शंकर प्रसाद गुप्ता, 1 बिहार (मरणोपरांत)
87.	4276334 सिपाही प्रमोद कुमार, 1 बिहार (मरणोपरांत)
88.	9924028 सिपाही सोनम दोरजी, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
89.	9924082 सिपाही नवांग तुन्दुप, आई डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
90.	9924147 सिपाही तुन्दुप दोरजी, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
91.	9924732 सिपाही लूतोस जंगबो, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)

1	2
92.	9924755 सिपाही कुंजांग रिगजिन, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
93.	9924757 सिपाही शेरिंग अंगचोक, के डब्ल्यू लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
94.	14702973 सिपाही एच अदाहरनी, 2 नागा
95.	14703089 सिपाही हिम्मत सिंह, 2 नागा (मरणोपरांत)
96.	1487884 सैपर सतीश कुमार, 236 इंजीनियर्स रेजिमेंट (मरणोपरांत)
97.	1585300 सैपर हाजी बाशा, 110 इंजीनियर्स रेजिमेंट (मरणोपरांत)
98.	1587050 सैपर लक्ष्मण कदुबा चाटे, 108 इंजीनियर्स रेजिमेंट
99.	5246687 राइफलमैन पृथ बहादुर पुन, 3/3 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)
100.	9096598 राइफलमैन मोहम्मद फरीद, 12 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (मरणोपरांत)
101.	9422842 राइफलमैन बुद्धि राज रॉय, 1/11 गोरखा राइफल्स
102.	2683671 ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
103.	15127625 गनर आई. नंद चंद सिंघा, आर्टिलरी, 315 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
104.	8034454 पायनियर जयप्रकाश पांडे, 1568 पायनियर कंपनी
105.	13621792 पैराट्रूपर गोपाल सिंह, 7 पैरा (मरणोपरांत)
106.	14584302 क्राफ्ट्समैन कमलेश सिंह, 608 ई एम ई बटालियन (मरणोपरांत)

[हिन्दी]

देश में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां

668. श्री रामशकल : क्या **पेट्रोल और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कुल कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) भिन्न–भिन्न कोटा के अंतर्गत आबंटित किये गये पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 17739 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 6161 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थीं। खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का राज्य–वार और श्रेणी वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I और विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

1.4.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार श्रेणी–वार खुदरा बिक्री केन्द्र

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज. जा.	बे.स्ना. बे.इ.स्ना.	शा. वि.	रक्षा	अ.सै. पु.	स्व. से.	उ. खि.	अन्य	सा.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	86	26	58	42	23	0	13	1	63	1052	1364
अरुणाचल प्रदेश	0	25	0	0	0	0	0	0	6	2	33
असम	14	35	9	12	5	0	5	0	132	154	366
बिहार	93	49	66	50	17	0	19	0	15	851	1160
गोवा	5	0	1	1	1	0	1	0	2	61	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गुजरात	51	34	45	34	11	0	11	0	45	877	1108
हरियाणा	62	0	20	24	8	0	8	1	33	444	600
हिमाचल प्रदेश	14	0	6	5	3	0	1	1	6	69	105
जम्मू एवं कश्मीर	4	0	5	5	7	0	1	0	8	103	133
कर्नाटक	80	4	51	31	11	0	12	0	49	825	1063
केरल	51	2	23	21	10	0	7	0	13	649	776
मध्य प्रदेश	37	66	43	30	15	1	11	0	35	808	1046
महाराष्ट्र	53	50	55	48	23	0	10	0	60	1393	1692
मणिपुर	0	12	3	1	2	0	0	0	4	6	28
मेघालय	0	36	0	1	0	0	0	0	10	10	57
मिजोरम	4	6	0	0	0	0	0	0	4	0	14
नागालैण्ड	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	29
उड़ीसा	26	26	27	14	3	0	2	0	17	274	389
पंजाब	79	1	41	25	14	0	9	0	16	873	1058
राजस्थान	77	46	55	42	20	0	16	1	26	765	1048
सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	13
तमिलनाडु	147	4	75	63	25	1	16	0	42	1218	1591
त्रिपुरा	0	5	0	0	0	0	0	0	21	7	33
उत्तर प्रदेश	227	0	72	86	52	6	40	2	93	1848	2426
पश्चिम बंगाल	86	17	65	29	18	1	6	0	24	874	1120
अंडमान और निकोबार	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	5
चंडीगढ़	2	0	0	2	0	0	0	0	14	21	39
दादरा और नागर हवेली	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
दिल्ली	11	0	12	3	18	0	3	0	74	208	329
दमन और दीव	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	6	0	1	2	0	0	0	0	2	23	34
योग	1215	464	734	571	286	9	191	6	824	13439	17739

अ.जा. : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. : अनुसूचित जन जाति, बे.स्ना. : बेरोजगार स्नातक, बे.इं.स्ना. : बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक, शा. वि. : शारीरिक विकलांग, रक्षा : रक्षा श्रेणी, अ.सै.पु. : अर्द्ध सैनिक पुलिस/सरकारी कार्मिक।

स्व. से. : स्वतंत्रता सेनानी, उ.खि. : उत्कृष्ट खिलाड़ी, अन्य : सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी, अनुकम्पा आधार पर/स्वैच्छिक कोटा के अधीन दी गई डीलरशिप, दो/तीन पहिया बिक्री केन्द्र और कंपनी के स्वामित्व और प्रचालन वाले बिक्री केन्द्र शामिल हैं,

सा. : सामान्य श्रेणी

विवरण-II

1.4.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार श्रेणी–वार एल पी जी वितरक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	बे.स्ना/ बे.इं.स्ना.	शा.वि.	रक्षा श्रेणी	स्व. से.	अन्य	सामान्य	उ. खि.	अ.सै. पु.	तदर्थ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	49	21	55	30	21	14	237	100	1	0	3	531
[illegible] प्रदेश	0	11	0	0	0	0	8	4	0	0	0	23
असम	11	18	18	14	7	5	38	45	0	0	0	156
बिहार	27	15	26	20	16	9	54	57	1	1	5	231
दिल्ली	38	0	21	16	39	6	110	75	0	0	0	305
गोवा	4	0	3	1	1	1	14	10	0	0	1	35
गुजरात	29	42	40	35	22	11	102	143	0	0	3	427
हरियाणा	30	0	18	14	22	8	31	56	0	1	3	183
हिमाचल प्रदेश	8	2	6	3	0	1	47	10	0	0	0	77
जम्मू और कश्मीर	7	0	5	3	0	2	72	14	0	0	1	104
कर्नाटक	60	3	41	30	27	10	87	105	1	3	3	370
केरल	43	3	43	21	18	9	22	73	0	2	3	237
मध्य प्रदेश	32	42	27	31	18	11	120	121	1	0	1	404
महाराष्ट्र	48	55	59	51	8	13	244	264	0	0	0	742
मणिपुर	0	6	1	1	1	0	4	9	0	0	0	22
मेघालय	0	9	0	0	0	0	10	3	0	0	0	22
मिजोरम	0	6	1	0	0	0	8	0	0	0	0	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नागालैण्ड	0	8	0	0	0	0	9	2	0	0	1	20
उड़ीसा	5	13	11	9	2	4	33	32	0	0	2	111
पंजाब	47	0	32	22	15	10	96	62	0	0	4	288
राजस्थान	27	19	34	26	8	8	65	68	2	2	1	260
सिक्किम	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
तमिलनाडु	82	4	79	40	30	17	47	144	3	2	2	450
त्रिपुरा	0	5	1	1	1	0	4	7	0	0	0	19
उत्तर प्रदेश	110	0	65	48	63	23	258	165	1	4	1	738
पश्चिम बंगाल	47	11	26	25	15	9	91	113	1	1	2	341
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
चंडीगढ़	6	0	4	2	3	1	9	5	0	0	0	30
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
दमन और दीव	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
पांडिचेरी	2	0	2	1	1	0	0	6	0	0	0	12
योग	712	294	619	445	338	172	1824	1694	11	16	36	6161

फ्रांस द्वारा भारत में मिराज विनिर्माण उद्योग की स्थापना

669. श्री वी. वेंकटेस्वरलु :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री के. येरननायडू

श्री गंता श्रीनिवास राव :

डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने हाल ही में विकसित अत्याधुनिक मिराज विमानों के विनिर्माण की सुविधा को देश में उपलब्ध और स्थापित कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निबंधन व शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने फ्रांस सरकार द्वारा पाकिस्तान को मिराज विमानों की सप्लाई करने से संबंधित मामले को उसके साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में फ्रांस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) फ्रांस सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत के पड़ोस में सुरक्षा परिवेश का मुद्दा भी शामिल है। फ्रांस की सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझती है।

रसोई गैस कनेक्शन

670. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीस हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों और शहरों के निवासियों से रसोई गैस (एल पी जी कनेक्शन) के लिए आवेदन–पत्र मंगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने रसोई गैस (एल पी जी) कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं और कितने आवेदन अब भी लंबित पड़े हैं; और

(ग) शेष आवेदकों को कब तक रसोई गैस (एल पी जी) कनेक्शन मिल जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) एल पी जी वितरकों को पूरे देश में अपने व्यापार क्षेत्र में भावी ग्राहकों का पंजीकरण करने के निदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल पी जी वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची की संख्या 1.2.99 को लगभग 93 लाख थी। उक्त प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए सरकार के पास कलेण्डर वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ नए कनेक्शन रिलीज करने की योजना है।

[अनुवाद]

पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस के वितरक

671. श्री बीर सिंह महतो :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया और सुंदरवन क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन और रसोई गैस के वितरक बढ़ाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में कितने पेट्रोल/डीजल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरूलिया एवं सुन्दरवन क्षेत्रों में 23 खुदरा बिक्री केन्द्र और 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में हैं। इन क्षेत्रों की ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए, विगत विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे स्थानों के अतिरिक्त 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें एल पी जी विपणन योजना 1996–98 में शामिल की गई हैं।

[हिन्दी]

भारतीय रेल का स्तर

672. श्री मोहन रावले :
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 जून, 2000 के "दैनिक जागरण", नई दिल्ली संस्करण में छपी खबर के अनुसार एसोचैम ने भारतीय रेल के स्तर के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) एशोसियेटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) द्वारा सुझाए गए उपाय क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय रेल का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। एशोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने भारतीय रेलों पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- अधिक कार्यकुशल रेल इंजनों का उपयोग।
- मालडिब्बा उत्पादकता बेहतर बनाना।
- धुरा भार बढ़ाना।
- सिगनल प्रणाली और दूरसंचार को अपग्रेड करना।
- टर्मिनलों का आधुनिकीकरण।

दिनांक 16.3.1995 की भारतीय परिवहन क्षेत्र–दीर्घकालिक मुद्दे नामक अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने निष्कर्ष दिया है कि परिवहन आउटपुट और उत्पादकता के हिसाब से भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में एक है। इसके अलावा, रेलवे प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना परिचालन एवं सामाजिक–आर्थिक माहौल और अपनाए गए लेखा–जोखा एवं सांख्यिकीय मानकों के संदर्भ में व्यापक अंतरों द्वारा अर्हक बनाए जाने की आवश्यकता है। बहरहाल, इस रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि चीन तथा रूस जिनका उत्पादकता सूचकांक भारतीय रेलवे से बेहतर बताया गया है, का परिचालन अनुपात भारतीय रेलवे से बदतर है, परिचालन अनुपात प्रणाली की अर्थक्षमता परिलक्षित करता है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलें अनेक सामाजिक सेवा दायित्व निर्वाह करने के पश्चात् एक परिचालन अधिशेष अर्जित करने में निरंतर समर्थ रही हैं।

रेलवे प्रणाली का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय रेलों के पास कार्यप्रणाली में सुधार की अपेक्षा रखने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक नियन्त्रित तंत्र मौजूद है। नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के बाद उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। एसोशिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे विभिन्न वर्गों से प्राप्त होने वाले सुझावों पर हमेशा विचार और उन पर कार्य किया जाता है वास्तव में एसोचेम द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों जैसे अधिक कार्यकुशल इंजनों का उपयोग, मालडिब्बों के अभिकल्पों में सुधार, धुरा भार बढ़ाना और सिगनल प्रणाली एवं दूरसंचार अपग्रेड करना, टर्मिनलों का आधुनिकीकरण तथा जनशक्ति की उत्पादकता में सुधार पहले ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाएं

673. डॉ. रमेशचंद तोमर :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 माह के दौरान प्रत्येक माह तारीख–वार और स्थान–वार दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायुसेना के विमानों का ब्यौरा क्या है और विमान दुर्घटनाओं के पृथकतः क्या कारण रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान किस प्रकार के विमान थे;

(ख) दुर्घटना–वार इसमें मारे गए नागरिकों और चालक दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितनी मुआवजा राशि दी गई;

(ग) दुर्घटना–वार विमानों की क्षति और अन्य सम्पत्तियों, के कारण कितनी क्षति हुई;

(घ) की गई प्रत्येक जांच, यदि कोई हो, के क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(ङ) विमान दुर्घटना की दर में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय वायुसेना के फरवरी, 2000 से 20 जुलाई तक क्षतिग्रस्त विमानों के ब्यौरों से संबंधित एक विवरण संलग्न है। इन दुर्घटनाओं में कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया था। चालक दल के सदस्यों के मारे जाने पर उन्हें मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के बाद, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए जांच–अदालत का गठन किया जाता है। उपर्युक्त दुर्घटनाओं में से तीन मामलों में जांच–अदालत द्वारा अपनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। जांच–अदालत के निष्कर्षों के अनुसार दो दुर्घटनाएं तकनीकी खराबियों के कारण तथा एक मानवीय (चालक दल) चूक के कारण हुई। जांच–अदालत के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय लागू किए जाते हैं।

(ङ) लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसने सितंबर 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। दुर्घटना–दर में कमी लाने के लिए समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन किया जाना होगा। 84 सिफारिशें में से अब तक लगभग 55 सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

विवरण

क्र.सं.	तारीख	स्थान	विमान	दुर्घटना का कारण	मारे गए चालक दल के सदस्यों की सं.	संपत्ति का नुकसान (हानि से संबंधित अंतिम विवरण के अनुसार)
1.	23 फरवरी, 2000	विजयनगर एलजी	एएन–32	**	—	उपलब्ध नहीं
2.	14 मार्च, 2000	हाकिमपेट के नजदीक ए/एफ	इस्करा	**	1	उपलब्ध नहीं
3.	25 मार्च, 2000	कारगिल टाउन	मिग–23	तकनीकी खराबी	–	15.45 करोड़ रुपए
4.	25 अप्रैल, 2000	हलवाड़ा से 50 किमी. दूर ए/एफ	मिग–23	**	1	उपलब्ध नहीं
5.	6 मई, 2000	अम्बाला ए/एफ	मिग–21	**	–	उपलब्ध नहीं
6.	10 मई, 2000	हलवाड़ा के निकट ए/एफ	मिग–23	तकनीकी खराबी	–	4.40 करोड़ रुपए
7.	17 मई, 2000	किलोंग के निकट	चीता	**	1	उपलब्ध नहीं
8.	17 मई, 2000	किलोंग के निकट	चीता	**	–	उपलब्ध नहीं
9.	23 मई, 2000	उत्तरलाई के निकट ए/एफ	मिग–21	मानवीय चूक (चालक दल)	1	1.70 करोड़ रुपए
10.	23 मई, 2000	बीदर वायु. के समीप	किरण	**	–	उपलब्ध नहीं
11.	12 जून, 2000	कलाइकुंडा के नजदीक दूधकुंडी रेंज	मिग–27	**	—	उपलब्ध नहीं
12.	04 जुलाई, 2000	गपसन पास के निकट	चीता	**	2	उपलब्ध नहीं
13.	13 जुलाई, 2000	कलाईकुंडा वायु. के समीप	मिग–21	**	2	उपलब्ध नहीं

उपलब्ध नहीं : चूंकि जांच अदालत की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है अतः इन दुर्घटनाओं में क्षति की अनंतिम लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
** चूंकि जांच अदालत की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है अतः कारण का पता नहीं चल पाया है।

[हिन्दी]

रांची-लोहरदग्गा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

674. प्रो. दुखा भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची–लोहरदग्गा रेल लाइन के आमान परिवर्तन और इसका विस्तार तोरी तक करने के लिए वर्ष 1999–2000 के रेल बजट में प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रांची–लोहारडागा खण्ड के चरण–I का मिट्टी संबंधी कार्य तथा छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। किमी 0 से 65 किमी तक छह खण्डों में तल्य को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। छोटे पुलों पर कार्य के लिए ठेके दे दिये गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लोहारडागा–टोरी के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य अग्रिम चरण में है।

(ग) कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों का आबंटन

675. श्री भेरूलाल मीणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी के आबंटन के लिए कोई कोटा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वर्गों के लोगों के पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी आबंटन के मामले निपटान हेतु बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया मामलों को निपटाने हेतु बनी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड एवं मिजोरम में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए इन राज्यों के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के संबंध में उनके लिए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आरक्षण का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत उपलब्ध करवाया गया है :

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी को दी जाने वाली डीलरशिपों का प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70
मेघालय	80
नागालैण्ड	80
मिजोरम	90

तथापि, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा विपणन योजनायें प्रतिपादित करते समय अनुमोदित 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। उद्योग सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता है। चालू न करने/वर्गीकरण न करने के कारण किसी बकाया की स्थिति में, ऐसी कमी को अनुवर्ती विपणन योजना के अंतर्गत पूरा कर लिया जाता है।

रसायन और उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

676. श्री उत्तमराव पाटील :
डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रसायन और उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो अलग–अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पादकों का शुद्ध लाभ बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादकों द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी पर उनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया जा सकता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अलग–अलग रसायन और उर्वरकों के मूल्यों में वर्ष–वार कितनी वृद्धि हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) रसायनों के मूल्य निर्धारण पर केन्द्र सरकार का कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 15%

बढ़ाया गया है एवं डीएपी एवं एमओपी का निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः 7% एवं 15% दिनांक 29.2.2000 से बढ़ाया गया है। यह वृद्धि वित्तीय कारणों एवं संतुलित पोषक उपयोग को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यूरिया विनिर्माता एककों के मामले में सरकार द्वारा मूल्य प्रतिधारण–सह–सब्सिडी योजना के तहत एककवार निबल लागत का 12% का कर पश्चात लाभ मुहैया कराया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों के मूल्य वृद्धि के अलग–अलग ब्यौर नीचे दिए गए हैं :

क्रम संख्या	उर्वरक का नाम	बिक्री मूल्यों में वृद्धि					
		1997–98		1998–99		1999–2000	
		बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यूरिया	3660 रुपए	21.2.1997	4000 रुपए	29.1.1999	4600 रुपए	29.2.2000
2.	डीएपी	8300 रुपए	1.4.1997	1998–99 के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं		8900 रुपए	29.2.2000
3.	एमओपी	3700 रुपए	1.4.1997	1998–99 के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं		4255 रुपए	29.2.2000

[अनुवाद]

रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

677. **श्री शिवाजी माने :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रसायन क्षेत्र में वर्ष–वार कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हुआ;

(ख) क्या रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा समेकित की गई सूचना के आधार पर, रसायन क्षेत्र (उर्वरक के अलावा) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदन/आगम निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

	1997	1998	1999
अनुमोदित	2827.18	1813.73	810.42
आगम	821.27	1064.00	475.62

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट का संभावित कारण विश्वभर में रसायन क्षेत्र में गिरावट तथा अतिरिक्त क्षमता हो सकता है, अन्य विषयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आटोमेटिक रूट को सरल बनाया गया है।

(ii) कुछ घातक रसायनों को छोड़कर रसायनों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों पर सरकारी निर्णय लेने के लिए समय सीमा को घटाकर 6 सप्ताह से 30 दिन कर दिया गया है।

(iv) प्राथमिकता वाले कार्यकलापों में निरन्तर निवेश के लिए विदेशी द्वारा धारित भारतीय कंपनियों का एफ आई पी बी/सरकार से पूर्व तथा विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने को विशेष शर्तों के आधार पर अनिवार्य बनाया गया है।

(v) विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ. आई. आई. ए.) को केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विदेशी निवेशक तथा सरकार के बीच एकल बिन्दु अन्तरापृष्ठ बनाया गया है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन का विनिवेश

678. श्री रमेश चेन्निथला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन का विनिवेश किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि सरकार को सार्वभौमिक प्रतियोगी बोलियों के आधार पर प्रबंध नियंत्रण के साथ एक लाभप्रद क्रेता को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की न्यूनतम 51% साम्यपूंजी की पेशकश करनी चाहिए। सरकार द्वारा उक्त अनुशंसा पर विचार किया गया था और अब इस मामले में निर्णय आस्थागित कर दिया है।

रेल भूमि पर मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास

679. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे को आंध्र प्रदेश में रेलवे की जमीन पर रह रहे मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास हेतु नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ताडेपल्लीगुडेम, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश में रेलवे भूमि पर रहने वाले लोगों के विनियमन/पुनर्वास के लिए डॉ. पी. पुल्लाराव के सुझाव पर रिपोर्ट मांगी थी।

(ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचित किया गया है कि ये लोग रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं। सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के पुनर्वास की नीति इस समय केन्द्रीय सरकार के समीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर राजसहायता समाप्त करना

680. श्री पी. आर. खूंटे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर वर्ष 2002 के अंत तक राजसहायता समाप्त कर दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका आम उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नवम्बर, 1997 में सरकार ने निर्णय लिया था कि एल पी जी (घरेलू) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल पर देय राजसहायता को वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 तक आयात समता मूल्य के क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए चरणों में कम किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार वर्ष 2002 से आगे राजसहायता राजकोषीय बजट को अंतरित की जानी है।

[अनुवाद]

सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही

681. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त किए गए कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) कारगिल समीक्षा समिति की प्रत्येक सिफारिशों के क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की इसकी समग्रता में और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री को मिलाकर मंत्री समूह गठित किया है।

यह आशा है कि मंत्री समूह के गठन की तारीख से यह छह माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मंत्री समूह ने अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार चार कार्य दल बनाए हैं जिनमें से आसूचना तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में एक–एक है। इन कार्य दलों को अपने गठन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी–अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सरकार ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए (1) उच्च तुंगता यू ए वी (2) संचार अंतरोंधन उपस्कर (3) विश्व स्तर की उपग्रह बिंबावली क्षमता और (4) बीजांकन/अबीजांकन के कौशल में विकास करने से संबंधित कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें सिद्धांतः स्वीकार कर ली हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तथापि, शामिल विषयों की संवेदनशीलता प्रकृति को देखते हुए इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी जा रही कार्रवाइयों का और ब्यौरा देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गेल का जनसम्पर्क कार्यालय स्थापित करना

682. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) का जनसम्पर्क कार्यालय खोलने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस कार्य हेतु सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड का एक शाखा कार्यालय मुंबई में पहले ही विद्यमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हथियारों की बिक्री

683. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथियारों और गोलाबारूद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री संबंधी कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) किस तरह के हथियार और किन देशों में इनके निर्यात का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद अपने कुछ उत्पादों का कई वर्षों से निर्यात कर रहे हैं। इस दिशा में किए गए उपायों में देश–विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों से सहभागिता, दौरे पर आए रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत, उत्पाद साहित्य को तैयार करना और उसका वितरण करना और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से ली गई सहायता आदि शामिल हैं। भारत से अंतर्राष्ट्रीय बाजार को किया जाने वाला निर्यात फिलहाल नगण्य है।

(ग) उत्पादों का निर्यात मुख्य रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों को किया जाता है तथा इसमें लघु शस्त्र गोलाबारूद, विस्फोटक, राकेट राइफलों एवं तोपों के हिस्से–पुर्जे और वस्त्र संबंधी मदें, पैराशूट और सहायक हिस्से–पुर्जे, वैमानिकी सामान, संचार उपस्कर संघटक तथा उप–प्रणालियां आदि शामिल हैं। कुछ उत्पादों का यूरोपीय देशों को भी निर्यात किया गया है।

[अनुवाद]

दिवंगत सैन्य कर्मियों के परिवारों को मुआवजा

684. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान ड्यूटी पर तैनात कितने भारतीय सैन्य कर्मी मारे गये;

(ख) उनके परिवारों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सभी परिवारों को एक समान सुविधाएं दी जा रही हैं अथवा कुछ भेदभाव बरता जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क)

(i) युद्ध हताहत	983
(ii) युद्ध हताहतों के अलावा हताहत कार्मिक	1405
	2388

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

युद्ध हताहत	युद्ध हताहतों के अलावा हताहत कार्मिक
1	2

I. उदारीकृत परिवार पेंशन

शहीद कार्मिक की पत्नी : मृतक कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन। शहीद की पत्नी की मृत्यु होने अथवा मृतक कार्मिक के सगे भाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह करने के कारण अयोग्य हो जाने तक असफरों के मामले में उनकी विधवा और अन्य रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में उनके नामित उत्तराधिकारी को इस दर पर पेंशन देय है। किस अन्य व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह करने पर विधवा को सामान्य परिवार पेंशन दी जाती है और बच्चों को शिक्षण भत्ता दिया जाता है।

बच्चे : यदि मृतक कार्मिक की पत्नी भी जीवित नहीं है और केवल बच्चा/बच्चे ही जीवित हैं तो निर्धारित दरों) मृतक कार्मिक द्वारा आहरित वेतन के अनुसार 30%–60% के बीच) विशेष परिवार पेंशन दिए जाने के अलावा, अफसरों के मामले में प्रत्येक बच्चा प्रतिमाह 150 रुपये की दर से और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में प्रत्येक बच्चा प्रतिमाह 100 रुपये की दर से शिशु शिक्षण भत्ता भी दिया जाता है।

माता-पिता : जब किसी अफसर की अविवाहित रहते ही अथवा संतानहीन विधुर के रूप में मृत्यु हो जाती है तो उनके माता–पिता की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, उन दोनों के लिए मृतक अफसर द्वारा आहरित गणनीय परिलब्धियों का 3/4 तथा माता या पिता किसी एक के लिए इस दर का 3/4 आश्रित पेंशन के रूप में स्वीकार्य है। माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर, जीवित रहने वाले को उपर्युक्त बाद वाली दर से आश्रित पेंशन स्वीकार्य है। मृतक की पत्नी तथा बच्चों के न होने की स्थिति में मृतक के माता–पिता को निर्धारित दरों पर पेंशन स्वीकार्य है।

I. विशेष परिवार पेंशन

(क) यदि विधवा निःसंतान है

	गणनीय परिलब्धियां	*विशेष परिवार पेंशन की दर (प्रतिमाह)*
(i)	1500 रुपये से अधिक नहीं।	गणनीय परिलब्धियों का 50%
(2)	1500 रुपये से अधिक किंतु 3000 रुपये से अधिक नहीं।	न्यूनतम 750 रुपये के अध्यधीन गणनीय परिलब्धियों का 40%
(3)	3000 रुपये का अधिक	न्यूनतम 1200 रुपये तथा अधिकतम 8235 रुपये के अध्यधीन गणनीय परिलब्धियों का 30%

(ख) संतान सहित विधवा के मामले में

सभी मामलों में	न्यूनतम 750 रुपये तथा अधिकतम 9000 रुपये के अध्यधीन गणनीय परिलब्धियों का 60%

1	2
II. मृत्यु उपदान : एक वर्ष से कम सेवावधि	2 महीने की गणनीय परिलब्धियां
1 से 5 वर्ष के बीच की सेवावधि	6 महीने की गणनीय परिलब्धियां
5 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम सेवावधि	12 महीने की गणनीय परिलब्धियां
20 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवावधि–	पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने का वेतन जिसकी अधिकतम अवधि 33 महीने का वेतन अथवा 3.5 लाख रुपए इनमें से जो भी कम हो।
परिवार अनुदान : जे सी ओ और अन्य रैंकों के लिए परिवार उपदान की सीमा 450/– रुपए और 1600/–रुपए के बीच तथा अफसरों के लिए उनके रैंकानुसार 2000/– रुपए और 16000/– रुपए के बीच होगी।	
III. (अनुग्रह राशि) (i) आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्त्वों आदि द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के कारण ड्यूटी करते समय होने वाली मृत्यु के मामले में – 5.00 लाख रुपए	
(ii) सीमा पर होने वाली झड़पों	
(ख) उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों आदि के विरूद्ध की जाने वाली सैन्य कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु के मामले में – 7.50 लाख रुपए	
(iii) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा सदृश संघर्षों, जिन्हें रक्षा मंत्रालय विशेष रूप से अधिसूचित करता है, में शत्रु द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु के मामले में – 10.00 लाख रुपए (1.5.99 से)	
IV. छुट्टी नकदीकरण : सेवा वर्षों की संख्या के आधार पर अधिकतम 300 दिन	**IV. छुट्टी नकदीकरण :** सेवा वर्षों की संख्या के आधार पर अधिकतम 300 दिन
V. सेना समूह बीमा लाभ हकदारी के अनुसार	**सेना समूह बीमा लाभ** हकदारी के अनुसार
VI. राष्ट्रीय रक्षा कोष से सहायता (केवल 1.5.1999 से 31.10.1999 के मध्य कारगिल हताहतों के लिए)	
	II. मृत्यु उपदान : अधिक 3.5 लाख रुपये के अध्यधीन **अनुग्रह राशि :** ड्यूटी पर तैनाती के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर। 5.00 लाख रुपये **सामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में** **सामान्य परिवार पेंशन :** यह पेंशन गणनीय परिलब्धियों के 30% की समान दर से आकलित की जाती है। किन्तु इसकी न्यूनतम राशि प्रतिमाह 1275/– रुपए होगी और सशस्त्र सेना कार्मिक को स्वीकार्य वेतन के अधिकतम के 30% तक देय होगी। **मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान :** इसकी राशि अर्हक सेवावधि के अनुसार देय होगी। किंतु यह राशि गणनीय मासिक परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक नहीं दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए है।
	III. अनुग्रह राशि ड्यूटी करते समय दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में– 5.00 लाख रुपए

1	2
(i) रिहायशी यूनिट के लिए 5.00 लाख रुपए।	
(ii) प्रति परिवार के दो बच्चों तक की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 1 लाख रुपए	
(iii) मृतक सिपाहियों पर आश्रित जरूरतमंद माता–पिता के लिए 1.20 लाख रुपए	
VII. सेना केन्द्रीय कल्याण निधि से सहायता	
15.8.1947 से 30.4.1999 तक की अवधि के दौरान युद्ध के समस्त हताहतों के प्रत्येक निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए का अनुग्रह अनुदान।	
1.5.1999 से युद्ध के सभी हताहतों के प्रत्येक निकटतम संबंधी को 30,000 रुपए का अनुग्रह अनुदान।	

पेट्रोल पम्प और रसोई गैस वितरकों के आबंटन हेतु डीलर चयन बोर्ड

685. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री कोलूर बसवनागौड़ :
श्री विजय गोयल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसी आबंटन हेतु डीलर चयन बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो डीलरों के चयन का आधार क्या है; और

(ग) आबंटन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विपणन योजनाओं में शामिल स्थानों को तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित किया जाता है और डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन निर्धारित प्रक्रियानुसार गुणावगुण के आधार पर डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतः लगभग 6–12 महीने का समय लग जाता है।

विजाग में नौसेना संग्रहालय

686. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजाग में नौसेना संग्रहालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस समय यह मामला किस चरण में है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 'स्वर्ण ज्योति' नामक एक नौसेना समुद्री संग्रहालय का सृजन मोटिवेशन हाल एवं संग्रहालय के रूप में वर्ष 1989 में विशाखापट्टनम स्थित नौसेना बेस में किया गया था। इस प्रयोजनार्थ 21.27 लाख रुपए की राशि की मंजूरी पूर्वी नौसेना कमान द्वारा अपनी प्रत्यायोजिता शक्तियों के तहत दी गई थी।

बड़ी मात्रा में औषधियों से संबंधित सूचना न देना

687. डॉ. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एलेम्बिक, गुजरात लाइका, आरपीजी लाइफ साइन्सेज, थीमिस आदि ने बड़ी मात्रा में औषधियों से संबंधित सूचना एनपीपीए को नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो डीपीसीओ, 1995 के अधीन सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या मैसर्स आरपीजी लाइफ साइन्सेज, एलेम्बिक आदि अपने उत्पादों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) मै. एलेम्बिक, गुजरात लायका, आर पी जी लाइफ साइंसेज और थेमिस केमिकल्स आदि ने एन पी पी ए को प्रपुंज औषधों से संबंधित सूचना प्रदान करने में टालमटोल नहीं की है।

(ग) और (घ) एनपीपीए ऐसी कोई शिकायत मिलने पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अनुसार कार्रवाई करता है। मैसर्स आर पी जी लाइफ साइंसेज और एलेम्बिक के मामले में ऐसी कोई शिकायत एनपीपीए को प्राप्त नहीं हुई है।

भरतपुर में गोलाबारूद का भंडारण

688. श्री रामसागर रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की —— करेंगे कि :

क्या भारत में गोलाबारूद के भंडारण में विसंगतियां थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या–क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयुध डिपो, भरतपुर में गोला–बारूद के स्टॉक में कोई विसंगति नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल भूमि का अतिक्रमण

689. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भूमिहीन गरीबों द्वारा रेल भूमि के कितने क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया; और

(ख) रेलवे द्वारा ऐसे अतिक्रमण को हटाने और अतिक्रमणकारियों को पुनर्वासित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सूचना राज्य–वार नहीं अपितु रेल–वार रखी जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों द्वारा सेवित किया जाता है। इन तीनों रेलों पर अतिक्रमित भूमि क्रमशः 83, 84 और 715 हेक्टेयर है।

(ख) रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत किया जाता है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के पुनर्वास की नीति इस समय केन्द्रीय सरकार के समीक्षाधीन है।

चुनाव ड्यूटी पर कर्मचारियों पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण

690. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से मतदान की ड्यूटी हेतु प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारियों पर पूर्णतः प्रशासनिक नियंत्रण हेतु अपने बारम्बार मांग को पूरा करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन आयोग के साथ इस मुद्दे को सुलझा लेने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13गग के अधीन निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में, अनुशासनिक अधिकारिता प्रदान करने का मुद्दा भारत संघ और अन्य के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई सिविल रिट पिटिशन संख्या 606/93 में न्यायाधीन है। इस मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव करते हुए, तारीख 26–07–2000 को उच्चतम न्यायालय में एक संयुक्त आवेदन किया गया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देश के लिए तारीख 27–07–2000 को सूचीबद्ध है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

691. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सभी रेलमार्गों के विद्युतीकरण हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2000 के अंत तक प्रतिशत के रूप में कुल कितने रेल मार्गों का विद्युतीकरण हुआ;

(ग) वित्त वर्ष 2000–2001 के अंत तक उक्त प्रतिशत में कितनी वृद्धि की सम्भावना है;

(घ) देश भर में सभी रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेल मार्ग विद्युतीकरण का औसत प्रतिशत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) मार्च, 2000 के अंत तक कुल रेलवे मार्गों के 23.86% अर्थात् 14984 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(ग) वर्ष 2000–01 के दौरान, 500 मार्ग किलोमीटर का और विद्युतीकरण किए जाने की योजना है।

(घ) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन प्रत्येक वर्ष 490 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है जो कुल रेलवे मार्गों का 0.78% बनता है।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए और बुने हुए वस्त्र के संबंध में तीसरे दल से समझौता

692. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :
श्री के. येरन्नायडू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले–सिलाये और बुने हुए वस्त्र का तीसरे दल द्वारा नौभरण अथवा समझौते के संबंध में तीसरे 13 जून, 2000 को कोई अधिसूचना जारी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर निर्यातकों की क्या प्रतिक्रिया रही है तथा विदेशी खरीददारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 13 जून, 2000 की राजपत्रित अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) निर्यातकों के साथ खुली चर्चा करने के बाद अधिसूचना जारी की गयी तथा इसका विदेशी क्रेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरण

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग–1 खंड (1) में प्रकाशनार्थ
वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

दिनांक : 13 जून, 2000

विषय : ऐसे देशों जिनमें ऐसे निर्यात वस्त्र व क्लादिंग संबंधी उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अंतर्गत शामिल हैं के संबंध में परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000–2004)

1. सं. 1/68/2000–निर्यात 1 – उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 1/128/99–निर्यात–1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, बाद में दिनांक 10.12.99 और 7.2.2000 की समसंख्यक अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था। इस अधिसूचना में निम्नानुसार और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. पैरा 5(3) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए गए "प्रत्येक देश–श्रेणी में आवेदकों द्वारा आधार वर्ष के दौरान किए गये निर्यात के आधार पर परवर्ती वर्ष के 31 अगस्त तक निर्यात के वसूल किये गये मूल्य पर समानुपात उपलब्ध स्तर आबंटित किये जायेंगे। इनमें उपयुक्त तारीख तक आधार वर्ष से पूर्व वर्षों से पूर्व वर्ष में किये गये निर्यात के वसूल किये गये मूल्य भी शामिल हैं। लेकिन, इसमें यह मूल्य शामिल नहीं होगा, जिसके लिए हकदारी विगत वर्षों में पहले से ही प्राप्त की गयी है। निर्यात का वसूल किया गया मूल्य के साथ इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय तथापि आबंटन आधार वर्ष के दौरान देश–श्रेणी में भारत के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन तक सीमित होंगे"।

3. पैरा–5 के उप–पैरा (10) के बाद उप–पैरा (11) शामिल किया जाएगा जो निम्नानुसार है :

"अंतरण में उस तीसरे पक्ष के लेन–देन/वार्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जिसमें हकदारी के धारक से अन्यत्र खाते में निर्यात आय जमा की जाएगी तथापि, अंतरण अवधि के दौरान स्वीकृत ऐसे तीसरे पक्ष के लेनदेन वार्ताओं के मामले में वसूल की गयी निर्यात आय हकदारी धारक द्वारा वसूल की गयी मानी जाएगी"।

इसके फलस्वरूप इसके पहले के उप–पैरा (11) और (12) बदलकर की क्रम संख्या बदलकर क्रमशः उप–पैरा (12) और (13) हो जाएगी।

4. पैरा 7(4) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा :

"इस प्रणाली के अंतर्गत हकदारियों का परिकलन और आबंटन कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा आधार वर्ष के दौरान किये गये निर्यात के आधार पर परवर्ती वर्ष को 31 अगस्त तक स्वीकार्य निर्यात के वसूल किये गये मूल्य के आधार पर किये जाएंगे। इनमें ऐसे आधार वर्ष के पूर्व वर्षों में किये गये निर्यात मूल्य भी शामिल होंगे जिन्हें उपयुक्त तारीख तक वसूल किया गया है लेकिन वे मूल्य शामिल नहीं होंगे जिसके लिए विगत वर्षों में हकदारियां पहले से ही प्राप्त की गयी हैं निर्यात के वसूल किये गये मूल्य के साथ इस परियोजन के लिए निर्धारित एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस आबंटन नीति के अंतर्गत शामिल गैर–कोटा देशों को कोटा परिधानों के निर्यातों को *हकदारियों के निर्धारण के प्रयोजन के दोहरा महत्त्व* दिया जाएगा। विशिष्ट आवेदकों को निर्यात के मूल्य से आधार पर उपलब्ध स्तर समानुपात वितरित किए जाएंगे।

5. निम्नलिखित को उप–पैरा 17(3)(6) के बाद जोड़ा जाएगा।

(ङ) "कोटाओं के अंतरण को अनुमति नहीं है।"

6. उप–पैरा 17(5) के बाद निम्नलिखित स्थापित किया जाए :

"जिन मामलों में समिति निर्यातकों को ऐसी धोखाधड़ी अथवा अन्य अनियमितताओं का दोषी पाती है, जो कि किसी भी उपयुक्त उपबंध का उल्लंघन होती है, उनके स्पष्टीकरण की जांच करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्यातक को निम्नलिखित में एक अपनाकर अनेक दंड दिये जा सकते हैं : (क) ईएमडी/बीजी राशि को जब्त करना; (ख) कोटा को जब्त करना तथा (ग) विशिष्ट *अवधि के लिए हकदारियां प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण* प्रणाली में भाग लेने से बहिष्कृत करना।

7. उप–पैरा 17(10) के बाद निम्नलिखित उप–पैराओं को जोड़ा जाए :

"(11) प्रवर्तन समिति सामान्यतया 6 मास की अवधि के भीतर सभी अपीलों का निपटान करेगी।"

"(12) प्रवर्तन अपील समिति सामान्यतः 6 मास की अवधि के भीतर सभी अपीलों का निपटान करेगी।"

8. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों के ऋण के समायोजन संबंधी योजना

693. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रतन लाल कटारिया :
श्री डी. वी. जी. शंकर राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया ऋण माफ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे राज्य विद्युत बोर्डों पर ऋण भार में किस हद तक कमी होने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त योजना लगभग चार वर्ष पूर्व तैयार की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) गत वर्ष के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इस समय, एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए ऋण को माफ कर देने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न *नहीं होते।*

(च) वर्ष 1998–99 के लिए राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/घाटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/घाटे

(बिना आर्थिक सहायता के)

क्र.सं.	राविबो	1998–99 (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश रा.वि.बो.	–1961.82
2.	असम एसईबी	–602.09
3.	बिहार एसईबी	–2978.17
4.	गुजरात विद्युत विभाग	–1966.43
5.	हरियाणा एसईबी	–368.00
6.	हिमाचल प्रदेश एसईबी	–6.27
7.	कर्नाटक विद्युत विभाग	–847.80
8.	केरल एसईबी	–262.96
9.	मध्य प्रदेश विद्युत विभाग	–1580.22
10.	महाराष्ट्र एसईबी	–21.01
11.	मेघालय एसईबी	–32.79
12.	पंजाब एसईबी	–876.97
13.	राजस्थान एसईबी	–1040.65
14.	तमिलनाडु विद्युत विभाग	–741.28
15.	उत्तर प्रदेश एसईबी	–1746.91
16.	पश्चिम बंगाल एसईबी	–904.15
	कुल	–15895.50

[अनुवाद]

दैतारी-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण

694. श्री अनंत नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आज की स्थिति के अनुसार दैतारी–बांसपानी नई रेल लाइन के दोनों ओर से निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय बांसपानी छोर से 0 किमी से 140 किमी तक कार्य प्रगति पर है कहीं–कहीं यहां 109.5 किमी लंबाई तक तल्प तैयार है। पूरी परियोजना के लिए आवश्यक कुल 361 में से 207 छोटे पुल पूरे हो चुके हैं। कुल 26 प्रमुख पुलों में से 16 में भी कार्य प्रगति पर है। शेष 10 प्रमुख पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिसमें से 6 को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 0 किमी से 58 किमी तक के लिए आवश्यक कुल 1.81 लाख घन मीटर में से 1.48 लाख घन मीटर गिट्टी का संग्रहण किया जा चुका है। बांसपानी से जोरूरी (11 किमी) तक पहला ब्लाक खंड शीघ्र पूरा होने वाला है और इस वर्ष के समाप्त होने से पहले खोलने का लक्ष्य है।

(ख) जैसे कि अनुमान लगाया गया है, परियोजना के पूरा होने के लिए मार्च, 2001 से आगे तक के लिए 330 करोड़ की जरूरत होगी।

(ग) परियोजना चरणों में शुरू की जाएगी जिसके लिए प्रत्येक वर्ष बजट स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर अपेक्षित धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत

695. श्री अधीर चौधरी :

श्री रामजीवन सिंह :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि से देश में इनके उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी तेल उत्पादों के घरेलू मूल्य को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान में अंर्तराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य संवेदनशील हैं तथा इनमें अत्यधिक उतार–चढ़ाव होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों के रुझान का हमारे आयात बिल तथा घरेलू मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटनाओं की निरन्तर निगरानी करती है।

[हिन्दी]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

696. श्री धावर चंद गेहलोत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान राज्य–वार कितने रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए गए हैं

उक्त अवधि के दौरान संबंधित रसोई गैस बाटलिंग सयत्रों द्वारा पूरी की गई मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय कितने रसोई गैस सिलेंडरों की मांग है; और

(घ) सरकार द्वारा गैस सिलेण्डरों की मांग को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 की अवधि के दौरान देश में स्थापित किए गए एल पी जी भरण संयंत्र का राज्य–वार विवरण संलग्न है।

1 अप्रैल, 2000 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के पास कुल स्थापित भरण क्षमता 4670 टी एम टी पी ए थी। वर्ष 1999–2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के द्वारा वास्तविक डिब्बाबंद एल पी जी बिक्रियों की मात्रा लगभग 5.73 मिलियन टन थी।

सरकार की वर्तमान वर्ष के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है जिससे 1 दिसम्बर, 1999 को एल पी जी वितरकों के पास विद्यमान लगभग 93 लाख की प्रतीक्षा सूची का निपटान हो जाएगा।

विवरण

देश में वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 तक के दौरान स्थापित एल पी जी भरण संयंत्र

	राज्य	स्थान (तेल/कंपनी का नाम)
	1	2
1997–98	राजस्थान	बीकानेर (आई ओ सी)
	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर (बी पी सी एल)
		फर्रूखाबाद (आई ओ सी)
	केरल	क्विीलोन (आई ओ सी)
	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा (आई ओ सी)
	गुजरात	अहमदाबाद (आई ओ सी)
	पश्चिम बंगाल	उलूबेरिया (बी पी सी एल)
1998–99	उत्तर प्रदेश	सलीमपुर (बी पी सी एल)
		रूड़की (बी पी सी एल)
	गुजरात	भावनगर (आई ओ सी)
	महाराष्ट्र	अकोला (आई ओ सी)
		मनमाड़ (आई ओ सी)
	आंध्र प्रदेश	चेरलापल्ली (बी पी सी एल)
		चेरलापल्ली (आई ओ सी)
	मध्य प्रदेश	पीथमपुर (बी पी सी एल)
	तमिलनाडु	गुम्मीदीपोंदी (एच पी सी एल)
		माइलाधुतराई (आई ओ सी)
	पश्चिम बंगाल	बज–बज (आई ओ सी)
		रायगंज (बी पी सी एल)
	बिहार	पूर्णियां (एच पी सी एल)
	कर्नाटक	मंगलौर (एच पी सी एल)
	राजस्थान	बीकानेर (बी पी सी एल)
1999–2000	उत्तर प्रदेश	नैनी (बी पी सी एल)
		झांसी (बी पी सी एल)
	महाराष्ट्र	वाई (बी पी सी एल)

1	2
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर (बी पी सी एल)
तमिलनाडु	तंजौर (बी पी सी एल)
	मदुराई (एच पी सी एल)
	मदुराई (आई ओ सी)
गुजरात	गंधार (आई ओ सी)
आंध्र प्रदेश	थीमापुर (आई ओ सी)

[अनुवाद]

प्रगति विद्युत परियोजना

***697. श्री दिलीप संघाणी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 330 मेगावाट संयुक्त चक्र (कम्बाइन्ड साइकल) प्रगति विद्युत परियोजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें पर्यावरण अनुकूल संसाधित जल–मल अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा;

(घ) किन राज्यों में ऐसे विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ङ) निकट भविष्य में देश में स्थापित किए जाने वाले ऐसे संयंत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने 330 मे.वा. संयुक्त विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

(ख) परियोजना को 10.02.2000 को मौजूदा लागत, अर्थात् 59.888 मिलियन अमरीकी डॉलर +773.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। निवेश निर्णय की तारीख से 30 माह के भीतर परियोजना चालू की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) इस तरह की परियोजनाएं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, असम तथा त्रिपुरा में पहले से ही चल रही हैं।

(ङ) और (च) निकट भविष्य में स्थापित किए जाने वाले ऐसे संयंत्रों के राज्य–वार ब्यौरे तथा सरकार के पास लम्बित प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :

राज्य	परियोजना का नाम	स्थिति
राजस्थान	1. अन्ता सीसीपीपी चरण–2 (650 मे.वा.) एनटीपीसी, जिला कोटा	19.8.1999 को टीईसी दी गई।
	2. रामगढ़ सीसीपीपी चरण–2 (71 मे.वा.) आरएसईबी, जिला जैसलमेर	जांचाधीन है।
उत्तर प्रदेश	1. औरैया सीसीपीपी चरण–2 (650 मे.वा.) एनटीपीसी, जिला औरैया	30.11.1998 को टीईसी दी गई।
गुजरात	1. कवास सीसीजीटी चरण–2 (650 मे.वा.) एनटीपीसी, जिला सूरत	19.8.1998 को टीईसी दी गई।
	2. झनोर–गांधार सीसीजीटी चरण–2 (650 मे.वा.), एनटीपीसी जिला–भरूच	12.11.1998 को टीईसी दी गई।
तमिलनाडु	1. को विलकलप्पल सीसीपीपी (107.88 मे.वा.) टीएनईबी, जिला तिरूवरूर	जांचाधीन है।

दोषपूर्ण टैंक बैरल

698. श्री टी.एम.सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना को अपनी अग्रणी टी–72 टैंकों में से 770 दोषपूर्ण टैंक गन बैरलों को हटाना पड़ा था क्योंकि उनका निर्माण एक आयुध कारखाने द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया का प्रयोग करके किया गया था;

(ख) क्या दोषपूर्ण बैरलों के कारण कम से कम 36 दुर्घटनाएं हुईं तथा गोले छोड़े जाते वक्त इनमें से ग्यारह बैरल में या तो दरार पड़ गई या वे फूट गए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण टैंक बैरल का निर्माण करने वाले आयुध कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) आज तक बैरल फटने की 44 घटनाएं हुई हैं। इनमें से 22 बैरलों का आयात किया गया था और 22 स्वदेश में तैयार किए गए थे। देश में बैरलों का निर्माण कार्य सहयोगकर्ताओं की प्रौद्योगिकी प्रणाली और रूसी विशेषज्ञों की देख–रेख में स्थापित किया गया था।

2. गुणता आश्वासन महानिदेशालय, मिधानी, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विशेषज्ञों की एक समिति ने रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस संबंध में जांच की थी। आयात किए गए और देश में तैयार किए गए दोनों ही प्रकार के गोलाबारूद के इस्तेमाल में असफलता हुई थी। बैरलों में किसी विशेष तरह की असफलता न पाए जाने के कारण असफलता के बारे में किसी प्रकार का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। तथापि, पर्याप्त सावधानी बरते जाने की दृष्टि से फील्ड सेना के टैंकों में से अब तक 62 बैरल वापस निकाले जा चुके हैं और इनकी जगह पर काम करने योग्य बैरलों को लाया जा चुका है।

तमिलनाडु में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की स्थापना

699. श्री तिरूनावक्करसू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये कहां–कहां स्थापित किए जायेंगे और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां तमिलनाडु में निम्न ब्यौरे के अनुसार भरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं :

स्थान	कंपनी का नाम	क्षमता (टी एम टी पी ए)
मेन्नारगुडी	आई ओ सी	6
इरोड	आई ओ सी	34
कोयम्बटूर	आई ओ सी	34
चेंगलपेट	आई ओ सी	44
एन्नोर	एच पी सी	10
कोयम्बटूर	एच पी सी	10

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश

700. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशक की 1500 करोड़ रुपए की 100 प्रतिशत स्वतः स्वीकृति की सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू उद्यमों के श्रमिक संगठनों तथा वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा इसका विरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। देश में विद्युत की बढ़ती मांग और इस क्षेत्र में अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था के और उदारीकरण के भाग के रूप में 12 जून, 2000 को यह निर्णय लिया है कि विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण (स्वचालित रियेक्टर विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अधिकतम सीमा हटा ली जाएगी।

(ख) उपरोक्त निर्णय के संबंध में घरेलू उद्यमियों, ट्रेड यूनियनों, तथा चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से किसी प्रकार के विरोध की सूचना विद्युत मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

क्षेत्रीय भाषाओं में रेल टिकट

701. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सामान्य रेल टिकटों (यात्री टिकट) जो बहुधा क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं छापे जाते, से ग्रामीण लोगों को कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गाड़ी के न्यूनतम श्रेणी के टिकट अर्थात् द्वितीय श्रेणी के रेलवे टिकट अंग्रेजी और हिन्दी के साथ–साथ टिकट जारी होने वाले स्थान के आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में भी छपे होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन क्षेत्र को अर्थक्षम बनाना

702. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च आन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलोजी" (एन.आई.आर.जे.ए.एफ.टी.) ने पटसन क्षेत्र, जो विकल्प के रूप में सिंथेटिक उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, को अर्थक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजसहायता का भुगतान

703. श्री पी. कुमारासामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु में बुनकरों के लाभ के लिए लम्बे समय से लंबित पड़ी 41 करोड़ रुपये की राजसहायता को शीघ्रातिशीघ्र वापस दिलाने के बारे में कदम उठाएगी;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत सरकार को विपणन विकास सहायता के अंतर्गत 41.96 करोड़ रुपये (वर्ष 1998–99 के लिए 2097.55 लाख रुपये तथा वर्ष 1999–2000 के लिए 2098.20 लाख रुपये) के दावे प्राप्त हुए हैं। सरकार ने तमिलनाडु सरकार को 1998–99 के दावों का 50% रिबेट भाग पहले ही जारी कर दिया है। तमिलनाडु सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कुछ अन्य सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। तमिलनाडु सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर और निधियां जारी करने हेतु विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

एनटीपीसी की शेष बकाया राशि

704. श्री रामानन्द सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एनटीपीसी की राज्य विद्युत बोर्डों पर राज्य–वार कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 30.6.2000 की स्थितिनुसार एनटीपीसी को देय बकाया राशियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 30 जून, 2000 की स्थितिनुसार कुल बकाया राशियां 14744 करोड़ रुपये बैठती हैं जिसमें 5371 करोड़ रुपये का अधिभार भी शामिल है।

(ख) एनटीपीसी की बकाया राशि की वसूली के लिए एनटीपीसी एवं सरकार विभिन्न उपाय कर रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(i) एनटीपीसी प्रबंधन संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/सरकार से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(ii) एनटीपीसी ने सितम्बर, 1994 से उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो चालू मासिक बिल की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए साख–पत्र संस्थापित करे। अपेक्षित स्तर पर साख–पत्र में वृद्धि कर रा.वि.बो. चार बराबर साप्ताहिक किस्तों के भुगतान पर 2.5% की छूट ले सकेंगे तथा साख–पत्र प्रचालन में लगे खर्च की प्रतिपूर्ति भी पा सकेंगे।

(iii) कभी–कभी एनटीपीसी कानून के अनुसार आवश्यक नोटिस देने के पश्चात् चूककर्त्ता राज्यों की विद्युत का नियंत्रण भी करता है।

(iv) नई परियोजनाओं के मामले में एनटीपीसी, अपनी नई परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों में भुगतान सुरक्षा उपायों को शामिल कर रहा है इसमें राज्य सरकार गारंटी के द्वारा सहायता, एनटीपीसी, संबंधित राज्य सरकार और रिजर्व बैंक के मध्य भुगतान में चूक होने की स्थिति में राज्यों के रिजर्व बैंक के साथ खोले गए खातों में सीधे भुगतान के लिए त्रिपक्षीय समझौता तथा ऊर्जा बिलों के पूरे भुगतान हेतु साख–पत्र खोले जाना शामिल है।

(v) तत्संबंधी स्थिति की विद्युत मंत्रालय द्वारा भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इस मामले पर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के स्तर पर वार्ता की जाती है।

(vi) इसके साथ–साथ एक ऐसी भी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 31.12.1996 तक बकाया राशि की वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विनियोजन के जरिए सीधे वसूल कर एनटीपीसी को भुगतान की जा रही है। उपर्युक्त बकाया राशियों में से 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान केन्द्रीय विनियोजन के जरिए प्राप्त राशि क्रमशः 270.76 करोड़ रुपये, 376.61 करोड़ रुपये तथा 496.17 करोड़ रुपये थी।

(vi) सरकार ने हाल ही में विद्युत मंत्रालय और कोयला विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय रा.वि.बो. की बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण की एक स्कीम को हाल ही में अनुमोदित किया है। इस प्रस्ताव में 31.12.2000 तक अथवा पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अन्य तिथि तक बकाया मूल राशि को शामिल करने के लिए संबंधित रा.वि.बो. द्वारा सीपीएसयू को बॉण्ड जारी करने तथा इन बॉण्डों को राज्य सरकार की गारंटी से और साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा चूक होने की स्थिति में संबंधित राज्य के केन्द्रीय योजना आबंटनों में से 15% तक की कटौती करने पर सहमति प्रकट करके सहायता प्रदान की जाएगी।

विवरण

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी को देय बकाया राशियां

(लाख रुपये में)

सुपर थर्मल पावर स्टेशन/ राज्य बिजली बोर्ड	आज की तिथि अनुसार बकाया	बिल में अंकित अधिभार	कुल बकाया
1	2	3	4
बिहार	166426	99877	266303
दिल्ली विद्युत बोर्ड	134981	121449	256430
उत्तर प्रदेश पीसीएल	187089	63752	250841
पश्चिम बंगाल रा.वि.बो.	89083	42297	131380
एमपीईबी	54652	28110	82762
उड़ीसा	60122	18331	78453
दामोदर वैली कार्पोरेशन	29480	28827	58307
महाराष्ट्र एसईबी	36194	17919	54113

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर	20402	32314	52716
गुजरात विद्युत बोर्ड	27187	18059	45246
राजस्थान एसईबी	31937	7563	39500
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	25452	9172	34624
हरियाणा	9380	25244	34624
एपीट्रांसको	20259	7429	27688
केपीटीसीएल	17093	6938	24031
केरल एसईबी	15529	4426	19955
पंजाब एसईबी	2968	1277	4245
असम एसईबी	2838	1121	3959
सिक्किम	2299	829	3127
पाण्डिचेरी	2264	796	3060
हिमाचल प्रदेश एसईबी	1527	925	2452
गोवा (पश्चिमी क्षेत्र)	16	220	236
गोवा (दक्षिण क्षेत्र)	95	117	212
दमन एवं दीव	0	119	119
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	5	0	5
कुल	937278	537120	1474398

संकेताक्षर :
एसईबी = राज्य बिजली बोर्ड, केपीटीसीएल = कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.
एपीट्रांस्को = आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी, एमपीईबी = मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड
यूपीपीसीएल : उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

785. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के कई विद्युत उत्पादन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन्होंने अपनी अधिष्ठापित क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया और कितनी विद्युत उत्पादित की गयी;

(घ) क्या अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के कारण इन परियोजनाओं को वित्तीय घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सभी एनटीपीसी केन्द्र ग्रिड की जरूरत के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रहे हैं एवं अधिकतम सीमा तक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं हालांकि पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता ईआरईबी के अनुसार कम मांग एवं कम विद्युत उत्पादन के कारण पूर्णतः उपयोग नहीं हो पा रहा है। अपर्याप्त पारेषण एवं वितरण प्रणाली के कारण भी इस क्षेत्र में विद्युत का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है गैस केन्द्रों को ईंधन उपलब्धता एवं ग्रिड मांग के अनुसार चलाया जा रहा है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मौजूदा टैरिफ अधिसूचना प्रावधानों के अनुसार 62.78 को पीएलएफ प्राप्त करने (विचारित विद्युत उत्पादन समेत) करने पर निर्धारित प्रभार पूरी तरह से वसूल किए जाते हैं, जो तालचूर विद्युत केन्द्र को छोड़कर क्योंकि यहां टैरिफ नियंत्रण विद्युत क्रम समझौता के अनुसार होता, ताप एवं गैस केन्द्रों में लागू है। 1997–98, 98–99 एवं 99–2000 के दौरान एनटीपीसी ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी से निर्धारित प्रभार वहन कर लिया है।

(i) कहलगांव एसटीपीएच 840 मे.वा. बिहार 1997–98 के दौरान निर्धारित प्रभार की कम वसूली 1985 करोड़ रुपए है।

(ii) झानौर–गंधार जीबीपीपी– 648 मे.वा. गुजरात 1998–99 के दौरान 92.90 करोड़ रुपए की निर्धारित प्रभार की वसूली नहीं की जा सकी एवं 1999–2000 में 96.83 करोड़ (अनंतिम) की यह मुख्यतः गैस की मूल्य आपूर्ति के कारण हुए कम बिजली उत्पादन के कारण हुआ।

(iii) तालचेर ताप विद्युत केन्द्र (460 मे.वा.) उड़ीसा/ 1999–2000 के दौरान 6.29 करोड़ रुपए की (अनंतिम) निर्धारित प्रभार की वसूली विद्युत कम समझौता में निर्धारित स्तर की तुलना में कम क्षमता के उपयोग के कारण नहीं की जा सकी क्योंकि सभी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण चल रहा था।

विवरण

एनटीपीसी स्टेशनों का कार्यनिष्पादन

स्टेशन	अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा.)	1999–2000		1998–99		1997–98	
		उत्पादन मि.यू.	क्षमता उपयोजन %	उत्पादन मि. यू.	क्षमता उपयोजन %	उत्पादन मि. यू.	क्षमता उपयोजन %
1	2	3	4	5	6	7	8
कोल स्टेशन							
सिंगरोली	2000	16455.6	93.7	15797.8	90.2	14870.8	84.9
रिहन्द	1000	7607.1	86.6	6817.7	77.8	7544.9	86.1
ऊंचाहार	840	3624.9	85.9	3023.1	82.2	2946.0	80.1
दादरी	840	7092.3	96.1	6727.5	91.4	6412.7	87.2
कोरबा	2100	15776.8	85.5	16046.6	87.2	15690.6	85.3
विन्ध्याचल	2260	9894.6	88.4	9934.2	90.0	8749.6	79.3
रामागुण्डम	2100	16642.2	90.2	15859.2	86.2	16397.8	89.1
फरक्का	1600	6791.7	48.3	5475.6	39.1	6038.4	43.1
कहलगांव	840	4281.0	58.0	3988.7	54.2	3424.7	46.5
तलचेर	1000	5320.1	60.6	4592.5	52.4	4124.1	49.7

1	2	3	4	5	6	7	8
तालचेर (ओल्ड)	460	2323.3	57.5	2248.5	55.8	2096.2	52.0
गैस स्टेशन							
अन्ना	413	3179.7	86.3	2931.1	79.8	2855.4	77.7
औरया	652	5077.9	87.1	4146.2	71.4	3847.2	66.2
दादरी	817	5116.2	70.2	5099.2	70.2	4518.3	62.2
फरीदाबाद*	286	1066.4	79.2	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
कवास	645	4776.9	82.9	4411.9	76.8	4131.3	71.9
झालौर–गंधार	648	2281.7	39.5	2162-2	37.5	2641.9	45.9
कायमकुलम	350	1247.1	55.8	243.3	71.5	लागू नहीं होता	

* 1999–2000 के दौरान चालू की गई गैस टरबाइन यूनिटें।

** 1998–99 और 1999–2000 के दौरान चालू की गई यूनिटें।

जीईएन– विद्युत उत्पादन

क्षमता उपयोजन = क्षमता उपयोजन

एन. ए. = लागू नहीं होता।

मलकापुर-जालना रेल लाइन का निर्माण

706. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे के मलकापुर स्टेशन और दक्षिण मध्य रेलवे के जालना स्टेशन के बीच एक नई लाइन बिछाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के अनुसार कोई सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे को उक्त नई रेल लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धन जुटाने के लिए बॉण्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

707. श्री के. मुरलीधरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान केरल में स्थान–वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान केरल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों द्वारा एल पी जी (पैक्ड) की बिक्री क्रमशः लगभग 170.64 टी एम टी तथा 197.36 टी एम टी थी। एल पी जी की आपूर्ति उपर्युक्त वर्षों के दौरान कमोबेस मांग के अनुरूप रही है।

(ख) पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अलावा केरल राज्य के वर्तमान विपणन योजना में 105 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

[हिन्दी]

डौंड-मनमाड़ रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

708. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डौंड–मनमाड़ रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का है तथा प्रस्तावित नागर–बीड़ पारली नई रेल लाइन बिछाने हेतु तत्संबंधी सर्वेक्षण करने एवं पूंजी बाजार से इसके लिए ऋण की व्यवस्था कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दौंड–मनमाड़ लाइन के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही इस परियोजना पर आगे विचार संभव होगा।

अहमदनगर–बीड़–पारली–वैजनाथ नई लाइन के निर्माण का कार्य हाथ में है और आगामी वर्षों में रेलों के स्वयं के संसाधनों के साथ धन की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रगति की जाएगी तथा इसे पूरा किया जाएगा।

फिलहाल उपरोक्त दो परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से ऋण जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

माध्यस्थम् और परिसीमा अधिनियम में संशोधन

709. डॉ. वी. सरोजा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बे समय से लंबित पड़े अनेक मामलों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से परिसीमन और माध्यस्थम् संबंधी कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पायलटविहीन वायुयान की शक्ति

710. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना को अलग–अलग अब तक देश में ही बने कितने पायलटविहीन विमानों की आपूर्ति की गई;

(ख) उनकी निर्माण ईकाइयों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक ईकाइयों द्वारा अब तक ऐसे कितने विमानों का निर्माण किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) हवाई लक्ष्य के अभ्यास के लिए मानवरहित हवाई वायुयान लक्ष्य का स्वदेशी विकास पर आधारित सीमित शृंखला में उत्पादन किया जा रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना प्रत्येक ने 5 प्रणालियों के लिए आर्डर दिए हैं। वायुसेना और नौसेना के आर्डर पूरे होने वाले हैं तथा सेना के आर्डर अप्रैल 2001 तक पूरे होने की संभावना है।

(ख) और (ग) सीमित शृंखला में उत्पादन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला वैमानिकी विकास स्थापना, बेंगलूर को सौंपा गया है जो हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जोकि शृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए एक निर्धारित एजेंसी है, के साथ जुड़कर कार्य करती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कई फर्में लक्ष्य उप–प्रणालियों की आपूर्ति करती हैं।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेलवे का निजीकरण

711. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेलवे का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उससे अर्जित किए जाने वाले सम्भावित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई कम्पनियों का पंजीकरण

712. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत की गईं और उनके कार्य की प्रकृति क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों का पंजीकरण करते समय उनकी विश्वसनीयता, स्थिरता आदि का पता लगाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 और अप्रैल–जून, 2000 के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या औद्योगिक गतिविधि–वार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 में कम्पनियों की विश्वसनीयता और स्थिरता अभिनिश्चित किए जाने का कोई उपबन्ध नहीं है। फिर भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षण, विशेष लेखा परीक्षा तथा कम्पनी कार्यों में जांच का प्रावधान है। यदि जांच करने पर प्रथम दृष्टया तौर पर कपट या धोखाधड़ी का मामला बनता है तो अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कार्रवाई आरंभ की जाती है या उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया जाता है।

विवरण

शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों का पंजीकरण : वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 और अप्रैल–जून, 2000 के दौरान औद्योगिक गतिविधि–वार वितरण

क्रम सं.	औद्योगिक गतिविधि	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या			
		1997–98	1998–99	1999–2000	अप्रैल–जून, 2000
1.	कृषि और सहबद्ध गतिविधियां	2049	1257	801	133
2.	खान और खदान	328	262	248	63
3.	विनिर्माण :				
	(क) खाद–सामग्री, कपड़ा, लकड़ी उत्पाद, चमड़ा और उसके उत्पाद	3865	3519	3183	705
	(ख) धातुएं और रसायन तथा उनके उत्पाद, मशीनरी और उपकरण	8581	6910	7823	2237
	(ग) बिजली, गैस और जल	199	245	311	67
4.	निर्माण	2536	2015	1947	469
5.	खुदरा और रिटेल व्यापार, रेस्टोरेंट और होटल	4818	4792	5472	1023
6.	परिवहन, भण्डारण और संचार	1693	1366	1575	348
7.	वित्त, बीमा, वास्तविक संपदा और व्यापारिक सेवाएं	8691	6438	8391	3006
8.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	1178	1333	1538	454
	योग	33938	28137	31289	8505

[अनुवाद]

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

713. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प चलाए जा रहे हैं;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटा से आबंटित कितने पेट्रोल पम्प दूसरे व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिए गए;

(ग) क्या इस संबंध में सतर्कता जांच के आदेश देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन अप्राधिकृत व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें कब तक हटाए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : 2000 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 52 खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित करने के पश्चात् दूसरे किसी व्यक्ति को डीलरशिप स्थानान्तरित करने की कोई रिपोर्ट तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की वार्षिक आय

714. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से रेलवे की वार्षिक आय में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अपव्यय को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों की भारतीय रेलों की आमदनी के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वार्षिक आमदनी
1995-96	22494.49
1996-97	24352.07
1997-98	28566.18
1998-99	29824.86
1999-2000	33124.71

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

- कर्चचारी उत्पादकता में सुधार, परिसंपत्तियों का उपयोग, वस्तुसूची प्रबंधन, ईंधन खपत, यात्रा प्रचार, आतिथ्य सत्कार आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता करके खर्च पर नियंत्रण करने के उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- वाणिज्यिक प्रोत्साहन, बेहतर माल भाड़ा सेवाओं से जोरदार विपणन करके आमदनी में सुधार लाना।
- ऑप्टिक फाइबर केबुल बिछाने के मार्गाधिकार का उपयोग, भूमि तथा आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग एवं चल स्टॉक, स्टेशनों आदि पर विज्ञापन संबंधी अधिकारों जैसे गैर-परम्परागत स्रोतों का दोहन करना।

राजस्व की चोरी तथा नुकसान को नियंत्रित करने के हर संभव प्रयास।

मिग-21 का उन्नयन

715. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 लड़ाकू विमानों के प्रचालन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं और इनका उन्नयन अधिकतम स्तर पर किया जा चुका है इसके बावजूद इन विमानों का एक बार फिर उन्नयन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या इनके फिर से उन्नयन से विमानों को अपनी मारक

क्षमता पुनः प्राप्त करने की संभावना है और इससे विमान दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है;

(घ) क्या वैकल्पिक लड़ाकू विमान की संभाव्यता की जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) मिग–21 लड़ाकू वायुयान में किसी प्रकार की बड़ी समस्याएं नहीं हैं। 1996 से सिर्फ मिग–21 बिस वायुयान का उन्नयन किए जाने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिग–21 वायुयान का पहले कभी उन्नयन नहीं किया गया है।

(ख) 125 मिग–21 बिस वायुयान का उन्नयन किए जाने के लिए मार्च, 1996 में रूप के साथ एक संविदा की गई थी। उन्नयन संबंधी कुल खर्च 626 मिलियन अमरीकी डालर है।

दो मिग–21 बिस वायुयान के डिजाइन और विकास का कार्य रूस में किया जा रहा है जो पूरा होने के अंतिम चरण में है। साथ ही शेष 123 वायुयानों के उन्नयन का कार्य हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में शुरू कर दिया गया है जिसके वर्ष 2004 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) मिग–21 बिस वायुयानों के लिए नियोजित वैमानिकी और शस्त्र प्रणालियों के उन्नयन से इसकी मारक क्षमता बढ़ने और उड़ान सुरक्षा बेहतर होने की आशा है।

(घ) और (ङ) पुराने हो गए वायुयानों को प्रतिस्थापित करने का कार्य सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मिग–21 वायुयान की तकनीकी उपयोग अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन्हें भी प्रतिस्थापित किया जाएगा।

समुद्र के रास्ते एल. टी. टी. ई. का खतरा

716. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्र के रास्ते एल. टी. टी. ई. के खतरे को भांपते हुए वेस्टर्न नेवल कमान को सतर्क कर दिया है जैसा कि विभिन्न राष्ट्रीय दैनिकों में समाचार प्रकाशित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सावधानियां बरती जा रही हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के लिए नौसेना और तटरक्षक द्वारा तमिलनाडु के सुदूर समुद्र तटीय इलाकों की गहन निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के गांवों का विद्युतीकरण

717. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर के गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का वर्ष–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992–93	5	5
1993–94	10	6
1994–95	5	50
1995–96	65	43
1996–97*	–	27
	कुल	131

* योजना आयोग द्वारा इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण सहायता प्रदान करता है बशर्ते वे तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त हों। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकताओं को राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं निदेश के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गांवों के सम्पूर्ण विद्युतीकरण हेतु समय–सीमा मुख्यतः अवसंरचनात्मक प्रणालियों के सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों में विद्युत की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की मांग इत्यादि पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

718. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान और आज की तारीख तक मालगाड़ी सहित रेलगाड़ी–वार कितनी रेल दुर्घटनाएं/गाड़ी से पटरी से उतरने की घटनाएं/गाड़ियों में आग की घटनाएं हुई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनमें कितने व्यक्तियों की मौत हुई/कितने घायल हुए और कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) इन दुर्घटनाओं की जांच हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गईं;

(घ) जांच समितियों के क्या निष्कर्ष थे और इन पर क्या की गई;

(ङ) सरकार ने पीड़ितों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया; और

(च) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 01.04.2000 से 15.07.2000 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे उल्लिखित है :

दुर्घटना की किस्म	यात्री	मालगाड़ी	जोड़
टक्कर	3	3	6
गाड़ी पटरी से उतरना	48	61	109
समपार	16	5	21
आग लगना	5	1	6
जोड़	72	70	142

प्रत्येक दुर्घटना की रेलवे प्राधिकारियों की एक समिति अथवा गंभीर दुर्घटना के मामले में रेल संरक्षा आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा जांच की जाती है। 142 मामलों में से 8 मामलों की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई थी। जांच समितियों के निष्कर्षों के अनुसार उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारण निम्नानुसार हैं :

(i)	रेलवे कर्मचारी की चूक	53
(ii)	रेलवे कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक	22
(iii)	सामग्री उपस्कर की खराबी	13
(iv)	तोड़–फोड़	4
(v)	मिले–जुले कारण	3
(vi)	आकस्मिक	6
(vii)	जांचाधीन	41
	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	18
	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	61
	क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्ति का मूल्य	9,23,93,089 रुपए (अनंतिम)

जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई आरंभ की गई है।

(ङ) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में मुआवजे का भुगतान रेल दावा अधिकरण से प्राप्त होने वाली डिक्री के अनुसार किया जाएगा।

(च) भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं :

(i) ट्रक मार्गों और अन्य महत्त्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) चुनिंदा मार्गों पर गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी–टाकी सेट्स उत्तरोत्तर सप्लाई किए जा रहे हैं।

(v) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई–टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(vi) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vii) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए 96 दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद और की जा रही है। इसके अतिरिक्त 2 स्वप्रेरित पराश्रव्य रेल परीक्षण कारों की खरीद भी की जा रही है।

(viii) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(ix) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक–थाम के लिए नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों में खामी का पता लगाया जा सके।

(x) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xi) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य–श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xii) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(xiii) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तः–अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(xiv) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(xv) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(xvi) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xvii) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

गुजरात में रसोई गैस को बर्बाद किया जाना

719. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गैस भंडारों का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे उसी स्थान पर अपशिष्ट के रूप में जलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैस भंडारों का लाभदायक तरीके से उपयोग किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गुजरात में कम दबाव वाली सम्बद्ध गैस का निम्नलिखित कारणों से दहन किया जा रहा है :

(1) संयंत्रों में प्रक्रियागत गड़बड़ के दौरान तथा अचानक आई मांग में घटा–बढ़ी से वातावरण में बिना जली गैस के रिसाव के बचने के लिए तकनीकी दहन।

(2) जो मुख्य गैस ग्रिड के साथ संघटित करने के लिए मितव्ययी नहीं हैं उन अलग–थलग पड़े लघु क्षेत्रों से दहन।

(3) विद्यमान उपभोक्ताओं द्वारा कम गैस का लिया जाना/उपभोक्ताओं की कमी।

(4) गैस के उपयोग के लिए सम्बद्ध गैस उत्पादन तथा उससे मेल खाती डाऊन स्ट्रीम सुविधाओं के प्रारम्भ करने और स्थापित करने के बीच समय अंतराल।

(ग) गुजरात में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस आगे विशिष्ट उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को दी जा रही है। ओ एन जी सी को गुजरात में अलग–थलग/सीमान्त क्षेत्रों से 1.0 लाख घन मीटर तक प्रतिदिन गैस का विपणन करने का अधिकार भी दिया गया है जिसके लिए उपभोक्ताओं की पहचान का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है।

हथियार और गोलाबारूद की भंडारण क्षमता

720. श्री एम. चिन्नासामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर के सेना डिपो में हथियार और गोलाबारूद के भंडारण के लिए पर्याप्त शेड थे;

(ख) यदि नहीं, तो इन शेडों में क्षमता से अधिक गोलाबारूद रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) हथियार और गोलाबारूद के भंडारण के लिए पर्याप्त शेड बनाने के लिए समय पर कोई कदम नहीं उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) गोलाबारूद डिपो, भरतपुर में गोलाबारूद का 23000 मीट्रिक टन का स्टॉक खुली जगह और बंद भंडारगृह दोनों के लिए प्राधिकृत क्षमता के अनुरूप था। संक्रिया विजय सहित संक्रियात्मक आवश्यकता के कारण लगभग 7000 मीट्रिक टन गोलाबारूद डिपो की क्षमता से अधिक रखा गया था।

(ख) और (ग) गोलाबारूद डिपो, भरतपुर की भंडारण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। हाल ही में 8 वातानुकूलित शेड और को रखने योग्य 11 भंडारगृह बनाए गए हैं। वर्ष ...00 के दौरान 7,560 मीट्रिक टन के लिए 21 अतिरिक्त शेड बनाने की मंजूरी दी गई थी।

[हिन्दी]

बिजली उत्पादन

721. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जाने हैं;

(ख) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इनकी अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) इनमें से कितनी योजनाएं राजस्थान में लगाए जाने की संभावना है;

(घ) इनसे विद्युत का कितना उत्पादन होगा और कुल लागत कितनी होगी;

(ङ) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा कितनी राशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राघवन समिति की रिपोर्ट

722. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 15 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7621 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राघवन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रतिस्पर्धा नीति बनानी चाहिए तथा उसे एक नये कानून (प्रतिस्पर्धा अधिनियम) के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहिए।

समिति ने सिफारिश की है कि उदारीकरण तथा आर्थिक सुधार को जारी रखना चाहिए : कि राज्य एकाधिकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केवल बहुत ही आन्तरिक क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिए तथा शेष को निजी कर दिया जाना चाहिए; कि उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम (आई डी आर अधिनियम) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (एस आई सी ए) और शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का पर्याप्त आशोधन/ निरसन के लिए पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए; कि लघु माप क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाना चाहिए; कि मुक्त व्यापार पर सभी सीमाएं हट जानी चाहिए; कि निकास नीतियों को श्रम कानूनों में उपयुक्त संशोधन करते हुए उदार बनाना चाहिए; आदि–आदि।

समिति ने आगे सिफारिश की है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सभी प्रतिस्पर्धात्मक निरोधी मामलों जैसे अधिपत्य का दुरुपयोग, विलयन/समामेलन जो अधिपत्य का दुरुपयोग हो सकता है तथा

उद्यमों के बीच समझौते, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक निरोधी व्यवहार हो सकता है या हुआ है, पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसने ऐसे मामलों की जांच करने तथा न्याय–निर्णय देने हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रूप में जाना जानेवाला) की स्थापना की सिफारिश भी की है। इसने एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम आर टी पी अधिनियम) के निरसन तथा एम आर टी पी आयोग के समापन की सिफारिश की है।

(ग) सरकार ने रिपोर्ट का आम जनता, राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यापक रूप से परिचालन किया है तथा विचार एवं सुझाव मांगे हैं। सरकार सभी संबंधितों से प्राप्त इस तरह की प्रतिपुष्टियों के आधार पर मामले पर एक अन्तिम निर्णय लेगी।

ट्रांसपोर्टरों के कदाचारों के कारण तेल कम्पनियों को घाटा

723. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 2000 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "पी एस यू़ज बैन ट्रांसपोर्ट वाह रोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के कदाचार के कारण तेल कम्पनियों द्वारा उठाए गए घाटे का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रतिबंध के कारण सड़क परिवहन कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंत्रालय ने तेल का विपणन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी है कि वे सड़क मार्ग से अन्तर्राज्यीय आपूर्ति को रोक दें चूंकि कुछ ग्राहकों ने कथित रूप से बिक्री कर अपवंचन की रिपोर्ट दी है। इस संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने 23 मई, 2000 को गांधी नगर, गुजरात में एक मामला दर्ज किया है।

चेरूथला में पैदल उपरिपुल का निर्माण

724. **श्री वी. एम. सुधीरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेरूथला (त्रिवेन्द्रम मंडल) में पैदल उपरिपुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 1998–99 के दौरान ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कार्य 9.8 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया था। कार्यस्थल के विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि कार्य की लागत 19.95 लाख रुपए आएगी। चालू वर्ष के दौरान ही कार्य का निष्पादन करने के लिए रेलवे द्वारा इस संशोधित कार्य को 19.95 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत कर दिया है।

[हिन्दी]

चीन की धमकी

725. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 2000 के "ट्रिब्यून" (अंग्रेजी) में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार चीन से भारत की सुरक्षा को खतरा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का और हमारे देश की सुरक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी धमकियों से देश की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने भारत की सुरक्षा को चीन से खतरे के संबंध में दिनांक 3.7.2000 के "द ट्रिब्यून" (अंग्रेजी) नामक समाचार पत्र में छपी खबर देखी है।

2. सरकार पाकिस्तानी रक्षा उद्योगों को आधुनिक बनाने में पाकिस्तान को दी जाने वाली चीनी सहायता से अवगत है। पाकिस्तानी रक्षा उत्पादन इकाइयों में चीनी सहयोग काफी व्यापक है। पाकिस्तान की परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के अलावा, दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग

मुख्य युद्धक टैंकों, जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों, टैंक–रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध–पद्धति प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में भी फैला हुआ है।

3. सरकार इन गतिविधियों पर निरंतर नजर रखती है तथा भारत की प्रमुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तथा समुचित उपाय करती है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों के लिए नीति

726. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी 6000 करोड़ रुपए लागत वाली तलचर विस्तार परियोजना का 400 से 500 करोड़ रुपए के मूल्य में उपस्कर आपूर्ति संबंधी निविदाओं को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

क्या उसके परिणामस्वरूप तलचर परियोजना के पूरा - विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने भावी बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर तालचेर विस्तार परियोजना चरण–II (4 × 500 मे.वा.) के लिए कोल हैन्डलिंग प्लान्ट पैकेज, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोसिपिटेटर पैकिज एवं कन्ट्रोल एंड इन्सट्रूमेन्टेशन पैकेज की बोली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। 30.06.2000 को इन पैकेजों की बोली को खोला गया।

(ग) और (घ) इन बोलियों को खोलने की तारीख में परिवर्तन होने से परियोजना के चालू होने में विलंब नहीं होगा क्योंकि एनटीपीसी परियोजना को सही समय पर पूरा करने के लिए इसके निर्माण की समय–सीमा का संख्ती से पालन करेगा।

मध्य प्रदेश में ताप बिजली घर

727. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के सीपत में 3000 मेगावाट का सुपर ताप विद्युत स्टेशन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ समूह इस प्रस्तावित संयंत्र के स्थान को लेकर आन्दोलन करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ने मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सिपत में चरण–I में 1980 मे.वा. की क्षमता से एक कोयला आधारित सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने की योजना बनाई है। विभिन्न स्वीकृतियां जैसे कोयला लिंकेज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति इत्यादि उपलब्ध है। परियोजना को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बनाने के लिए एनटीपीसी द्वारा सुपर क्रिटिकल भाप मानदण्डों के साथ तीन 660 मे.वा. यूनिटों की अधिष्ठापना की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत प्रथम तिमाही 1999 के मूल्य स्तर पर 7798.7 करोड़ रुपए है।

एनटीपीसी द्वारा चरण–2 में 660 मे.वा. द्वारा परियोजना के विस्तार की भी परिकल्पना की गई है। इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट एनटीपीसी द्वारा के. वि. प्रा. को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ) कुछ संगठनों जैसे सर्वदलीय किसान मोर्चा, बिलासपुर केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच और कुछ व्यक्तियों ने सिपत में प्रस्तावित संयंत्र की अवस्थिति के खिलाफ प्रतिवेदन दिया है। उठाए गए मुद्दे अन्य बातों के साथ–साथ पर्यावरण, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, कृषि भूमि के अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का एनटीपीसी द्वारा उचित प्रकार से स्पष्टीकरण कर दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने लोक सुनवाई के साथ सभी अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी कर दी है। एनटीपीसी सरकार द्वारा अपनाई गई और आर एंड आर नीति के अनुरूप परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना आरंभ करेगा। एनटीपीसी और जिला प्रशासन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ग्रामवासियों और ग्राम पंचायतों के साथ निरंतर विचार–विमर्श तथा सम्पर्क कर रहे हैं। जिला कलैक्टर द्वारा गठित पुनर्वास समिति ग्राम विकास परामर्शदात्री समिति और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करके पुनर्वास पैकेज तैयार कर रही है। एनटीपीसी कार्य स्थल का चयन करने और संयंत्र सीमाओं का निर्धारण करते समय आवासीय भूमि के अधिग्रहण को

परिहार्य करने तथा कृषि भूमि का न्यूनतम अधिग्रहण करने में पर्याप्त सावधानी दिखा रहा है।

सिपत भारत की ऐसी प्रथम परियोजना होगी जहां पर्यावरणीय रूप से अनुकूल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि एनटीपीसी द्वारा रिपोर्ट की गई है अधिकांश स्थानीय कृषक और परियोजना प्रभावित गांवों के निवासी परियोजना की स्थापना का समर्थन कर रहे हैं।

जलपाईगुड़ी और सिलिगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ

728. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ स्थापित करने पर विचार करने के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी और जलपाई गुड़ी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय और राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय की इस संबंध में क्या टिप्पणी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के सिलसिले में भूतपूर्व मंत्री ने सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी का दौरा किया था।

भूतपूर्व मंत्री के दौरे के अनुसरण में, राज्य सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की राय मांगी गई थी। राज्य सरकार की राय प्राप्त हो चुकी है। तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की राय की प्रतीक्षा की जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की राय जानने के पश्चात् केन्द्र सरकार अपनी राय कायम करेगी।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

729. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में मीटर रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) उन मीटर रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनका आमान परिवर्तन कार्य तीन वर्ष पहले शुरू किया गया था परन्तु यह कार्य अधूरा है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31.3.1999 की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) के अनुसार कर्नाटक और महाराष्ट्र में मीटर लाइनों की कुल लम्बाई (मार्ग किलोमीटर) क्रमशः 521 कि.मी. और 500 कि.मी. है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तीन वर्ष के पहले आरंभ हुई लेकिन अभी भी अधूरी पड़ी आमान परिवर्तन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. मुंदखेड़–आदिलाबाद
2. सोलापुर–गदग परियोजना का बीजापुर–गदग खंड
3. सिकंदराबाद–मुदखेड़ और जंकमपेट–बोधन
4. बेंगलूरु–हुबली और बिरूर–शिमोगा–तालगुप्पा परियोजना का शिमागो–तालगुप्पा खण्ड
5. अरसीकेरे–हसन–मंगलौर परियोजना का सकलेशपुर–मंगलौर खंड
6. मैसूर–हसन परियोजना का लक्ष्मणतीर्थ पुल भाग

संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इन कार्यों को अभी तक पूरा किया जाना संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल, इन कार्यों को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा। मुदखेड़–आदिलाबाद के आमान परिवर्तन को बोल्ट (निर्माण, स्वामित्व, पट्टा एवं हस्तांतरण) के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है, जिसके लिए बोल्ट ठेकेदार को परियोजना पूरा करने हेतु आवश्यक धन जुटाना है।

मैसूर–हसन परियोजना के लक्ष्मीणतीर्थ भाग की 31.3.2001 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

रूस से युद्धपोत की खरीद

730. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस से एक बड़े युद्धपोत खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(ग) इससे भारतीय नौसेना की कितनी आवश्यकताएं पूरी होने की संभावना है; और

(घ) इस युद्धपोत के भारत में कब तक आ जाने की संभावना है और इसका सेवा काल कितना होगा तथा प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) 1. रूसी गणराज्य की सरकार ने भारत को "एडमिरल गोर्शकोव", एक वायुयान वाहक रूप देने की पेशकश की है। इस पोत के पास 34,000 नानक विस्थापन होगा।

2. तथापि, इस पोत को नौसेना की सेवा में शामिल किए जाने के पूर्व भारत सरकार के खर्च पर इसकी मरम्मत की जानी होगी, इसमें सुधार करना होगा तथा इसे आधुनिक बनाया जाना होगा।

3. इस पोत का आधुनिकीकरण कर दिए जाने के बाद यह कई प्रकार के वायुयानों का संचालन कर सकेगा तथा यह वायुयान वाहक कार्यबल को समुद्र में 20 वर्षों तक अपेक्षित एकीकृत हवाई शक्ति मुहैया कराएगा।

4. उपर्युक्त विषय पर एक अंतर–सरकारी करार को अंतिम रूप दिए जाने के लिए दोनों देशों की बीच वार्ता चल रही है।

[अनुवाद]

संशोधित क्रियाविधि के बारे में प्रति गारंटी का विस्तार

731. श्री उत्तम राव ढिकले :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों और नियमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रति गारंटी दी गई है;

(ख) क्या कुछ मामलों में प्रति गारंटी संशोधित क्रियाविधि के अनुरूप बढ़ाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें संशोधित क्रियाविधि पर प्रति गारंटी नहीं दी गई है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लिमिटेड (एचएनपीसीएल की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कम्पनी (सिपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मै. एसटी–सीएमएस इलेक्ट्रिक कम्पनी की 250 मे.वा. वाली एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना के मामले में संशोधित प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिगारंटी अगस्त, 1998 में जारी कर दी गई है। संशोधित प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि प्रति गारंटी जारी करने से संबंधित पूर्व प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बहुत विलम्ब होता है जिससे वित्तीय और लागत निहितार्थों में वृद्धि हुई है। संशोधित प्रक्रिया के निम्न लाभ हैं :

(i) इससे पूंजी पर प्रतिफल घटता है और इस प्रकार फलतः टैरिफ में कमी आती है।

(ii) इससे निजी विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पड़ता है।

(iii) इससे प्रति गारंटी में भारत सरकार का वार्षिक ऊर्जा खर्च एक्सपोजर दूर होता है।

(iv) प्रति गारंटी के पश्चात् एक बेहतर पूंजीगत लागत को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति प्रदान होती है।

(घ) और (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली निजी क्षेत्र की आठ विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, जिन्हें वर्ष 1994 में भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान करने के लिए चयनति किया गया था, में से पूर्व संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत मै. डाभोल पावर कंपनी की डाभोल संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन (चरण–I) (740 मे.वा.) इब वैली पावर प्राइवेट लिमिटेड की इब घाटी ताप विद्युत परियोजना (500 मे.वा.) तथा मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जेगरूपाडु संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान कर दी गई है। मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में अपनी 208 मे.वा.

वाली गोदावरी संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन के लिए प्रति गारंटी हेतु अपना अनुरोध वापस ले लिया है। इब वैली परियोजना के संबंध में निर्माण से पूर्व उड़ीसा सरकार द्वारा पुनः बातचीत की गई थी और इसलिए 26.2.1999 को इस परियोजना को दुबारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई। मै. मंगलौर पावर कंपनी की मंगलौर ताप विद्युत परियोजना के मामले में संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत भारत सरकार की प्रतिगारंटी जारी करने का अनुमोदन 22.12.1999 को प्रदान किया गया था। इस प्रकार चयनित आठ परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को प्रतिगारंटी न तो पूर्व प्रक्रिया के तहत् और न ही संशोधित प्रक्रिया के तहत् नामंजूर नहीं की गई।

[हिन्दी]

गुजरात के दाहोद क्षेत्र में गैस कनेक्शन

732. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के दाहोद में एल. पी. जी. कनेक्शन पाने वालों की प्रतीक्षा सूची की क्या स्थिति है;

(ख) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 1999 और 2000 में वर्ष–वार दाहोद क्षेत्र में कितनी गैस एजेंसियां दी गई हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में कितनी गैस एजेंसियां और आबंटित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.7.2000 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कम्पनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की कोई लंबित प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ग) और (घ) तेल विपणन कम्पनियों ने गुजरात राज्य के दाहोद जिले में अनुमोदित विपणन योजना के अंतर्गत 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई है।

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति

733. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 330 मेगावाट की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को आर्थिक तकनीकी स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्यान्वयन और निवेश संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कम्पनी लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही 330 मे.वा. श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को 14 जून, 2000 में 95.054 मिलियन अमरीकी–डॉलर + 1299.89 करोड़–रुपये (1 अमरीकी डॉलर = 42/- की विनिमय दर पर) अनुमानित पूर्णता लागत पर तकनीकी–आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया है। यह परियोजना सितम्बर, 2005 तक पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

पोलैण्ड और वियतनाम के साथ हथियार संबंधी समझौता

734. श्री जी. एस. बसवराज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एशिया और अफ्रीका के बाजारों के दोहन और मिलटरी हार्डवेयर की स्थापना के लिए पोलैण्ड और वियतनाम के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने पोलैण्ड और वियतनाम के साथ हथियार संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्री की अध्यक्षता में पोलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त विकास/सह–उत्पादन और संयुक्त वाणिज्य के क्षेत्रों और पोलैण्ड के शस्त्रों, गोलाबारूद इत्यादि की बिक्री में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अप्रैल, 2000 में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री से मिला था। इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए।

मार्च, 2000 में मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में प्रशिक्षण, विशेषकर जंगल युद्ध–प्रणाली तथा नौसैनिक और तट–रक्षक गतिविधियों के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई थी इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(घ) और (ङ) एशिया और अफ्रीका में सैन्य उपस्करों की बिक्री

के लिए पोलैण्ड और वियतनाम के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग संबंधी एक नयाचार पर सितंबर, 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था।

कोलाचेल में मेगाविद्युत उत्पादन इकाई

735. **श्री पोन राधाकृष्णन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी के कोलाचेल तटीय क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत उत्पादन इकाई को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त इकाई को शुरू करने और इसकी प्रगति के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्तमान में कन्याकुमारी के कोलाचेल तटवर्ती क्षेत्र में एक मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है।

सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

736. **श्री मोहम्मद अनवारूल हक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल के निर्माण हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है और पुल का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना को मंजूरी

737. **श्री अशोक अर्गल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मंजूर की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी परियोजनाओं ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ग) एनरान और अन्य परियोजनाओं द्वारा सरकार को किस–किस दर पर विद्युत आपूर्ति की जाती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) गत 3 वर्षों अर्थात् 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी, आर्थिक अनुमोदन प्राप्त परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है अनुमोदित पूंजी लागत, अनंतिम वित्तीय पैकेज, विनिमय दर तथा परियोजनाओं को टीईसी प्रदान करते समय भारत सरकार के मानदण्डों के आधार पर 68.219% पीएलएफ और 12% छूट दर पर सूचक स्थरीकृत टैरिफ प्रत्येक परियोजना के समक्ष दर्शाई गई है।

दिसम्बर 1999 में एम एस ई बी द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार एनरान की दभोल पावर परियोजना से वर्ष 1999–2000 के लिए विद्युत की दर 3.64 कि.वा.घ. अनुमानित की गई है जो कि निम्नलिखित अभिकल्पनाओं पर आधारित थी :

(i) डॉलर विनिमय दर = 43.44 रुपये

(ii) नाथपा की औसतन लागत = 240.46 डालर/एमटी

(iii) निश्चित कुल खरीद = 90%

गत 3 वर्षों के दौरान के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियोजनाएं आज की तिथि तक चालू की जा चुकी हैं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	चालू की गई अधिष्ठापित क्षमता	चालू करने की तिथि
1.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (350 मे.वा.)	112 मे.वा.	22.6.2000
2.	गांधी नगर टीपीएस यू–5 (210 मे.वा.)	210 मे.वा.	17.3.98
3.	काराखेल सीसीजीटी (32.5 मे.वा.)	32.5 मे.वा.	2.7.99

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान के.वि.प्रा. से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त स्कीमों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आई.सी. (मे.वा.)	के.वि.प्रा. की स्वीकृति की तिथि	सूचक स्थरीकृत टैरिफ रु./कि.वा.घं.
1	2	3	4	5
1997-98				
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी (यू.पी.)	4×100	3.5.97	1.34
2.	तुरियल एचईपी (मिजोरम)	2×30	20.6.97	1.69
3.	रोसा टीपीपी चरण I (यू.पी.)	2×283.5	20.8.97	2.12
4.	बीना टीपीएस (म.प्र.)	2×289	28.5.97	2.36
5.	नरसिंगापुर सीसीजीटी (एम.पी.)	166	20.6.97	2.60
6.	कोरबा पश्चिम टीपीपी (म.प्र.)	2×210	15.7.97	2.13
7.	पेंच टीपीपी (म.प्र.)	2×250	20.8.97	2.23
8.	गुना सीसीजीटी (म.प्र.)	347.25	27.8.97 व 18.9.97	2.43
9.	भिलाई टीपीपी (म.प्र.)	2×287	12.9.97	2.23
10.	रायगढ़ सीसीजीटी (म.प्र.)	2/275	17.10.97	1.98
11.	बादेर सीसीजीटी (म.प्र.)	2×112 जीटी + 1×118 एसटी	26.12.97	2.54
12.	पिथमपुर डीजीपीपी (म.प्र.)	119.7	20.1.98	3.58
13.	रतलाम डीजीपीपी (म.प्र.)	118.63	20.1.98	3.61
14.	पातालगंगा सीसीजीटी (महा.)	447	26.12.97	2.51
15.	रामागुण्डम टीपीएस (ए.पी.)	2×260	29.5.97	2.01
16.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (ए.पी.)	350	15.1.98	2.46
17.	तुतिकोरिन टीपीपी चरण IV(त.ना.)	525	3.6.97	2.46
18.	समयानल्लूर डीजीपीपी त.ना.	106	20.1.98	3.09
19.	समलापट्टी डीजीपीपी त.ना.	106	20.1.98	3.33
20.	जोजोबीरा टीपीपी बिहार	2×120	4.12.97	2.22
21.	तालचूर एसटीपीपी चरण–II उड़ीसा	4×500	5.9.97 व 23.10.97	—

1	2	3	4	5
22.	लिंगकहोंग डीजी पाल्लाट (मणिपुर)	6×6	16.10.97	–
23.	धोलपुर सीसीजीटी राज.	702.7	13.2.98	2.63
1998-99				
1.	चमेरा एचईपी चरण II (हि.प्र.)	3×500	27.5.98 व 23.7.98	2.88
2.	मनाला एचईपी (हि.प्र.)	2×43	23.7.98	1.96
3.	लोकतक एचईपी (हि.प्र.)	3×30	28.8.98	3.87
4.	तीस्ता एचईपी चरण–IV सिक्किम	3×170	9.9.98	2.14
5.	तुरवई एचईपी मिजोरम	3.70	17.11.98	2.51
6.	बीरसिंगपुर लिग्नाइट टीपीपी राज.	2×250	20.4.98	2.09
-	खांडवा सीसीजीटी म.प्र.	1×112.27 जीटी 1×58.9 एसटी	28.5.98	2.80
8.	कवास सीसीजीटी चरण II गुज.	650	1.5.98 व 13.8.98	2.88
9.	अन्ता II सीसीजीटी राज.	650	21.5.98 व 13.8.98	2.94
10.	वक्रेश्वर टीपीपीयू–4व5 प.बंगाल	2×210	26.5.98	2.31
11.	कण्णपटनम टीपीएस (ए.पी.)	2×260	16.6.98	2.25
12.	गांधी नगर टीपीएस यू–5 गुजरात	1×210	29.5.98	2.26
13.	गुना सीसीजीटी म.प्र.	330	22.7.98	2.43
14.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस चरण–III (तमिलनाडु)	1×525	30.7.98	2.38
15.	वियापीन सीसीजीटी केरल	679	25.8.98	2.29
16.	औरया सीसीजीटी चरण II यू.पी.	650	28.9.98	3.02
17.	गोरीपुर टीपीपी पं. बंगाल	1×150	9.10.98	2.20
18.	झनोर गंधार सीसीजीटी चरण–II गुजरात	650	16.10.98	3.06
19.	रामागुण्डम टीपीपी ए.पी.	1×500	18.11.98	2.05

1	2	3	4	5
20.	इब वैली टीपीपी उड़ीसा	2×250	4.12.98	2.02
21.	वीमागिरि सीसीजीटी ए.प्र.	492	7.1.99	2.56
22.	दुबेरी टीपीपी उड़ीसा	2×250	11.2.99	2.02
1999-2000				
1.	मिन्डू चरण I एचईपी मेघालय	2×42	20.9.99	—
2.	पार्वती चरण-II एचईपी हि.प्र.	4×200	12.10.99	—
3.	श्रीनगर एचईपी यू.पी.	6×55	26.11.99	2.28
4.	लारजी एचईपी हि.प्र.	3×42	14.1.2000	1.84
5.	मेनरी भाली एचईपी चरण–II यू.पी.	4×76	21.2.2000	—
6.	नागार्जन टीपीपी कर्नाटक	2×5075	29.4.99	2.65
7.	जामनगर टीपीपी गुजरात	2×250	21.5.99	2.40
8.	पारली टीपीएस विस्तार चरण I महा.	1×250	9.7.99	—
9.	कारकली सीसीजीटी पांडिचेरी	32.5	12.7.99	—
10.	सूरतगढ़ टीपीएस चरण II राज.	2×250	9.7.99	—
11.	गोडूल्लूर टीपीपी तमिलनाडु	2×660	13.8.99	2.43
12.	मैथान सीसीपीपी राज.	140	27.8.99	—
13.	अकरीमोटा टीपीपी गुजरात	2×125	6.9.99	2.36
14.	कनमनकी सीसीपीपी कर्नाटक	107.6	20.9.99	3.32
15.	वीमबिर सीसीपीपी तमिलनाडु	1873	24.9.99	2.35
16.	सिपती एसटीपीपी–I म.प्र.	3×660	17.1.2000	—
17.	प्रागिती सीसीजीटी दिल्ली	330	10.2.2000	2.02
18.	कन्नौर सीसीजीटी केरल	513	16.2.2000	3.91
19.	रीहन्द एसटीपीएस चरण II यू.पी.	2×500	1.10.99	1.83

मुम्बई में जल-निकासी की समस्या

738. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुम्बई में कुरला और माटुंगा के बीच रेल पटरियां बरसात के मौसम में पानी में पूरी तरह से डूब जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप उपनगरीय और लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां देरी से चलती हैं और अव्यवस्था होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पानी की निकासी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। भारी वर्षा सहित उच्च ज्वार के समय रेलपथ पर बाढ़ आ जाती है।

(ख) रेलवे रेलपथों की जल निकासी संबंधी समस्या चारों मौजूद मुम्बई क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा और अधोगामी धारा में सुधार सहित ब्रह्मंवाडी नाला (ईएस 15/36–38) एवं कुर्ला क्रैश्ड नाला (ई एस 16/2–3) का आकार बढ़ाने के जरिए "ब्रहन मुम्बई तूफानी जल निकासी परियोजना" (ब्रिमस्टोवड) की सिफारिशें कार्यान्वित करके मुख्यतः मुम्बई नगर पालिका द्वारा समाधान किया जाना अपेक्षित है। रेलें बाढ़ की समयावधि कम करने के लिए नालियों एवं पुलियों आदि की सफाई हेतु नियमित उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्र

739. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य के रजौरी जिले में कालाकोट ताप विद्युत संयंत्र को पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इसे चालू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 1990–91 के दौरान कालाकोट ताप विद्युत केन्द्र में स्टीम प्राइम मूवर की 7.5 मे.वा. क्षमता वाली 3 यूनिटों को संस्थापित क्षमता से अलग कर देने की सूचना जम्मू–कश्मीर राज्य विद्युत विभाग द्वारा दी गई थी। राज्य सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को पुनः आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किया है।

[हिन्दी]

मंत्रियों द्वारा सेना के विमानों का उपयोग

740. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार सेना के विमानों के उपयोग के कारण वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों तथा राजनीतिक दलों पर कितनी राशि बकाया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कब से बकाया है;

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान इनसे कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के वायुयानों के इस्तेमाल के लिए पूर्व/वर्तमान प्रधानमंत्री (मंत्रियों), केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राजनीतिक पार्टियों के प्रति हवाई यात्रा की देय राशि के साथ–साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई वसूलियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मंत्रालयों/विभागों के प्रति बकाया धनराशि के ब्यौरों में मंत्रियों को मुहैया करवाई गई हवाई यात्रा भी शामिल है क्योंकि वायुसेना मुख्यालय हरेक मंत्री के नाम से अलग–अलग लेखे नहीं रखता है।

(घ) लंबित हवाई यात्रा बिलों का शीघ्रता से निपटान करने हेतु मंत्रालयों/विभागों को नियमित रूप से अनुस्मरण करवाया जा रहा है। पूर्व प्रधान मंत्रियों/राजनीतिक पार्टियों के प्रति देय राशि के बारे में वसूलियां किए जाने के लिए कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	एजेंसी	बकाया धनराशि (रुपए) 1.7.2000	अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	कीगई वसूली (रुपए)		
				1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्व/वर्तमान प्रधानमंत्री तथा राजनीतिक दल					
1.	श्री चन्द्र शेखर	5,91,31,476	1991–92	–	–	–
2.	श्री पी. वी. नरसिंह राव	5,27,40,647	1995–96 और 1996–97	–	–	–
3.	श्री एच. डी. देवगौड़ा	54,61,497*	1996–97 और 1999–2000	–	–	–
4.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	7,12,192	2000–2001	–	4,55,941	32,15,107
5.	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति	44,73,053	1980–81; 86–87; 90–91 और 95–96	–	–	–
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग					
6.	नागर विमानन	4,09,491	1997–98 और 1999–2000	–	86,08,500	93,31,834
7.	वाणिज्य	3,40,667	1999–2000	–	–	–
8.	संचार	41,75,310	1982–83 से 2000–2001	98,65,306	2,44,902	6,19,211
9.	संस्कृति, युवा मामले और खेल	2,03,166	1994–95	–	–	–
10.	पर्यावरण एवं वन	4,33,692	1995–96	1,73,333	–	6,87,500
11.	विदेश मंत्रालय	5,36,53,241	1982–83 से 2000–2001	20,96,34,820	9,47,85,221	12,29,46,903
12.	वित्त	27,260	1982–83	1,45,98,000	–	70,81,000
13.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	62,42,542	1994–95	–	–	–
14.	गृह मंत्रालय	7,86,81,449	1999–2000 और 2000–2001	71,60,000	51,72,750	6,51,43,933
15.	सूचना एवं प्रसारण	31,93,251	1980–81 से 2000–2001	17,929	10,53,91,000	10,54,000
16.	विद्युत	77,95,167	2000–2001	–	6,75,833	4,04,633
17.	रेल मंत्रालय	11,33,950	1981–82 और 2000–2001	5,04,77,084	1,54,44,538	26,18,053
18.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	8,86,232	1995–96 और 2000–2001	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
19.	भूतल परिवहन	40,00,660	1968–69, 1974–75 और 2000–2001	55,26,626	–	9,27,666
20.	लघु उद्योग और कृषि उद्योग	91,72,000	2000–2001	–	–	–
21.	पर्यटन	73,922	1994–95	–	34,33,333	–
22.	जनजाति मामले	19,25,000	1999–2000	–	–	–
23.	जल संसाधन	85,90,836	1994–95 और 2000–2001	6,80,000	92,083	–

* इसमें प्रधानमंत्री द्वारा यथाप्राधिकृत, श्री सी. एम. इब्राहिम द्वारा की गई यात्रा के बारे में 28,13,333/ रुपए भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

राजमार्गों पर पेट्रोल पंप लगाया जाना

741. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेट्रोल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कितने पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये पेट्रोल पंप कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। पिछली विपणन योजना से लंबित स्थानों के अलावा 'डी' श्रेणी के बाजार में 599 स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं जिनमें 1996–98 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में राष्ट्रीय तथा राज्य के राजमार्ग सम्मिलित हैं। यह विपणन योजना के बाहर राष्ट्रीय/महत्त्वपूर्ण राज्य राजमार्गों पर तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाने वाले जुबली बिक्री केन्द्रों के अलावा है।

डीलरशिपें चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती हैं। वह समय इंगित करना संभव नहीं है जब तक इन डीलरशिपों के स्थापित किए जाने की संभावना है क्योंकि यह विज्ञापन, आवेदनपत्रों की जांच, डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार, योग्यता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना, स्थलों की प्राप्ति आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

रक्षा मंत्रालय में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

742. श्री जय प्रकाश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और सी. ए. ओ. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं, इनमें से कितने मामले इस संबंध में बातचीत करके अथवा आवश्यक आदेश जारी किए बिना अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) इनके त्वरित निपटान हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों (1997, 1998 और 1999) के दौरान अनुकंपा के आधार पर रोजगार पाने के लिए प्राप्त 122 आवेदनों में से 97 मामलों में स्वीकृति प्रदान करते हुए नियुक्तियां प्रदान कर दी गई थीं। शेष 25 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया था। अस्वीकृत किए गए सारे मामलों में प्रत्येक आवेदनकर्ता को अस्वीकरण के कारणों सहित तथ्यपूर्ण सरकारी पत्रों द्वारा सूचित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना

743. श्री सुबोध मोहिते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है,

(घ) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम क्षेत्र का मूल्यनिर्धारण प्रक्रिया को भी बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क स्थापित करने एवं हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धी फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के संबंध में नियमन के विभिन्न पहलुओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा इस अवस्था में इस विषय में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(घ) और (ङ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (प्र.मू.व्य.) को चरणों में समाप्त करने के लिए नवंबर, 1997 के सरकारी निर्णय के अनुसरण में सभी रिफाइनरियों (विद्यमान एवं नई) के लिए अवधारणा मूल्यनिर्धारण प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय के अनुसार मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, विमानन, भट्टी ईंधन, मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (घरेलू) के सिवाए सभी पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल के मूल्य भंडार बिंदुगत स्तर तक आयात समता आधार पर नियत किए जाने होते हैं तथा अन्य नियंत्रित उत्पादों का मूल्यनिर्धारण को आयात समता की ओर ले जाया जाना है।

नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना के लिए ऋण

744. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करने वाली विदेशी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और ऋणदाता एजेसियों में से प्रत्येक ऋणदाता एजेन्सी के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) प्रत्येक वित्त प्रदान करने वाली संस्था से अब तक विदेशी ऋण प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य सरकार का इक्विटी शेयर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध करा दिया गया है,

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकारों से कितनी धनराशि जारी कराई गयी है, और प्रत्येक किस्त जारी करने की तिथि कौन-कौन सी है;

(ङ) परियोजना लागत में कितनी बार संशोधन कर इसे बढ़ाया गया है;

(च) इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(छ) उक्त परियोजना का आरम्भ करने का आरम्भिक समय क्या था; और

(ज) इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजना ($6 \times 250 = 1500$ मे.वा.) के क्रियान्वयन के लिए नाथपा-झाकरी विद्युत निगम को ऋण प्रदान करने वाली विदेशी एजेंसियों का ब्यौरा, अभी तक प्राप्त की गई ऋण की राशि, ऋण की शर्तों एवं निबंधन इत्यादि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) नाथपा-झाकरी विद्युत निगम भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें दोनों का 3:1 के अनुपात में इक्विटी पूंजी की भागीदारी करते हैं। भारत सरकार ने अभी तक 1938.26 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है जिसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 552.90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है जिससे 139.85 करोड़ रुपये की कमी उत्पन्न हुई।

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष-वार प्रदान की गई इक्विटी और हिमाचल सरकार की संचयी कमी को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) परियोजना की लागत को पहले जून, 1993 में संशोधित करके 4337.95 करोड़ रुपये किया गया था जिसे मई, 1999 में पुनः संशोधित कर के 7666.31 करोड़ रुपये कर दिया गया। लागत में वृद्धि के प्रमुख कारण मूल्य वृद्धि, विनिमय दर में भिन्नता, मात्रा में परिवर्तन, भौगोलिक आकस्मिकताओं के कारण अचानक उत्पन्न हुआ अतिरिक्त कार्य इत्यादि शामिल है।

(छ) और (ज) परियोजना को मूल रूप से 1996-97 में चालू किए जाने हेतु निर्धारित किया गया था। हाल ही में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार परियोजना को मार्च, 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण-I

नाथपा–झाकरी जल विद्युत परियोजना के लिए विदेशी एजेंसियों से ऋण की प्रमुख शर्तें एवं निबंधन

क्र.सं.	ऋणदाता का नाम	मुद्रा	राशि/ऋण की मुद्रा	24.7.2000 को प्राप्त किया गया ऋण	छूट की अवधि (वर्षों में)	वापसी की अवधि वर्षों में	ब्याज की दर % प्रति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
क. भारत सरकार से विश्व बैंक ऋण							
1.	आईबीआरडी	यूएसडी	437,000.000	375,150,000.00	5	15	14.5% से 17%
ख. विदेशी वाणिज्यिक ऋण							
1.	एक्सपोर्टफाइनेंस नार्वे	एनओके	263,231,445	195,246,688,53	5.5	12	5.95%
		यूएसडी	6,324,289	3,770,639.58	5.5	12	5.95%
2.	केएफडब्ल्यू, जर्मनी (निर्यात ऋण)	डीएम	132,068,296	91,022,942,93	5	12	6.635%
	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	डीएम	18,894,405	15,992,882,17	5.5	5	केएफडब्ल्यू की प्रभावी वित्त पोषण लागत + सीमांत 1.25% प्रतिवर्ष।
4.	यूबीएस (पूर्वएसबीसी) निर्यात ऋण स्विटजरलैंड	सीएचएफ	54,643.302	40,797,728.80	5.5	10	3.4% प्रतिवर्ष से अधिक भारित औसत एसईबीआर 14 अधिष्ठापित तक इसके बाद 2 वर्ष एसईबीआर से अधिक 0.75% प्रति वर्ष सीमांत सहित पुनः समायोजित।
5.	यूबीएस (पूर्व एसबीसी) वित्त ऋण स्विटजरलैंड	सीएचएफ	9,642.918	8,122,721.25	3.5	1.5	6 माह लीबोर +2% से 3.5% प्रतिवर्ष सीमांत/6 माह लीबोर
6.	एनआईबी, फिनलैंड	एनओके	110,000.000				
		यूएसडी उपस्कर में		71,338,348.00 यूएसडी उपस्कर 10,532,413.43	5.5	14	6 माह लीबोर + 0.65% प्रति वर्ष
7.	डीएनपी, फ्रांस (निर्यात ऋण)	एफआरएफ	284,089.129	141,730,616.48	4.5	10	6.60%
8.	डीएनपी फ्रांस (वित्त ऋण)	एफआरएफ	64,352,935	36913,082.00	3.5	3	1.1% से अधिक पीआईबी ओआर

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	वर्कलेज बैंक पीएलसी, यू.के. निर्यात ऋण	जीबीपी	22,850,214	1,428,562.97	3	10	6.6% ट्रेंच ए और 7.88% ट्रेंच बी (आईडीसी)
10.	बार्कले बैंक, पीएलसी, यू.के., वित्त ऋण	यूएसडी	5,566,500	4,604,936.28	3.5	5	0.9% से अधिक 3 अथवा लीबोर

विवरण-II

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष–वार प्रदान की गई इक्विटी और हिमाचल प्रदेश सरकार की संचयी कमी को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जारी की गई इक्विटी राशि		जारी संचयी पूंजी		योगदान	
	भारत सरकार	हि.प्र. सरकार	भारत सरकार	हि.प्र. सरकार	वर्ष हेतु	संचयी
1988–89	51.00	–	51.00	–	17.00	17.00
1989–90	100.21		151.21	–	33.40	50.40
1990–91	20.00	10.00	171.21	10.00	–	47.07
1991–92	–	500+ 14.69*	171.21	29.69	–	27.38
1992–93	10.00	1.38	181.21	31.07	1.95	29.33
1993–94	100.00	37.50	281.21	68.57	–	25.17
1994–95	137.05	18.92	418.26	87.49	26.76	51.93
1995–96	200.00	52.91	618.26	140.40	13.76	65.69
1996–97	237.00	66.00	855.26	206.40	13.00	78.69
1997–98	320.00	115.50	1175.26	321.90	–	69.85
1998–99	401.00	50.82	1576.26	372.72	82.85	152.70
1999–2000	412.00	114.18	1988.26	486.90	23.15	175.85
2000–01		36.00	1988.26	522.90		
कुल	1988.26	522.90				

* हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से नाथपा–झाकरी विद्युत निगम द्वारा अधिकार में ली गई परिसम्पत्तियों की कीमत।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का विनिवेश

745. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को महत्त्वपूर्ण दर्जा दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिवेश मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के विनिवेश के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विनिवेश के संबंध में तेल कंपनियों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों का विनिवेश सरकारी विनिवेश नीति द्वारा शासित होगा।

(घ) तेल कंपनियों के अंतर्गत सरकारी धार्यता का वर्तमान प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक है (आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन–84.1% आयल इंडिया लि.–98.13%, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.–67.3%, इंडियन आयल कार्पोरेशन–82.03%, हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लि.–51.06%, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.–66.2% आई बी पी–59.58% चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.–52.48%, कोचीन रिफाइनरीज लि.–55.04%, बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.–74.46%, इंजीनियर्स इंडिया लि.–90.39% एवं बीको लारी 57 प्रतिशत।

मैगा रसायन औद्योगिक एस्टेटों की स्थापना

746. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैगा रसायन औद्योगिक एस्टेटों (एम.सी.आई.ई) की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी; और

(ग) सरकार ने रसायन क्षेत्र के लिए आधुनिक एकीकृत ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ख) राज्य सरकारों के सहयोग से समेकित रासायनिक औद्यागिक एस्टेटों की स्थापना की जरूरत का पता लगाया गया है। इन एस्टेटों के विकास तथा उनकी स्थिति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जहां उद्योग को आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक एस्टेट स्थापित करती है, यह आशा की जाती है कि मेगा रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित होने से रसायन उद्योग के लिए समेकित आधारभूत संरचना सुविधाओं का और अधिक विकास होगा।

सेना आयुध कोर का आधुनिकीकरण

747. श्री साहिब सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना आयुध कोर को उच्च प्रौद्योगिकी संयंत्र बनाने हेतु ई–कामर्स के माध्यम से सैन्य हार्डवेयर और कल–पुर्जों को खरीदने की कोई योजना है;

(ख) प्रतिवर्ष खरीद किये जा रहे/प्राप्त किये जा रहे सैन्य उपकरण, कलपुर्जों और खपत योग्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना आयुध कोर को कब तक आधुनिक, विशेषकर कंप्यूटर और अन्य तकनीकी पहलुओं से सुसज्जित कर दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रतिवर्ष खरीदे/अधिप्राप्त किए जा रहे सैन्य उपस्करों, अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों और खपत योग्य मदों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

	भंडार सामग्री	करोड़ रुपये में
1.	आयुध	4653.25
2.	वस्त्र	516.85
3.	एम. टी. सामग्री	2449.70

(ग) दिल्ली छावनी स्थित सेना आयुध कोर की मालसूची प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक कंप्यूटरीकृत मालसूची नियंत्रण परियोजना संचालित की गई है और इसके दिसंबर, 2001

तक पूरा हो जाने की संभावना है। शेष आयुध डिपुओं को दिसंबर, 2004 तक स्वचालित कर दिए जाने की योजना है।

सेना के जवान द्वारा लूटेरे को मार डालना

748. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली छावनी में एक लूटेरे को मार डालने के लिए जवान पर हत्या का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपने अधिकारिक दायित्वों का निर्वहन करने अथवा निर्वहन हेतु तात्पर्यित होने के दौरान यदि किसी के द्वारा कोई अपराध होता है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) रक्षा सुरक्षा कोर के एक लांस नायक ने जो 6.6.2000 को गार्ड ड्यूटी पर था, दो घुसपैठियों को इंजीनियर्स स्टोर डिपो, दिल्ली छावनी से कुछ वस्तुएं ले जाते देखा। ललकारे जाने पर दोनों घुसपैठिए चारदीवारी की ओर भागे और उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की। इस गार्ड ने अपनी राइफल से एक राउंड गोली चलाई और उनमें से एक घुसपैठिए को घायल कर दिया। दूसरे घुसपैठिए ने आत्मसमर्पण कर दिया। घायल हुए घुसपैठिए ने घावों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां उसे सिविल पुलिस द्वारा ले जाया गया था।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 और 197(2) में सरकारी ड्यूटी के निर्वहन में किए गए अथवा तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के लिए संरक्षण का उपबंध है।

3. सिविल पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और एन सी ओ को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली द्वारा एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। तथापि, इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले नहीं किया गया। एन सी ओ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट वापस लेने के लिए न्यायालय के समक्ष 6 जुलाई, 2000 को एक अर्जी दी गई थी। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई, 2000 को हुई थी और न्यायालय ने वारंट वापस लेने के लिए निदेश दिए हैं।

पावरग्रिड कार्पोरेशन का दूरसंचार नेटवर्क

749. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रव्यापी लंबी दूरी वाली दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच उनके हित साधन में असफल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) देश से और बाहर से, उक्त परियोजना हेतु कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या यह दूरसंचार निवेश वातावरण के लिए प्रमुख चेतावनी का परिचायक है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के आगम को बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) नेशनल लांग डिस्टेंट ऑपरेशन की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम साझेदार के चयन हेतु पिछले सप्ताह मार्च, 2000 में जारी "एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट" के उत्तर में पावरग्रिड को वृहत् घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ऑपरेटरों से सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें चार प्रस्ताव घरेलू फर्मों से तथा तीन प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू फर्मों के संघ (कंसोर्टियम) से प्राप्त हुए हैं। एनएलडीओ बनने के लिए स्थापित किए जाने लायक जरूरी वृहत् दूरसंचार आधार अवसंरचना के मद्देनजर इस उत्तर को संतोषजनक माना जा सकता है।

[हिन्दी]

हिन्डन एअर फोर्स स्टेशन की सुरक्षा को खतरा

750. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें क्षेत्र के नागरिकों से हिन्डन एअरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य की सच्चाई और ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिंडन एअर बेस/एअर फोर्स स्टेशन की सुरक्षा हेतु अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रभावी नीति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख है कि हिंडन हवाई अड्डे की सुरक्षा को मुख्य रूप

से हवाई अड्डे के अंदर स्थित क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रहने वाले लोगों, आगन्तुकों/निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कोई रिकार्ड न होने तथा हवाई पट्टी के पास स्थित अनधिकृत बूचड़खानों, के कारण खतरा पैदा हो गया है। वायुसेना मुख्यालय द्वारा इस मामले की जांच की गई है तथा यह पाया गया है कि हिंडन एअर बेस की सुरक्षा को ऐसा किसी प्रकार का खतरा नहीं है जैसा कि समाचार में छपा था। किसी बाहरी व्यक्ति को आवासीय भवनों में किराए पर रखने का कोई मामला नहीं पाया गया है। तथापि यह सत्य है कि 28 नवंबर, 1997 की रात को रिहायशी क्षेत्र में स्थित सिंडीकेट बैंक से 27,63,400/– रुपए चोरी हो गए थे। हाल ही में इस क्षेत्र में स्थित सिंडीकेट बैंक में चोरी का निष्फल प्रयास भी हुआ था। जैसा कि समाचार में छपा था। स्थानीय पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज करा दी गई थी। अपराध की छिट–पुट घटनाएं भी हुई हैं।

वायुसेना स्टेशन हिंडन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम भी उठाए गए हैं इसमें आवासीय क्षेत्र में डीएससी गार्डों द्वारा [illegible] शुरू करना, महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं में नियमित जामातालाशी और [illegible]ना में वृद्धि आदि शामिल है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विद्युत की चोरी

751. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में विद्युत की चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्युत की चोरी को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विद्युत पारेषण और वितरण हानि को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अध्यादेश किस सीमा तक जारी किया गया है और विद्युत की स्थिति में सुधार लाने में राज्य को मदद हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश में विद्युत चोरी बहुत अधिक है। राज्य सरकार भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के प्रावधानों में संशोधन बनाने पर विचार कर रही है ताकि इसके लिए और अधिक कड़े दंड का प्रावधान किया जा सके और विशेष न्यायालयों/प्राधिकरणों की स्थापना के जरिये विद्युत चोरी के मामलों को तेजी से रोका जा सके। प्रस्तावित कानून बिजली चोरी करने वालों के लिए प्रभावी निवारक के रूप में काम करेगा और इससे विद्युत युटिलिटियों के राजस्व में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को बिजली की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

राज्य सरकार ने राज्य में कुशल तथा किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूरे विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु उपाय किए हैं। इस प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 में लागू किया गया था और 31.3.1999 को स्वतंत्र स्वायत्त विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग को अपने निर्देशों तथा आदेशों को लागू करने की सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग ने एपीट्रांस्को को निदेश दिया है कि वह मीटरों की सील में सुधार करे और बिजली चोरी को रोकने हेतु अचानक छापों की संख्या बढ़ाए। इन उपायों से विद्युत चोरी में कमी तथा राजस्व में वृद्धि की संभावना है।

महाराष्ट्र में बिजली संकट

752. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, राज्य में बिजली संकट से उबरने के लिए लगभग 1500 मेगावाट बिजली की कमी को पूरा करने के लिए टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी (टीईसी) और सेन्ट्रल ग्रिड से अतिरिक्त बिजली के लिए बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार ने सेन्ट्रल ग्रिड से बिजली प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) इससे राज्य सरकार को कितनी मदद मिली है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल से जून, 2000 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 2016 मेगा यूनिट (10.3%) का ऊर्जा अभाव एवं 2470 मे.वा. (20.1%) का व्यस्तम कालीन ऊर्जा अभाव रहा। महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध नहीं किया है। टाटा इलैक्ट्रिक कं. एमएसईबी की एक लाइसेंसी है और एमएसईबी ने टी ई सी से अतिरिक्त बिजली खरीदने का एक समझौता किया है।

(ख) और (ग) पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों से 1866.6 मे.वा. का स्थिर आबंटन है। 25.7.2000 से महाराष्ट्र को पश्चिम क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों को 15% अनाबंटित कोटा से भी 153 मे.वा. का आबंटन किया गया है। पश्चिमी

क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र से 350 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत आयात कर रहा है जिसका उपयोग म. प्र. एवं गुजरात द्वारा किया गया है। हालांकि एमएसईबी ने पूर्वी क्षेत्र से बिजली लेने के लिए सहमति नहीं जताई है। वर्तमान में महाराष्ट्र में अच्छी वर्षा होने के कारण विद्युत उत्पादन में कमी हो गई है।

कृष्णा विद्युत परियोजना

753. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अलमाटी और नारायणपुरा जलाशयों के निकट 110 मे.वा. की ऊपरी कृष्णा विद्युत परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विद्युत परियोजना के निष्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित 110 मे.वा. अपर कृष्णा विद्युत परियोजना अलमाटी बांध पर अपर कृष्णा जल विद्युत परियोजना चरण–I (297 मे.वा.) तथा अपर कृष्णा चरण–2 (लगभग 810 मे.वा.) प्रतीत होती है जिसमें अलमाटी बांध (नारायणपुरा बैराज से नीचे) के अनुप्रवाह में बहने वाले जल प्रपात में स्थित चार विद्युत केन्द्र शामिल हैं। इस तरह अपर कृष्णा परियोजना (चरण–1 और चरण–2) के अंतर्गत कुल विद्युत घटक लगभग 1107 मे.वा. है। यह परियोजना मुख्यतः अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य हुए अंतर्राज्यीय विवाद के कारण निलम्बित हो गई है। इसकी वजह से परियोजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया था जिसने मुख्यतः अंतर्राज्यीय घटकों का समाधान न होने के कारण 11.11.96 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लौटा दी थी।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25.4.2000 को दिए गए अपने फैसले में कर्नाटक को अलमाटी बांध की ऊंचाई को 509 मीटर से बढ़ाकर 519.6 मीटर किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त फैसले के पश्चात् कर्नाटक सरकार ने प्रवर्तकों के अलमाटी बांध के लिए 519.6 मीटर के जलाशय स्तर पर परियोजना को विकसित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान कर दी है और उन्हें डीपीआर तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए कहा है। प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जल आयोग ने भी 519.6 मीटर की उपरोक्त बांध की ऊंचाई को अपनी स्वीकृति दे दी है।

महाराष्ट्र में कच्चे तेल के भंडार हेतु सर्वेक्षण

754. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998–99 और 1999–2000 के दौरान महाराष्ट्र में कच्चे तेल के नए भंडारों का पता लगाने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने एक संयुक्त सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक वहां कितने तेल भंडारों का पता लगा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे की भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण

755. श्रीमती हेमा गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार अथवा रायगढ़ नगरपालिका ने बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए रेल विभाग की भूमि हेतु रेलवे से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि राज्य सरकार अथवा स्थानीय नगरपालिका को सौंपी नहीं जा सकती चूंकि रेलवे को भविष्य में अपने विस्तार के लिए इसकी आवश्यकता है।

एच पी सी एल और बी पी सी एल के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाना

756. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष इस समय तीन–तीन महीने की कार्यकाल–विस्तारावधि पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सी एंड एम डी) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को आरंभ में 5 वर्ष की अवधि या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया था। श्री एच.एल.जुत्शी, सी एंड एम डी, एच पी सी एल तथा श्री यू.सुन्दरराजन, सी एंड एम डी, बी पी सी एल की नियुक्ति की आरंभिक कार्यावधि क्रमशः 21.6.2000 तथा 3.10.1999 को पूरी हो गई। तथापि, चूंकि उनकी अधिवार्षिता की तारीखें क्रमशः 31.5.2002 तथा 30.6.2002 है, इसलिए वे उपरिवर्णित नियुक्ति की आरंभिक अवधि के पूरा होने के बाद कार्यावधि के और अधिक विस्तार के पात्र हैं। कार्यावधि का ऐसा ...के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद किया जाता है। सी ... एच पी सी एल के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तक उन्हें 21.6.2000 के बाद 3 महीने की अवधि के लिए तदर्थ विस्तार दिया गया है। जहां तक सी एंड एम डी, बी पी सी एल की कार्यावधि का संबंध है, उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा तक उन्हें 3.10.1999 के बाद 3 महीने का तदर्थ विस्तार दिया गया। उनकी कार्यावधि अब उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.6.2002 तक बढ़ा दी गई है।

आंध्र प्रदेश के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

757. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कंचनबाग में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला में और इनके आस पास रह रहे 300 परिवारों के अन्यत्र किसी वैकल्पिक स्थान पर पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को सहायता देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करके कंचनबाग में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के आस–पास के 100 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र से आबादी को सुरक्षा कारणों से खाली करने के अनुदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार से अब तक इन परिवारों के पुनर्वास के लिए सहायता से संबंधित कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ऋण आवेदनों की जांच में विलम्ब

758. श्री मानसिंह पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पावर फाइनेंस कार्पोरेशन" द्वारा ऋण आवेदनों की जांच में बहुत विलम्ब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों की शीघ्र जांच के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) ऋण आवेदन की संवीक्षा में पीएफसी द्वारा लिया गया समय युक्तिसंगत पाया गया है। निगम द्वारा 3 से 4 माह की अवधि के भीतर वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के प्रयास किए जाते हैं। सामान्यतः ऋण प्राप्तकर्त्ता परियोजना तैयारी की विभिन्न अवस्थाओं में अपने ऋण अनुरोध प्रस्तुत करते हैं और कई बार ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करते समय ऋण आवेदनों में आयोजना, लागत, लाभ और सुरक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित अपेक्षित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव रहता है। इस प्रकार परियोजना के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने में समय लगता है। विभिन्न स्तरों पर आवेदन–पत्र के अनिर्णित करने की सघनतापूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है और पूर्ण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने में ऋण प्राप्तकर्ताओं की सहायता की जाती है। पीएफसी प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए रा.वि.बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

[अनुवाद]

नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

759. श्री चिंतामन वनगा :
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान सरकार को नई परियोजनाओं की अधिष्ठापना/वर्तमान विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार और वर्ष–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में शामिल अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान नई परियोजनाओं के प्रतिष्ठापन विद्यमान विद्युत परियोजनाओं के विस्तारण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति/अनुमानित लागत के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1997–98 के दौरान प्राप्त विद्युत स्कीमों के मूल्यांकन की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना का नाम/राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	के.वि.प्रा.के अनुमोदन की तारीख वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
(क) के. वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं				
1.	मलाना एचईपी (एचपी)	2×43	341.911	27.7.98
2.	धोलपुर सीसीजीटी (राज.)	702.7	364.29 मिलियन अमेरिकन डालर + 855.133 करोड़ रुपए	12.3.98
3.	बिरसिंहसार लिग्नाइट राज.	2×250	322.716 मिलियन अमेरिकन डालर + 1090 करोड़ रुपए	20.4.98
4.	रतलाम डीजीपीपी (एम पी)	118.6	73.88 मिलियन अमेरिकन डालर + 163.162 करोड़ रुपए	10.2.98
5.	गुना सीसीजीटी (एम पी)	330	152.37 मिलियन अमेरिकन डालर + 484.86 करोड़ रुपए	22.7.98
6.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी (ए.पी.)	2×260	355.131 मिलियन अमेरिकन डालर + 960.614 करोड़ रुपए	16.6.98
7.	खानीमानकी (बंगलौर) सीसी पीपी (कर्नाटक)	107.6	56.577 मिलियन अमेरिकन डालर + 152.969 करोड़ रुपए	20.9.99
8.	इब वैली टीपीपी (उड़ीसा)	2×250	326.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 983.90 करोड़ रुपए	26.2.99

1	2	3	4	5
(ख) परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई				
1.	बवाना सीसीजीटी (दिल्ली)	421	318 मिलियन अमेरिकन डालर + 438.30 करोड़ रुपए	19.12.97 को लौटाई गई
2.	कोरबा पूर्वी टीपीपी फेस II (म. प्र.)	250	157.68 मिलियन अमेरिकन डालर + 529.155 करोड़ रुपए	12.5.98 को लौटाई गई
3.	जगरुपाडू सीसीपीपी–II (ए. पी.)	240	687.304	10.3.98 को लौटाई गई
4.	बंगलौर टीपीपी (कर्ना.)	550	2372.55	18.12.97 को लौटाई गई
5.	रायचूर टीपीपी (कर्ना.)	420	1991.2	24.2.98 को लौटाई गई
6.	मैसूर टीपीपी (कर्ना.)	1000	4860.9	17.12.98 को लौटाई गई
7.	इन्नौर सीसीजीटी (त. ना.)	1500	7106.3	28.10.97 को लौटाई गई
	के.वि.प्रा. में जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट			
	राजगढ़ सीसीपीपी (म. प्र.)	343.48	1128.78	
			लम्बित निवेश/मंजूरी ये है : (i) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29(2) का अनुपालन–धारा 29(3) के तहत संशोधित क्षमता तथा लागत रिपोर्ट के लिए शुद्धिपत्र की प्रतिक्षा है (ii) धारा 18ए के तहत संशोधित क्षमता के प्राधिकार हेतु राज्य सरकार की सहमति (iii) विद्युत निष्क्रमण प्रणाली तथा स्विच यार्ड में निर्गमों की संख्या (iv) पुनः वैथीकूल ईंधन परिवहन अनुमति (v) 343.48 मे.वा. की संशोधित क्षमता के लिए ईंधन लिंकेज)	
2.	हसन सीसीपीपी (म. प्र.)	181	715.62	
			तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए दिनांक 28.5.99 को के.वि.प्रा. द्वारा विचार–विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम पर पुनः विचार किया जा सकता है अगर स्वतंत्र विद्युत प्रवर्तक पहले से कम की गई 20 करोड़ रुपये की लागत के अलावा 51 करोड़ रुपये की और कमी करें तथा अनुमानित लागत को ससंगत स्तर पर लाएं लम्बित निवेश में है :– अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल उपलब्धता का समाधान (सी. डब्ल्यू. डी.टी. मामला)	
3.	तेलगी टीपीपी (म. प्र.)	350	1597.7	
			30.3.96 को आई पी सी जारी	
			16.3.99 को स्पेक द्वारा विचार किया गया	
			तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए अनुशंसा नहीं की गई क्योंकि लागत की संरचना अनुपयुक्त पाई गई तथा उपस्कर और सेवा लागत युक्तिसंगत अनुपात में निर्दिष्ट नहीं की गई।	

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
(क)	**के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं**		शून्य	
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई स्कीमें**			
1.	मुकेरियां चरण II (पंजाब)	12	लागू नहीं	1.6.99 को लौटाई गई
2.	मारा पीएसएस (म.प्र.)	450	763.13	5.1.99 को लौटाई गई
3.	बिनोदा पीएसएस (म.प्र.)	4×150	825.02	1.1.99 को लौटाई गई
4.	कामीना एचईपी (म.प्र.)	2×45	183.0	24.8.99 को लौटाई गई
5.	संजय गांधी टीपीएस विस्-चरण—II (म.प्र.)	1×500	1725	27.1.97 को लौटाई गई
6.	मालसाजी घाट पीएसएस (महा.)	2×300	1175	5.1.99 को लौटाई गई
7.	भुसावल टीपीएस विस्तार महा.	2×500	2795	17.4.98 को लौटाई गई
8.	पुलिचिन्टाला (ए.पी.)	2×30	238	11.3.99 को लौटाई गई
9.	कोटागुडम टीपीपी चरण I-VI (ए.पी.)	2×250	1804	29.7.97 को लौटाई गई
(ग)	**क.वि.प्रा. में जांचाधीन डीपीआर**		शून्य	
केन्द्रीय क्षेत्र				
(क)	**के.वि.प्रा. का जांचाधीन परियोजनाएं**			
1.	चमेरा एचईपी चरण II (हि. प्र.)	3×100	2.79 मिलियन अमेरिकन डालर + डीएम 21.53 मिलियन + 1304.59 करोड़ रुपए	23.7.98
2.	तीस्ता चरण V एचईपी सिक्किम	3×170	16.804 मिलियन सीएचएफ 2523.56 करोड़ रुपए	9.9.98
3.	लोकताक डी/एस एचईपी मणिपुर	3×30	667.46 करोड़ रुपए	28.8.98
4.	तुरवई एचईपी मिजोरम	3×70	1258.84 करोड़ रुपए	19.2.99
5.	अन्ता सीसीजीटी II राज.	650	243.71 मिलियन अमेरिकन डालर + 899.64 करोड़ रुपए	21.5.98
6.	औरया सीसीजीटी II यू.पी.	650	243.844 मिलियन अमेरिकन डालर + 857.622 करोड़ रुपए	28.9.98

1	2	3	4	5
7.	कवास सीसीजीटी II गुज.	650	243.69 मिलियन अमेरिकन डालर + 831.57 करोड़ रुपए	1.5.98
8.	जानार गांधार सीसीजीटी II गुजरात	650	243.62 मिलियन अमेरिकन डालर + 845.113 करोड़ रुपए	16.10.98
9.	सिपात एसटीपीपी (एम पी)	3×660	991.921 मिलियन अमेरिकन डालर + 845.113 करोड़ रुपए	17.1.2000
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	लोअर कोपली एचईपी (असम)	3×50	570 करोड़ रुपए	21.7.97 को लौटाई गई
2.	मैथान आरबीटीपीएस (डीवीसी)	4×250	3298 करोड़ रुपए	1/94 को लौटाई गई
(ग)	**जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**		शून्य	
	1998–99 के दौरान प्राप्त विद्युत स्कीमों की स्थिति			
निजी क्षेत्र				
	के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं			
	विमागिरि सीसीजीटी (ए. पी.)	492	248.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 638.223 करोड़ रुपए	7.1.99
2.	नागार्जुन टीपीपी कर्ना.	2×5075	273.795 मिलियन अमेरिकन डालर + जीबीपी 277.40 मिलियन एफएफआर 907.190 मिलियन 1792.685 करोड़ रुपए	29.4.99
3.	विंबार सीसीजीटी (त.ना.)	1873	694.94 मिलियन अमेरिकन डालर + 2106.67 करोड़ रु.	24.9.99
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	नई दिल्ली टीपीएस दिल्ली	350	468.61 मिलियन अमेरिकन डालर + 156.98 करोड़ रुपए	19.11.98 को लौटाई गई
2.	हजीरा सीसीपीपी चरण II गुज.	500	1851.76 के.वि.प्रा. ने जांच नहीं की और आईपीपी को 15.2.99 को सुझाव भेज दिया गया	
3.	हरिमा टीपीपी उड़ीसा	6×720	लागू नहीं	30.11.98 को लौटाई गई
(ग)	**जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	धामवारी सुन्डा एचईपी (हि.प्र.)	2×35	563.03	लम्बित निवेश ये हैं : निष्क्रमण प्रणाली संचारण के लिए वन एवं पर्यावरण अनुमति अनन्तिम वित्तीय पैकेज इत्यादि। 13.2.2000 को स्पेक द्वारा विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए संस्तुति से पूर्व अनेक विवादों का समाधान कर लिया जाए।

1	2	3	4	5
2.	झबुआ सीसीजीटी (म.प्र.)	360	1366	लम्बित निवेश ये हैं : विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29(2) का अनुपालन धारा 18ए के तहत् राज्य सरकार की सहमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा एसपीसीबी स्वीकृति 8.63 मि.क्यू.मी. खपतीय जल के आहरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुमोदन विद्युत अवशोषण आदि के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पुष्टि।
3.	श्रीमुशलाम लिग्नाइट टीपीपी (तमिलनाडु)	1×250	1451.0	16.11.99 को स्पैक पूर्व विचार किया गया जल उपलब्धता (सीजीडब्ल्यू बी डी पी आर/लागत पर राज्य सरकार की सिफारिश खनन योजना के लिए कोयला मंत्रालय का अनुमोदन लम्बित निवेश है।
4.	नंजागुद सीसीपीपी (कर्नाटक)	96.7	52.26 मि. अमेरिकन डालर	
			154.917 करोड़ रुपए	के.वि.प्रा. द्वारा 26.2.99 को तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए विचार किया गया अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से के.ज.आ. द्वारा जल उपलब्धता का समाधान (सी डब्ल्यू डी सी विवाद तथा निश्चित लागत की अंतिम रूप–रेखा लम्बित निवेश है।
राज्य क्षेत्र				
(क)	**के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं**			
1.	लारजी एचईपी (हि.प्र.)	3×42	796.98	14.1.2000
2.	मनारी भाली चरण–II एचईपी (यू. पी.)	4×76	1111.39	21.2.2000
3.	माईनादू एचईपी (मेघालय)	2×42	363.1	20.9.99
4.	प्रगति सीसीपीपी दिल्ली	330	59.888 मिलियन अमेरिकन डालर + 819.3 करोड़ रुपए	10.2.2000
5.	सूरतगढ़ टीपीएस II (राज.)	2×250	2057.62	9.7.99
6.	अकरीमोटा लिग्नाइट टीपीपी गुज.	2×125	47.914 मिलियन अमेरिकन डालर + डीएम 47.925 एम + 1022.158 करोड़ रुपए	6.9.99
7.	पारली टीपीपी विस्तार चरण I महा.	1×250	1053.90	9.7.99

1	2	3	4	5
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	कुथेरू एचईपी (हि. प्र.)	260	1117	2/2000 को लौटाई गई
2.	किसायू बांध (यू. पी.)	4×150	3455	7/99 को लौटाई गई
3.	पारस टीपीएस विस्तार महाराष्ट्र	1×250	800	9/98 को लौटाई गई
4.	चन्द्रपुर टीपीएस महा.	1×60	150	1/99 को लौटाई गई
5.	ऊरेन सीसीजीटी महा.	400	1000	12/99 को लौटाई गई
6.	तिटीहेल्ला कर्नाटक	—	121	9/99 को लौटाई गई
7.	रायचूर टीपीपी यू–7 कर्ना.	1×210	520	10/98 को लौटाई गई
8.	विजय नगर टीपीपी कर्ना.	1×500	1795	9/98 को लौटाई गई
9.	लखवा वेस्ट हीट असम	1×25	लागू नहीं	चूंकि लागत 250 करोड़ रुपये से कम की अतः के.वि.प्रा. द्वारा टिप्पणी असम राज्य विद्युत बोर्ड को भेज दी गई।
(ग)	**जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण–II राज.	71	289	11.2.2000 को स्पेक द्वारा विचार किया गया तथा तकनीकी आर्थिक अनुमोदन की सिफारिश की गई ईंधन लिंकेज लम्बित निवेश है 5/2000 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त सत्यापन जांचाधीन है।
	केन्द्रीय क्षेत्र			
(क)	**के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं**			
1.	रिहन्द एसटीपीपी–II (यू. पी.)	2×500	433.191 मिलियन अमेरिकन डालर + 2208.43 करोड़ रुपए	1.10.99
2.	रामागुण्डम एसटीपीपी चरण III (ए. पी.)	1×500	185.02 मिलियन अमेरिकन डालर + 1284.265 करोड़ रु.	18.11.98
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1	रंगानदी चरण II एचईपी अरुणा. प्रदेश	3×60	854	6/98 को लौटाई गई

1999–2000 के दौरान प्राप्त विद्युत स्कीमों के मूल्यांकन की स्थिति

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
(क) के.वि.प्रा. अनुमोदन परियोजनाएं			शून्य	
(ख) परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत रिपोर्ट				
1.	कृष्णापट्टनम ए टीपीपी (ए. पी.)	2×260	377.56 मिलियन अमेरिकन डालर + 1089.72 करोड़ रुपए	20.4.2000 को लौटाई गई
2.	मीन सिवापुर केन्नूर कर्ना.	500	1659.2	6.9.99 को लौटाई गई
3.	कट्टुपाली सीसीपीपी त.ना.	1000	662.21 मिलियन अमेरिकन डालर + 1513.148 करोड़ रुपए	27.3.2000 लौटाई गई
(ग) चालाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट				
1.	मंडय्या सीसीपीपी कर्नाटक	164.4	675	31.3.96 को आईपीसी तारिके बाई लम्बित निवेश/मंजूरी में है : धारा 29(2) का अनुपालन राजपत्र में संशोधित क्षमता तथा लागत के लिए शुद्धि पत्र, जल उपलब्धता सी/एस डीपीआर तथा लागत पर तथा संशोधित क्षमता के लिए राज्य सरकार की सिफारिश ईंधन लिंकेज की वैधता का विस्तार तथा उत्पादन कम्पनी के पत्र में ईंधन लिंकेज का अन्तरण ईंधन परिवहन व्यवस्था अनुमतियों का पुनः वैधीकरण संशोधित क्षमता के लिए पुनः वैधीकरण वित्तीय पैकेज, विद्युत निष्क्रमण प्रणाली।
राज्य क्षेत्र				
(क) के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं				
1.	मैथानी इटरगेटेड सोलियर सीसीपीपी (राज.)	140	50.6 मिलियन अमेरिकन डालर + 659.34 करोड़ रुपए	27.8.99
(ख) परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट				
1.	यूबीडीसी चरण III एचईपी पंजाब	75	530	26.7.99 को लौटाई गई
2.	लाकवार व्यासी एनपीपी यू.पी.	420	868	8.10.99 को लौटाई गई
3.	धुवेण गैस आधारित गुज.	100	350	2.5.2000 को लौटाई गई
4.	सिक्का टीपीएस विस्तार यू–3 एवं 4 (गुज.)	2×250	2178	7.9.99 को लौटाई गई
5.	कान्हार पीएसएस बिहार	3×100	253	21.7.99 को लौटाई
6.	सनखा चरण II एचईपी बिहार	186	527	1/2000 को लौटाई गई

1	2	3	4	5
(ग)	**जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	उहल चरण III एचईपी (हि.प्र.)	2×50	465.00	लम्बित निवेश ये है : अन्तर्राज्यीय मंजूरी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी वित्तीय पैकेज, निष्क्रमण प्रणालियां धारा 29(2) का अनुपालन इत्यादि।
2.	गुरु हरगोविंद ता.वि.के. चरण II (पंजाब)	2×250	1442	के.वि.प्रा. द्वारा 27.6.2000 को हुई बैठक में तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया गया तकनीकी आर्थिक अनुमोदन बीबीएमबी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद तथा अन्तर्राज्यीय जल की पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।
3.	हाजिरा सीसीपीपी	156	576	स्पेक द्वारा 6.6.2000 को टीईपी के लिए संस्तुति की गई इस स्कीम पर 25.7.2000 को होने वाली टी.ई.सी. की बैठक में विचार किया जाएगा।
4.	हमबारली पीएसएस महा.	2×200	839	लम्बित निवेश हैं : भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी, अन्तर्राज्यीय मंजूरी निष्क्रमण प्रणाली तथा धारा 29(2) का अनुपालन।
5.	कोजीकोड हेवी ईंधन केरल	128	391	3.11.99 की बैठक में विचार किया गया। विभिन्न निष्क्रमण तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर राज्य से सत्यापन प्राप्त किया जाता है सभी आठ सैट प्रचालित किए जा चुके हैं।
6.	कोविलकल्लापन सीसीपीपी तमिलनाडु	107.88	339	22.3.2000 को हुई स्पेक बैठक में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से के.वि.प्रा. के बिना अनुमोदन के कार्य शुरू करने का औचित्य कालोनी के लिए भूमि के प्रावधान को समाप्त करने के लिए सिविल अनुमान टीएनपीसीबी की मंजूरी जल उपलब्धता के लिए सेन्ट्रल ग्राउन्ड अथारिटी की मंजूरी, संयंत्र के पूरे सेवा काल के लिए गैस उपलब्धता की पुष्टि वित्तीय पैकेज आदि को पुनः तैयार करने जैसे विवादों के समाधान का अनुरोध किया गया था।
	केन्द्रीय क्षेत्र			
(क)	**के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं**			
1.	पार्वती एचईपी चरण–II हि.प्र.	800	2151.78	12.10.99
(ख)	**परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**			
1.	कहलगांव एसटीपीपी–II बिहार	1320	4669	28.4.2000 को लौटाई गई
(ग)	**जांचाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**		शून्य	

डीजल घोटाला

760. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री रामजीवन सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री जय प्रकाश :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने करीब 1,000 करोड़ रुपये के डीजल घोटाले में संलिप्त गुजरात स्थित कई सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के उच्चाधिकारियों के यहां छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घोटाले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे घोटाले न हों इस हेतु क्या उपाय किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) रियायती बिक्री कर के आधार पर पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करने वाले कुछ ग्राहक कथित रूप से इन उत्पादों का विपथन आशयगत उपयोग के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए करते रहे हैं जिससे वे बिक्री कर का अपवंचन करते रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) ने इस विषय में गांधीनगर, गुजरात में 23 मई, 2000 को एक मामला दर्ज किया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस निर्यात के लिए बांग्लादेश का प्रस्ताव

761. डॉ. अशोक पटेल :

श्री सुरेश पासी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने हाल में भारत को रसोई गैस निर्यात करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान में बांग्लादेश से एल पी जी खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री

762. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 2000 के "दैनिक जागरण" में "रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट ही नहीं मिलता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो नया आजादपुर रेलवे स्टेशन जहां से लगभग 10,000 यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करने और लगभग 100 माल डिब्बे फलों को लेकर आते हैं, में प्लेटफार्म टिकटों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्लेटफार्म टिकट उन महत्त्वपूर्ण और प्रमुख स्टेशनों पर बिक्री के लिए होते हैं, जहां लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां प्रारम्भ अथवा समाप्त होती हैं। जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की आपूर्ति नहीं होती है, वहां स्टेशन मास्टर के द्वारा उन व्यक्तियों को प्लेटफार्म में मुफ्त प्रवेश करने का प्राधिकार होता है जो स्टेशन में रेल द्वारा यात्रा करने वाले अपने दोस्तों/रिश्तेदारों को मिलने अथवा छोड़ने के लिए आते हैं, बशर्ते की वह उनकी मंशाओं के बारे में संतुष्ट हो।

नया आजादपुर स्टेशन एक उपनगरीय स्टेशन है जहां पर 1500 से 2000 तक दैनिक यातायात है जो कि मुख्यतः मासिक अथवा त्रैमासिक सीज़न टिकट खरीदने वाले दैनिक यात्रियों से है। सामान ढोने वाले माल डिब्बों को सम्हलाई माल शेड में की जाती है जो यात्री प्लेटफार्म से दूर हैं और इस प्रकार, वहां प्रवेश करने के लिए प्लेटफार्म टिकट अपेक्षित नहीं हैं। बहरहाल, इस वर्ष प्लेटफार्म टिकटों की मांग

की प्रत्याशा में इस स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

गुजरात में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

763. श्री हरिभाई चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 2000–2001 के दौरान कितनी नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना आयोग ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ग) ये परियोजनाएं किन–किन चरणों में लम्बित पड़ी हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 2000–01 के दौरान गुजरात में किसी भी नई परियोजना की स्थापना की संभावना नहीं है। तथापि, गुजरात को एनटीपीसी के विन्ध्याचल एसटीपीपी यूनिट–7 और 8 से भी 239 मे.वा. का हिस्सा प्राप्त होगा जिसे हाल ही में चालू किया गया है। एनटीपीसी की दो गैस आधारित परियोजनाओं नामशः कवास सीसीपीपी चरण–2 (650 मे.वा.) और झनोर–गांधार चरण–2 (650 मे.वा.) को अंतिम रूप दिया जाना है और वर्ष 2000–01 के दौरान निर्णय लिए जाने की संभावना है।

(ख) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में किसी भी राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजना को निवेश अनुमोदन हेतु योजना आयोग को नहीं भेजा गया है। तथापि, अभी तक, गुजरात राज्य के लिए निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत आईडीसी के बिना (निर्माण के दौरान ब्याज)	टीईसी की तिथि
1	2	3	4	5
1.	पगुथन सीसीजीटी	654.7	2178.14 करोड़	12.11.93
2.	गांधीनगर विस्तार यू. 5	210	538.0 करोड़	29.5.98
3.	वनाकबोरी विस्तार यू–7	210	611 करोड़	12.12.97
4.	हजीरा सीसीजीटी	515	284.35 मिलियन अमरीकी डॉलर + 770.87 करोड़ रुपए	21.7.95
5.	पेट्रो कैमिकल काम्प्लेक्स विद्युत संयंत्र बड़ौदा	167	341.13 करोड़	18.10.95
6.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	250	44.538 मिलियन अमरीकी डॉलर + 4.92 मिलियन डीएम + 999.99 करोड़ रुपए	9.8.86
7.	कवास सीसीपीपी चरण–2	650	243.69 मिलियन अमरीकी डॉलर + 831.57 करोड़ रुपए	1.5.98
8.	झनोर–गांधार	650	243.62 मिलियन अमरीकी डॉलर + 845.113 करोड़ रुपए	16.10.98
9.	जामनगर पेटकॉक टीपीपी	500	434.36 मिलियन अमरीकी डॉलर + 726.429 करोड़ रुपए	24.5.99
10.	अकरीमोटा लिग्नाइट टीपीपी	250	47.914 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1022.158 करोड़ रुपए	6.9.99

[अनुवाद]

ई.आई.एल. के कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि

764. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) के कर्मचारियों पर खर्च में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध वर्ग ने 9 जून, 2000 को हुई अपने बोर्ड की बैठक में कंपनी के अनुबंधित कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अनुबंधित कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है तथा इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा; और

(ङ) बोर्ड के निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) यह वृद्धि जनवरी, 1997 के बाद प्रभावी 39 माह के वेतन तथा पारिश्रमिक के बकाए का भुगतान करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) द्वारा किए गए प्रावधान के कारण है। कंपनी ने अब तक ऐसे बकाए के लिए 54 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) कंपनी में ठेके पर कार्य कर रहे इंजीनियर अथवा ठेका अवधि/ठेका समाप्त होने के कारण कंपनी की नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में वार्षिक आधार पर प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों की रिक्तियों/आवश्यकता के 50% पर विचार किया जाएगा।

वित्तीय प्रभाव विभिन्न वर्षों में भर्ती किए जाने वाले प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों की रिक्तियों/आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ङ) ई आई एल के बोर्ड का निर्णय बैच 2001 और उसके बाद के लिए प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों तथा उनकी भर्ती की आवश्यकता को देखते हुए क्रियान्वित किया जाएगा।

रेल विद्युत निगम की स्थापना

765. **श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विचार विद्युत की खरीद करने के लिए सरलीकरण एजेन्सी के रूप में एक स्वायत्त रेल विद्युत निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने इसकी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में इक्विटी सहभागिता करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बिजली की खरीद के लिए सरलीकरण एजेंसी के रूप में एक स्वायत्त रेल विद्युत निगम स्थापित करने के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पूर्व–व्यावहारिक अध्ययन करने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखानों में आग की घटनाएं

766. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री जय प्रकाश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल शोधक कारखानों में आग और तोड़–फोड़ की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या मई 2000 में मथुरा के तेल शोधक कारखाने में आग की घटना हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या आग के कारणों की कोई जांच कराई गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :

1997–98	1998–99	1999–2000
17	36	29

किसी रिफाइनरी में तोड़–फोड़ के कारण किसी अग्नि दुर्घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) जी, हां। मथुरा रिफाइनरी में 22.5.2000 को दहन क्षेत्र में आग लगी।

(ग) इकाई चालू करने के क्रियाकलापों के दौरान सावर वाटर इकाई से दहन क्षेत्र में नाफ्था/एफ सी सी का कुछ स्राव हुआ। इस नाफ्था/एफ सी सी गैसोलीन में संभवतः ...में आग का गोला पड़ जाने के कारण आग लगी।

केवल बिजली तथा उपकरणों की तारों को थोड़ा नुकसान हुआ। अग्नि के कारण उठाई गई हानि 21.4 लाख रुपए की अग्नि शमन सामग्री की लागत को मिलाकर 24.4 लाख रुपए है। इस अग्नि के कारण किसी कार्मिक को चोट नहीं पहुंची।

(घ) और (ङ) जी, हां। एक जांच समिति द्वारा अग्नि के कारणों की जांच की गई। समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने को रोकने के लिए सिफारिशें की हैं।

(च) बहु–विषयक दलों द्वारा अग्नि की सारी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है तथा अनुशंसित सुधारात्मक उपाए समयबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) के निर्धारित मानकों के अनुसार संयंत्र तथा प्रचालन कार्मिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय अपनाए जाते हैं।

[अनुवाद]

ओ.सी.सी. और ओ.एस.बी. की भूमिका और कार्य

767. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल समन्वय समिति (ओ.सी.सी.) और तेल चयन बोर्ड (ओ.एस.बी.) की भूमिका और कार्य क्या हैं; और

(ख) तेल समन्वय समिति और तेल चयन बोर्ड के सदस्य कौन–कौन हैं तथा इसके सदस्य बनने हेतु क्या मापदंड हैं और तेल चयन बोर्ड और तेल समन्वय समिति के सदस्यों का चयन करने वाले प्राधिकारी कौन हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल समन्वय समिति (ते.स.स.) की भूमिका एवं कार्य निम्नवत हैं :–

(i) तेल उद्योग पूल खाते को प्रशासित करना,

(ii) रिफाइनरियों तथा उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को वर्तमान सरकारी निर्णयों एवं आदेशों के अनुसार प्रशासित करना,

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों के मांग–आपूर्ति संतुलन तथा तेल पूल खाते के अनुमान तैयार करना,

(iv) पेट्रोलियम क्षेत्र के कार्यों का वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार समन्वय करना।

तेल समन्वय समिति सरकार के एक संकल्प के द्वारा वर्ष 1975 में स्थापित की गई थी। तेल समन्वय समिति का संघटन निम्नवत है :

(i) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– अध्यक्ष
(ii) अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव (रिफाइनरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य
(iv) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य
(v) तेल कंपनियों के मुख्य कार्यकारी	– सदस्य
(vi) कार्यकारी निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	– सदस्य
(vii) कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति	– सदस्य सचिव

उपर्युक्त संघटन पद के अनुसार हैं।

अब तेल चयन बोर्ड का नाम डीलर चयन बोर्ड (डी.च.बो.) रख दिया गया है। इसके कार्य खुदरा बिक्री केन्द्रों/एस के ओ–एल डी ओ तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए डीलरों/वितरकों का चयन करना है। संघटन के संबंध में, प्रत्येक डीलर चयन बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होते हैं, साथ ही इसमें तेल कंपनियों से दो सदस्य होते हैं, जिनमें एक सदस्य संबंधित तेल कंपनी से होता है तथा दूसरा सदस्य अन्य दूसरी तेल कंपनी का प्रतिनिधि होता है और यह उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उप महा प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के स्तर के अधिकारी होते हैं। डीलर चयन बोर्डों के अध्यक्ष की नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। डीलर चयन बोर्डों के सदस्य संबंधित तेल कंपनियों द्वारा नामित किए जाते हैं।

सेना अधिनियम में परिवर्तन

768. **श्री ए. कृष्णास्वामी :**
श्री जय प्रकाश :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सेना में सामान्य सेना न्यायालयों का संचालन करने वाले कानूनों को अप्रचलित कानून माना है और सेना अधिनियम में परिवर्तन न करने के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ख) क्या आज की सशस्त्र सेनाओं से संबंधित वाहन गतिहीन हैं और वर्ष 1982 में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सेना अधिनियम की अपर्याप्तताओं में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सन् 2000 की सिविल अपील संख्या 2865 'भारत संघ एवं अन्य बनाम चरनजीत एस.गिल एवं अन्य' के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ टिप्पणी की है कि 'आज भी सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कानून स्थैतिक हैं जिनके पृथी पाल सिंह बेदी (उपरि) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अन्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा किए गए संवैधानिक शासनादेश और परिवर्तन किए जाने की अपेक्षा है। समय आ गया है कि सभी संबंधित व्यक्तियों की इस आशंका को शांत कर दिया जाए कि कोर्ट मार्शल के माध्यम से की जाने वाली जांच की प्रणाली पुरातन पद्धतियों पर आधारित तुरंत और निरंकुश कार्रवाई नहीं थी। भारत के विधि आयोग ने सेना, नौसेना और वायुसेना अधिनियमों के संशोधन पर अपनी रिपोर्ट में लेफ्टि. कर्नल पृथी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखा है और सशस्त्र सेनाओं के वास्ते पृथक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरणों) की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया है कि कोर्ट मार्शल के मामले में आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के साथ–साथ सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों का अधिनिर्णय करने के लिए भी सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। प्रस्तावित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकने वाले कानून और तथ्यों दोनों ही प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शक्तियां होंगी। सरकार आवश्यक वैधानिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

गोपनीय फाइल का गुम जाना

769. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामसागर रावत :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री वृज भूषण शरण सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सौदों में बिचौलिये को प्रतिबंधित करने के निर्णय वाली गोपनीय फाइल गुम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या फाइल के गुम होने में हथियारों के व्यापारियों और अधिकारियों के बीच सांठ–गांठ होने के संबंध में जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें कुछ पूर्व में घोषित संवेदनशील विभागों को गैर–संवेदनशील विभागों में तब्दील कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो किन कारणों से यह उलट–फेर किया गया और इसमें शामिल लोगों की सजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) रक्षा खरीदों की जांच के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने शस्त्र और शस्त्र प्रणालियों की खरीद में एजेंटों के शामिल होने पर रोक लगाने संबंधी रक्षा मंत्रालय के दिनांक 17.4.89 को जारी निर्देशों संबंधी फाइल के बारे में पूछा है। यह फाइल आसानी से नहीं ढूंढ़ी जा सकी थी। हालांकि बाद में विशेष प्रयास करने पर दो सम्बद्ध फाइलें ढूंढ़ ली गई थीं और उन्हें दिनांक 21.7.2000 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया था।

(ङ) और (च) रक्षा मंत्रालय ने अपने संवेदनशील विभागों को गैर–संवेदनशील विभाग घोषित करने का निर्णय नहीं लिया है।

युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण

770. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री पी. आर. खूंटे :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी युवकों और युवतियों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई योजना तैयार की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिम्मत नगर-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन का आमान परिवर्तन

771. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिम्मत नगर–चित्तौड़गढ़ मीटर रेल लाइन को उदयपुर होते हुए बड़ी लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) हिम्मतनगर–उदयपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही उस लाइन की अनुमानित लागत का पता चलेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

उदयपुर–चित्तौड़गढ़ मी.ला. का ब.ला. में आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही प्रगति पर है। इस खण्ड पर कार्य की लागत चित्तौड़गढ़–अजमेर मी.ला. खण्ड सहित 445 करोड़ रुपए है। यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा और पूरा किया जायेगा।

स्वयंसेवी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन

772. **श्री उत्तमराव पाटील** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों को गांवों में कचरे अथवा सौर ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए दी जा रही प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र स्थित ऐसे संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) स्वयंसेवी अथवा गैर–सरकारी संगठनों को कचरे और सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन हेतु उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के स्वयंसेवी अथवा गैर–सरकारी संगठनों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गए।

विवरण

स्वयंसेवी संगठनों अथवा गैर–सरकारी संगठनों को कचरे और सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

(i) वाणिज्यिक परियोजनाएं

विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए सीमित पूंजीकृत राशि के अध्यधीन 7.5% तक ब्याज की दर कम करने के लिए निम्नलिखित ब्याज आर्थिक राज सहायता दी जाती है।

परियोजनाओं के प्रकार	अधिकत्त पात्र ब्याज आर्थिक राज सहायता की राशि
अपशिष्ट से विद्युत	2.00 करोड़ रुपए/मेगावाट
अपशिष्ट से ईंधन	0.50 करोड़ रुपए/मेगावाट ई अथवा भाप
ईंधन से विद्युत	1.00 करोड़ रुपए/मेगावाट

(ii) प्रदर्शन परियोजनाएं

कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिकतम 3.00 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के अध्यधीन परियोजना की पूंजी लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

2. सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियां

क्रम सं.	एसपीवी प्रणाली के प्रकार	केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता	सेवा प्रभार (रू. में)
1.	सौर लालटेन	1500/– रुपए (निश्चित)	100/–
2.	घरेलू रोशनी प्रणाली/ सौर घरेलू प्रणाली	6,000 रुपए अथवा पूर्व कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो	200/–
3.	सड़क रोशनी प्रणाली	12,000/- रुपए अथवा पूर्व कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो	–
4.	विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां	एस पी वी ऐरे क्षमता का 2,00,000 रुपए/ किवा.पी. अथवा पूर्व कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो	10,000/–

3. सौर तापीय प्रणालियां

(i) स्वयंसेवी संगठन और गैर–सरकारी संगठन 5% की कम की गई ब्याज दर पर सौर तापीय युक्तियों को खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए पात्र हैं।

(ii) स्वयंसेवी संगठन तथा गैर–सरकारी संगठन यदि उनके द्वारा कुकरों की सीधी बिक्री की जाती है तो वे 50.00 रुपए प्रति सौर कुकर का प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच मालगाड़ी सेवा

773. श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनापोल–पेतरापोल सीमा से भारत और बांग्लादेश के बीच बहु प्रतीक्षित मालगाड़ी सेवा चालू हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों का पाकिस्तानी आई.एस.आई. द्वारा दुरुपयोग न हो, इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी; हां। भारत सरकार, रेल मंत्रालय तथा बांग्लादेश गणराज्य, बांग्लादेश रेलवे द्वारा 4.7.2000 को एक कार्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) दो रेलों के बीच इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रभावी रक्षा नीति तैयार करना

774. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादी के बाद से कई रक्षा समितियों का गठन किया गया है परन्तु रक्षा समस्याओं से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय किए जाने की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताए गए हैं;

युद्ध संबंधी उपकरण और अन्य रक्षा मदों की ...लम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) एक प्रभावी रक्षा नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वार रक्षा संबंधी कार्यकलापों को देखने के लिए बहुत-सी समितियां गठित की गई हैं। यह मंत्रालय रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीतिगत निदेश प्राप्त करता है और उनके कार्यान्वयन हेतु उन्हें सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करता है।

(ग) सरकार देश की रक्षा तैयारी संबंधी आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः जागरूक है और युद्ध पद्धति उपस्करों तथा अन्य रक्षा मदों की खरीद हेतु समय रहते सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ वर्गों की इन टिप्पणियों पर विचार किया है कि रक्षा खरीद संबंधी प्रक्रियाएं सशस्त्र सेनाओं द्वारा समयबद्ध अधिप्राप्ति के कार्य में आड़े आ रही है। खरीद संबंधी मामलों पर और अधिक तेजी से कार्य किए जाने के वास्ते विशिष्ट उपाय सुझाने की दृष्टि से मौजूदा रक्षा संबंधी खरीद प्रक्रियाओं की समग्र रूप से जांच करने के लिए सह-सेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि इन प्रक्रियाओं को और अधिक सुप्रवाही बनाया जा सके।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र रूप से समीक्षा करने और खास तौर पर कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करके कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री को शामिल करके 17 अप्रैल, 2000 को मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों के समूह ने चार कार्य दल बनाए हैं जिनमें से आसूचना तंत्र, आतंरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों में एक-एक हैं। इन कार्य दलों द्वारा अपने गठन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इन कार्य दलों द्वारा अपनी रिपोर्टें दिए जाने के बाद मंत्रियों के समूह द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। मंत्रियों के समूह द्वारा अपने गठन की तारीख से छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विभिन्न उप समितियां भी समुचित सिफारिशें तैयार करने की दृष्टि से अलग-अलग नीतिगत मुद्दों की जांच करती हैं।

[अनुवाद]

औषधियों की मूल्य वृद्धि

775. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई औषधियों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी औषधियां हैं तथा वे कौन-कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जिनसे इन औषधियों का आयात किया गया है;

(ग) औषध नीति, 1980 में संशोधन में मानदंड पर आधारित मूल्य नियंत्रण शामिल करने हेतु पहचानी गई औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं पर उच्च मूल्यों के बोझ को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) आम प्रयोग की कुछेक दवाइयों के मूल्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि भी हुई है और कमी भी हुई है।

(ख) लगभग सभी दवाइयां आयात की मुक्त सूची में हैं। अलग-अलग आयातकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक आधार पर विभिन्न स्रोतों से आयात किया जाता है।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर मूल्य नियंत्रण में शामिल करने के लिए औषधों की पहचान की गई है। इस समय 74 प्रपुंज औषधें तथा उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रणाधीन हैं और उनके मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

रेलमार्गों का विद्युतीकरण

776. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने संबंधी कार्य शुरू किया गया है और इस कार्य पर अब तक मार्ग-वार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तेल्लीचेरी से मैसूर तक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) चालू रेल विद्युतीकरण योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	परियोजना	जोन/रेलवे	31.3.2000 तक खर्च (करोड़ रुपए में)	2000-01 के लिए परिव्यय (करोड़ रुपए में)	लक्ष्य
1.	पुरुलिया-कोटशिला सहित बोकारो-बरसुआन/किरीबुरु	दक्षिण-पूर्व	202.59	25.00	मार्च, 2002
2.	तालचेर-पाराद्वीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर	दक्षिण-पूर्व	115.45	40.05	मार्च, 2003
3.	भुवनेश्वर-कोटवलासा	दक्षिण-पूर्व	147.40	40.89	मार्च, 2003
4.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	पूर्व	321.13	40.20	मार्च, 2002
5.	कुसुंडा-जमुनियाटांड	पूर्व	7.01	2.00	मार्च, 2001
6.	कृष्णानगर-लालगोला	पूर्व	–	7.20	मार्च, 2003
7.	रेणिगुंटा-गुंतकल	दक्षिण-मध्य	4.26	20.34	मार्च, 2004
8.	सरहिंद-नांगल डैम और अंबाला-कालका सहित दिल्ली-अंबाला-लुधियाना	उत्तर	239.08	20.20	मार्च, 2001
9.	अंबाला-मुरादाबाद	उत्तर	83.30	15.05	मार्च, 2003
10.	लुधियाना-अमृतसर	उत्तर	1.80	10.25	मार्च, 2004
11.	उढ़ना-जलगांव	पश्चिम	14.98	25.20	मार्च, 2003
12.	ताम्बरम-चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम और चेंगलपट्टु-अरकोणम	दक्षिण	0.10	15.00	मार्च, 2003

(घ) एर्णाकुलम–तिरुवनंतपुरम खंड के विद्युतीकरण को 1999–2000 के बजट में शामिल किया गया है बशर्ते कि इसके लिए आवश्यक स्वीकृति मिल जाये, जो कि प्रक्रियाधीन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

777. श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन जारी न करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

सूती धागे का निर्यात कोटा

778. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समय–समय पर निजी एजेंसियों को सूती धागे का निर्यात कोटा जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी मात्रा में सूती धागा जारी किया गया और वर्ष–वार तथा निर्यात–वार निर्यातकों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों ने अपने आबंटित कोटे की निर्यात देनदारियां पूरी कर ली हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वि. एस. राममूर्ति) : (क) प्रत्येक कपास मौसम के प्रारम्भ में सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सहकारी विपणन परिसंघों और निजी व्यापारियों के पक्ष में अपरिष्कृत कपास के निर्यात कोटे रिलीज किए जाते हैं। वस्त्र आयुक्त द्वारा विभिन्न निर्यातकों को उच्चतम बोली के आधार पर कोटा आबंटित किया जाता है।

(ख) संलग्न विवरण में निर्यातक–वार सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) निर्यातों की मात्रा अन्य बातों के साथ–साथ गुणवत्ता तथा मूल्य प्राचलों पर निर्भर करती है। निर्यात कोटों के लदान अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति न हो पाने की स्थिति में निर्यातक द्वारा दी गई बैंक गारंटी निरस्त हो जाती है।

विवरण

निर्यातक–वार (निजी निर्यातक) निष्पादन

कपास वर्ष 1997-98 (अक्टूबर-सितंबर)

क. बंगाल देशी कपास की किस्म

	मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
	पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी
1	2	3	4
1. मै. अमैरसी बदर्स प्रा. लि., मुंबई	450	443	जी हां, सभी निर्यातकों ने निर्यात के लिए दी गई शर्तों के अनुसार निर्यात देयताएं पूरी कर दी हैं, तभी बैंक गारंटी रिलीज़ की गई थी।
2. मै. नेशनल स्टोर्स सप्लाइंग कम्पनी, कलकत्ता	450	441	
3. मै. वी.वी.के एण्ड सन्स, मुंबई	600	583	

1	2	3	4
4. मै. यू. बी. स्टील एण्ड कॉटन प्रा. लि., मुंबई	450	443	
5. मै. यू.बी. स्टील, मुंबई	1450	1544	
6. मै. चुन्नीलाल प्राणजीवंदास कॉटन क.प्रा. लि., मुंबई	6825	7338	
7. मै. जनरल ब्लैंडस एण्ड स्पिरिट क. लि., मुंबई	2400	2381	
8. मै. हाई टैक इन्टरनेशनल, मुंबई	2400	2348	
9. मै. बिज़वर्ल्ड इन्टरनेशनल, मुंबई	2400	2361	
10. मै. रिद्धि एण्ड सिद्धि इन्टरनेशनल, कलकत्ता	450	443	
11. मै. मीनाक्षी एन्टरप्राईसिस, कलकत्ता	900	891	
12. मै. जया एंटरप्राईसिस, कलकत्ता	750	744	
13. मै. नवजोत इन्टरनेशनल, कलकत्ता	450	441	
14. मै. निद्धि एंटरप्राईसिस, कलकत्ता	606	594	
15. मै. ग्लोब इन्टरनेशनल, कलकत्ता	450	446	
16. मै. अच्छी इन्टरनेशनल, कलकत्ता	150	146	
17. मै. रेनबो ओवरसीज़ कॉरपो., कलकत्ता	450	453	
18. मै. भीकमचंद द्विपचन्द भूरा, कलकत्ता	555	515	
19. मै. खीमजी विसराम एण्ड संस, मुम्बई	3900	3975	
20. मै. पी डी सेखसारिया कॉटन ट्रेडिंग क.प्रा. लि., मुंबई	750	716	
21. मै. द्वारका दास एक्सपोर्ट, मुंबई	1806	1728	
22. मै. राधेबिहारी एक्सपोर्टस, मुंबई	1500	1454	
23. मै. मेघजी थोभन एण्ड क. मुंबई	1050	1032	
24. मै. कोटक एण्ड क. प्रा. लि. मुंबई	150	148	
25. मै. अमूभाई कालीदास मुंबई			
26. मै. वी पी उद्योग लि. कलकत्ता	249	290	
27. मै. नवकेतन इंटरनेशनल कलकत्ता	300	296	

ख. अत्याधुनिक जिनिंग तथा प्रेसिंग एकक वर्ग

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी (बीजी)
1		2	3	4
1.	मै. मक्खनलाल राजकुमार, अदिलबाद	24151	23508	जी, हां
2.	मै. के. वी. कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग क. लि., राजकोट	24069	5439	लदान की अवधि दिनांक 30.9.2000 तक
3.	मै. श्रीगंगा नगर को–ऑप कॉटन कॉम्पलैक्स लि. राजस्थान	2700	2708	जी, हां
4.	मै. भगवती कॉटन लि., खेड़ी खंडवा	24060	3508	180.33 लाख की बैंक गारंटी लदान के लघु मात्रा में होने के कारण निरस्त की गई।

ग. सामान्य जिनिंग तथा प्रेसिंग एकक वर्ग

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी (बीजी)
1.	मै. मक्खनलाल राजकुमार, अदिलबाद	3200	3077	जी हां सभी निर्यातकों ने निर्यात के लिए दी गई शर्तों के अनुसार निर्यात देयताएं पूरी कर दी हैं, तभी बैंक गारंटी रिलीज की गई थी।
2.	मै. डी डी कॉटन प्रा. लि. पंजाब	4000	3847	
3.	मै. कोटक जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंड. प्रा. लि. कल्याणपुर, गुजरात	3900	3795	
4.	मै. श्री साई बाबा जिनिंग एण्ड प्रैसिंग फैक्ट्री आंध्र प्रदेश	4800	4783	
5.	मै. भैंसा जिनिंग एण्ड प्रैसिंग फैक्ट्री आंध्र प्रदेश	4000	3874	
6.	मै. अमित कॉटन लि., आंध्र प्रदेश	2000	1900	
7.	मै. तीरमुला कॉटन इंडस्ट्रीज, आंध्र–प्रदेश	4000	3853	
8.	मै. गैलैक्सी कॉटन एण्ड टैक्सटाइल कॉटन लि. राजकोट, गुजरात	32	291	

घ. स्टैपल कॉटन (एफएक्यू वर्ग से नीचे)

	मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
	पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी (बीजी)
1	2	3	4
1. मै. अमूभाई कालीदास, मुंबई	1176	1145	जी हां, सभी निर्यातकों ने निर्यात के लिए दी गई शर्तों के अनुसार निर्यात देयताएं पूरी कर दी हैं, तथी बैंक गारंटी रिलीज़ की गई थी।
2. मै. सी ए गालिआकोटवाला एण्ड क., मुंबई	1176	1164	
3. मै. रमेश वाणिज्य एण्ड उद्योग, मुंबई	588	583	
4. मै. कोटक एण्ड क. प्रा. लि., मुंबई	3750	3557	
5. मै. गिल एण्ड क. लि., मुम्बई	2200	2127	
6. मै. मेघाजी थोबन एण्ड क. लि., मुंबई	2900	2788	
7. मै. भगवती कॉटन लि., मुम्बई	2100	1111	
8. मै. गोएंका इंडस्ट्रीज मुंबई	3000	2853	
9. मै. पी डी सेखसरिया ट्रेडिंग (प्रा.) लि., मुम्बई	675	648	
10. मै. बिज़वर्ल्ड इन्टरनेशनल, मुम्बई	150	143	
11. मै. ग्लोब इन्टरनेशनल, कलकत्ता	1000	959	
12. मै. भीकमचन्द द्विपचन्द भूरा कलकत्ता	1281	1155	

ङ. सुवेन कॉटन किस्म (तमिलनाडु जिंजरस के लिए)

	मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
	पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी (बी जी)
1. मै. शांता लक्ष्मी मिल्स लि., पोलाची, तमिलनाडु	150	149	जी, हां

च. अत्याधुनिक जिनिंग तथा प्रेसिंग एकक वर्ग

	मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
	पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी (बी जी)
1. मै. मक्खनलाल राजकुमार, अदिलबाद, आंध्र प्रदेश	5000		लदान की अवधि दिनांक 30.9.2000 तक

ग. सामान्य जिनिंग तथा प्रेसिंग वर्ग

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी
1.	मै. द्वारका दास कॉटन इंडस्ट्रीज, अबोहर	500	377 *	*लदान के लघु मात्रा में होने के कारण, बैंक गारंटी को कुछ सीमा तक निरस्त कर दिया गया। बकाया के मामले में निर्यात के लिए दी गई शर्तों के अनुसार निर्यात देयताएं पूरी करने पर बैंक गारंटी के बकाया को रिलीज़ किया गया।
2.	मै. डी डी कॉटन प्रा. लि., पंजाब	900	887	
3.	मै. कोटक जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंड. प्रा. लि. कल्याणपुर, गुजरात	1350	1308	
4.	मै. माधव कॉटन एण्ड जिनिंग एण्ड प्रेसिंग क., बोटड, गुजरात	1200	875 *	
5.	मै. राजू कोटेक्स, मानवदर, गुजरात	1000	986	
6.	मै. शांता लक्ष्मी मिल्स लि., पोलाची, तमिलनाडु	35	35	

घ. सुवेन कॉटन किस्म (तमिलनाडु जिर्नस के लिए)

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी
1.	मै. शांता लक्ष्मी मिल्स लि., पोलाची, तमिलनाडु	290	283	जी, हां

कपास वर्ष 1998-99 (अक्टूबर-सितंबर)

क. बंगाल देशी कपास की किस्म

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी
1		2	3	4
1.	मै. नेशनल स्टोर्स स्पलाइंग कम्पनी, कलकत्ता	1471	1431	जी हां, सभी निर्यातकों ने निर्यात के लिए दी गई शर्तों के अनुसार निर्यात देयताऐं पूरी कर दी हैं, तभी बैंक गारंटी रिलीज़ की गई थी।
2.	मै. यू. बी. स्टील एण्ड कॉटन प्रा.लि., मुंबई	1200	1173	
3.	मै. यू.बी. स्टील, मुंबई	975	957	
4.	मै. चुन्नीलाल प्राणजीवंदास कॉटन क. प्रा. लि., मुंबई	8700	8380	
5.	मै. बिज़वर्ल्ड इन्टरनेशनल, मुंबई	1950	1972	
6.	मै. ग्लोब इन्टरनेशनल, कलकत्ता	3450	3249	
7.	मै. खीमजी विसराम एण्ड संस, मुंबई	3600	3566	
8.	मै. सत्यानारायण सेखसारिया एण्ड क. मुंबई	10200	9848	
9.	मै. द्वारका दास कॉटन क.प्रा. लि. मुम्बई	5454	5338	

1	2	3	4
10.	मै. मटकिया इन्वैस्टमैंट प्रा. लि. मुंबई	450	443
11.	मै. सेखारिया एक्सपोर्ट, मुंबई	5175	5039
12.	मै. सेखारिया कॉटन एक्सपोर्ट प्रा. लि., मुंबई	1800	1746
13.	मै. मेघाजी थोमान एण्ड क. मुंबई	6375	6283
14.	मै. कोटक एण्ड क. प्रा. लि., मुंबई	3375	3167
15.	मै. अमूभाई कालीदास मुंबई	1471	1413
16.	मै. वी पी उद्योग लि. कलकत्ता	1950	1933
17.	मै. अची इंटरनेशनल, कलकत्ता	600	582
18.	मै. गिलस एण्ड क. लि. मुंबई	150	150
19.	मै. आशीश कॉटन ट्रेडर्स, नई दिल्ली	1425	1379
20.	मै. भाई दास कर्सनदास एण्ड क., मुंबई	150	146
21.	मै. पी डी सेखसारिया कॉटन ट्रेडिंग क. प्रा. लि., मुंबई	150	146
22.	मै. सी.ए. गलियाकोटवाला एण्ड क. लि., मुंबई	1764	1670
23.	मै. नवकेतन इंटरनेशनल, कलकत्ता	895	1837
24.	मै. परफैक्ट कॉटन कॉरपोरेशन, मुंबई	300	297
25.	मै. रेनबो ओवरसीज कॉरपो, कलकत्ता	1275	1274
26.	मै. बी.डी. भुरा, कलकत्ता	3225	3174

कपास वर्ष 1999-2000 (अक्टूबर-सितंबर)

क. बंगाल देशी कपास की किस्म

		मात्रा 170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ		
		पंजीकृत	लादा गया	रिलीज की गई बैंक गारंटी
1		2	3	4
1.	मै. अमेरसी ब्रदर्स प्रा. लि. मुंबई	600	605	लदान की अवधि
2.	मै. नेशनल स्टोर्स सप्लाईंग कम्पनी, कलकत्ता	675	661	दिनांक 30.9.2000 तक
3.	मै. यू.बी. स्टील एण्ड कॉटन प्रा.लि., मुंबई	1575	1573	
4.	मै. यू.बी. स्टील, मुंबई	1500	671	
5.	मै. चुन्नीलाल प्राणजीवंदास कॉटन क. प्रा. लि., मुंबई	4000	3190	

1		2	3	4
6.	मै. ग्लोब इन्टरनेशनल, कलकत्ता	2700	1531	
7.	मै. खीमजी विसराम एण्ड संस, मुम्बई	5850	5088	
8.	मै. सत्यानारायाण सेखसारिया एण्ड क. मुम्बई	6600	6541	
9.	मै. मटकिया इन्वैस्टमेंट प्रा. लि. मुंबई	225	221	
10.	मै. सेखारिया एक्सपोर्ट, मुंबई	75	—	
11.	मै. मेघाजी थोभान एण्ड क. मुंबई	6174	4203	
12.	मै. कोटक एण्ड क. प्रा. लि. मुम्बई	1400	1334	
13.	मै. अमूभाई कालीदास मुंबई	1764	1783	
14.	मै. वी पी उद्योग लि. कलकत्ता	900	—	
15.	मै. सैंक्चूरी इंटरनेशनल, कलकत्ता	600	598	
16	मै. अच्ची इंटरनेशनल, कलकत्ता	375	369	
	मै. गिलस एण्ड क. लि. मुंबई	300	144	
18.	मै. कोटक जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंड. प्रा. लि. मुंबई	450	432	
19.	मै. मक्खन लाल राजकुमार कॉटन लि. मुंबई	2205	2168	
20.	मै. बी डी भूरा, कलकत्ता	4500	726	
21.	मै. द्वारका दास कॉटन क. प्रा. लि., मुंबई	1500	1482	
22.	मै. आशीश कॉटन ट्रेडर्स, नई दिल्ली	775	753	

[अनुवाद]

सी एन जी वाहनों से मिथेन गैस का स्राव

779. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी एन जी वाहनों से निकलने वाला धुआं मानवों के लिए घातक होता है;

(ख) यदि हां, तो सी एन जी वाहनों से मिथेन गैस के रिसाव को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने हैं;

(ग) क्या सी एन जी की तुलना में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल की बेहतर विकल्प माना गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ईंधन के तौर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) का इस्तेमाल करने वाले वाहनों द्वारा उत्सर्जित मीथेन की मात्रा नगण्य होने की संभावना है और इस प्रकार मानव जीवन को इससे कोई संभावित खतरा नहीं है।

(ग) और (घ) अत्यंत कम गंधक वाले डीजल और सी एन जी दोनों के इस्तेमाल से वाहनों से कम-से-कम गैसीय उत्सर्जन होते हैं तथा इन दोनों के बीच चयन, ईंधन लागत, ईंधन बचत, वाहन सुधार लागत, भंडारण हेतु स्थान की आवश्यकताओं, पुनर्भरण प्रणाली और इंजन के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है।

आसूचना अभिकरणों और सेना के बीच समन्वय

780. श्री आर.एल.भाटिया :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने इस बात से पूरी तरह इन्कार किया है कि कारगिल संघर्ष के समय उन्हें आसूचना ब्यूरो अथवा 'रा' से घुसपैठ संबंधी कोई सूचना मिली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कारगिल के बाद आसूचना एजेंसियां सेना को सभी सूचना लिखित रूप में दे रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कारगिल में घुसपैठ के बारे में सेना को कथित आसूचना एजेंसियों से कोई विशेष सूचना नहीं मिली थी। विभिन्न, आसूचना एजेंसियां सेना को लिखित सूचनाएं देती हैं। सैन्य तथा सिविल आसूचना एजेंसियों के बीच आवधिक आसूचना विनिमय सम्मेलन के दौरान इन सूचनाओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। इस प्रकार के विचार-विमर्श राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद सचिवालय के स्तर पर भी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए राज-सहायता

781. डॉ. बलिराम : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना और विकास संस्थान के निदेशक ने सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए राज-सहायता की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है या किए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) महात्मा गांधी समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना और विकास संस्थान बकौली, दिल्ली के निदेशक ने दिनांक 7.2.2000 के पत्र के माध्यम से आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से दिल्ली राज्य के ग्रामीण लोगों के बीच अक्षय ऊर्जा उपकरणों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अपने परिसर में एक आदित्य सौर दुकान की स्थापना करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि इस दुकान से बेची गई सामग्रियों पर उन्हें विभिन्न अक्षय ऊर्जा युक्तियों के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सब्सिडी दी जाए। तदुपरान्त दिनांक 1 जुलाई, 2000 के पत्र द्वारा उन्होंने सूचित किया कि संस्थान के परिसर में एक अक्षय ऊर्जा शोरूम की स्थापना की गई है; मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि इसे आदित्य सौर दुकान के रूप में चलाने तथा साथ ही ग्रामीण लोगों एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भागीदारी के लाभ के लिए राज्य और केन्द्रीय सब्सिडी का उपयोग करने की अनुमति दें।

(ग) आदित्य सौर दुकानों की स्थापना से संबंधित योजना सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है जो संबंधित राज्यों में नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं। कतिपय अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर उपलब्ध केन्द्रीय सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से अथवा आदित्य दुकानों के माध्यम से राज्य एजेंसियों द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। यह मंत्रालय इस प्रकार की दुकानों को चलाने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी सहायता प्रदान कर रहा है। चूंकि महात्मा गांधी संस्थान न तो नोडल एजेंसी है और न ही गैर-सरकारी संगठन है, इसलिए दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी जो कि दिल्ली की नोडल एजेंसी है से, टिप्पणियां इस संस्थान द्वारा किए गए अनुरोध पर मांगी गई हैं। यह मंत्रालय, हालांकि इस संस्थान को प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध करा रहा है। "दिल्ली व आस-पास के क्षेत्रों में सौर ड्रायरों की स्थापना द्वारा उनकी ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से औद्योगिक उत्पादों के शुष्कन में लगे हुए उद्योगों के तकनीकी सर्वेक्षण" पर एक परियोजना 12.8.99 को उनको एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित की गई; इस संस्थान से अब तक कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

782. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में चल रही रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों की मांग पूरी करने के लिए इस क्षेत्र में निकट भविष्य में कुछ और नई रसोई गैस एजेंसियां खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी नई एजेंसियों को कब तक आबंटित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार बिहार में सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा में एक–एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समेत 231 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही थीं।

(ख) से (घ) तेल कंपनियों का सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिलों में क्रमशः 2, 3 तथा 3 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने का प्रस्ताव है। विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में तेल कंपनियों द्वारा समय–समय पर विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू करने में आमतौर पर लगभग 6–12 महीने लगते हैं।

रक्षा मंत्रालय में भूमि का अनधिकृत उपयोग

783. श्री रामसागर रावत :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा भूमि का अन्य उद्देश्यों हेतु अनधिकृत उपयोग कुछ समय से काफी बढ़ गया है;

(ख) राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी रक्षा भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कितनी आर्थिक हानि हो रही है;

(ग) भूमि के अनधिकृत उपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए थे और उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं द्वारा गैर रक्षा प्रयोजनों के लिए रक्षा भूमि का इस्तेमाल किए जाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। इन मामलों में रक्षा भूमि को रक्षा प्रयोजनों से इत्तर मुख्यतः कल्याण केंद्रों, होस्टलों, विपणन परिसरों और स्कूलों आदि की स्थापना किए जाने के लिए दिया गया है। यह मामला पहले ही सैन्य मुख्यालयों के साथ उठाया जा चुका है जिनका यह मत है कि सैन्य बलों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सभी कार्यकलाप अपरिहार्य थे तथा संबंधित कमांडरों द्वारा किए गए थे। इसके बावजूद, सभी संबंधितों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे विभिन्न स्थापनाओं द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए किए जा रहे रक्षा भवनों व रक्षा भूमियों का इस्तेमाल तुरंत बंद करवा दें जो रक्षा भूमि संबंधी नीति के अनुरूप नहीं है।

एच पी सी के संयुक्त उद्यम समझौते

784. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न निगमों के साथ अनेक संयुक्त उद्यम संबंधी समझौते किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक संयुक्त उद्यम की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए संयुक्त उद्यम समझौतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. हिन्दुस्तान कोलाज लिमिटेड की स्थापना 50% इक्विटी के साथ जुलाई, 1995 में फ्रांस के मै. कोलाज एस.ए. के साथ की गई थी। भारत में जे वी सी द्वारा तीन बीटूमेन इमलसन संयंत्रों की स्थापना की गई है जो प्रचालन में हैं।

2. हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए वित्तीय संस्थाओं अर्थात् इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आई सी आई सी आई), हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (एच डी एफ सी) तथा टेकनोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फार्मेशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (टी डी आई सी आई) की 50% भागीदारी के साथ अक्तूबर, 1998 में प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना

की गई थी।

3. विशाखापत्तनम में एल पी जी तथा संबद्ध रिसीप्ट सुविधाओं के भूमिगत केवर्न भंडारण का निर्माण करने के लिए फ्रांस के मै. टोटलफिना एल्फ की 50% इक्विटी के साथ नवंबर, 1999 में साऊथ एशिया एल पी जी कंपनी लि. की स्थापना की गई थी।

4. मंगलौर से बंगलौर तक की पेट्रोलियम पाइपलाइन के निर्माण तथा बाद में इसके परिचालन के लिए जुलाई, 1998 में मै. पेट्रोनेट इंडिया लि. के साथ पेट्रोनेट मंगलौर हसन बंगलौर लि. की स्थापना की गई थी।

भारतीय उर्वरक निगम का "जोधपुर माइनिंग आरगेनाइजेशन"

785. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के "जोधपुर माइनिंग आरगेनाइजेशन" के तहत कुछ खानें अनेक वर्षों से घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की खानों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के माइनिंग आरगेनाइजेशन का विनिवेश करने या इन्हें बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की जोधपुर माइनिंग आर्गेनाइजेशन कुछेक खानों में यदा-कदा हानियों के साथ गत चार वर्षों से पूरी तरह लाभ कमा रही हैं। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक जेएमओ द्वारा कमाए गए लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	करोड़ रुपए में
1996-97	0.78
1997-98	1.26
1998-99	3.58
1999-2000 (अनंतिम)	6.11

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

ए. जे. टी. विमानों की खरीद

786. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा भारतीय नौसेना का विमान के कलपुर्जों की आपूर्ति रोक देने के कारण ब्रिटेन से हॉक ए. जे. टी. विमान की खरीद का मामला स्थगित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ए. जे. टी. विमान की खरीद का निर्णय 1996 में लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन्नत जेट प्रशिक्षक (ए.जे.टी.) वायुयान की खरीद का निर्णय 1993 में लिया गया था।

(घ) सरकार विश्व बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षक वायुयानों का मूल्यांकन कर रही थी। अब हॉक ए.जे.टी. वायुयानों के लिए मैसर्स ब्रिटिश एरोस्पेस के साथ बातचीत शुरू की गई है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. की विस्तार योजना

787. **श्री अनन्त नायक** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 30,000 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) तैयार किए गए संयंत्र-वार विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एनटीपीसी ने 19291 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में वर्ष 2007 तक 30,000 मे.वा.की क्षमता को प्राप्त करने के लिए कार्पोरेट योजना तैयार की है, बशर्ते कि समय पर सम्पर्क/स्वीकृतियां और वित्तीय व्यवस्था हो जाए। इस लक्ष्य को परियोजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त किया जाना है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एनटीपीसी का 9वीं योजना एवं इससे आगे क्षमता अभिवृद्धि का कार्यक्रम

(आंकड़े मे.वा. में)

क्र.सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता	1997–2002 9वीं योजना	2002–07 10वीं योजना
1	2	3	4	5	6
	स्वीकृत/चालू				
1.	विन्ध्याचल–2	मध्य प्रदेश	1000	1000@	–
2.	ऊंचाहार–2	उत्तर प्रदेश	420	420@	–
3.	कायमकुलम सीसीपीपी	केरल	350	350@	–
4.	फरीदाबाद जीपीपी	हरियाणा	430	430@	–
5.	सिम्हाद्री टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1000	500	500
	तेर एसटीपीपी–2	उड़ीसा	2000	–	2000
			5200	2700	2500
	कुल (टांडा टीपीएस–440 यूपीपीसीएल से ली गई)			3140	2500
2.	**नई परियोजनाएं**				
	(क) केविप्रा स्वीकृत परियोजनाएं				
1.	रामागुण्डम एसटीपीपी–3	आंध्र प्रदेश	500	–	500
2.	रिहन्द एसटीपीपी–2	उत्तर प्रदेश	1000		1000
3.	सिपत एसटीपीपी–1	मध्य प्रदेश	1980		1320
4.	कवास सीसीपीपी–2	गुजरात	650	–	650
5.	गांधार सीसीपीपी–2	गुजरात	650	–	650
6.	अन्ता सीसीपीपी–2	राजस्थान	650	–	650
7.	औरैया सीसीपीपी–2	उत्तर प्रदेश	650	–	650
	उप जोड़ (क)				5420
(ख)	**नई परियोजनाएं-एकश्रार प्रस्तुत की गई**				
8.	कहलगांव एसटीपीपी–2	बिहार	1320	–	660
9.	बाढ़ एसटीपीपी	बिहार	1980	–	660
10.	विन्ध्याचल–3	म.प्र.	1000	–	500
	उप जोड़–(ख)				1820

1	2	3	4	5	6
(ग)	अन्य नई परियोजनाएं				
	उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी	बिहार		1980	– 660
	उप जोड़–(ग)				660
	जोड़–नई परियोजनाएं (क+ख+ग)				7900
	कुल जोड़ (1+2)			3140	10400
	आज की तिथि अनुसार विद्यमान क्षमता अर्थात् 19291 समेत योजना के अंत तक संचयी क्षमता			19935	30335

*सम्पूर्ण क्षमता पहले ही जोड़ी जा चुकी है। @286 मे.वा. पहले ही जोड़ी जा चुकी है।
सीसीपीपी–कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना, जीपीपी–गैस पावर प्रोजेक्ट।
एसटीपीपी–सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट–मध्य प्रदेश, यूपी–उत्तर प्रदेश।
एपी–आंध्र प्रदेश।

[हिन्दी]

हिमालय के आस-पास के क्षेत्रों में तेल भंडार

788. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के आस–पास के पहाड़ी क्षेत्रों में तेल भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के उत्तरी भाग के शिवालिक क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य भी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) हिमालय के समीप पर्वतीय क्षेत्रों में निकट विगत में किन्हीं नए हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज नहीं हुई है।

(ग) और (घ) हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक क्षेत्र, अर्थात् "हिमालय की तराई वाले बेसिन" को ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) द्वारा भूभौतिकीय एवं गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय सर्वेक्षणों के लिए शामिल किया गया है। प्रथम कूप, ज्वालामुखी–1 (हिमाचल प्रदेश में) का वर्ष 1957 में वेधन किया गया था और इसमें सीमित सीमा के कम गैस वाले संस्तर मिले थे। तब से इस बेसिन में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर (ज. एवं का.) तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के अंतर्गत बिना किसी सफलता के 14 और अन्वेषी कूपों तथा आठ संरचनात्मक कूपों का वेधन किया गया है। विगत तीन वर्षों 1997–98 से 1999–2000 तक ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन ने हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के अंतर्गत 396 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर (जी एल के) द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े का अर्जन किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन की वर्ष 2000–01 से 2001–02 तक के दौरान इस बेसिन में अन्य 495 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े का अर्जन करने एवं अन्वेषी कूपों के वेधन की योजना है।

[अनुवाद]

रुग्ण उर्वरक इकाइयों के संबंध में श्वेत पत्र

789. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण उर्वरक इकाइयों की स्थिति के संबंध में एक श्वेत पत्र तैयार करने हेतु मुम्बई स्थित "क्रेडिट एनालिसीस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (सी.ए.आर.ई.)" को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "सी.ए.आर.ई.(केयर)" ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो "सी.ए.आर.ई. (केयर)" द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) इस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन रुग्ण उर्वरक उपक्रमों, नामतः हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पाइराइट्स फॉस्फट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ने मैसर्स क्रेडिट एनालाइसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। केयर को सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक एककों पर एक व्यापक अवस्थिति रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। यह रिपोर्ट अब तक पूर्ण नहीं हुई है।

नई वस्त्र नीति

790. श्री एन.जनार्दन रेड्डी :
श्री साहिब सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई वस्त्र नीति तैयार करने

यदि हां, तो इसके आयाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मौजूदा वस्त्र नीति में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं;

(ग) नई वस्त्र नीति में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई वस्त्र नीति में अन्य बातों के साथ-साथ सत्यम समिति की सिफारिशें को ध्यान में रखा है जिसने कि वस्त्र क्षेत्र की विस्तृत पुनरीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन और निर्यात योग्य बेशी को उत्तरोत्तर बढ़ाने, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन को समाप्त करने, वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रतियोगी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, परिहार्य नियमों को समाप्त करने और वस्त्र उद्योग और व्यापार में आसूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने तथा उसको अपनाने को सुकर बनाने सहित उद्योग को बाजारोन्मुख उद्योग में सुव्यवस्थित ढंग से परिवर्तन करने की सुविधा देने के उपायों पर संकेन्द्रित हैं।

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

टी.टी.ई. को पहचान-पत्र

791. श्री रामानन्द सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में वगैर किसी पहचान-पत्र के 12 स्वयंसेवी चल-टिकट निरीक्षक (टी.टी.ई.) यात्रियों के टिकटों की जांच कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन चल-टिकट निरीक्षकों को कोई पहचान-पत्र जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) न्यायालय के आदेशों के अनुसार भरतपुर में 12 **स्वैच्छिक** टिकट जांचकर्ता कार्यरत हैं। इस समय ये लोग नियमित टिकट जांचकर्ता कर्मचारियों की सेवाओं में हाथ बंटा रहे हैं। जब ये लोग रेलों पर समाहित किए जाएंगे, इन्हें नियमित पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

'गेल' और 'ओ एन जी सी' द्वारा गैस की आपूर्ति

792. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) गैस आपूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर सी एफ, एच पी सी एल, बी पी सी एल जैसे सरकारी उपक्रमों सहित नियमित ग्राहकों ने 'गेल' और 'ओ एन जी सी' से गैस की अनियमित आपूर्ति की शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो मांग और मौजूदा उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आपूर्ति को विनियमित करने के लिए गैस का आयात करना शुरू कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने 'एनरॉन' जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गैस आपूर्ति के मामले पर विचार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) उरान, महाराष्ट्र से प्राकृतिक गैस की 15 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) से अधिक की ठेकागत मात्रा की तुलना में आपूर्ति के लिए वर्तमान उपलब्धता 9.5 से 10.5 एम एम एस सी एम डी के बीच ही है। वर्षों से मुंबई हाई और उसके इर्द-गिर्द क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन गिरता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप संबद्ध गैस के उत्पादन में भी गिरावट आई है। इन परिस्थितियों में उरान से गैस प्राप्त करने वाले आर सी एफ, एच पी सी एल, बी पी सी एल आदि जैसे गैस उपभोक्ताओं ने अपने आबंटनों से कम मात्रा में गैस आपूर्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन किए हैं।

(ङ) से (ज) प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में डाभोल में एनरान की एल एन जी आयात परियोजना सहित अनेक परियोजनाएं विचाराधीन हैं। एल एन जी आयातकर्ताओं को री-गैसीफाइड एल एन जी का सीधे विपणन करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रारूप विद्युत विधेयक में संशोधन

793. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स" से इस आशय की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं कि प्रारूप विधेयक, 2000 में सकारात्मक प्रस्तावों को समाहित करने के लिए वर्तमान अधिनियमों में समुचित संशोधन किए जाएं और 1910, 1948 तथा 1998 के वर्तमान तीन अधिनियमों, जिनके प्रावधानों का भली-भांति प्रयोग हो रहा है, को खारिज करके एक नया विद्युत विधान बनाए जाने का विचार छोड़ दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो "इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स" द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) प्रस्तावित विद्युत विधेयक, 2000 पर विस्तृत टिप्पणियां तथा सिफारिशें करते हुए इंजीनियर्स संस्थान ने वर्तमान प्रणाली के सुधार के लिए आवश्यकता पर बल दिया है "जहां पर राज्य विद्युत बोर्ड व्यवस्थापन, विनियामक तथा अपने आप में ही यूटिलिटी है।" अन्य सुझावों में एक सुझाव यह है कि वर्तमान ढांचे को स्वतंत्र रूप में (लेकिन एक समन्वित ढंग से) कार्यात्मक आधार पर विभाजित किया जाए ताकि वे अपने कार्यकरण में पूर्णरूपेण जिम्मेवार तथा पारदर्शी हों। जब तक चोरी की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं कर लिया जाता तब तक सुधार वांछित परिणाम नहीं देंगे। सामान्यतः संस्थान ने विद्यमान कानूनों में उपयुक्त संशोधनों का पक्ष लिया है, वे विद्यमान कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नये व्यापक विधेयक को लाने के पक्ष में नहीं है। इंजीनियर्स संस्थान की टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

सुपर फास्ट गाड़ियां

794. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी सुपर फास्ट गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक गाड़ी से वार्षिक अर्जन कितना रहा; और

(ग) प्रभारित अधिभार किन-किन शीर्षों पर व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सुपरफास्ट गाड़ियों की सूची (शताब्दी और राजधानी गाड़ियों को छोड़कर जो विशेष श्रेणी में आती हैं) :

क्र.सं.	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम
1	2	3
1.	2101/2102	लोकमान्य तिलक (ट्र.) हवड़ा जनेश्वरी एक्सप्रेस
2.	2103/2104	लोकमान्य तिलक (ट्र.) नागपुर समरसता एक्सप्रेस
3.	2105/2106	मुम्बई-नागपुर विदर्भ एक्सप्रेस
4.	2123/2124	मुम्बई-पुणे दक्कन क्वीन एक्सप्रेस
5.	2133/2134	मुम्बई-लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस

1	2	3
6.	2137/2138	मुम्बई–फिरोजपुर पंजाब मेल
7.	2141/2142	लोकमान्य तिलक (ट्र.) पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस
8.	2155/2156	हबीबगंज–निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस
9.	2165/2166	लोकमान्य तिलक (ट्र.) वाराणसी एक्सप्रेस
10.	2179/2180	ग्वालियर–निजामुद्दीन ताज एक्सप्रेस
11.	2303/2304	हवड़ा–नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस (बरास्ता पटना)
12.	2307/2308	हवड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस
13.	2307ए/2308ए	बीकानेर–मेड़ता रोड लिंक एक्सप्रेस
14.	2311/2312	हवड़ा–कालका मेल
15.	2315/2316	सियालदह–अजमेर अनान्य एक्सप्रेस
	2318	सियालदह–अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
17.	2381/2382	हवड़ा–नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस (बरास्ता गया)
18.	2391/2392	पटना–नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस
19.	2401/2402	पटना–नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस
20.	2403/2404	दिल्ली–जम्मू–तवी एक्सप्रेस
21.	2405/2406	भुसावल–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
22.	2407/2408	नागपुर–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
23.	2409/2410	बिलासपुर–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
24.	2411/2412	जबलपुर–निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
25.	2413/2414	जयपुर–दिल्ली एक्सप्रेस
26.	2413ए/2414ए	जयपुर–अजमेर लिंक एक्सप्रेस
27.	2415/2416	इंदौर–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
28.	2417/2418	इलाहाबाद–नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस
29.	2419/2420	लखनऊ–नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस
30.	2461/2462	दिल्ली–जोधपुर मंडौर एक्सप्रेस

1	2	3
31.	2465/2466	जोधपुर–जयपुर एक्सप्रेस
32.	2467/2468	बीकानेर–जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
33.	2471/2472	मुम्बई–जम्मू तवी स्वराज एक्सप्रेस
34.	2473/2474	अहमदाबाद–जम्मू तवी सर्वोदय एक्सप्रेस
35.	2475/2476	हापा–जम्मू तवी एक्सप्रेस
36.	2477/2478	जामनगर–जम्मू तवी एक्सप्रेस
37.	2497/2498	नई दिल्ली–अमृतसर शान–ए–पंजाब एक्सप्रेस
38.	2553/2554	बरौनी नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
39.	2605/2606	चेन्नई–त्रिची पल्लवन एक्सप्रेस
40.	2607/2608	चेन्नई–बैंगलूरु लालबाग एक्सप्रेस
41.	2615/2616	चेन्नई–नई दिल्ली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस
42.	2617/2618	एर्णाकुलम–निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस
43.	2619/2620	लोकमान्य तिलक (ट्र.) मंगलौर मत्स्यगंधा एक्सप्रेस
44.	2621/2622	चेन्नई–नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस
45.	2625/2626	त्रिवेंद्रम–नई दिल्ली केरल एक्सप्रेस
46.	2627/2628	बैंगलूरु–नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस
47.	2635/2636	चेन्नई–मदुरै वैगई एक्सप्रेस
48.	2639/2640	चेन्नई–बैंगलूरु वृंदावन एक्सप्रेस
49.	2643/2644	त्रिवेंद्रम–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
50.	2645/2646	एर्णाकुलम–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
51.	2647/2648	कोयम्बटूर–निजामुद्दीन कोंगू एक्सप्रेस
52.	2673/2674	चेन्नई–कोयम्बटूर चेरन एक्सप्रेस
53.	2675/2676	चेन्नई–कोयम्बटूर कोवई एक्सप्रेस
54.	2677/2678	कोयम्बटूर–बैंगलूरु एक्सप्रेस
55.	2679/2680	चेन्नई–कोयम्बटूर इंटरसिटी एक्सप्रेस
56.	2703/2704	हवड़ा–सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस
57.	2711/2712	विजयवाड़ा–चेन्नई पिनाकिनी एक्सप्रेस

1	2	3
58.	2713/2714	विजयवाड़ा–सिकंदराबाद सतवाहन एक्सप्रेस
59.	2715/2716	नांदेड़–अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस
60.	2717/2718	विशाखापत्तनम–विजयवाड़ा रत्नाचल एक्सप्रेस
61.	2723/2724	हैदराबाद–नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
62.	2725/2726	हुबली–बेंगलूरु इंटरसिटी एक्सप्रेस
63.	2747/2748	गुतूर/सिंकदराबाद पालंद एक्सप्रेस
64.	2759/2760	चेन्नई–हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस
65.	2763/2764	तिरुपति–सिकंदराबाद एक्सप्रेस
66.	2779/2780	वास्को–निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस
67.	2801/2802	पुरी–नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
68.	2803/2804	विशाखापत्तनम–निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
69.	2805/2806	विशाखापत्तनम–विजयवाड़ा जन्मभूमि एक्सप्रेस
70.	2815/2816	पुरी–नई दिल्ली एक्सप्रेस
71.	2821/2822	हवड़ा–भुवनेश्वर धौली एक्सप्रेस
72.	2841/2842	हवड़ा–चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस
73.	2859/2860	हवड़ा–मुम्बई गीतांजलि एक्सप्रेस
74.	2901/2902	मुम्बई–अहमदाबाद गुजरात मेल
75.	2903/2904	मुम्बई–अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल
76.	2915/2916	अहमदाबाद–दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस
77.	2925/2926	मुम्बई–अमृतसर पश्चिम मेल
78.	2927/2928	मुम्बई सेंट्रल–वड़ोदरा एक्सप्रेस
79.	2933/2934	मुम्बई सेंट्रल–अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस
80.	2955/2956	मुम्बई सेंट्रल–जयपुर एक्सप्रेस
81.	2961/2962	बांद्रा–इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस
82.	2963/2964	बांद्रा–वड़ोदरा सैजी नगरी एक्सप्रेस

(ख) आमदनी का लेखा-जोखा गाड़ीवार नहीं रखा जाता है।

(ग) रेलों की आमदनी और वर्ष का अलग से हिसाब रखा जाता है।

(घ) अधिभार से प्राप्त कोई भी राजस्व सामान्य रेलवे राजस्व का एक भाग होता है इसलिए प्राप्त अधिभारों का खर्च के किसी विशिष्ट शीर्ष के तहत आबंटित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

फार्मास्यूटिकल कम्पनियों का उत्थान

795. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भेषज आयात उदारीकरण के कारण देश की भेषज (फार्मास्यूटिकल) कम्पनियों के उत्पाद आयातित सामग्री की तुलना में महंगे सिद्ध हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में देश की घाटे में चल रही भेषज कम्पनियों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) भारत में भेषजीय उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर अन्य देशों की कीमतों के संदर्भ में प्रतियोगी हैं। डम्पिंग रोधी शुल्क और सुरक्षा शुल्क पर स्थानीय उद्योग के संरक्षण के लिए जहां आवश्यक हो, विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

गुलबर्गा-भिंगवण रेल लाइन का दोहरीकरण

796. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री शोलापुर–पाकनी रेल लाइन के दोहरीकरण के बारे में 2 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *गुलबर्गा–भिंगवण रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण कब कराया गया था और अब तक इस संबंध में क्या* प्रगति हुई है;

(ख) क्या शोलापुर–पाकनी खण्ड के संबंध में सर्वेक्षण और लागत अनुमान पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुलबर्गा–भिंगवण रेल लाइन का दोहरीकरण कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) गुलवर्गा से भिंगवण तक दोहरी लाइन के लिए सर्वेक्षण जिसमें पाकनी से सोलापुर तक का खंड शामिल है, 1995 में स्वीकृत किया गया था और चरणों में प्रगति पर है। भिंगवण से जेयुर (48 कि.मी.) तक सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर ही पूरी परियोजना की लागत और व्यावहारिकता का पता चल सकेगा।

(घ) गुलवर्गा–भिंगवण रेलवे लाइन का दोहरीकरण अभी स्वीकृत कार्य नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में एच बी जे पाइपलाइन

797. श्री रामटहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हजीरा–बीजापुर–जगदीशपुर (एच बी जे) का विस्तार बिहार तक करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच बी जे पाइपलाइन प्रणाली का वर्तमान में कोई विस्तार संभव नहीं है क्योंकि वहां गैस की कोई अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सौर ऊर्जा

798. श्री मर्त्रुहरि महताब : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले के कौन–कौन से गांवों में सौर ऊर्जा सप्लाई की जा रही है; और

(ख) 31 मई, 2000 की तिथि के अनुसार सौर ऊर्जा सप्लाई कर रही सौर ऊर्जा इकाइयों के नाम क्या हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) उड़ीसा में सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों द्वारा कटक जिले में किसी भी गांव को विद्युतीकृत नहीं किया गया है। तथापि, कटक जिले के दो गांवों नामतः तांगी चौदार ब्लॉक में बांदा और बारंबा ब्लॉक में गोपीनाथपुर के सिंगनाथ पीठ में 24 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां लगाई गई हैं, इनके अतिरिक्त कटक जिले में 138 सौर लालटेन और 16 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां वितरित/स्थापित की गई हैं।

31 मई, 2000 के अनुसार, उड़ीसा राज्य में, 5,469 सौर लालटेन, 1,211 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 5,576 सड़क रोशनी प्रणालियां और 36.52 किवा. पी समग्र सौर प्रकाशवोल्टीय क्षमता के विद्युत संयंत्र वितरित/स्थापित किए जा चुके हैं।

ए एफ एम एस अस्पतालों में त्रुटिपूर्ण चिकित्सा उपकरण

799. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न ए एफ एम एस अस्पतालों में लाखों रुपये मूल्य के उपकरण त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनुपयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपकरणों की मरम्मत न हो पाने के लिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपकरणों को कब तक कार्यशील बना दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधियों की मूल्य नियंत्रण-प्रणाली को समाप्त किया जाना

800. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों

ने तथा औषधि बनाने वाली कंपनियों ने औषधियों के मूल्य नियंत्रण प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सरकार के पास समय-समय पर भेषज उद्योग से विभिन्न मामलों पर जिसमें औषध तथा भेषज से मूल्य नियंत्रण समाप्त करना शामिल है, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने औषध तथा भेषज से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के महिला-डिब्बे में सुरक्षा

801. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोनीपत (हरियाणा) से 96 महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मिले हैं जिनमें शिकायत की गई है कि असामाजिक और चरित्रहीन लोग रेलगाड़ियों के महिला-डिब्बों में घुस जाते हैं और महिला डिब्बों में बैठी लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं जिसके कारण महिलाओं के लिए रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत मुश्किल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में कितने दुश्चरित्र व्यक्तियों और असामाजिक तत्त्वों को गिरफ्तार कर दण्डित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उपरोक्त शिकायत 31.12.1999 को प्राप्त हुई थी। आवश्यक जांच के बाद सभी संबंधितों को महिला यात्रियों को ढोने वाली गाड़ियों पर, विशेष रूप से महिलाओं के डिब्बे में, सक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।

(ग) यद्यपि रेलवे स्टेशनों तथा चलती गाड़िया सहित रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है लेकिन रेल यात्रियों तथा उनके सामान की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रा.रे.पु. के साथ रे.सु.ब. समन्वय बनाए रखता है। यात्री सरंक्षा में सुधार के लिए रे.सु.ब. ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. रा.रे.पु./रे.सु.ब. कर्मियों द्वारा महिला डिब्बा में संयुक्त जांच करना।
2. प्लेटफार्मों पर विशेष रूप से महिलाओं के डिब्बों के समीप गश्त लगाना।
3. दिल्ली क्षेत्र के स्टेशन पर महिला डिब्बों पर निगरानी रखने के लिए रा.रे.पु. कर्मियों को निर्देश दिया गया है।
4. महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करते पाए जाने वाले व्यक्ति के मामले में उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) वर्ष 1999 के दौरान दिल्ली मंडल के रे.सु.ब. कर्मियों द्वारा महिलाओं के डिब्बों में 38 बाहरी व्यक्तियों तथा विशेष रूप से सोनीपत-पानीपत-अंबाला खंड में वर्ष 2000 (20.7.2000 तक) के दौरान 22 बाहरी व्यक्तियों को रेल अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत यात्रा करते हुए पकड़ा गया था तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खमरिया आयुध कारखाने से खराब गोलियों की आपूर्ति

802. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान खमरिया आयुध कारखाने द्वारा कुल कितनी गोलियों की आपूर्ति की गई;

(ख) इनमें से कितनी गोलिया खराब घोषित की गईं;

(ग) खराब गोलियों का मूल्य कितना है और इनमें किस-किस प्रकार के दोष पाए गए;

(घ) घटिया साम्रगी को बदलने के संबंध में क्या सुधार लाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में 1993 की तुलना में राजस्व की कितनी हानि हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) आयुध निर्माणी खमरिया सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए जाने के लिए 35 प्रकार के कारतूसों का निर्माण करती है। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा आपूर्ति किए गए कारतूसों की संख्या नीचे दी गई है :

आपूर्ति वर्ष	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998–99	9,52,433	343.01
1999–2000	11,24,193	537.79

अनुपयुक्त घोषित किए गए कारतूसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (संख्या)	मूल्य (करोड रु. में)	दोष की किस्में	की गई कार्रवाई
1998–99	1500	3.15	मजल का वेग और दबाब विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक था	प्रूफ प्रेक्षण के आधार पर चार्ज मास का समायोजन करके परेषण को ठीक करके उसे सेना को पुनः जारी कर दिया गया था।
1999–2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 1998–99 के दौरान अस्वीकृत किए गए परेषण को ठीक करके फिर से जारी कर दिया गया था। इस तरह किसी प्रकार के राजस्व की हानि नहीं हुई। वर्ष 1992–93 के दौरान ...ों को घटे हुए मूल्य पर जारी किया गया था लेकिन ...ा को कोई नुकसान नहीं हुआ।

एन सी सी एफ और सुपर बाजार द्वारा प्रतिभूति एकत्र करना

883. श्री रामजी मांझी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री एन सी सी एफ और सुपर बाजार द्वारा प्रतिभूति एकत्र करने के बारे में 24 फरवरी 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच और पंजीकरण महानिदेशक ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। महानिदेशक जांच एव पंजीकरण (डी जी आई आर) के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 11(2) के अन्तर्गत उनके द्वारा की गई जांच से पता चला है कि सुपर बाजार पंजीकरण के समय 5,000/–रुपए से 10,000/– रुपए तक की प्रतिभूति राशि ले रहा था और इतनी राशि अनुपयुक्त पार्टियों, जो पार्टियां उत्सुक नहीं हैं, को उनके पास पंजीकरण कराने से निरुत्साहित करने के लिए ली जा रही थी। एन सी सी एफ आई को भी कुछ मामलों में आपूर्तिकारों से 10,000/– रुपए तथा 20,000/– रुपए की प्रतिभूति राशि एकत्र करते हुए पाया गया था।

डी जी आई आर के अनुसार एन सी सी एफ आई तथा सुपर बाजार दोनों ने दावा किया है कि वे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और इस कारण के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के उपबंध उन पर लागू नहीं होते।

एम आर टी पी आयोग, जो कि एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, ने इस विभाग को सूचित किया है कि डी जी आई आर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को 4.8.2000 को इसके द्वारा विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भरतपुर आर्मी डिपो में नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति

804. श्री एम. चिन्नासामी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भरतपुर आयुध डिपो में कितने नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति की गई;

(ख) क्या उन मजदूरों को नियुक्त करने के लिए समक्ष प्राधिकारी से आवश्यक आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन नैमित्तिक मजदूरों के संबंध में आवश्यक पुलिस सत्यापन भी नहीं कराया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन चूकों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भरतपुर आयुध डिपो में 20 अक्टूबर, 1999 से 16 जनवरी, 2000 तक के दौरान 50 नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) नैमित्तिक मजदूरों को रोजगार में अल्प अवधि के लिए केवल किसी विशिष्ट कार्य के लिए रखा जाता है जिसके लिए पुलिस सत्यापन कराए जाने की कोई नीति नहीं है। विशिष्ट कार्य के समाप्त हो जाने के उपरान्त उनका रोजगार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, नैमित्तिक मजदूरों के पुलिस सत्यापन नहीं किए जाने के लिए किसी की जिम्मेवारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है। नैमित्तिक मजदूर रक्षा सुरक्षा कोर कार्मिकों और संबंधित यूनिट के अधिकारियों की देख-रेख में कार्य करते हैं।

एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

805. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के संसद-सदस्यों से अल्लेपी और कोट्टायम दोनों मार्गों से एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने संबंधी कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐलेप्पी और कोट्टायम के रास्ते एर्णाकुलम-कायमकुलम के दोहरीकरण का सर्वेक्षण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है तथा रेलों के साथ परामर्श करके रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवश्यक स्वीकृतियों, जिन्हें प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है, के पश्चात् किये जा रहे कार्य को ध्यान में रखते हुए एर्णाकुलम-कायमकुलम खण्ड के विद्युतीकरण, जो कि एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है, को रेल बजट 1999-2000 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

हथियारों की खरीद के लिए सेना को स्वायत्तता

806. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथियारों की खरीद के मामले में सेना को स्वायत्तता देने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, रक्षा प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए और कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह ने श्री अरुण सिंह की अध्यक्षता में एक कार्य-दल का गठन किया है। इस कार्य दल के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संगठनात्मक और अन्य परिवर्तनों संबंधी ऐसी सिफारिशें करना शामिल हैं जो सार्वजनिक धन के उचित व्यय के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ-साथ समयबद्ध निर्णय लिए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए समुचित समझी जाएं।

जूट उद्योग संबंधी आयोग

807. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट उद्योग संबंधी मामलों के अध्ययन हेतु कोई आयोग नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में विद्युत संकट

808. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र ने जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू कश्मीर गम्भीर बिजली संकट से गुजर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अगली पंचवर्षीय योजना में उक्त राज्य के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है और उक्त अवधि के दौरान कितनी बिजली का उत्पादन किए जाने की प्रस्ताव है;

(ङ) क्या जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई परियोजनाएं अनुमोदनार्थ भेजी हैं;

(च) ये परियोजनाएं कब से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं; और

(छ) इन परियोजनाओं का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने क्रमशः जनवरी, 1993 एवं मार्च, 1991 में जम्मू व कश्मीर राज्य के डोडा जिले में सांवलकोट जल विद्युत परियोजना (3×200 मे.वा.) एवं बगलीहर जल विद्युत परियोजना (3×150 मे.वा.) को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति दे दी है। जम्मू व कश्मीर सरकार के अनुरोध पर इस परियोजना को विद्युत मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को अंतरित कर दिया है।

(ख) और (ग) जून, 2000 एवं अप्रैल–जून, 2000 के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य में विद्यमान वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	
	जून, 2000	अप्रैल –जून, 2000	जून, 2000	अप्रैल –जून, 2000
आवश्यकता	470	1540	1000	1101
उपलब्धता	426	1317	916	974
कमी	(–) 44	223	(–) 84	(–) 127
(%)	(9.4)	(14.5)	(8.4)	(11.5)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 1999–2000 के दौरान जम्मू व कश्मीर में 9–15% का ऊर्जा अभाव एवं 8 से 12 का व्यस्ततमकालीन ऊर्जा अभाव रहा। हलांकि सरदियों के दौरान जब हीटिंग लोड के कारण राज्य में भार संबंधी जरूरत बढ़ जाती है एवं कम आय के कारण जल विद्युत उत्पादन कम हो जाता है तब राज्य को केन्द्रीय स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से विद्युत का अतिरिक्त आबंटन किया जाता है।

इस वर्ष की शीत ऋतु में जनवरी, 2000 को छोड़कर शेष महीनों में 25% का ऊर्जा अभाव रहा जब उड़ी–बूगरे 400 के.वी. एवं पाम्पोर–किशनपुर 220 के. वी. पारेषण लाइनों के टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अभाव लगभग 40% था।

(घ) जम्मू व कश्मीर राज्य को निम्नलिखित मांग एवं ऊर्जा की आवश्यकता है :

	व्यवस्ततमकालीन मांग	ऊर्जा आवश्यकता
नौवीं योजना के अन्त तक	1615 मे.वा.	7074 मि.यू.
दसवीं योजना के अन्त तक	2408 मे.वा.	10760 मि.यू.

नौवीं योजना में 24309.4 मे.वा. की व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि, 10वीं योजना के दौरान स्वीकृत–निर्माणाधीन एवं के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के शेयरों के मद्देनजर राज्य में बिजली की उपलब्धता निम्नानुसार होगी :

	व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	ऊर्जा आवश्यकता
9वीं योजना के अंत तक	939 मे.वा.	5700 मि.यू.
10वीं योजना के अंत तक	1342 मे.वा.	8181 मि.यू.

जम्मू व कश्मीर सरकार ने हाल ही में एनएचपीसी को केन्द्रीय क्षेत्र के जरिए 7 जल विद्युत परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 2798 मे.वा. है, का क्रियान्वयन कार्य सौंपा है। ये परियोजनाएं हैं : (i) किशनगंगा (330 मे.वा.) (ii) उड़ी–2 (280 मे.वा.), (iii) बरसर (1020 मे.वा.) (iv) सेवा–2 (120 मे. वा.), (v) पकलडल (1000 मे.वा.) (vi) निम्मो बज़गो (130 मे.वा.), (vii) चटक (18 मे.वा.)।

(ङ) से (छ) आज की तिथि तक के. वि. प्रा. के पास जम्मू–कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना के मूल्यांकन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। 10 जल विद्युत स्कीमों की डीपीआर जम्मू व कश्मीर राज्य को के.वि.प्रा./सीडब्लूसी की टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए पुनः प्रस्तुति हेतु–वापस कर दिया। इन्हें संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

जम्मू–कश्मीर की उन जल विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा जिन्हें पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु वापिस किया गया।

क्र.सं.	स्कीम का नाम/जिला	अधिष्ठापित क्षमता (सं.×मे. वा.)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वापसी की तिथि
1	2	3	4
राज्य क्षेत्र			
1.	अन्स चरण–2 धारमाड़ी	3×10=30	9/94
1	2	3	4
2.	बरसर, डोडा	4×255 = 1020	10/94
3.	किशनगंगा, बारामूला	3 ×110 = 330	7/92
4.	लोअर कलनई, डोडा	2×25 = 50	3/93
5.	न्यू गांडेरबल, श्रीनगर	3 × 15= 45	9/96
6.	पखल डल	5 × 200 = 1000	10/94
7.	परखाचिक पानीकर, कारगिल	3 × 12 + 2 ×12 = 60	9/96
8.	सेवा चरण–2, कठुआ	3 ×40 = 120	8/95
9.	शीतकारी कुलां, बारामूला	2 × 42 = 84	3/95
10.	उड़ी–2 (चरण–1), बारामूला	4 × 70 = 280	3/97

केन्द्रीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र –शून्य–

[हिन्दी]

पाक द्वारा एम.-II और गोरी-तीन प्रक्षेपास्त्रों का विकास

809. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने रावलपिंडी में एम–II और गौरी–तीन प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में पाकिस्तानी कदम का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के पास प्रक्षेपास्त्र हैं जिनमें चीनी तथा कोरियाई मूल के प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं। तथापि, ऐसी कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं कि पाकिस्तान ने रावलपिंडी में एम–।। और गौरी–3 प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों की निरंतर मानीटरी की जाती है और भारत विरोधी तत्त्वों द्वारा किए जाने वाले दुस्साहस के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के वास्ते समय–समय पर सभी प्रकार के समुचित उपाए किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बिजली का उत्पादन

810. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें हुई प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में और सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले वर्ष की तुलना में 1999–2000 के दौरान अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन 7.2% रहा। श्रेणीवार वृद्धि निम्नानुसार है :

श्रेणी	% वृद्धि
ताप विद्युत	9.4
न्यूक्लीयर	10.4
जल विद्युत	(–) 2.5
अखिल भारत	7.2

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता सुधारने तथा उपलब्ध विद्युत संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) क्षमता अभिवृद्धि का त्वरित कार्यान्वयन।

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उपायों का उन्नयन।

(iii) विद्यमान पुराने उत्पादन यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एंड एम)।

(iv) त्वरित उत्पादन कार्यक्रम के तहत् ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण को सुधारने के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा ऋण का संवितरण।

(v) अंतर्राज्यीय तथा अंतःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ावा देना तथा अधिवेश विद्युत वाले पूर्वी क्षेत्र से पड़ोसी राज्यों को विद्युत निर्यात में वृद्धि करना।

(vi) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल विद्युत, ताप विद्युत, न्यूक्लीय विद्युत तथा गैस टरबाईन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन।

(vii) विद्युत प्रणाली में संचारण, रूपांतरण क्षमता का विस्तारण तथा वोल्टता को सुधारने के लिए शंट कैपेसिटरों का प्रतिष्ठापन।

(viii) संचारण एवं वितरण हानियों में कमी लाना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के इटावा और औरिया जिलों में पेट्रोल पंपों की स्थापना

811. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इटावा और औरिया जिलों में क्या निकट भविष्य में कुछ नए पेट्रोल बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल उद्योग की उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 3 खुदरा बिक्री केन्द्र और ओरैया जिले में 1 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजना है।

[अनुवाद]

अमरीकी कंपनी को प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन सौंपना

812. श्री रूपचन्द्र पाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत के लगभग 100 कि.मी. लम्बे तटीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने का कार्य एक अमरीकी कंपनी को सौंपा है तथा इसके लिए अग्रिम धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र ने संकट प्रशमन अध्ययन में इस्तेमाल के लिए आंध्र प्रदेश के 20 किलोमीटर चौड़े तटीय क्षेत्र को कवर करने वाले उच्च विभेदन आई के ओ एन ओ एस उपग्रह आंकड़ों की पूर्ति करने के वास्ते मैसर्स स्पेस इमेजिंग कार्पोरेशन के साथ एक करार किया था। तथापि, उक्त अमरीकी कंपनी के पक्ष में साख–पत्र नहीं खोला गया है। इस बीच राज्य सरकार ने उक्त मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए इस मामले को अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया है।

राज्य सरकार इस मामले में संबंधित मौजूदा नीति तथा मानदंडों के अंतर्गत आती है।

जम्मू-कश्मीर में रसोई गैस कनेक्शन

813. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिले-वार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) बकाया कनेक्शन जारी करने हेतु सरकार ने क्या नीति अपनाई है; और

(ग) राज्य में कितनी रसोई गैस एजंसियां काम कर रही हैं और इनमें से प्रत्येक के पास जिले-वार कितने रसोई गैस कनेक्शन हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां राज्य में एल पी जी कनेक्शन मांग करने पर तुरन्त रिलीज कर देती हैं।

(ग) 1.4.2000 को, राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रचालित एल पी जी एजेंसियों की कुल संख्या 104 थी तथा इन वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की संख्या लगभग 7.09 लाख थी।

रेशम कालीन उद्योग का संकट

814. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रेशम कालीन उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन संकटों में से एक शुल्क वापसी सीमा को लगाने हेतु प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय की पुनः जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) रेशम निर्यातकों को इस संकट से छुटकारा दिलाने हेतु और सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) इस समय रेशम कालीन उद्योग के समक्ष कोई गम्भीर संकट नहीं है, जिसका पता इस तथ्य से लगता है कि रेशम कालीन का निर्यात वर्ष 1998-99 में 136.44 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 153.93 करोड़ रुपये हो गया जो रुपयों में 12.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तथापि कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली ने सूचित किया है कि रेशम कालीन का निर्यात वर्ष 1999-2000 के अप्रैल-जून में 37.24 करोड़ रुपये के निर्यात से घटकर वर्ष 2000-2001 की इसी अवधि में 30.71 करोड़ रुपये रह गया।

दिश्व बाजार में चौतरफा मंदी, ईरान से कालीनों के आयात पर यू. एस. ए. द्वारा मंजूरी वापस लेना इस गिरावट के कारण हो सकते हैं।

यह कहना असामयिक होगा कि शुल्क वापसी सीमित करना रेशम कालीनों के निर्यात में गिरावट के कारणों में से एक है।

[हिन्दी]

बिश्रामपुर-वरवाडीह रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

815. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिश्रामपुर-वरवाडीह, वरवाडीह-गया, गढ़वारोड, हजारीबाग, भवनाथपुर-डेहरी आन सोन, वरवाडीह-डेहरी आन सोन रेल लाइनों के निर्माण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अभी तक गया-डाल्टनगंज और अकबरपुर-डेहरी-ऑन-सोन नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। अन्य संदर्भित सर्वेक्षण विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

(ख) गया-डाल्टनगंज सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 130 कि.मी. लम्बी नई लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 318 करोड़ रुपए है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस कार्य को इस समय आरंभ करना संभव नहीं पाया गया है। अकबरपुर-डेहरी-ऑन सोन नई लाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 30.38 कि.मी. लम्बी नई लाइन की लागत 8.48% की

प्रतिफल दर के साथ 49.47 करोड़ रुपए है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की फिलहाल जांच की जा रही है। इस परियोजना पर आगे विचार इस जांच के पूरा हो जाने के बाद संभव होगा।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अन्य सर्वेक्षण अभी भी प्रगति पर हैं। रेलों द्वारा एक साथ किए जा रहे अनेक सर्वेक्षणों और चालू सर्वेक्षण कार्यों के इलाकों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन सर्वेक्षणों के प्रत्येक के सामने उल्लिखित निम्नानुसार तारीखों तक पूरा होने की संभावना है :

बिश्रामपुर–बरवाडीह (31.12.2000)

गढ़वा रोड–हजारीबाग (31.12.2000)

बरवाडीह–डेहरी–ऑन–सोल (31.08.2001)

इन नई लाइन परियोजनाओं पर इनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही आगे विचार संभव होगा।

फरीदाबाद के निकट ऊर्जा केन्द्र की स्थापना हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का प्रस्ताव

816. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का विचार वैकल्पिक ईंधन की संभावनाओं के अध्ययन हेतु फरीदाबाद के निकट एक नया ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नया ऊर्जा केन्द्र कब तक स्थापित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का एक ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो केवल वैचारिक अवस्था में है। इस ऊर्जा केन्द्र को स्थापित करने के लिए कोई समय–सीमा नहीं रखी गई है।

सतत विद्युत

817. श्री साहिब सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है जिनसे विद्युत उत्पादन संयंत्रों विशेषकर ताप विद्युत संयंत्रों और परमाणु विद्युत संयंत्रों के मामले में उन्हें पर्यावरणिक रूप से उपयुक्त रखने में सहायक होने की संभावना है;

(ख) इन मुख्य बिन्दुओं के वास्तविक और वित्तीय आयाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजना की लागत का पांच प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण और वनरोपण हेतु रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) ताप विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना और प्रचालन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल बनाया जा सके :

(क) सामान्य (न्यूक्लीय और ताप विद्युत संयंत्र)

(i) राष्ट्रीय पार्कों, जीव मंडल भंडारण, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्मारक तथा भू–पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थल का उपयुक्त चयन।

(ii) पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सांविधिक देयताओं के अनुसार पर्याप्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं की तैयारी।

(iii) जहां तक संभव हो विद्युत स्टेशनों के भीतर बेकार पानी का सुधार और इसका समुपयोजन।

(iv) उचित रूप से अनुमोदित एवं अद्यतनीकृत ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपातकालीन तैयारी योजना का सही क्रियान्वयन।

(v) मॉनीटरिंग एवं सर्वेक्षण समेत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सही क्रियान्वयन।

(ख) ताप विद्युत संयंत्र

(i) क्लीनर तकनीकों (आईजीसीसी एवं सीएफबीसी इत्यादि)

(ii) कोयला जैसे ईंधन का उपयोग ताकि सल्फर/गैस, राख, एलएनजी नाफ्था आदि के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

(iii) उड़न राख का चरणबद्ध रूप से उपयोग।

(iv) वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जैसे टॉल स्टेक की स्थापना, एफजीडी के लिए स्पेस, धूल निकासी, दबाव प्रणाली, हरित क्षेत्र विकास एवं वनीकरण आदि।

(ग) न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्र

(i) निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत रेडियो एक्टिव लिमिटेड तथा गैस संबंधी उत्सर्जन को सीमित करना।

(ii) विशेष पैकेजों में स्थलों का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का निपटान।

(iii) हैंडलिंग स्टोरेज तथा परिवहन में विकिरण सुरक्षा।

परियोजना की कुल लागत में पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों की लागत भी शामिल है। एनटीपीसी परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय उपायों की लागत परियोजना लागत अनुमान में दी गई है जो कोयला आधारित परियोजनाओं के मामले में 7 से 8% और गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के मामले में 3 से 4% के बीच है।

कपास एकाधिकार खरीद योजना का विस्तार

818. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कपास एकाधिकार खरीद योजना को जून, 2000 से एक और वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देशभर में समान कपास खरीद नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति को कब तक अपना लिया जायेगा;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में कपास उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत प्राप्त हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया और महाराष्ट्र राज्य में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को जून, 2000 से आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् 30.6.2001 तक बढ़ाने की सहमति प्रकट की।

(ग) से (च) इस समय महाराष्ट्र को छोड़कर समूचे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एम.पी.) योजना लागू है। तदनुसार, जब कभी भी कपास (बिनौले वाली कपास) की बाजार कीमत एम.एस.पी. को छूने लगती है तो केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम लि. (सी.सी.आई.) उसे किसी प्रकार की मात्रात्मक सीमा के बिना एम.एस.पी. पर खरीद लेता है।

तेल शोधन कारखानों का तेल कंपनियों के साथ विलय

819. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ तेल शोधन कारखानों का तेल कंपनियों में विलय का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित तेल कंपनियों में इन तेल शोधन कारखानों के विलय के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार पेंशन का संशोधन

820. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 से पूर्व के असैनिक रक्षा पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों (जो 1.1.96 को पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे थे) से परिवार पेंशन में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2000 की अंतिम तिथि की समाप्ति के पूर्व कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) क्या इन आवेदनों की जांच कर ली गई है और उसी अनुसार परिवार पेंशन को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो आज की तिथि के अनुसार सी.जी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद में ऐसे कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या ऐसे आवेदन क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के पास भी पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त के भाग (ग) और (घ) में वर्णित लंबित आवेदनों पर कार्रवाई को तेज करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने प्रस्तावित हैं; और

(च) उपरोक्त सभी आवेदनों की पेंशन किस तारीख तक संशोधित कर दी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) 1986 से पूर्व के रक्षा सिविलियन पेंशनभोगियों/परिवारपेंशन भोगियों से 31 मार्च, 2000 तक पेंशन/परिवार पेंशन में संशोधन के लिए 74,461 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विक्रांत संग्रहालय योजना

821. **श्री चिंतामन वनगा :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री **अशोक ना. मोहोल :**
श्री **चन्द्रकांत खैरे :**
श्री जी. जे. जावीया :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौरवशाली युद्ध पोत "विक्रांत" जिसने 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की थी, को सेवा से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस युद्ध पोत को संग्रहालय में बदलने के लिए कुछ समय पहले कोई योजना तैयार की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है और उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नौसेना में 35 वर्षों की सेवा करने के बाद विमानवाहक पोत भा.नौ.पो. "विक्रात" 31 जनवरी, 1997 को सेवा से हटा दिया गया था।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भा.नौ.पो. "विक्रांत" को एक नौसेना संग्रहालय में परिवर्तित करने में गहरी दिलचस्पी दिखलाई थी। तदनुसार, इस पोत को महाराष्ट्र की सरकार को एक संग्रहलय में परिवर्तित करने के लिए उपहारस्वरूप देने के लिए निर्णय लिया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने अप्रैल, 2000 में इस योजना को लागू करने में अपनी असमर्थता जताई थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पोत बन्दरगाह पर महत्त्वपूर्ण स्थान घेर रहा है और इसकी स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है, इस पोत को स्क्रैप के रूप में बेचने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इस पोत के निपटान के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। तथापि, 4 जुलाई 2000 को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस योजना पर पुनः विचार करने के बारे में अपनी इच्छा जाहिर की है। इस प्रकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते हुए पोत को स्क्रैप के रूप में निपटान करने के लिए आरम्भ की गई कार्रवाई को आस्थगित कर दिया गया है।

इंटरनेट के द्वारा आरक्षण

822. **डॉ. अशोक पटेल :**
श्री सुरेश पासी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्मार्ट कार्ड" जारी करके इंटरनेट के द्वारा रेल आरक्षण सेवा उपलब्ध कराने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरुआती तौर पर उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट पर आधारित आरक्षण संबंधी पूछताछ और बुकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए एक कार्य स्वीकृत किया गया है। इंटरनेट के जरिए आरक्षण संबंधी पूछताछ मुहैया कराने के लिए इस कार्य का चरण–I पहले से ही परिचालन में है। बुकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए अगला चरण भी प्रगति पर है। हाल ही में बने साइबर कानूनों के आलोक में नकद संग्रहण, टिकटों के वितरण सुरक्षा इत्यादि के लिए विभिन्न कार्य प्रणालियों की जांच की जा रही है। विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प स्मार्ट कार्ड भी होगा।

(ग) और (घ) उपरोक्त सुविधा का शुरू में पायलट परियोजना के रूप में परीक्षण किया जाएगा और समय–सीमा

पायलट परियोजना की सफलता पर निर्भर है।

आयुध डिपो में आग लगने के कारणों की जांच करने हेतु जांच एजेंसी

823. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध डिपो में आग लगने की हाल की घटनाओं की जांच सेना अधिकारियों के अलावा सेना की किसी अन्य एजेंसी से कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) आयुध डिपुओं में आग लगने की हाल की घटनाओं की जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सेना अधिकारियों की एक विधिवत् गठित जांच अदालत से करवाए जाने से भिन्न किसी अन्य सैन्य एजेंसी से करवाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विलायकों की बिक्री पर प्रतिबंध

824. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विलायकों विशेषकर हाइड्रोकार्बनों की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह जानती है कि इस प्रतिबंध के कारण कीटनाशक उद्योग को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने सोल्वेन्ट विशेषतः हाइड्रोकार्बन की बिक्री तथा प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। तथापि, मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल में मिलावट के प्रयोजन हेतु नाप्था तथा सोल्वेन्ट एवं रेफिनेट तथा स्लोप के प्रयोग को रोकने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत सोल्वेन्ट, रेफिनेट तथा स्लोप (आटोमोबाइल में प्रयोग के लिए अर्जन, बिक्री, भंडारण तथा निवारण) आदेश, 2000 तथा नापथा (आटोमोबाइल में प्रयोग के लिए अर्जन, बिक्री, भंडारण तथा निवारण) आदेश 2000 लागू किया है।

रेलवे सैलून

825. श्री पी.एस.गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में कितने रेलवे सैलून, निरीक्षणयान (इंसपेक्शन कैरिज), विशेष निरीक्षण यान (स्पेशल ऑब्जरवेशन कार) और पर्यटक कारें हैं;

(ख) इन पर अलग–अलग कितना वार्षिक व्यय किया गया;

(ग) इनकी उपयोगिता क्या है; और

(घ) इनसे अलग–अलग कितनी आय अर्जित की गयी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31.3.1999 को 557 रेलवे सैलून हैं जिनमें 424 परीक्षणयान, 8 विशेष निरीक्षणयान और 125 पर्यटक कारें शामिल हैं।

(ख) वर्तमान बजट प्रणाली में, बजट में किसी विशेष प्रकार के कोच/सैलून के लिए नहीं अपितु समग्र रूप से "कैरिजों" के लिए निधि की व्यवस्था की जाती है और तदनुसार किया गया खर्च भी इसी तरह लेखे में जोड़ दिया जाता है।

(ग) निरीक्षण यानों का उपयोग स्टेशनों, रेलपथों और चल स्टॉको के निरीक्षण हेतु रेल अधिकारियों को चालन, रनिंग शेडों, डिपो यार्डों आदि में ले जाने के दौरान तथा आपातकाल में छोटे स्टेशनों में अधिकारियों के ठहरने के लिए भी किया जाता है। अपेक्षित किराए का भुगतान करने पर पर्यटक कारें तथा अन्य सैलून दोनों जनता के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।

(घ) पर्यटक कारों की आमदनी के आकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मिसाइलों की मरम्मत करने में लापरवाही के कारण हुई हानि

826. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 2000 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कथित रूप से यह कहा गया है कि मिसाइलों की उनके "शेल्फ–लाईफ" के अंतर्गत मरम्मत नहीं किए जाने के कारण 1.11 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मिसाइलों की समय पर मरम्मत तथा रखरखाव करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा सेना के लिए मिसाइलों की खरीद किए जाने की क्या प्रणाली है तथा इसकी खरीद कहां से की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) संदर्भित समाचार मद में एक लेखा परीक्षा पैरे का उल्लेख किया गया है। इस लेखा परीक्षा पैरे में बताया है कि 1.11 करोड़ रुपए राशि की मिसाइलों की उनकी "शेल्फ लाईफ" के अन्दर मरम्मत नहीं की गई थी क्योंकि उचित मरम्मत एजेन्सी का पता नहीं लगाया जा सका था। इसी लेखा परीक्षा पैरे की जांच की जा रही है।

(घ) प्रक्षेपास्त्र अन्य अस्त्र-शस्त्रों की तरह रक्षा खरीद प्रक्रिया, 1992 के अनुसार खरीदे जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय की भूमि को पट्टे पर दिया जाना

827. **श्री शीश राम सिंह रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार रक्षा मंत्रालय की कुल कितनी भूमि और क्षेत्र पट्टे पर दिए गए हैं और इससे कितनी आय अर्जित हो रही है;

(ख) क्या इस आय को सरकारी खाते में जमा कराया जाता है या रेजिमेन्ट के पास ही रखा जाता है;

(ग) क्या निजी पार्टियों को रक्षा मंत्रालय की भूमि पट्टे पर देते समय समुचित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं; और

(घ) कितने मामलों में पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है और इसका नवीकरण नहीं किया गया है न ही भूमि का कब्जा लिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'निफ्ट' का विविधीकरण

828. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का विकास और विविधीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने वर्ष-वार कितना अनुदान जारी किया और अनुदान जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं;

(ग) चालू और प्रस्तावित परियोजनाओं, उनके निधि आबंटन, कार्यान्वयन क्षेत्र, आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रशिक्षण देने वाली विशेषज्ञ संस्थानों और फैशन प्रौद्योगिकी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) निफ्ट विकास कर रहा है तथा प्रारंभ में शुरू किए गए विभिन्न केन्द्रों पर उद्योग की आवश्यकताओं की सतत् पुनरीक्षा के आधार पर नये कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को जोड़ रहा है।

(ख) निफ्ट को प्रत्येक वर्ष निफ्ट द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	योजना	गैर-योजना (लाख में)	कुल
1997-98	770.0	183.0	953.0
1998-99	1099.0	183.0	1282.0
1999-2000	1490.0	159.0	1649.0
2000-2001	1168.5*	176.0*	1344.5*
कुल	4527.5	701.0	5228.5

* निफ्ट के लिए बजट प्राक्कलन 2000-01 में बजटीय व्यवस्था में से अभी तक योजना के अंतर्गत 23.37 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 3.50 करोड़ रुपए जारी किए गए।

(ग) निफ्ट द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्य परियोजनाएं दिल्ली से बाहर 6 निफ्ट केन्द्रों के स्थायी कैम्पस का निर्माण करने और विभिन्न केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने से संबंधित है। वर्ष 2000-2001 के लिए चल रही पूंजीगत परियोजनाएं मदें निम्नानुसार हैं :

	ब्यौरे	प्रावधान (लाख रु. में)
(1)	भवन – दिल्ली से बाहर निफ्ट केन्द्र	2,600
(2)	भवन – दिल्ली	100
(3)	निफ्ट, दिल्ली सहित निफ्ट केन्द्रों के लिए विदेशी जर्नल सहित पुस्तकों, जर्नल की खरीद	130
(4)	कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद	247
(5)	कंप्यूटर से अन्यत्र पूंजीगत उपस्करों की खरीद	100
	कुल	3,177

(घ) वर्ष 1986 में दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना से सिले–सिलाए परिधान उद्योग के विकास और उपयुक्त रूप से योग्य कार्मिकों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 1995–96 में महाराष्ट्र में मुंबई, पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता, तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में गांधीनगर और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और वर्ष 1997–98 में कर्नाटक में बंगलौर में निफ्ट के केन्द्र खोलने का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की रिक्तियां

829. श्री रामदास आठवले :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :
श्री विजय गोयल :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 24 अप्रैल, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों का संख्या कितनी है;

(ख) इस समय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान कितने पद भरे गए;

(घ) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (छ) 20.07.2000 को भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या 26 थी; जिनमें से 24 न्यायाधीश पदासीन थे; 2 रिक्तियां भरी जानी हैं। ये रिक्तियां 05.05.2000 और 01.07.2000 को हुई थीं।

20.07.2000 को, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की 167 (जिसमें 27 ऐसे पद भी हैं, जिनको सृजित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है) रिक्तियां थीं।

ये रिक्तियां समय–समय पर, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और पदोन्नति आदि तथा नए पदों के सृजन के कारण हुई हैं।

01.05.2000 से आज तक उच्चतम न्यायालय में 1 न्यायाधीश और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 13 न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अधीन की जाती है जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, समय–समय पर यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं कि बार (विधिज्ञ) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे व्यक्तियों और ऐसी महिलाओं का पता लगाए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रक्षा क्षमताओं पर अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव

830. श्री ए. कृष्णास्वामी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्री के बयान और 'इंडियन एक्सप्रेस' में 18 जून, 2000 को प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत पर अमरीकी प्रतिबंधों और ब्रिटेन द्वारा इनसे अलग स्वतंत्र रूप से कार्य न कर पाने के कारण भारत की रक्षा क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या इस कारण नौसेना के पास कम विमान रह गए हैं;

(ग) क्या इससे भारतीय वायुसेना की रक्षा क्षमताएं भी कमजोर हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन सरकार पर इस स्थिति से निकलने और मरम्मत हेतु जेट विमानों/हैलीकाप्टरों को वापस बुलाने के लिए कोई रास्ता निकालने हेतु जोर देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। ब्रिटेन से अधिप्राप्त किए गए सी किंग, सी हैरियर तथा आइलैंडर वायुसेना के बेड़े का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाई है। अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद ब्रिटेन की विभिन्न फर्मों से अधिप्राप्त की जाने वाली वायुयान उत्पाद सहायता अपर्याप्त हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस मामले को समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर ब्रिटेन की सरकार के साथ उठाया गया है। ब्रिटेन की सरकार ने सूचित किया है कि उसके प्रयासों के बावजूद अमेरिकी सरकार सी किंग हेलीकाप्टरों के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों/संघटकों पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील देने पर सहमत नहीं हुई है। रक्षा मंत्री ने जून, 2000 में ब्रिटेन के अपने दौरे के दौरान ब्रिटिश रक्षा मंत्री तथा ब्रिटिश व्यापार तथा उद्योग मंत्री के साथ उक्त मामले को उठाया था। ब्रिटिश मंत्रियों ने विश्वास दिलाया कि वे उक्त मामले का समाधान करने के लिए बराबर प्रयास करते रहेंगे। जुलाई, 2000 के अंत में लंदन में आयोजित होने वाली भारत-ब्रिटिश रक्षा परामर्शी समूह की अगली बैठक में इन मुद्दों को रक्षा सचिव के स्तर पर उठाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

इस समय, मैसर्स ब्रिटिश एअरोस्पेस, ब्रिटेन में एक सी हैरियर वायुयान की मरम्मत की जा रही है। इस वायुयान की मरम्मत नवंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस समय, ब्रिटेन में किसी सी किंग हेलीकॉप्टर की मरम्मत नहीं चल रही है।

तेल आयात बिल में वृद्धि

831. श्री नेरश पुगलिया :
श्री एन.. जनार्दन रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 2000 के 'दि हिन्दु' में "आयल इम्पोर्ट बिल में टच 16 बिलियन डालर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के तेल आयात बिल में इस वर्ष 16 बिलियन डालर तक वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेल आयात बिल को कम करने संबंधी सरकार की नीति और उसके द्वारा की गई पहल अप्रभावी रहती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का विचार इस मद पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) तेल के आयात का बिल समग्र खपत, घरेलू उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों एवं कच्चे तेल के मूल्यों पर निर्भर करता है। तेल आयात बिल पर नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार और संयुक्त एवं निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना द्वारा परिशोधन क्षमता में वृद्धि करने के उपाय किए गए हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल, नए क्षेत्रों के विकास, मौजूदा क्षेत्रों के विकास द्वारा तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी पूंजी को आकर्षित करके देश के कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

एनटीपीसी द्वारा देय लाभांश पर रोक

832. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनटीपीसी द्वारा देय लाभांश पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) एनटीपीसी को वर्ष 2007 तक लगभग 10,000 मे.वा. जोड़े जाने का कार्यक्रम है जिसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये की निधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर भी इसके लिए आवश्यक आंतरिक संसाधन लगभग 15,000 करोड़ रुपया है। चूंकि एनटीपीसी भारत सरकार से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए संपूर्ण आंतरिक संसाधनों को लाभांश के भुगतान को तथा विद्युत बोर्डों से इसकी बकाया राशियों की वसूली को हिसाब में लेने के पश्चात् इसके धारित लाभों से उत्पादन करना होगा।

वर्ष 1998–99 के लिए, एनटीपीसी ने 650 करोड़ रुपये के लाभांश का तथा वर्ष 1999–2000 के लिए 300 करोड़ रुपये के आंतरिक लाभांश का भुगतान किया है। एनटीपीसी ने सरकार से वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा अपेक्षित नियत लाभ के 30% की दर पर लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बिजली की चोरी

833. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री हरी भाउशंकर महाले :
श्री अनन्त नायक :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेष रूप से दिल्ली में बिजली की चोरी के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली की चोरी रोकने और बिजली की चोरी करने वालों से प्रभारों को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत आपूर्ति की स्थिति और पारेषण एवं वितरण हानियों की निगरानी सम्पूर्ण राज्य के लिए की जा रही है। वर्ष 1997–98 के लिए संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा आकलित कुल पारेषण एवं वितरणों हानियों जिसमें तकनीकी कारणों की वजह से हुई हानियां तथा खाते में नहीं ली गई हानियां शामिल हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हालांकि विद्युत का वितरण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है और विद्युत की चोरी को रोकने तथा अवैध कनैक्शनों को हटाने से संबंधित कार्य उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रचालनाधीन विद्युत यूटिलिटियों द्वारा करना होता है, विद्युत की चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है और विद्युत की चोरी से निपटने के लिए यूटिलिटियों को कानून के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना होता है।

पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने और ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) संख्या अंकित सीलों के साथ सील किए गए टैम्पर प्रुफ मीटर बॉक्सों के भीतर मीटरों की स्थापना।

(ii) बिजली की चोरी रोकने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना और अचानक छापे मारना।

(iii) बिजली की चोरी में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना।

26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि ऊर्जा लेखा परीक्षा, 100% मीटरिंग, बिजली की चोरी में कमी तथा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण/उन्नयन के द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाई जाएगी। इन उपायों के परिणामस्वरूप चोरी में काफी कमी आएगी और इससे राज्य विद्युत यूटिलिटियों के राजस्व का भी संवर्धन होगा।

विवरण

रा.वि.बोर्ड/विद्युत विभागों में प्रतिशत रूपान्तरण, पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी समेत)

क्षेत्र	रा.वि.बोर्ड/विद्युत विभाग	1997–98
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	34.04
	2. हिमाचल प्रदेश	24.13
	3. जम्मू एवं कश्मीर	49.95
	4. पंजाब	18.94
	5. राजस्थान	26.41
	6. उत्तर प्रदेश	26.18

1	2	3
	7. चंडीगढ़	22.38
	8. डीवीबी (दिल्ली)	47.91
पश्चिम क्षेत्र	1. गुजरात	21.57
	2. मध्यप्रदेश	19.58
	3. महाराष्ट्र	18.75
	4. दादरा एवं नगर हवेली	12.90
	5. गोवा	31.02
	6. दमन एवं दीव	14.69
दक्षिण क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	32.14
	2. कर्नाटक	19.31
	3. केरल	18.73
	4. तमिलनाडु	17.29
	5. लक्षद्वीप	15.70
	6. पांडिचेरी	13.56
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	16.26
	2. उड़ीसा (ग्रिडको)	50.10
	3. सिक्किम	22.87
	4. प. बंगाल	19.67
	5. अंडमान एवं निकोबार द्वीप	20.59
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	1. असम	27.32
	2. मणिपुर	21.09
	3. मेघालय	12.28
	4. नागालैंड	29.79
	5. त्रिपुरा	31.11
	6. अरुणाचल प्रदेश	34.10
	7. मिजोरम	46.84
	अखिल भारत (यूटिलिटिज)	24.79

स्रोत : डीएमएलएफ डिवीजन, सीईए (जनरल रिव्यू)

रक्षा समझौते

834. **प्रो॰ रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारत द्वारा किए गए रक्षा समझौतों तथा रक्षा सौदों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भारत को रक्षा उपकरणों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने तथा नवीनतम रक्षा/युद्ध तकनीक उपलब्ध करा कर भारतीय सेना के तीनों अंगों को आधुनिक बनाने हेतु कौन सी नीति तैयार की गई है;

(ग) सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सेनाओं में क्या कमियां पाई गईं; और

(घ) इस परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की कौन–कौन सी जिम्मेदारियों तथा दायित्वों की पहचान की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में विभिन्न मित्र देशों के साथ विभिन्न करार, नयाचार, समझौता ज्ञापन आदि किए हैं। इनके ब्यौरों का खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है। खतरे की संभावनाओं और विद्यमान सामरिक सुरक्षा परिवेश के साथ–साथ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को भी ध्यान में रखते हुए आधुनिक शस्त्रों और शस्त्र–प्रणालियों को शामिल करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। इसके साथ–साथ सरकार रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वदेशी उत्पादन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उपाय भी कर रही है।

(ग) कारगिल पुनरीक्षा समिति ने ऐसे कई क्षेत्रों का पता लगाया है जिन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए (क) उच्च तुंगता यू ए वी, (ख) संचार अंतरोधन उपस्कर, (ग) विश्व स्तर की सेटेलाइट इमेजरी क्षमता प्राप्त करना और (घ) बीजांकन/ अबीजांकन के कौशल का विकास करना भी शामिल है। सरकार ने इस सिफारिशों को पहले ही सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सरकार को बाह्य सुरक्षा परिवेश और खतरे के परिदृश्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा खतरों; ऊर्जा, विदेश व्यापार, खाद्य, वित्त और पारिस्थितिकी के क्षेत्रों

में विश्व अर्थ–व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा खतरों की प्रवृत्तियों, प्रतिविद्रोहिता, प्रति–आतंकवाद और प्रति–आसूचना सहित आतंरिक सुरक्षा, देश में विशेषकर सामाजिक, सम्प्रदायिक अथवा प्रादेशिकता के उभरते हुए पृथक्करण की प्रवृत्ति, सीमा–पार से हो रहे अपराधों जैसे कि हथियारों, दवाइयों और नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न सुरक्षा खतरों, आसूचना संग्रहण तथा आसूचना एजेंसियों को कार्य सौंपने में समन्वय करने में सलाह दे ताकि आसूचना राष्ट्र के लिए चिन्ता के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करे।

[अनुवाद]

संयंत्रों को पट्टे पर दिया जाना

835. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र संयंत्रों को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) के केवल सलादीपुरा एकक को पट्टे पर देने की स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग) पीपीसीएल ने सलादीपुरा एकक का वेट लीज पर लेने के लिए इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) के उस प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन मांगा था जिसे पीपीसीएल के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त था। इस एकक के प्रचालन कार्य मई, 1999 से बंद है और पीपीसीएल के अन्य एककों के साथ–साथ इस एकक को संरक्षित किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा योजना भिन्न सहायता के जरिए कामगारों को वेतन तथा मजदूरी सहित स्थायी प्रभार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा उसकी जांच–पड़ताल करने के पश्चात् सरकार ने पीपीसीएल को सलादीपुरा एकक का प्रबन्ध नियंत्रण अस्थायी वेट लीज पर आईपीएल को देने की अनुमति प्रदान कर दी है। शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए यह मात्र एक अंतरिम उपाय इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इस समझौते के तहत इस प्रकार यह एकक सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन पुनः शुरू कर देगा जिससे पीपीसीएल को दी जाने वाली बजटीय सहायता में भी कमी होगी। तथापि, सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि इस बीच औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा (बीआईएफआर) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत पीपीसीएल को एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। पीपीसीएल ने बीआईएफआर से उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

जल विद्युत निगम द्वारा नई इकाइयों की स्थापना

836. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड का विचार देश के विभिन्न राज्यों में अपनी नई इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) क्या निगम का विचार भविष्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) जी, हां। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) का देश में विभिन्न राज्यों में नई यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है। निष्पादन हेतु प्रस्तावित नई परियोजनाओं के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर (1000 मे.वा.) तथा ओंकारेश्वर (520 मे.वा.) की दो संयुक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ 16.5.2000 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

उड़ीसा सरकार ने एनएचपीसी को कोई परियोजना नहीं सौंपी है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. के साथ एनएचपीसी द्वारा संयुक्त उपक्रम निष्पादन के माध्यम से उ.प्र. में लखवर–व्यासी जल विद्युत परियोजना (420 मे.वा.) के विकास हेतु समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी के माध्यम से बुन्देलखंड क्षेत्र में किसी परियोजना के निष्पादन का प्रस्ताव नहीं किया है।

विवरण

क्र.स.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
1	2	3	4	5
(क)	**नई स्कीमें :**			
1.	पार्बती –1	हिमाचल प्रदेश	750	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
2.	पार्बती–2	हिमाचल प्रदेश	750	अवसंरचनात्मक कार्यों तथा डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही आंरभ करने के लिए सरकारी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
3.	पार्बती–3	हिमाचल प्रदेश	501	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
4.	दिहांग अपर	अरुणाचल प्रदेश	11000	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
5.	दिहांग मध्य	अरुणाचल प्रदेश	700	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
6.	दिहांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1700	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
7.	सुबर्णसिरी	अरुणाचल प्रदेश	2500	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
8.	सुबर्णसिरी मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	2000	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
9.	सुबर्णसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	800	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन।
10.	कृष्णगंगा	जम्मू व कश्मीर	330	डीपीआर चरण में।
11.	उड़ी–2	जम्मू व कश्मीर	280	आरंभ की जानी है।
12.	बुरसर	जम्मू व कश्मीर	1020	आरंभ की जानी है।
13.	सेवा–2	जम्मू व कश्मीर	120	आरंभ की जानी है।
14.	पकाल डल	जम्मू व कश्मीर	1000	आरंभ की जानी है।
15.	निम्मो बजगो	जम्मू व कश्मीर	30	आरंभ की जानी है।
16.	चुतक	जम्मू व कश्मीर	18	आरंभ की जानी है।
17.	तीस्ता चरण–1	पश्चिम बंगाल	40	आरंभ की जानी है।
18.	तीस्ता चरण–2	पश्चिम बंगाल	60	आरंभ की जानी है।
19.	तीस्ता चरण–3	पश्चिम बंगाल	100	आरंभ की जानी है।
20.	तीस्ता चरण–4	पश्चिम बंगाल	125	आरंभ की जानी है।
(ख)	**संयुक्त उपक्रम**			
1.	इन्दिरा सागर	मध्य प्रदेश	1000	क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।
2.	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	520	क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।
3.	लखवर व्यासी	उत्तर प्रदेश	420	क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

[अनुवाद]

बिहार में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

837. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक बिहार में रसोई गैस की मांग की आपूर्ति का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कम रही है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस सिलेंडरों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में तेल विपणन कंपनियों द्वारा एल पी जी (पैक्ड) की बिक्री निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (टी एम टी)
1997–98	135.48
1998–99	147.48
1999–2000	172.34

राज्य में एल पी जी की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की गई है। फिलहाल बिहार राज्य में एल पी जी के किसी आपूर्ति बैकलाग की सूचना नहीं दी गई है।

न्यायालयों के समक्ष सरकारी मामले

838. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकार द्वारा न्यायालयों के समक्ष दायर किए जाने वाले मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी पर व्यय होने वाली धनराशि से बचने के लिए नीति–निर्णय लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस हद तक परिणाम प्राप्त करने के समर्थ होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

समस्तीपुर मंडल के लिए स्वीकृत रेल परियोजनाएं

839. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व रेलने के अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल के अधीन स्वीकृत किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) समस्तीपुर मंडल में स्वीकृत सर्वेक्षणों की स्थिति निम्नानुसार है :

परियोजना का नाम और लम्बाई	मौजूदा स्थिति
1	2
1. सकरी–झंझारपुर–लौकहा बाजार (62.32 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
2. सकरी–निर्मली (52.32 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नही पाया गया है

1	2
3. (क) सहरसा–कटिहार (126.11 कि.मी.) (ख) सहरसा–पूर्णिया (बनमांखी, बिहारीगंज) 125.93 कि.मी.	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
4. हसनपुर–बरौनी (43.00 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
5. कुरसेला–सहरसा (91.10 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
6. मुक्तापुर–कुशेश्वरपुर अस्थान नई लाइन (54.10 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
7. लेहरिया सराय–कुशेश्वर अस्थान नई लाइन (54.65 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
8. बिहारीगंज–सिमरी–बख्तियारपुर नई लाइन (54.50 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
9. दरभंगा–सहरसा नई लाइन (93.60 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
हाजीपुर–सगौली नई लाइन (148.30 कि.मी.)	एक अद्यतन सर्वेक्षण प्रगति पर है।
11. खगड़िया–समस्तीपुर आमान परिवर्तन (85.88 कि.मी.)	बजट में शामिल इस कार्य को आवश्यक स्वीकृति मिल जाने के बाद शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
12. मोतीहारी–सीतामढ़ी नई लाइन (76.70 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
13. कोपरिया–बिहारीगंज (56.50 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
14. मधेपुरा–प्रतापगंज बरास्ता सिंगेश्वर अस्थान–त्रिवेणीगंज नई लाइन (60.10 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
15. सलौना–अलौली बरास्ता बकहरी नई लाइन (19.40 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
16. बदलाघाट–आलमनगर–बिहारीगंज–भवानीपुर–धामदहा–पूर्णिया–दलखोला नई लाइन (160.00 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
17. जनकपुर रोड़–मधुबनी बरास्ता बेनीपट्टी नई लाइन (50.85 कि.मी.)	परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को आरंभ करने का विचार संभव नहीं पाया गया है।
18. बिहारीगंज–छातापुर रोड बरास्ता मुर्लीगंज नई लाइन (84.85 कि.मी.)	सर्वेक्षण किया जा चुका है और रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2
19. प्रतापगंज–भीमनगर–बाथारहा नई लाइन (57.00 कि.मी.)	फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
20. कुरसेला–मनीहारी बरास्ता भवानीपुर–जरलाही नई लाइन (57.00 कि.मी.)	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
21. सीतामढ़ी–जयनगर बरास्ता सोनबरसा नई लाइन (115.00 कि.मी.)	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
22. सोपाल–अरसिया बरास्ता त्रिवेणीगंज और रानीगंज नई लाइन (100 कि.मी.)	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
23. कोपरिया–बिहारीगंज बरास्ता बनवा, सोनबरसा राज एवं आलमनगर नई लाइन (70.00 कि.मी.)	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
24. भापतियाई–निर्मली लाइन, कोसी नदी पर पुल सहित (39.71 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

(ग) समस्तीपुर रेलवे मंडल में चालू परियोजनाओं का ब्यौरा

नई लाइन		लंबाई	मौजूदा स्थिति
1.	सकरी–हसनपुर	79	कार्य प्रगति पर है।
2.	खगड़िया–कुशेश्वरअस्थान	44	कार्य प्रगति पर है।
3.	मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी	63	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन			
4.	मुजफ्फरपुर–रक्सौल (रक्सौल–बीरगंज)	130+5	मुजफ्फरपुर–रक्सौल का कार्य पूरा हो गया है और रक्सौल–बीरगंज प्रगति पर है।
5.	मानसी–सहरसा–फारबिसगंज (चरण–1)	155	कार्य प्रगति पर है।
6.	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	268	कार्य प्रगति पर है।
7.	समस्तीपुर–खगड़िया	86	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के मुख्य कार्यपालक और चेयरमैन को सेवा विस्तार की स्वीकृति

840. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र के सार्वजनिक एककों के मुख्य कार्यपालकों और चेयरमैन के सेवा विस्तार की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इससे लाभार्थियों के नाम और विवरण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उनकी सेवा में और वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, नीचे लिखे अधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि की गई है :

	नाम	सार्वजनिक क्षेत्र का एकक	वृद्धि की अवधि
1.	श्री यू. सुन्दरराजन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	3 अक्टूबर, 1999 से 30 जून, 2002
2.	श्री एस.पी. मुखर्जी	प्रबंध निदेशक बीको लॉरी लि.	8 जुलाई, 1998 से 31 अगस्त, 2002
3.	श्री के.एल.कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोच्चि रिफाइनरीज लि.	(i) 7 जून, 1996 से 31 मई, 2000 (ii) 1 जून, 2000 से 30 नवंबर, 2000 (तदर्थ)
4.	श्री एच.एल.जुत्शी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	22 जून, 2000 से 21 सितंबर, 2000 (तदर्थ)

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

841. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु योजना तैयार की है;

यदि हां, तो क्या विभिन्न जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण में अत्यधिक विषमता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार की इस विषमता को कम करने के लिए कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बीकानेर जैसे थार के रेगिस्तानी जिलों में 20 से 25 प्रतिशत ही ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में राज्य के दूसरे गांवों के समान इन जिला को कब तक लाए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान करती है। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्राथमिकताएं संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती हैं।

(घ) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने आदिवासी गांवों, दलित बस्तियों और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए एक विशेष स्कीम तैयार की है।

(ङ) बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बीकानेर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा निम्नवत् है :

क्र.सं.	जिला	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांव	प्रतिशतता
1.	बाड़मेर	1625	1500	92
2.	जैसलमेर	518	252	49
3.	जालौर	665	644	97
4.	बीकानेर	580	556	96

(च) गांवों के सम्पूर्ण विद्युतीकरण के लिए समय-सीमा मुख्यतः आवश्यकता आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संाधनों की उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की मांग इत्यादि पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

बिजली घरों की खतरनाक स्थिति

842. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 बिजली घरों की पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक साबित होने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये बिजली घर बहुत पुराने भी हो चुके हैं और इन्हें मिलने वाला कोयला घटिया गुणवत्ता वाला होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन बिजली घरों की स्थिति सुधारने के

लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 77 ताप विद्युत संयंत्रों में से 35 संयंत्रों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो निःसरण मानकों का अनुपालन कर रही हैं। 3 विद्युत संयंत्र बन्द हैं एवं शेष 39 संयंत्रों ने अभी जरूरी प्रदूषण नियंत्रणकारी सुविधा अपने यहां स्थापित/संवर्धित की जानी हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में मौजूदा प्रदूषण नियंत्रणकारी सुविधाओं की स्थिति का सत्यापन एवं अद्यतनीकरण करने के लिए सीपीसीबी नियमित आधार पर उनका प्रश्नावली सर्वेक्षण, अचानक निरीक्षण करता रहा है।

(घ) कुछ ताप विद्युत केन्द्र अपने प्रचालन काल के हिसाब से काफी पुराने हो गए हैं। ताप विद्युत केन्द्रों को प्राप्त कोयला निम्न गुणवत्ता वाला होता है, जिसमें राख की मात्रा 40–50 प्रतिशत के लगभग होती है।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों को मौजूदा प्रदूषण नियंत्रणकारी सुविधाओं को समयबद्ध रूप में संवर्धन/नवीकरण करने की सलाह दी गई है एवं इनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने को भी कहा गया है ताकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की निर्धारित शर्त को पूरा किया जा सके। साथ ही, कोयला क्षेत्र से 1000 कि.मी. दूर स्थित विद्युत संयंत्रों एवं शहर में स्थित संयंत्रों तथा संवेदनशील क्षेत्र में स्थित संयंत्रों को जून, 2000 से ऐसे कोयले की आपूर्ति करने की योजना है जिसमें राख 34% से अधिक न हो ।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि पर मालगोदामों का निर्माण

843. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कुछ रेलवे स्टेशनों पर ग्राहकों को मालगोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से रेलवे स्टेशनों पर मालगोदामों का निर्माण किया जाना है;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में कुछ और रेलवे स्टेशनों पर मालगोदाम निर्माण की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों में कितने मालगोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) व्यवसाय की मात्रा के आधार पर कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर वेयरहाउसिंग सुविधाएं मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इस समय, रेलवे भूमि पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग निगम द्वारा व्हाइटफील्ड, बैंगलूरू में निर्माण के लिए एक पायलट परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

हरियाणा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों को गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों का आबंटन

844. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में जिले–वार कुल कितने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां हैं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को अब तक कितने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं; और

(ग) निकट भविष्य में हरियाणा में स्थल–वार कितने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में 183 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 600 आरओ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें परिचालन में हैं। इनमें से 30 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 62 खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित हैं। ऐसा कोई भी खुदरा बिक्री केन्द्र/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन करने में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त, 1996–98 की विपणन योजनाओं में हरियाणा राज्य के लिए 36 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 45 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

[अनुवाद]

आर.सी.एफ. थाल परियोजना द्वारा यूरिया उत्पादन

845. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्राकृतिक गैस की कम

आपूर्ति करने के कारण आर.सी.एफ. थाल परियोजना में यूरिया के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना विद्युत संयंत्र से यूरिया का उत्पादन करने के लिए नाफ्था का प्रयोग कर रही है;

(घ) यदि हां, तो नाफ्था के प्रयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने के लिए नाफ्था के कम से कम प्रयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) आरसीएफ के थाल संयंत्र को जीएआईएल/ओएनजीसी से बारम्बार गैस की कम आपूर्ति के कारण गत 7 वर्षों के दौरान लगभग 8 लाख मी. टन यूरिया उत्पादन की हानि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2000–2001 के दौरान इस संयंत्र को लगभग 1 लाख मी. टन उत्पादन हानि होने की संभावना है।

(ग) यह संयंत्र यूरिया संयंत्र तथा वाष्प आधारित कैप्टिव पावर संयंत्र में उपयोग हेतु वाष्प बनाने के लिए सर्विस बायलरों में नाफ्था का उपयोग कर रहा है।

(घ) संयंत्र में नाफ्था उपयोग का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह संयंत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी निस्सरण मानकों को पूरा करता है।

(ङ) एक अल्पावधि उपाय के रूप में जीएआईएल से इस संयंत्र को गैस की आपूर्ति को संभव सीमा तक सरल और कारगर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, दीर्घावधि उपाय के रूप में, वर्ष 2003–04 से इस संयंत्र को गैस की पर्याप्त आपूर्ति हेतु आरसीएफ ने इनरोन की सहायक कंपनी अर्थात मै. मेट्रोपोलीज़ गैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैस आपूर्ति के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

वस्त्रों की मांग और आपूर्ति

846. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री साहिब सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष वस्त्रों की राज्य-वार मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सरकार द्वारा विद्युतकरघा क्षेत्र को आबंटित धागे के कोटे का कई बड़ी मिलों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एन. रामचन्द्रन) : (क) इस मंत्रालय द्वारा वस्त्रों की मांग की राज्य-वार सूचना संकलित नहीं की जाती है। वार्षिक मांग उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित होती है। केवल संगठित मिल क्षेत्र के मामले में ही राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आंकड़े संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए यार्न अथवा कच्चे माल का कोई कोटा आबंटित नहीं किया जाता है।

विवरण-I

वस्त्र मिलों (गैर-एस.एस.आई.) द्वारा स्पन यार्न का राज्य-वार उत्पादन

(हजार कि.ग्रा.)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1997–98	1998–99	1999-2000
1	2	3	4
राज्य			
आंध्र प्रदेश	132337	128149	135191
असम	4328	3387	2767
बिहार	4525	2028	4350
दिल्ली	1560	7	0
गोवा	234	245	450
गुजरात	221696	208144	237260
हरियाणा	149580	129882	152064
हिमाचल प्रदेश	51281	53588	76362
जम्मू और कश्मीर	13383	15781	18113
कर्नाटक	92052	79842	76745
केरल	48990	46002	45933

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	162394	179341	204261
महाराष्ट्र	377573	354401	362529
मणिपुर	0	0	0
उड़ीसा	17672	11724	8179
पंजाब	198774	214428	258779
राजस्थान	217551	212213	228844
तमिलनाडु	1060104	989679	1062543
उत्तर प्रदेश	118062	94890	95570
पश्चिमी बंगाल	68892	49370	38955
केन्द्र शासित प्रदेश			
दादरा नगर हवेली	6701	7480	12236
दमन और दीव	5385	6390	6434
पांडिचेरी	20321	18843	18004
कुल	2973395	2807814	3045569

विवरण

वस्त्र मिलों (मिश्रित मिलों) द्वारा कपड़े का राज्य–वार उत्पादन

(हजार वर्ग मीटर)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1997–98	1998–99	1999
1	2	3	4
राज्य			
आंध्र प्रदेश	0	0	0
असम	3924	3928	3769
बिहार	0	0	0
दिल्ली	40	0	0
गुजरात	455941	374266	339879
हरियाणा	1860	8767	12408
कर्नाटक	33334	17493	9516
केरल	16386	11403	12984
मध्य प्रदेश	29955	28577	41215
महाराष्ट्र	706477	692409	678359
उड़ीसा	18972	15662	11393
पंजाब	57690	55208	59622
राजस्थान	68305	57285	64363
तमिलनाडु	152710	135607	122152
उत्तर प्रदेश	39824	39873	38050
पश्चिमी बंगाल	27563	16945	2140
केन्द्र शासित प्रदेश			
पांडिचेरी	43889	36809	27623
कुल	1656870	1494232	1423473

सीमा पर सड़कों के निर्माण में जटा उत्पादों का प्रयोग

847. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सीमा पर सड़कों के निर्माण में जटा उत्पादों का प्रयोग करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सीमा पर सड़कों को जटा उत्पादों से बनाने की मितव्ययता, उपयोगिता और टिकाऊपन के संबंध में विशेषज्ञों के किसी पैनल से अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। सीमा सड़क संगठन ने कॉयर बोर्ड अधिकारियों से परामर्श करके सड़क निर्माण में कॉयर जिओ–टैक्सटाइल्स का प्रयोग करने हेतु विचार किया है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर सिलचर के पास एक निर्माणाधीन तटबंध की ढलान को रोकने में कॉयर जिओ–टैक्सटाइल का परीक्षण किया जाएगा।

(ग) ये परीक्षण कॉयर बोर्ड तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा

संयुक्त रूप से किए जाएंगे। सड़क निर्माण में कॉयर उत्पादों का प्रयोग करके निर्माण संबंधी किफायत, उपयोगिता और मजबूती के विषय में यह अध्ययन संयुक्त रूप से कॉयर बोर्ड, सीमा सड़क संगठन तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाएगा।

(घ) इन परीक्षणों संबंधी प्रक्रिया कॉयर बोर्ड, सीमा सड़क संगठन तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है। इन परीक्षणों के बरसात के बाद शुरू होने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे निवेशकों की रक्षा

848. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ला बोर्ड के पास उसकी क्षमता से अधिक मामले हैं;

यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कितने मामले निपटाए ...त समय कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) यदि सरकार कम्पनी ला बोर्ड के आदेशों/अनुसूचित आदेशों का पालन न करे तो छोटे निवेशकों के पास क्या उपचारात्मक उपाय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) 1.4.1999 से 31.3.2000 के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड ने 66,926 मामलों का निपटान किया और 1.4.2000 को 14,403 मामले लंबित थे।

(ग) गैर बैंकरारी–गैर वित्तीय कम्पनियों के मामले में जब कभी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) के अन्तर्गत आदेश पारित किए जाते हैं, कम्पनी विधि (सी एल बी) के आदेश की एक प्रति संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार (आर ओ सी) को भेजी जाती है जिसमें उल्लेख होता है कि यदि किसी मामले में कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जाता तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम की धारा 58का के (10) के अन्तर्गत संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के मामले में कम्पनी विधि बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अन्तर्गत आदेश पारित करता है। आदेशों की प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचित करते हुए प्रेषित भी की जाती है कि यदि किसी मामले में कम्पनी आदेश के कार्यान्वयन में असफल रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58ख के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश का उल्लंघन उस अवधि के कारावास के लिए दण्डनीय है जिसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है।

स्लीपरों की खरीद

849. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में एजेन्सी–वार स्लीपरों की खरीद के लिए दी गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्लीपरों की खरीद–हेतु कितनी धनराशि चुकाई गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी निविदाएं निरस्त की गईं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केवल विशेष स्लीपरों की निविदाओं को छोड़कर जिसे क्षेत्रीय रेलों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, प्रत्येक क्षेत्रीय रेल की आवश्यकता हेतु कंक्रीट स्लीपरों की खरीद के लिए निविदाओं को क्षेत्रवार रेलवे बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में गुजरात में स्थित 5 कारखानों को कंक्रीट स्लीपरों की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति हेतु आदेश दिए गए थे।

(आंकड़े लाख में)

	1997–98	98–99	99–00	जोड़
(i) मैसर्स उषा प्रीस्ट्रेस्ड स्लीपर उद्योग, गोधरा, पिपलोड़	0.46	0.46	0.79	1.71

(ii)	मैसर्स मणी भाई ब्रदर्स (स्लीपर्स), खरसलिया	1.30	1.20	1.07	3.57
(iii)	मैसर्स सुब्रमणियम एण्ड कंपनी, खसलिया	0.73	0.86	0.73	2.32
(iv)	मैसर्स टाक्रेते इंडिया प्रा.लि., उडवडा	0.47	0.89	1.24	2.60
(v)	मैसर्स वमन प्रीस्ट्रेसिंग कं. लि., दिगसार	—	—	1.17	1.17
				जोड़	11.37

(ख) पी ए सी स्लीपरों की आपूर्ति हेतु फर्मवार भुगतान की गई धनराशि नीचे दी गई है :

(आंकड़े करोड़ में)

		1997–98	98–99	99–00	जोड़
(i)	मैमर्स उषा प्रीस्ट्रेस्ड स्लीपर उद्योग, गोधरा, पिपलोड़	2.00	2.62	4.50	9.12
(ii)	मैसर्स मणी भाई ब्रदर्स (स्लीपर्स), खरसलिया	4.32	4.00	4.10	12.42
(iii)	मैसर्स सुब्रमणियन एण्ड कंपनी, खसलिया	2.42	2.87	3.47	8.76
(iv)	मैसर्स टाक्रेते इंडिया प्रा. लि., उडवडा	1.88	3.78	6.18	11.84
(v)	मैसर्स वमन प्रीस्ट्रेसिंग कं. लि., दिगसार	शून्य	शून्य	6.70	6.70
				जोड़	48.84

(ग) शून्य।

विद्युत पारेषण और वितरण का निजीकरण

850. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत अधिनियम में संशोधन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के पारेषण और वितरण (टी.एंड डी.) का निजीकरण करने के संबंध में सरकार के नीति निर्णय के अनुपालन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) निजीकरण करके विद्युत के पारेषण और वितरण में हानि को कम किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 के (अधिनियम संख्या 22) के अनुसार पारेषण को एक पृथक कार्य माना है एवं किसी व्यक्ति के लिए पारेषण लाइसेंस देने की व्यवस्था है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., जो एक केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटि है ने भूटान के ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मे.वा.) से संयुक्त उद्यम व्यवस्था के जरिए क्रियान्वयन करने हेतु पारेषण प्रणाली को बिजली निकासी के लिए अभिज्ञात किया है। इस उद्देश्य से पावर ग्रिड एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है।

पावर ग्रिड ने उन परियोजनाओं को भी स्वतंत्र विद्युत कंपनी (आईपीटीसी) पारेषण के रूप में अभिज्ञात किया है जिसमें शत–प्रतिशत इक्विटी भागीदारी निजी निवेशकों की होगी। स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनी का चयन टैरिफ आधारित बोली के आधार पर किया जाएगा।

राज्य क्षेत्र में पारेषण एंव वितरण लाइनों के निजीकरण का निर्णय राज्यों के उचित एजेंसियों द्वारा लिया जाना है।

(ख) पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश हो सकेगा एवं इसकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी हो सकेगी।

खड़गपुर-खड़कवासला रेल लाइन का विद्युतीकरण

851. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण–पूर्व रेलवे के खड़गपुर और खड़कवासला के बीच कितने रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितने वित्त की कब तक आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व रेल के खड़गपुर–कोट्टावलासा–करकावलासा खण्डों के बीच कुल 303 मार्ग कि.मी. को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त खण्डों के विद्युतीकरण पर 262.85 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) उपरोक्त खण्ड पर कार्य के पूरा करने के लिए लक्ष्य मार्च 2003 है तथा परियोजना को पूरी करने के लिए [illegible] करोड़ रुपए की और धनराशि अपेक्षित है।

[illegible]न मुख्यालय चंडीमन्दिर द्वारा वित्तीय विनियमों का उल्लंघन

852. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मुख्यालय, चंडीमन्दिर ने 1994–95 के दौरान निधियां वापिस करने से बचने के लिए वित्तीय विनियमों का उल्लंघन कर भारतीय तेल निगम को 21.30 करोड़ रुपए का भुगतान किया;

(ख) क्या मामले की जांच की गई है और जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अब इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) रक्षा स्थापनाओं जहां एक–के–बाद एक अनियमितताएं बेरोकटोक जारी हैं, के कार्यकरण को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान ईंधन, तेल तथा स्नेहकों पर व्यय करने के लिए मुख्यालय, पश्चिम कमान को 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। बाद में, यह राशि मुख्यालय पश्चिम कमान द्वारा अपनी नियंत्रणाधीन विरचनाओं को आगे आबंटित की गई थी। स्टेशन मुख्यालय, चंडीमंदिर को ईंधन, तेल तथा स्नेहकों पर व्यय करने के लिए बजटीय आबंटन के रूप में वर्ष 1994–95 के दौरान केवल 2 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसलिए वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय तेल निगम को 21.30 करोड़ रुपये का भुगतान करना संभव नहीं था।

(ख) से (घ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

करगिल युद्ध में मारे गये सैनिक

835. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगिल युद्ध के दौरान राज्य–वार कितने सैनिक शहीद हुए;

(ख) इन सैनिकों के परिवारों को क्या सुविधाएं प्रदान की गयीं; और

(ग) इन सैनिकों के कितने परिवारों को अभी तक ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कारगिल संघर्ष में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को एक व्यापक कल्याणकारी पैकेज मुहैया कराया गया है। इसमें 10 लाख रुपए का एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा, मृतक सिपाही द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा जैसा भी लागू हो यथास्वीकार्य दरों पर मृत्यु उपदान व परिवार उपदान शामिल है। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा कोष से निम्नलिखित सहायता भी मुहैया कराई गई है : – आवासीय इकाई के लिए 5 लाख रुपए, प्रति परिवार दो लाख रुपए तक शिक्षा के लिए प्रति बच्चा एक लाख रुपए और ऐसे जरूरतमंद माता–पिता, जो मृतक सिपाही पर आश्रित थे, के लिए 1. 20 लाख रुपए। सेना केन्द्रीय कोष से 30,000 रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकट संबंधियों को पेट्रोल पंप/एल पी जी डीलरशिप आबंटित किए जाने के लिए अलग से निर्धारित की है।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित वित्तीय पैकेज कारगिल शहीदों के परिवारों को भी उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों के लिए प्राप्त 425 आवेदनों में से अब तक 281 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शेष 144 पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

कारगिल संघर्ष में हताहतों का राज्य वार विवरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	अधिकारी	जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना	अन्य रैंक	अधिकारी	अन्य रैंक वायुसेना
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1	—	4	—	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	2	—	—
3.	असम	1	—	2	—	—
4.	बिहार	1	1	15	—	—
5.	दिल्ली	4	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	8	—	—
7.	हरियाणा	—	2	56	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	38	—	—
9.	जम्मू–कश्मीर	1	5	63	—	—
10	कर्नाटक	—	—	4	—	—
11.	केरल	3	—	6	—	—
12.	महाराष्ट्र	—	1	6	—	—
13.	मणिपुर	—	—	5	—	—
14.	मेघालय	1	—	—	—	—
15.	मिजोरम	—	—	1	—	—
16.	मध्य प्रदेश	1	—	3	—	—
17.	नागालैंड	1	—	1	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	6	—	1
19.	पंजाब	1	5	39	—	—
20	राजस्थान	1	5	47	1	—
21.	तमिलनाडु	1	—	3	1	—

1	2	3	4	5	6	7
22.	उत्तर प्रदेश	6	2	138	1	–
23.	पश्चिम बंगाल	1	1	5	–	–
24.	नेपाल	–	–	21	–	–
	जोड़	26	23	473	3	2

[अनुवाद]

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं द्वारा घटिया औषधियों की खरीद

854. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं घटिया और जिन औषधियों की उपयोग अवधि बहुत कम है ऐसी औषधियों की खरीद कर रही बताई गई है;

[illegible] यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को [illegible] के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। अच्छी किस्म की दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दवाइयां केवल उन्हीं फर्मों से खरीदी जा रही हैं जो या तो गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पास पंजीकृत हैं अथवा जिनका वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपए से अधिक का है और उनके पास विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तम उत्पादन प्रक्रिया प्रमाण–पत्र हैं।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

खान-पान विभाग कर्मचारियों को नियमित करना

855. श्री वी.एम.सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के अंतर्गत कार्यरत विभागीय खान–पान कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण रेल के खानपान विभाग में खाली पड़ी रिक्तियों में 60 वेतनभोगी/कमीशन बेयरों की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की गई है और 30.5.2000 को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

डीजल घोटाला

856. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) ने मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में एक गिरोह के व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो गुजरात तथा अन्य राज्यों से भारी मात्रा में राजसहायता प्राप्त डीजल की डिलीवरी ले लेते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, धार तथा मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में एवं महाराष्ट्र में भी 23 कंपनियों पर छापे मारे गए;

(ग) क्या जांच एजेंसी ने यह पाया कि तेल कंपनियां यह पता लगाने में असफल रही थी कि उनके खुदरा बिक्री केन्द्र बाह्य स्रोतों से आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो इन छापों के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आयुध डिपो का आधुनिकीकरण

857. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994 में देश के सभी केन्द्रीय आयुध डिपो का आधुनिकीकरण करने का फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एक के अलावा सभी आयुध डिपो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं;

(ग) इन डिपो का आधुनिकीकरण कार्य किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया था;

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1996 में इन एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इन डिपो के आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इन डिपो के आधुनिकीकरण कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) प्रत्येक डिपो पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) आगरा, मुंबई छिवकी, दिल्ली छावनी, देहू रोड, जबलपुर तथा कानपुर स्थित सभी सात केंद्रीय आयुध डिपुओं का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, सर्वप्रथम केंद्रीय आयुध डिपो, कानपुर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) मुंबई स्थित एक डिपो को छोड़कर देश में मौजूद सभी केंद्रीय आयुध डिपो द्वितीय विश्व युद्धकाल के हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् मैसर्स मेटेलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टैंट (इंडिया) लिमिटेड तथा मैसर्स राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को केंद्रीय आयुध डिपो कानपुर के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था तथा उन्होंने नवंबर, 1996 में अपनी प्रारूप परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थीं।

(ङ) चूंकि केंद्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण की परियोजना अपनी तरह की पहली परियोजना है, इसलिए प्रयोक्ता निदेशालयों को आधुनिकीकरण परियोजना की आवश्यकता तथा इससे संबंधित तकनीकी समस्याओं की जानकारी कराने में समय लगा। इस कारण से उक्त कार्य को शुरू करने में विलंब हुआ है।

(च) और (छ) केंद्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण की परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग 187 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा इसके दिसंबर, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस परियोजना की तैयारी तथा परियोजनापूर्व चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर शेष केंद्रीय आयुध डिपुओं के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाएं त्वरित गति से निष्पादित की जाएंगी। इस चरण में, शेष 06 केंद्रीय आयुध डिपुओं के आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च की सूचना देना संभव नहीं है।

राजस्थान में अभियांत्रिकी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी

858. श्री जसवंत सिंह विश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर, जालौर और बाड़मेर जिलों में उत्तरी रेल के अधीन आमान-परिवर्तन के कार्य की पिछले चार वर्षों से देखरेख कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) घटिया काम, उच्च दरों पर ठेका देने, निविदाओं की अंतिम रूप देते समय अनियमितताएं ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियों इत्यादि के संबंध में चार अधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से एक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। तीन अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है।

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

859. श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कितनी विद्युत परियोजनाएं सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु बिहार सरकार के साथ बैठक बुलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं से कितने विद्युत उत्पादन की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त स्कीमों का ब्यौरा और उनकी स्थिति निम्नवत् है :

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1. कहलगांव टीपीपी चरण–2 (एनटीपीसी)	2×660	3/2000	28.4.2000 को लौटा दी गई। एनटीपीसी को निवेश/ स्वीकृतियां जैसे जल की उपलब्धता, एमओईएफ, एसपीसीबी स्वीकृति, ईंधन उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने की सलाह प्रदान कर दी गई थी।
2. बाढ़ एसटीपीपी (एनटीपीसी)	3×660	5/2000	3.7.2000 को लौटा दी गई एनटीपीसी को निवेश/ स्वीकृतियां जैसे ईंधन की उपलब्धता एमओईएफ, एसपीसीबी, स्वीकृति, एनएए स्वीकृति, राज्यों से सुविधा–पत्र आदि सुनिश्चित करने की सलाह प्रदान कर दी गई थी।
3. कन्हर पीएसएस (बीएचपीएल)	3×100	5/99	21.7.99 को लौटा दी गई। मै. बीएचपीसीएल को निवेश/ स्वीकृतियों जैसे भू एवं जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति आदि सुनिश्चित करने की सलाह प्रदान कर दी गई थी।
ण–2 (एचईपी) (बीएचपीसीएल)	186	12/99	1/2000 को लौटा दी गई। बीएचपीसीएल को के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी की विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा अद्यतन कीमत के आधार पर नई डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) के.वि.प्रा. द्वारा मांगे गए निवेश/ स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना पर विचार किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं में विद्युत की मात्रा लगभग 3786 मे.वा. है।

[अनुवाद]

रूस के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल

860. **श्री सी. कुप्पुसामी :**
श्री बीर सिंह महतो :
डॉ. जसवंत सिंह यादव :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री दिनशा पटेल :
श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री मोहन रावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इनके नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे के दौरान हुई चर्चा और लिए गए निर्णयों/किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विचार रूस से टी–90 टैंकों और कुछ अन्य विमान वाहक पोतों को खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो यदि किसी सौदे को अंतिम रूप दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस दौरे के दौरान टी–90 टैंकों तथा वायुयान वाहक के अधिग्रहण सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद, अत्याधुनिक शस्त्रों, शस्त्र–प्रणालियों एवं प्लेटफार्मों के अधिग्रहण पर चर्चा हुई। की गई चर्चा के बारे में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

इस दौरे के दौरान रूस के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

संविधान समीक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग

861. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान समीक्षा आयोग को तमिलनाडु में शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में 69 प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित रखने हेतु संविधान में संशोधन सुझाने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2103/2000]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्ररूप (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 27 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 419 (अ) जो 27 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची–10 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 2104/2000]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास उर्वरक लिमिटेड चेन्नई का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2105/2000]

(ख) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2106/2000]

(3) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एम. नगर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2107/2000]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2108/2000]

(2) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2109/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित सेना और वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय पावर अल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(iv) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक–सभा द्वारा 10 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय कम्पनी (विदेशी हित) और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(v) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं 26 जुलाई, 2000 को राज्य सभा द्वारा यथा–पारित सेना और वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन विधेयक, 2000, भारतीय पावर अल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000 और रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक, 2000 को भी सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग) : महोदय मैं गैर

सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति
छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के "भारतीय पुनर्वास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2000" के बारे में छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थाई समिति
चौसठवां और पैसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी चौसठवां प्रतिवेदन; और

(2) कम्पनी विधेयक, 1997 संबंधी पैसठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¾ बजे

गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति
साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं (एक) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999; और (दो) कम्पनी विधेयक, 1997 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक–एक प्रति सभा पटल रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति
बयालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के कोल इंडिया (अन्तरण का विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1995 के बारे में 42वें प्रतिवेदन की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¼

उद्योग संबंधी स्थायी समिति
साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं कोल इंडिया (अन्तरण का विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1995 के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा–पटल पर पत्र रखे जाने के बाद आपकी बात सुनूंगा। यही परम्परा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य–काल इस तरह नहीं, बल्कि कार्य–सूची में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा से पहले आरम्भ होता है। मैं आपको अवसर दूंगा। पूरा एक घंटा अभी बाकी है। मैं आप सब की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद आपकी बात सुनूंगा। मैं पहले ही यह कह चुका हूं। कृपया अपने स्थानों पर वापस जायें। आप मुझसे इस तरह सभा संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद

आपकी बात सुनूंगा। सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद शून्य काल आरम्भ होता है।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : रूसी संघ के रक्षा मंत्री मार्शल आईगोर सर्गेयेव के आमंत्रण पर मैंने 26 से 30 जून, 2000 तक रूसी संघ का सरकारी दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने रूसी संघ के राजनीतिक नेताओं से भेंट की जिनमें राष्ट्रपति पुतिन, उप प्रधान मंत्री क्लेबानोव और मार्शल सर्गेयेव भी शामिल हैं। मास्कों के अतिरिक्त मैं सेंट पीटर्सबर्ग में उन शिपयार्डों में भी गया जिनमें नौसेना के लिए जलपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

मैं उप प्रधान मंत्री इल्या क्लेबानोव और रक्षा मंत्री आईगोर सर्गेयेव के साथ 27 जून को विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षकारों ने दोनों ही देशों के बीच विद्यमान उस निकट मैत्री का स्मरण किया जो रक्षा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबिम्बित होती रही हैं। इस वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति पुतिन की भारत की आगामी यात्रा की अग्रवर्ती तैयारी के रूप में दोनों ही पक्षकारों ने इन बैठकों को अत्यधिक महत्त्व दिया। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और यह समाधान किया कि राष्ट्रपति की भावी यात्रा हमारे संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।...*(व्यवधान)*

जिन महत्त्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श किया गया इनमें नवीन आधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणालियों, प्लेटफार्मों एवं उपस्करों का अधिग्रहण भी शामिल है जिसका भारत की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान होगा और जो मुख्य रूप से सैन्य शक्ति में बहुमुखी वृद्धि करेंगे। इस संदर्भ में हमने यह निर्णय लिया कि हम द्विपक्षीय सहयोग की परिधि और उसकी गहनता दोनों ही को अधिक बढ़ाएं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री और रूसी पक्ष की ओर से उप प्रधान मंत्री स्तर पर सैन्य तकनीकी सहयोग में संयुक्त आयोग की स्थापना करके दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की संस्थानात्मक मेकेनिज्म का स्तर भी बढ़ाया जाए। इस महत्त्वपूर्ण कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाना तथा निर्णय लेने की गति को सुकर बनाना है।

हमारी बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान शामिल था। हमने विशेष रूप से विश्व की उन घटनाओं पर विमर्श किया जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति आदर की कमी या पूर्ण अभाव प्रतिबिंबित होता है और हम ऐसे मसलों पर एकसाथ काम करने के लिए सहमत हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद के खतरे पर भी विचार-विमर्श किया जो एशिया और विश्व के अनेक हिस्सों में अस्थिरताकारियों के रूप में उभर कर आया है ....*(व्यवधान)*

28 जून को मैंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। बैठक में भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों की आंतरिक मजबूती को बल देना दूसरी उपलब्धि रही। बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अभिवादन संप्रेषित किया गया। हमने इस वर्ष अक्टूबर में उनकी अगामी भारत यात्रा पर भारत और रूस दोनों देशों द्वारा लगाई गई उम्मीदों का हवाला दिया। विचार-विमर्श के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद से संबंधित मसलों और सभी देशों के शांतिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभावों पर बल दिया गया। यह भी एक संयोग था कि भारत और रूस द्वारा सियरा लियोन और फीजी की घटनाओं का समान मूल्यांकन किया गया जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत और रूस के बीच सहयोग तथा सभी क्षेत्रों में इन संबंधों को और बढ़ाने की जरूरत होने की बात दोहराई गई। राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणियों में भारत-रूस संबंधों की प्रगाढ़ता उस समय उचित रूप से प्रतिबिंबित हुई जब उन्होंने कहा कि वे भारत के "महानतम मित्र" हैं।....*(व्यवधान)*

महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सामाजिक संबंध तथा सैन्य-तकनीकी सहयोग के मद्देनजर रक्षा सचिव और रूस के प्रथम उप रक्षा मंत्री द्वारा दोनों रक्षा मंत्रियों के समक्ष 29 जून को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए। इस नयाचार से रक्षा तथा सामरिक क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने की दोनों देशों की इच्छाशक्ति प्रदर्शित होती है। विशेष रूप में, दोनों देशों ने आतंकवाद के अभिशाप को रोकने तथा समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। इस नयाचार में सैन्य-तकनीकी सहयोग तथा रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में व्यापक सहयोग भी शामिल है।...*(व्यवधान)*

सेंट पीटर्सबर्ग में, मैंने सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो "रूबिन" का दौरा किया जो नौसेना पोतों तथा पनडुब्बियों जिनमें भारतीय नौसेना के पोत तथा पनडुब्बियां शामिल हैं, के डिजाइन के लिए

एक अति प्रतिष्ठित संगठन है। अगले दिन, 30 जून को मैंने बाल्टिक शिपयार्ड का दौरा किया जहां भारतीय नौसेना के लिए फ्रिगेटों का निर्माण किया गया है। मैंने एडमिरलटी शिपयार्ड का भी दौरा किया जहां पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें रीफिट किया जाता है। .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटासिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। सभा–पटल पर पत्रों के रखे जाने के बाद, मैं आपको अवसर दूंगा। फिर 'शून्य काल' आरम्भ होगा। उस समय, मैं आपकी बात सुनूंगा और आप इस संबंध में सरकार से भी पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : कुल मिलाकर मेरा विश्वास है कि रूस के मेरे दौरे से भारत तथा रूस के बीच परंपरागत निकट संबंध और सुदृढ़ हुए हैं तथा इससे दोनों देशों के नेतृत्व से रक्षा तथा सामरिक संबंधों के अपने स्तर को और उच्च स्तर तक उठाने के प्रति उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। रूसी राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत से आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय खतरे को इसके समस्त रूपों में नियंत्रित तथा उसे समाप्त करने तथा संयुक्त उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग को और तेज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प किया गया। रूसी नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण परिलक्षित हुए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए किए जाने वाले प्रयास को समर्थन देने की बात भी दुहराई गई। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय तथा विश्व स्तरों पर स्थिरता तथा शांति के लिए एक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका की उचित समझ तथा राष्ट्रों के समुदाय में उचित स्थान हासिल करने में भारत की सहायता करने के प्रति रूस का दृढ़ संकल्प भी परिलक्षित हुआ। ....*(व्यवधान)*

[*अनुवाद*]

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 26 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 26 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

(इस समय, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[*अनुवाद*]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[*अनुवाद*]

भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा लगाए गए कथित आरापों के संबंध में सदस्यों द्वारा निवेदन के बारे में

[*अनुवाद*]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, हमने आज प्रश्न काल के बाद एक गंभीर मामला उठाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस पर नियम 377 के अधीन मामलों के बाद चर्चा करें ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैंने सभा के स्थगन के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

(हिन्दी)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हाउस एडजर्न होने से पहले उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे। उस समय कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन आया और नियम 290 के तहत हमारा प्रस्ताव था ...*(व्यवधान)*

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय : माधवराव सिंधिया जी, आपको क्या कहना है? यह शून्य काल नहीं है? विशेष मामले के रूप में आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज के समाचार पत्र न्यायपालिका और महान्यायवादी पर लगाए गंभीर आरोपो की रिपोर्टों से भरे पड़े हैं और वह भी गुप्त समझे जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर लगाए गए ये आरोप किसी अन्य के द्वारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं जो अभी तीन दिन पहले तक मंत्रिपरिषद का सदस्य हुआ करते थे। यह बहुत ही गभीर मामला है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि संविधान का मूल आधार है के बीच टकराव सा हो रहा है। हमने इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया है। अब, हमने इसे इसलिए उठाया है क्योंकि यह प्रेस में पूरी तरह से छा गया है। प्रेस में छपे ब्यौरे सभा की संपत्ति नहीं रह गए हैं बल्कि ये राष्ट्र की संपत्ति बन गए हैं। यही पूरे देश में विस्तृत वाद–विवाद का विषय है।

मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए, यह सब प्रकट होने के बाद, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में मंत्रिपरिषद का क्या रुख है क्योंकि जो घटित हो रहा है वह बहुत ही अनुचित प्रवृत्ति है। इससे हमारे संविधान के मूल आधार पर आघात पहुंचेगा। ये गंभीर आरोप गुप्त और गोपनीय समझे जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। यह घोर चिंता का विषय है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि सरकार और मंत्रालयों से गुप्त दस्तावेज बाहर आ रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। अतएव, हम चाहेंगे कि स्थिति स्पष्ट की जाए। हम चाहेंगे कि इस संबंध में मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति है इसे स्पष्ट किया जाए ताकि हम इस मामले की सच्चाई को सही रुप से जान सकें। अगर ये तथ्य सही हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अनुचित प्रवृत्ति को रोका जा सके और इसे बंद किया जा सके, इस हेतु सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एस. जयपाल रेड्डी जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री एस. जयपाल रेड्डी जी को बोलने के लिए कह चुका हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, हमें बोलने के लिए दो मिनट का समय देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, आप बैठ जाइए ।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : हम बैठ जाएंगे। मगर मुद्दा यह है कि बीरभूम जिले के नानुर पुलिस थाने की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले खुजुटिपाड़ा गांव में 11 बजे ग्यारह व्यक्ति मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)* हमें श्री जयपाल रेड्डी के बाद बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह सभा और यह देश पिछले कुछ दिनों के दौरान एक विचित्र तमाशे का गवाह रहा है, जिसकी स्वतंत्र भारत में कोई मिसाल नहीं है। कुछ दिन पहले, महान्यायवादी और तत्कालीन विधि मंत्री के बीच आरोपों की झड़ी सी लग गई थी। हमने असाधारण संयम बनाए रखा। हमने मुद्दे को कभी नहीं उठाया। आज परिस्थिति ने परिमाणात्मक रूप से अलग ही आयाम धारण कर लिया है। समाचार पत्रों में न केवल महान्यायवादी, जो कि वरिष्ठतम एवं सम्मानित विधि अधिकारी हैं, के विरुद्ध लगाए गए आरोप छपे हैं, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोप भी छपे हैं। इस सरकार ने देश को एक संविधानिक संकट में धकेल दिया है। यह देश कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रहे टकराव का मूक दर्शक बना हुआ है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि मंत्रि परिषद अपना अधिदेश और अधिकार सभा से ही प्राप्त करती है । स्वयं प्रधानमंत्री अपने अस्तित्व के लिए इस सभा के प्रति आभारी है। चूंकि यह मामला मंत्री से संबंधित है अतः स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर आती है।

श्री माधवराव सिंधिया जी ने बिल्कुल सही संकेत दिया है कि समूचा देश इससे चितिंत है। हम भी इसके प्रति उदासीन नहीं हो सकते हैं। सभा मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती हैं। इसलिए, आपको, सरकार को सुस्पष्ट वक्तव्य देने के लिए निर्देश देना होगा। यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। अतः प्रधानमंत्री के यहां आने और मामले पर स्पष्टीकरण देने तक अन्य सभी कार्यों को स्थगित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी, क्या आप इसी मामले को उठाना चाहते हैं। उन्होंने प्रातःकाल में सूचना दी थी, इसीलिए मैंने उनको अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने भी सूचना दी है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं प्रातःकाल इसका उल्लेख नहीं कर सका। यह वही तथ्य है ...*(व्यवधान)*

भारत के इतिहास में यह विरला प्रसंग है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारत के भूतपूर्व विधि मंत्री भारत के मुख्य न्यायधीश पर लांछन लगा रहे हैं और यह सब अब समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। हिन्दुस्तान टाईम्स ने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर बहुत ही गंभीर आरोपों की खबर को मुख्य पृष्ठ पर छापा है। यहां तक कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में है। आरोप इतने गंभीर हैं कि इस तरह के आरोप आम आदमी पर भी लगाग जा सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि प्रख्यात विधिवेत्ता श्री सोली सोराबजी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। उनके विरुद्ध भी श्री राम जेठमलानी ने कुछ निश्चित आरोप लगाए हैं। ये आरोप अब तक ज्ञात सभी आरोपों से अलग हैं और हम मूक–दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है। हमें न्यायपालिका के प्रमुख का सम्मान करना चाहिए; हमें कार्यपालिका के प्रधान का सम्मान करना चाहिए; और हमें विधायिका के प्रमुख का सम्मान करना चाहिए। ये देश के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं और उन्हें उनका सम्मान करना होगा । ये संविधान के स्तंभ हैं आप भी संविधान के एक स्तंभ हैं।

इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि चूंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रधान मंत्री जी को सभा में आना चाहिए। भूतपूर्व विधि मंत्री वक्तव्य देने के लिए यहां नहीं आ सकते हैं। वे सभा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए, कार्यपालिका द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए। भूतपूर्व विधि मंत्री अगर चाहें तो दूसरी सभा में वक्तव्य दे सकते हैं । परन्तु, लोकसभा में, केवल सभा का नेता ही वक्तव्य दे सकता है। मैं विनम्रता के साथ, संसदीय कार्य मंत्री से, प्रधानमंत्री को इस स्थिति के बारे में सूचित करने और इस सभा को तत्सम्बन्धी जानकारी देने तथा यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी पर लगे तथा–कथित आरोपों के दौरान वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : इस सभा में स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। जिस तरीके से भूतपूर्व विधि मंत्री द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से बाहरी हलकों में भारत में मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायलय की आलोचना की जा रही है, उस पर बाहर जो वाद–विवाद भी चल रहा है, वक्तव्य दिए जा रहें हैं, परन्तु सभा को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है।

हमारी मांग यह है कि प्रधानमंत्री जी यहां आएं और स्थिति को स्पष्ट करें। यह बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अतः हमारी मागं यह है कि प्रधानमंत्री को यहां आकर सभा को इस मामले पर सूचना देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने दल की ओर से निवेदन करने की अनुमति दी जाए।

महोदय, आज प्रातः हमने समाचार पत्रों में देखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गंभीर टकराव चल रहा है। तीन दिन पहले, भूतपूर्व विधि मंत्री एक वक्तव्य के साथ सामने आए कि एक एम. एस. शूज घोटाला है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व–सहयोगी को यह समझना चाहिए कि भूतपूर्व विधि मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं। विधि मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, श्री राम जेठमलानी ने तीन दिन पहले विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया है और उन्होंने उन गोपनीय और गुप्त कागजातों, जिन तक विधि मंत्री

की हैसियत से उनकी पहुंच थी, के आधार पर वक्तव्य दिया है। इस तरह से यह प्रेस के सामने आया है और यदि संसदीय कार्य मंत्री इसे उचित महत्त्व नहीं देते तो मैं भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, अखबारों में महान्यायवादी और भूतपूर्व विधि मंत्री के बीच एम. एस. शूज घोटाले पर हुई कहा-सुनी के बारे में छपा था। हमें ब्यौरे के बारे में नहीं पता। श्री राम जेठमलानी ने भारत के मुख्य न्यायधीश पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने आज सुबह दूसरे सदन में इस संबंध में कोई उत्तर दिया था परन्तु पहले सूचना हमें दी जानी चाहिए थी। यह लोक सभा है। सर्वप्रथम लोक सभा को सूचना दी जानी चाहिए क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह जनता की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिबिंब है। हम लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रुप से चुने जाते हैं। हम जनसाधारण के प्रतिनिधि हैं। इसलिए, प्रधानमंत्री या सरकार के किसी जिम्मेदार सदस्य ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : केवल प्रधान मंत्री को आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, प्रधानमंत्री को लोक सभा त होना चाहिए; उन्हें लोक सभा में आना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, 'पी एम' का मतलब प्रमोद महाजन जी नहीं हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, प्रधानमंत्री को लोक सभा में आना चाहिए और भूतपूर्व विधि मंत्री के त्यागपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी तक, हमने उनके त्यागपत्र देने के कारण के बारे में कुछ नहीं सुना है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने कहा है, यह एक षड्यंत्र है।

श्री पी. एच. पांडियन : यह कैसा षड्यंत्र है ? इसके संबंध में सभा में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इस सदन को धोखा दिया गया है। इस सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। सरकार इस सभा का उपयोग मात्र अनुमोदन के प्रयोजनार्थ कर रही है। सरकार का यही रवैया है। जब उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्ति आरोप-प्रत्यारोप में लगे हैं और सारा देश उनकी गतिविधियों को देख रहा है। सारी विधि बिरादरी इसे देख रही है। इस विधि बिरादरी के प्रमुख भारत के मुख्य न्यायधीश हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मंत्री को इस सभा में उपस्थित होने और इस सभा को संतुष्ट करने का निर्देश दीजिए। आपकी तरफ से निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार गठबंधन सरकार है। हमें नहीं मालूम कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों का इस मुद्दे पर क्या रवैया है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यह कोई मुद्दा नहीं है।

श्री पी. एच. पांडियन : यह कोई मुद्दा नहीं है ? इस मुद्दे में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम खींचा गया है। अतः अध्यक्ष महोदय प्रधान मंत्री को सभा में आने और यह स्पष्टीकरण देने का निर्देश दें कि किन कारणों से श्री राम जेठमलानी को विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस घटना की विस्तृत जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री को इस सभा में अवश्य आना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.16 बजे

इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए,

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपने स्थान बैठें।

अपराह्न 2.17 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से और कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने मामले को उठाया है। अब, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, नहीं। प्रधानमंत्री को आकर इसे स्पष्ट करना चाहिए। केवल प्रधानमंत्री ही को सभा में सभा में इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, कभी–कभी मैं सोचता हूं कि यदि मैं भी जयपाल रेड्डी के समान अच्छी अंग्रेजी बोलता तो इस स्थिति को नाटकीय मोड़ दे सकता था। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या नाटकीय मोड़ देते ? महोदय, उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें ये शब्द वापस लेने होंगे। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे गम्भीरता से लें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं इसे गम्भीरता से ही ले रहा हूं। उन्होंने सभा में कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव है। यह बिल्कुल असत्य है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह उचित नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : यह गम्भीर मामला है।

श्री पी. एच. पांडियन : प्रधानमंत्री इसका उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है।

सरदार बूटा सिंह : उन्हें पता होना चाहिए कि यह संसद है। यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको उन्हें नियंत्रित करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, देश में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का टकराव चल रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। हम प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है। पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह मामला गोपनीय दस्तावेज से संबधित है, हम केवल प्रधानमंत्री से ही उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह बताएं कि प्रधानमंत्री कब उत्तर देने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय मैं इसलिए उत्तर दे रहा हूं क्योंकि इस बात का उल्लेख किया गया और मैं नहीं चाहता कि यह संदेश जाए कि ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें सभा को यह सूचित करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कब उत्तर देंगे। हम उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, यदि वे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते तो हम भी उनका भाषण नहीं सुनना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपने यह मुद्दा उठाया अब उन्हें उत्तर देने

दीजिए। मैंने उन्हे उत्तर देने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम उनसे उत्तर नहीं चाहते हम तो प्रधानमंत्री जी से उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप उनके उत्तर देने के बाद बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, कानून मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदय, हम नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, वह हमें सिर्फ यह बताएं कि प्रधानमंत्री कब उत्तर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तभी आप आपत्ति कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम उनसे स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे संसदीय कार्य मंत्री हैं। यदि आप उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते हैं तब आप बाद में आपत्ति कर सकते हैं। उन्होने अपनी बात पूरी नहीं की है, पहले उन्हें पूरा बोलने दीजिए

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस मुद्दे पर केवल प्रधान मंत्री ही उत्तर दे सकते हैं। श्री राम जेठमलानी के त्याग पत्र के बारे में हमारे प्रश्नों का उत्तर वे नहीं दे सकते। प्रधान मंत्री सभा के नेता हैं और केवल उन्हें ही सभा को जानकारी देनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री केवल समय के बारें में सूचित कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें, यह सुनना चाहिए कि वे क्या कहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। हम प्रधानमंत्री से इसका उत्तर चाहते हैं। वे प्रधानमंत्री नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे संसदीय कार्य मंत्री हैं। यदि आप उनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं होते तब आप अपनी आपत्ति उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने–अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत होने के किए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.26 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

अपराह्न 4.00¼ बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जनपद गोरखपुर, उ.प्र. के अंतर्गत सरैया शुगर मिल है, जिसमें 3 हिस्सेदार हैं। उस मिल पर किसानों का लगभग 23 करोड़ रुपया बकाया है और चीनी मिल बंद हो चुकी है। जिन किसानों का रुपया चीनी मिल में बकाया है उन किसानों ने सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी ऋण लिया हुआ है किसानों को ऋण वसूली के लिए तरह–तरह से परेशान किया जा रहा है तथा दूसरी ओर उक्त चीनी मिल पर उनका गन्ने मूल्य का जो बकाया है, उसको दिलाने के लिए सरकार कोई कदम उठा नहीं रही है। इस वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

यह विदित है कि पूर्वांचल में मुख्य उद्योग चीनी मिल ही है तथा गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडलों में किसानों का लगभग 80 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है।

देश के किसी भाग में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में तमाम धन दान स्वरूप आपदा कोष से दिया करती है। वर्तमान समय में पूर्वांचल के किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य न मिल पाना मेरी समझ से एक आपदा ही है। क्योंकि किसानों को गन्ने का बकाया न मिल पाने की वजह से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा अपने बच्चों की शादी आदि भी नहीं कर पा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर व बस्ती के किसानों को उनके गन्ने का बकाया न मिलना दैवी आपदा मानकर आपदा कोष से उनको गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कराया जाये। इस विषय में मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकारी संरक्षण में चीनी मिल को चलाया जाये।

(दो) दिल्ली में पानी और बिजली की कमी की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : दिल्ली में बिजली और पीने के पानी की भारी कमी है, दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार ने बवाना में दो संयत्रों, नरेला में एक तथा प्रगति में चौथे संयंत्र के माध्यम से 1701 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए कदम उठाए थे। तथापि अभी भी वहां पानी और बिजली की कमी बरकरार है। बिजली मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री कृपया इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(तीन) बिहार में रक्सौल या नरकटियागंज में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : महोदय, चम्पारण क्षेत्र की रेलवे लाइन समस्तीपुर रेल मण्डल के अन्तर्गत है। इस मण्डल का कार्य पहले से काफी अधिक हो गया है जिसके कारण रेलवे प्रबन्ध व्यवस्था और रेल परियोजनाओं के सम्पादन में अनावश्यक देरी होती है जैसे छितौनी और बगहा के बीच गंडक नदी पर पुल के तीन वर्ष की जगह 22 वर्ष लगे, मुजफ्फरपुर रक्सौल लाइन के आमान परिवर्तन में एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष लगे। सुगौल नरकटियागंज के आमान परिवर्तन में छः महीने के स्थान पर पांच वर्ष लगे। रेल गाड़ियों के परिचालन भी सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से रेल उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है और रेलवे के राजस्व की हानि हो रही है। इन समस्याओं का निराकरण नए रेल मण्डल का गठन करके किया जा सकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रक्सौल या नरकटियागंज में रेल मण्डल कार्यालय स्थापित किया जाए।

(चार) गोदावरी डेल्टा में बाढ़ रोधी किनारों (फ्लड बैंक) के संरक्षण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, गंगा के बाद गोदावरी दूसरी सबसे नदी है इसके समुद्र में मिलने से कुछ पहले गोदावरी डेल्टा में इस नदी की वशिष्ठ गोदावरी नामक एक सहायक नदी है जिस पर काफी पुराना बराज बना है। इससे लगभग 4 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है जिससे

**सभा–पटल पर रखे माने गए

2000 करोड़ रुपए के उत्पादन से 35 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। तथापि यह क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है इसके लिए यहां बाढ़ रोधी किनारों का निर्माण किया गया था, वे अब जीर्ण–शीर्ण हो गए हैं और उनके पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

गोदावरी डेल्टा की महत्ता और किसानों के संरक्षण के मद्देनजर, राज्य सरकार ने इन बाढ़ रोधी किनारों को पत्थरों और पुश्ताबंदी द्वारा सुरक्षित करने तथा इस उपजाऊ भूमि को कटाव से बचाने के लिए मध्यम और छोटे निकासी जलमार्गों के पुनर्निर्माण आदि की योजना बनाई है।

इस परियोजना पर लगभग 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर सिदन्तम से समुद्र से जुड़े चिनचिनादा पुल, नरसापुर आदि तक बाढ़ रोधी किनारों के साथ–साथ अच्छा सम्पर्क मार्ग शामिल है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस परियोजना को मंजूरी दें और परियोजना को शीघ्र के लिए आवश्यक धनराशि जारी करें।

(पांच) एच. एम. टी. की तुमकुर इकाई को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एस. बसवराज (तुमकुर) : सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यम जो कभी राष्ट्र के गौरव हुआ करते थे आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतियोगिता द्वारा उदारीकरण के शिकार हो गए हैं। इनमें से अधिकतर रुग्ण पड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच. एम. टी.) जिसकी पूरे देश में कई इकाइयां हैं वह भी रुग्ण हो गई है।

एच. एम. टी. की तुमकुर इकाई भी अन्य एच. एम. टी. यूनिटों की तरह कई वर्षों से लगातार उत्पादकता एवं लाभार्जनता में अग्रणी थी। इसे रानीबाग इकाई के साथ मिलाए जाने के प्रबन्धन के फैसले के कारण इसके बुरे दिन आ गए। सार्वजनिक उद्यमों के वर्ष 1998–99 में कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि एच. एम. टी. में निम्न क्षमतम उपयोगिता का कारण कार्य पूंजी वित्तीयन में बाधाएं रही हैं।

एच. एम. टी. तुमकुर इकाई का भाग्य अधर में लटक रहा है जिससे हजारों कामगारों और उनके परिवार के लोगों की आजीविका के लिए खतरा पैदा हो गया है। सिर्फ कामगारों के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उद्यमों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान के लिए भी एच. एम. टी. की तुमकुर इकाई को पुनर्जीवित करना चाहिए और उसे पटरी पर लाया जाना चाहिए। मैं सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि इस पुनरुद्धार पैकेज में जो कुछ भी धनराशि अपेक्षित होगी उससे कई गुना धनराशि इसकी बढ़े हुए उत्पादन एवं उत्पन्न लाभार्जन क्षमता से कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

(छह) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से इसके नगर निगम में स्थानान्तरित कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : कुछ समय पहले संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को चंडीगढ़ नगर निगम में स्थानान्तरित करने से उनके मन में कुछ वास्तविक संदेह एवं आशंकाएं पैदा हुई और इस भय को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। उनके ओहदे को "सरकारी कर्मचारी" से "स्थानीय निकाय के कर्मचारी" में बदलने से उनकी सेवा–वृत्तिका एवं सेवा–शर्तें पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं। सविधान द्वारा सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त कतिपय अधिकारों से अब वे वंचित हो गए हैं और उनके वेतन ढांचे तथा भत्तों में भी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत उनके पूर्व के सहकर्मियों की तुलना में असमानताएं आ गई हैं। न्याय की दृष्टि से, निगम में भेजे गए ऐसे सभी कर्मचारियों को "प्रतिनियुक्ति पर" समझा जाना चाहिए और भविष्य में नई नियुक्तियां सीधे ही निगम द्वारा की जाएं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की इस वास्तविक मांग को मान लिया जाए और उन्हें संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर माना जाए।

(सात) मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कर्नाटक को शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई. पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : महोदय, मलनाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हसन भी हमारे राज्य कर्नाटक की प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं में से एक है। यह पिछले चार दशकों से इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। यह मैसूर विश्वविद्यालय तथा विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय बेलगांव से सम्बद्ध है।

इस कॉलेज ने शैक्षिक वर्ष 2000–2001 से "सूचना प्रौद्योगिकी" में बी. ई. पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति मांगी है। वस्तुतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एक

विशेषज्ञ दल ने 31.8.1999 को इस संबंध में कॉलेज का निरीक्षण भी किया था। यह कॉलेज सभी अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं जिनमें उत्कृष्ट अध्यापक वृंद भी शामिल हैं, सहित एक सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज है। वास्तव में शिक्षा के लिए पूरे भारत से विद्यार्थी आते हैं। विश्वेश्वरैया प्रोद्योगिकीय विश्वविद्यालय बेलगाम ने इस पाठयक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के तहत सम्बद्ध करने की कर्नाटक सरकार से सिफारिश की है।

महोदय, आप इस बात से भली–भांति अवगत हैं कि कर्नाटक सरकार सूचना प्रौद्योगिकी पर काफी बल एवं प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह मलनाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस शैक्षिक सत्र 2000–2001 से "सूचना प्रौद्योगिकी" में **बी. ई.** पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पर दवाब डालें।

(आठ) केरल में विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में रेल यात्रियों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविंदन (कासगौड़) : मैं, माननीय रेल–मंत्री का ध्यान केरल में विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में रेल यात्रियों को हो रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

रेलगाड़ियों की कमी और मौजूदा रेलगाड़ियों का देर से चलना मुख्य समस्याएं हैं। उत्तरी केरल में, विगत 25 सालों से रेल सुविधाओं से सबंधित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोंकण रेलवे के आरम्भ होने से समस्याएं बढ़ी हैं। केरल में चल रही रेलगाड़ियों को, कोंकण मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए रास्ता देना पड़ता है। शोरानूर–मंगलौर सैक्टर में पटरियों के दोहरीकरण के कार्य में विलंब से समस्याएं बढ़ रही हैं। केरल में दक्षिण–रेलवे के अधीन चलने वाली रेलगाड़ियों को धीमा चलने के आदेश हैं। रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन से भी समस्याएं बढ़ रही हैं। केरल में अधिकतर रेलगाड़ियां मध्य रात्रि में पहुंचती हैं।

यात्री, एर्णाकुलम से कालीकट तक इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू करने और कन्नूर एक्सप्रेस को कासरगौड़ तक करने की मांग कर रहे हैं। रेल प्राधिकारियों को भूविज्ञान–पहलुओं पर और यात्रियों की सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे अच्छी रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मैंने कहा, नई गाड़ियां चलाने, रेलगाड़ियों का विस्तार करने और यात्रियों की समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं। मैं रेल मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि शोरानूर और मंगलौर में चल रहे रेल पटरियों के दोहरीकरण के कार्य को भी तुरंत पूरा किया जाए।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का पमारू से ओंगोल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों की लम्बे समय से आवश्यकता है कि राजमार्ग 214 का विस्तार राजमार्ग–9 (पमारु) से राजमार्ग–5 (ओंगोल) तक किया जाए। इससे चेन्नई और कलकत्ता (राजमार्ग–5) की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे यात्रा में कम समय लगेगा, ईंधन की बचत होगी और इसके अलावा राजमार्ग–5, जिस पर भारी यातयात रहता है, के लिए भी एक वैकल्पिक राजमार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

पमारु और ओंगोल के प्रस्तावित मार्ग से हाल ही में झींगा मछली के उत्पादन में आई बढ़ोतरी को देखते हुए तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकेगा। प्रसंस्कृत झींगा मछली के अन्य देशों में निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा केवल विशाखापट्टनम और चेन्नई में ही है। प्रस्तावित मार्ग से अन्य देशो को निर्यात किए जाने वाले मूल्यवान उत्पादों जैसे श्रिम्प, झींगा इत्यादि की शीघ्र और आसान ढुलाई की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश अपनी ताजे पानी की मछलियों के लिए भी जाना जाता है और इन्हें नियमित रूप से रातों–रात प्रशीतक कंटेनरों में पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों को भेजा जाता है। इस प्रस्तावित मार्ग से निश्चित रूप में, समुद्र से प्रॉन पकड़ने, अंतर्देशीय श्रिम्प और मछलियां और कृषि उत्पादों इत्यादि का व्यापार बढ़ने से तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।

कृष्णा–गोदावरी नदी घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है। व्यापक स्तर पर खोज कार्य भी किया जा रहा है। इस प्रस्तावित मार्ग से तेल एवं प्राकृतिक गैस के राज्य के भीतर और अन्तर्राज्यीय परिवहन में भी काफी सुविधा मिलेगी।

(दस) उत्तर प्रदेश में फूलपुर में स्थित "इफको" इकाई को अर्थक्षम बनाने के लिए इसे गैस आधारित संयंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में इफको इकाई विश्व का सबसे बड़ा अमोनिया यूरिया कॉम्पलैक्स है। वर्ष 1997–98 के दौरान सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। यह इकाई नेप्था पर आधारित है और इस फैक्टरी में हजारों मैट्रिक टन खाद बनती है। 1997-98 और 98–99 तक फूलपुर इकाई में सर्वाधिक उत्पादन था। इस फैक्टरी को काफी लाभ हुआ और सरकार को लाभांश का हिस्सा भी वहां के मैनेजमेंट ने दिया। इफको फूलपूर में कुल 1200 स्थायी तथा 1500 कैजुअल कर्मचारी हैं और आस–पास गांव के लोगों को भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। इनके परिवार भी इस इकाई पर निर्भर हैं। परन्तु इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक से सब्सिडी हटाने से तथा नेप्था के मूल्य बढ़ने से फूलपुर इकाई को तीन से चार करोड़ रुपए प्रतिदिन घाटा हो रहा है। अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इफको फूलपुर को तभी बचाया जा सकता है जब इस नेप्था से हटा कर गैस आधारित कर दिया जाए। वर्ष विश्व व्यापार संगठन संधि के प्रभावी होने के आधारित इफको फूलपुर संयंत्र के बंद हो जाने का खतरा है। क्योंकि खाद का आयात खुल जाने से जब सस्ती विदेशी खाद यहां आने लगेगी तो उसमें नेप्था आधारित महंगी खाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। जिसके कारण इकाई को प्रतिदिन और घाटा बढ़ता जाएगा।

इसलिए मैं सरकार से मागं करता हूं कि इफको फूलपूर इकाई जो कि नेप्था उर्वरक आधारित है, गैस आधारित उर्वरक कारखाने के रूप में तबदील करने की अतिशीघ्र कार्यवाही करें, जिससे इफको फूलपुर सहित अन्य नेप्था उर्वरक को बचाया जा सके। जिससे देश की खाद फैक्टरी बंद न हो सके और इकाइयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का भविष्य भी उज्ज्वल हो।

(ग्यारह) तमिलनाडु सरकार को विशेष रूप से तिरूचेंदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या हल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुचेंदूर की तटीय सीमा काफी लम्बी है। फिर भी यहां पीने के पानी की भारी कमी है। लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। गरीब लोगों के लिए पानी खरीदना मुश्किल होता है। उन्हें दूषित पानी पीना पड़ता है इसलिए वे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्योंकि यहां तटीय क्षेत्र बहुत हैं अतः यहां का पानी खारा और पीने योग्य नहीं है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पीने की पानी की परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं। नई प्रौद्योगिकी के द्वारा पानी के खारेपन को समाप्त करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है जैसा कि कुछ अरब देशों में प्रयोग किया जा रहा है। इस कदम से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लम्बी समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा।

(बारह) उत्तर प्रदेश में हरदोई में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हरदोई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हरदोई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास स्थित है। शिक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। हरदोई में केन्द्र सरकार के कार्यालय, निगम, प्रतिष्ठान, इत्यादि बहुतायत में हैं। इसके अलावा लखनऊ व उसके आसपास स्थित ऐसे कार्यालयों में अपने कार्यरत हरदोई निवासियों की संख्या भी काफी है। ऐसे कर्मचारी प्रतिदिन, हजारो की संख्या में, यहां से अपने कार्य स्थलों में आते–जाते हैं। यही नहीं, सशस्त्र सैन्य बलों व केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में तैनात जवानों व अधिकारयों के सैंकड़ों परिवार हरदोई में रहते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों के लिए उत्तम, सुलभ व निशुःल्क शिक्षा देने के लिए, हरदोई में, कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इसके लिए ऐसे कर्मचारी काफी समय से मांग करते आ रहे हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरदोई में, अगले शिक्षा सत्र से ही, एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, नियम, 193 के अधीन चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैजर जनरल (सेवानिवृत्त) **बी. सी. खण्डूड़ी** कृपया...

(व्यवधान)

अपराह्न 4.00½ बजे

(हिन्दी)

इस समय श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 4.00½ बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : आप वैल में मत आइये, अपनी सीटों पर जाइये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00½ बजे

इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। पहले अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले अपने स्थान पर जाइए। तभी मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए। तभी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा और आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। आपने मामला उठाया है। सरकार उत्तर देना चाहती है किंतु आप सरकार को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर देने को तैयार है किन्तु आप उसे उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं। सरकार उत्तर देने वाली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है ? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने मामला उठाया है और सरकार उस पर उत्तर देने को तैयार है। किन्तु आप सरकार को उत्तर देने नहीं दे रहे हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय,

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बीरभूम जिले के जिले के नानूर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत खुजुटीपाड़ा गांव में, आज सुबह 11 बजे भा. क. पा. (मा) के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के 11 सदस्यों की हत्या कर दी है ....*(व्यवधान)* आप कृपया एक मिनट मेरी बात सुन लें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : सभी मृतक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के थे। भा. क. पा. (मा) के लोगों ने उन पर अत्याचार किए और उन्हे मार डाला। यह हमला पूर्व नियोजित और अभिप्रेरित था । आज अपराह्न हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देने और दाह–संस्कार में भाग लेने हेतु घटना–स्थल के लिए रवाना हो रही हैं।

वहां संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है। पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। वहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे आपको जवाब देंगे। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : माननीय गृह मंत्री यहां हैं। मैं इस मामले की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसे राज्य का मामला नहीं समझा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई, 2000/6 श्रावण, 1922, (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 27 जुलाई, 2000/5 श्रावण, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
114	नीचे से 9	(घ)	(छ)
150	11	(क)	(क) से (ग)
311	29	श्री मर्तुहरि महताब	श्री भर्तृहरि महताब
327	4	(ख)	(ग)
327	नीचे से 12	(घ)	(ग)
340	2	श्री नेरश पुगलिया	श्री नरेश पुगलिया
368	10	835	853

पी० एल० एस० — 48/8/10/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।